

संयोजक अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसों निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के अध्याय पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रु० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व व्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ गण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये थे। जिनका अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए पूर्व में अभिनिर्णय घोषित किये जा चुके हैं। अभिनिर्णयवार विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	अभिनिर्णय संख्या	बरौली खलीलाबाद	घुसवलकलां	सेबई	देवामऊ	अहमामऊ	हरिहरपुर
1	1/26.05.2010	8.5625 हे०	10.06236 हे०	3.0494 हे०	—	—	—
2	2/26.05.2010	—	—	2.5357 हे०	0.38775 हे०	0.945 हे०	—
3	3/26.05.2010	28.92579 हे०	0.8215 हे०	0.072 हे०	—	—	—
4	4/26.05.2010	—	—	8.11438 हे०	—	—	—
5	5/09.06.2010	27.383348 हे०	2.6595 हे०	—	—	—	—
6	6/26.08.2010	21.7843 हे०	8.45569 हे०	20.321895 हे०	1.92845 हे०	0.174 हे०	—
7	7/08.02.2011	2.4975 हे०	6.949816 हे०	11.16839 हे०	—	—	1.63825
8	8/07.04.2011	13.53472285	5.73714999875	7.03566666656	3.0016333313	—	—
9	9/13.09.2011	—	11.2030999852	12.0226072326	2.50525	0.589	—
10	10/13.09.2011	1.143179761	4.31053326	3.8824166649	—	0.0675878	—
11	11/26.03.2012	1.989666666	2.961	1.296	2.858683333	—	—
12	12/15.05.2012	2.8835	—	—	—	—	—
13	13/26.11.2012	0.58897916323	6.517497929	3.5462874986	1.57849537	—	—
	योग	109.29348644023	59.67814717295	73.0447430617	12.260262034	1.7755878	1.63825

प्रश्नगत योजना में अद्य तक घोषित अभिनिर्णय व अवशेष भूमि के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	घारा 7/17 का क्षेत्रफल हे० में	मजकूआ / कच्चा का क्षेत्रफल हे० में	अभिनिर्णीत भूमि का क्षेत्रफल हे० में	प्रस्तावित अभिनिर्णय का क्षेत्रफल हे० में	अभिनिर्णय हेतु अवशेष क्षेत्रफल हे० में
1	देवामऊ	28-468	21-981	12.260262034	0.302791666	9.4179463
2	बरीलीखलीलावाद	160-953	123-376	109.29348642323	0.0896749996	13.99271857717
3	धुसवलकलों	115-992	88-452	59.67814717295	2.0938	26.68005282705
4	हरिहरपुर	72-756	46-585	1.63825	—	44.94675
5	रोवई	97-148	82-391	73.0447430617	1.754014996	7.5922419423
6	अहमामऊ	27-064	20-859	1.7755878	—	19.0834124
7	बरीना	39-043	35-507	—	—	35.507
8	सरसावाँ	75-715	75-715	—	—	75.715
		617-139	494-866	257.69039649	4.2404816616	232.93512204652

वर्तमान अभिनिर्णय में उपरोक्त जिन ग्रामों की भूमि के प्रस्ताव/समझौते प्राप्त हुए हैं, के अनुबन्ध का खातावार विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-धुसवलकलों

खाता संख्या 45-

भूमि खसरा संख्या 48 रकबा 0.292 हे० व खसरा संख्या-49 रकबा 0.034हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हकऊ पुत्र चन्द्रिका प्रसाद ग्रामवासी कु० किरण सिंह पुत्री एस०बी० सिंह, 215/445 दुर्गा भवन नाका हिन्डोला, लखनऊ अनिल कुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या-512/25.03.09 गाटा सं०-48/0.292हे० का बकदर भाग 0.073हे० से अनिल कुमार पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद का नाम निरस्त करके श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी केशव दयाल नि० नगला झलाई, तहसील करहल जिला मैनपुरी का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। पुनः आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/11.06.09 खाता सं० 45, 46, 47, 100 से मृतक नन्हकऊ के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। पुनः आदेशानुसार ना०तह० बिजनौर वाद सं० 1127/28.08.09 गाटा सं० 48/0.292, 49/0.034हे० कुल रकबा 0.326 हे० में से 0.090 हे० मा०गु० ख से अनिल कुमार पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद का नाम निरस्त करके श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी केशव दयाल नि० नगला अलाई तहसील करहल जिला मैनपुरी का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार उर्मिला देवी द्वारा अपने हिस्से

की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 54-

भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 0.747हे०, 225/1.567हे०, 369/0.022हे०, 370/0.035हे०, 372/0.049हे०, 373/0.025हे० व 375/0.219हे० कुल रकबा 2.664हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वृजलाल, अयोध्या प्रसाद पुत्रगण चैतई, महेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण नेवाजी लाल, श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्यामलाल, चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरी लाल, मायादेवी पत्नी रामस्वरूप नि० जया सिंह खेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रकान्ती द्वारा 1/12 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 102:-

भूमि खसरा संख्या 10 रकबा 0.107हे० व 188मि०/0.145हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसेवक पुत्र नान्दूलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसेवक द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 141:-

भूमि खसरा संख्या 54 रकबा 0.323हे० व 198व/0.483हे० कुल रकबा 0.806हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधाकृष्ण अवरस्थी नि० घुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० नगर वाद सं० 452/03.08.07 गाटा सं० 54/0.323 में से 0.253 से श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधाकृष्ण अवरस्थी का नाम निरस्त करके श्यामकिशोर पुत्र राम सिंह नि० दरियाई पुरवा म० हसनपुर जिला बाराबंकी का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय शेष रकबा पर विक्रेता का नाम यथावत दर्ज रहेगा। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 480/18.02.08 गाटा सं० 198व 10.483 हे० से श्रीमती विद्यावती पत्नी हीरालाल के स्थान पर ना०त० बिजनौर के आदेश दिनांक 24.04.03 के द्वारा वसीयत प्राप्त कर्ता श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधाकृष्ण अवरस्थी का नाम निरस्त करके श्रीमती कुसुम वर्मा पत्नी श्रीराम वर्मा नि० छोटा बरहा आलमबाग लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार मुन्नीदेवी द्वारा 0.070हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

4-

खाता संख्या 142:-

भूमि खसरा संख्या 360 रकबा 0.058हे० व 359भि०/0.122हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती माया सिंह पत्नी भी०एस० भाकुडी नि० सल्ट निवास कंवन् बिहारी मार्ग नालदा स्कूल के पास राजीव नगर, कल्याणपुर शहर, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार माया सिंह द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 14:-

भूमि खसरा संख्या 431स रकबा 0.006हे०, 432स/0.153हे०, 433स/0.113हे०, 434स/0.044हे०, 506स/0.003हे०, 391/0.082हे०, 409/0.200हे०, 444/2.187हे०, 446/0.018हे०, 447/1.197हे०, 456/0.202हे०, 457/0.010हे०, 459/0.039हे०, 464/0.104हे०, 465/0.068हे०, 484/0.371हे० कुल रकबा 4.797हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश, नन्हा रामगिलन, कौशल किशोर, लल्लन पुत्रगण मैकूलाल, राम औतार पुत्र त्रिलोकी, राम नरेश पुत्र रामचरन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार ओम प्रकाश द्वारा 1/15 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम-देवामऊ

खाता संख्या 21:-

भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 0.641हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में धन्नु जगन्नाथ, बैजनाथ पुत्रगण चिरजू व चन्द्रिका पुत्रगण धनी व सुन्नी देवी विधवा श्यामालाल, रामू ना०बा० आयु 15 वर्ष संरक्षिका मुन्नीदेवी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तह०सदर लखनऊ वाद सं० 1007/28.07.08 गाटा सं० 51अ/0.2150, 51ग/0.4530हे० के बकदर भाग रकबा 0.250हे० से धन्नु जगन्नाथ बैजनाथ पुत्रगण चिरजू का नाम निरस्त करके अंसल प्रापटीज एण्ड इन्फोस्ट्रेक्चर लि० रजि० आफिस 115 अंसल भवन 16 कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली 110001, वर्तमान पता तृतीत तल वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया गया जाय। खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहेंगे। पुनः आदेशानुसार तह० सदर लखनऊ वाद संख्या 1023/29.09.08 गाटा सं० 153/0.651हे० में से अपना सम्पूर्ण भाग 0.081हे० से मुन्नी देवी विधवा श्यामालाल, रामू ना०बा० द्वारा संरक्षिका माता मुन्नी देवी पुत्र श्यामलाल का नाम निरस्त करके सीताराम पुत्र मैकूलाल नि० महमूदपुर मजरा मुजफ्फरनगर घुसवलकलों का नाम सं०म०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। पुनः आदेशानुसार तह०सदर लखनऊ वाद सं० 964/27.09.08 गाटा सं० 51अ/0.215, 51ब/0.453हे० के 1/8 भाग 0.0835हे० से मुन्नी

my - 5 -

देवी विघवा श्यामलाल व राग ना0बा0 द्वारा संरक्षिका माता मुन्नी देवी पुत्र श्यामलाल का नाम निरस्त करके कंता अनसल प्राण्टीज एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लि0 द्वारा अभिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र कैरी प्रसाद द्विवेदी वरिष्ठ प्रबन्धक सम्बन्ध पता तृतीय तल वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग-13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ का नाम बतौर सां0 द्वारा बैन्गमा अंकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार सीताराम द्वारा 1/8 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 23-

भूमि खसरा संख्या 129 रकबा 0.230हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हा पुत्र भेजू व यासीन पुत्र रमजान व सब्बीर अली, मुजीब अली बालिग, मो0 पतले अली पुत्रगण अशरफ अली नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्हा द्वारा 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 40-

भूमि खसरा संख्या 145 रकबा 0.039हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनीराम, अवधेश ना0बा0 आयु 10 वर्ष विक्रमाजीत ना0बा0 आयु 10 वर्ष संरक्षिका श्रीमती राजेश्वरी पुत्रगण चन्दी नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मनीराम द्वारा 1/3 भाग व अवधेश द्वारा 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 69 :-

भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 0.240हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामगोपाल, आनन्द प्रकाश पुत्रगण सुन्दरलाल निवारी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार आनन्द प्रकाश द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम-सेवई

खाता संख्या 51:-

भूमि खसरा संख्या 47 रकबा 0.063हे0, 49/0.697हे0, 52/0.114हे0 व 53स/0.126हे0 कुल रकबा 1.000हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छबीले पुत्र उमराव व प्रेमचन्द्र पुत्र पियारे व राजकुमार, राजेन्द्र, प्रताप पुत्रगण अशर्फी लाल व पंकज पुत्र रामनरेश व विकास ना0बा0 आयु 13 वर्ष सां0 श्रीमती मीना देवा राम नरेश, रामेश्वरी व जनाका पुत्री

my -6-

गोल्हे नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजेन्द्र द्वारा 1/16 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 60-

भूमि खसरा संख्या 287 रकबा 0.556हे० व 295/0.266हे० कुल रकबा 0.822हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में देवी प्रसाद बाबूलाल पुत्रगण नन्दा ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 14/31/184/18-1-08 गाटा सं० 287/0.556, 295/0.266, 430/0.100 मा० गु० 42.30 के यथोचित भाग से चन्नी पत्नी स्व० मंगाराम का नाम निरस्त करके जमुना पुत्र बिहारी का नाम बतौर वारिस बजरिये पंजीकृत वसीयत सं०गु० दर्ज हो। पुनः आदेशानुसार निबन्धक राजस्व परिषद उ०प्र० अनुभाग 13 लखनऊ के 6902/13(न्याय) दिनांक लखनऊ 21.07.10 नि०सं० 2537 एल०आर०/09-10 जिला लखनऊ बाबूलाल आदि बनाम जमुना प्रसाद ग्राम सेवई परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ परिषद के आदेश दिनांक 8-7-0 अफर न्यायालय द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। पुनः आदेशानुसार सं०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/18.06.11 खाता सं० 60 पर मृतक देवी प्रसाद के स्थान पर रामदीन व राकेश कुमार पुत्रगण देवी प्रसाद व श्रीमती चन्द्रकली पत्नी स्व० देवी प्रसाद नि० सुन्दर खेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। अभिलिखित खातेदार बाबूलाल द्वारा 1/4 भाग, रामदीन द्वारा 1/12 भाग, राकेश द्वारा 1/12 भाग व चन्द्रकली द्वारा 1/12 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 125-

भूमि खसरा संख्या 241 रकबा 0.016हे० व 242/0.039हे० कुल रकबा 0.055हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबादीन पुत्र कल्लू ग्रा०वा० व विजय कुमार पुत्र बलई नि० उसरी बंगला बाजार के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद सं० 1281/212 09.09.09 खाता संख्या-125 गाटा सं० 45/0.165हे० का पूर्ण भाग व खाता संख्या-127 गाटा सं० 57/0.144हे० के बकदर भाग मा० गु० 60ख से विक्रेता बाबादीन पुत्र कल्लू नि० ग्राम व विजय कुमार पुत्र बलई नि० उसरी बंगला बाजार लखनऊ का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि० बरौली खलीलाबाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। गाटा सं० 57 के शेष रकबे पर अन्य सहखातेदार यथावत दर्ज रहेंगे। अभिलिखित खातेदार बाबादीन द्वारा 1/2 भाग व विजय कुमार द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

 -7-

खाता संख्या 167:-

भूमि खसरा संख्या 273 रकबा 1.357हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम, हीरालाल, भाईलाल पुत्रगण नन्दे, मुल्कराज, चन्द्रपाल, गौतम पुत्रगण मोतीलाल, श्रीमती राजकुमारी देवा मोतीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मंशाराम द्वारा 1/6 भाग, हीरालाल द्वारा 1/6 भाग, मुल्कराज द्वारा 1/8 भाग, चन्द्रपाल द्वारा 1/8 भाग व राजकुमारी द्वारा 1/8 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 207:-

भूमि खसरा संख्या 15 रकबा 0.120हे०, 16/0.132हे० व 18/0.296हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम उचित पुत्र रामनाथ, रामपाल पुत्र सूरजबली, राकेश कुमार यादव, सर्वेश कुमार यादव, दयानन्द यादव पुत्रगण बहादुर यादव, राजधर्म पुत्र श्रीपाल नि० ग्राम श्रीमती सुशीला पत्नी श्रीपाल प्यारेलाल पुत्र मैकू लाल नि० मकदूमपुर जगराना पत्नी फूलचन्द्र नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/24.10.05 खा०सं० 207, 329 से मृतक राजधर्म के स्थान पर राकेश व सत्य प्रकाश, जुग्गीलाल, कौशल ना०आयु क्रमशः 16, 12, 8 वर्ष सं० श्रीमती विद्यावती माता स्वयं पुत्रगण राजधर्म व श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० राजधर्म नि० मकदूमपुर का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। पुनः आदेशानुसार ना०तह० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/26.03.10 खाता सं० 207 पर रामनाथ पुत्र धनी नि० ग्राम का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय। अभिलिखित खातेदार जगराना द्वारा 1/8 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 209:-

भूमि खसरा संख्या 227 रकबा 0.031हे०, 228/0.096हे०, 233स/0.017हे० व 238/0.130हे० कुल रकबा 0.274हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामकुमार, राम किशोर पुत्रगण शंकर शत्रोहन, सालिकराम पुत्रगण धनी बेचा लाल पुत्र हुब्बा ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद सं० 138/833/06/30.08.07 ग्राम सेवई पर बिजनौर त० व जिला लखनऊ की खतौनी 1395 से 1400 फ० के खात सं० 62 पर अंकित प०क० 11क आदेश दि० 30.08.91 निरस्त किया जाता है एवं खतौनी वर्ष 1413-18 फ०के० खा० सं० 209, 265, 267 पर अंकित शत्रोहन, सालिकराम पुत्रगण स्व० धनी का नाम निरस्त कर शत्रोहन सालिकराम, प्रेम कुमार, कुरील उर्फ बजरंग पुत्रगण स्व० धनी नि० ग्राम का नाम जरिये वरासतन अंकित हो। अभिलिखित खातेदार रामकुमार द्वारा 1/3 व राम किशोर द्वारा 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र०

आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 311:-

भूमि खसरा संख्या 247 रकबा 0.117हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सहजराम, रामू, सुभाष चन्द्र, सुमन्त कुमार पुत्रगण पल्टराम व श्रीमती रामप्यारी पत्नी पल्टू राम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सहजराम द्वारा 1/5 भाग, रामू द्वारा 1/5 भाग, सुभाष चन्द्र द्वारा 1/5 भाग, सुमन्त कुमार द्वारा 1/5 भाग एवं रामप्यारी द्वारा 1/5 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

बरौलीखलीलावाद

खाता संख्या 273:-

भूमि खसरा संख्या 1745 रकबा 0.228हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मथुरा पुत्र पॉंचू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार 1412 फ० आदेशानुसार श्रीमान रा०नि० महोदय जरिये प०क० 11क क्रमांक 37/16.09.04 द्वारा गाटा सं० 273 पर से मृतक मथुरा पुत्र पॉंचू के स्थान पर राधे पुत्र भोला व भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल व सोहनलाल व मेवालाल पुत्रगण छोटेलाल व श्रीमती प्यारा पत्नी छोटेलाल व घसीटे व रामसुमिरन पुत्रगण बैजू राम प्रसाद कल्लू लाला पुत्रगण शिवलाल नि० घोघन खेड़ा मजरा ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.09 खाता सं० 128, 129, 179 से मृतक मेवालाल के स्थान पर हरिभजन बालिग, सुखदेव, विशुनदेव ना०बा० आयु क्रमश 12, 9 वर्ष सं० श्रीमती राधा माता स्वयं पुत्रगण मेवालाल व श्रीमती राधा पत्नी स्व० मेवालाल नि० घोघन खेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरिभजन द्वारा 1/48 भाग व श्रीमती राधा द्वारा 1/16 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 367:-

भूमि खसरा संख्या 1713 रकबा 0.202हे०, 1722/0.417हे०, 1723/0.190हे० व 1724/0.089हे० कुल रकबा 0.898हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधे पुत्र भोला, भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल, चिन्ना पुत्र नरायन, सोहन लाल पुत्र छोटेलाल, मेवालाल पुत्र छोटेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। खतौनी सन् फसली वर्ष 1416 से 1421 में भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल, चन्दिका पुत्र हरिश्चन्द्र, सोहनलाल पुत्र छोटेलाल, रमेश चन्द्र पुत्र बुद्धलाल, नन्हकऊ पुत्र राधे व नन्ही देवी पत्नी राधे, मेवालाल पुत्र छोटेलाल श्रेणी-1क संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। अभिलिखित खातेदार रमेश चन्द्र द्वारा

1/24 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 370-

भूमि खसरा संख्या 1805 रकबा 0.152हे०, 1806/0.051हे०, 1809/0.025हे०, 1810/2/0.016हे०, 1823/0.013हे०, 1824/0.076हे०, 1826/0.063हे०, 1827/0.101हे०, 1828/2/0.013हे०, 1829/2/0.132हे०, 1830/1/0.110हे० व 1833/0.051हे० कुल रकबा 0.803हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधे पुत्र भोला, भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल, चिन्ना पुत्र नरायण, सोहन लाल, मेवालाल पुत्रगण छोटेलाल निवासी ग्राम का नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। खतौनी सन् फसली वर्ष 1416 से 1421 में भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल, चन्दिका पुत्र हरिश्चन्द्र, सोहनलाल पुत्र छोटेलाल, रमेश चन्द्र पुत्र बुदूलाल, नन्हकऊ पुत्र राधे व नन्ही देवी पत्नी राधे, मेवालाल पुत्र छोटेलाल श्रेणी-1क संक्रमणीय भूमि के रूप में दर्ज है। अभिलिखित खातेदार रमेश चन्द्र द्वारा 1/24 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। अर्जित ग्रामों के कतिपय खसरा संख्या-मिंजुमला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

आज दिनांक 10.1.2014 को
अभिनिर्णय घोषित किया
गया।

10.1.2014

(सुधीर कुमार रूग्टा)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
लखनऊ।

13

4.5
09-1-13
4:5
01

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 13/2010

1-	वाद संख्या	:	1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	सेवई, देवामऊ, घुसवलकलां, बरौलीखलीलाबाद ।
3-	परगना तहसील व जिला	:	लखनऊ ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	:	सेवई 3-5462874986 देवामऊ 1-57849537 घुसवलकलां 6-517497929 बरौलीखलीलाबाद 0-58897916323 योग- 12-2312599608
5-	व्या जर्मीदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	हों ।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	:	07.10.2008
11-	अभिनिर्णय की तिथि	:	
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	:	सेवई 1,88,88,236-77 देवामऊ 84,07,382-04 घुसवलकलां 3,47,13,497-47 बरौलीखलीलाबाद 31,37,020-82 योग- 6,51,46,136-80
13-	पूजीकृत मूल्य	:	17062-80
14-	अध्याप्ति व्यय	:	65,14,613-70

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात्

keep in records.
7-1-13
EE

13

भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयीं। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितवद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये थे। जिनका अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए पूर्व में अभिनिर्णय घोषित किये जा चुके हैं। अभिनिर्णयवार विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	अभिनिर्णय संख्या	बरीली खलीलावाद	घुसवलकला	संवई	दंवामऊ	अहमामऊ	हरिहरपुर
1	1/26.05.2010	8.5625 हे०	10.06236 हे०	3.0494 हे०	---	---	---
2	2/26.05.2010	---	---	2.5357 हे०	0.38775 हे०	0.945 हे०	---
3	3/26.05.2010	28.92579 हे०	0.8215 हे०	0.072 हे०	---	---	---
4	4/26.05.2010	---	---	8.11438 हे०	---	---	---
5	5/09.06.2010	27.383348 हे०	2.6595 हे०	---	---	---	---
6	6/26.08.2010	21.7843 हे०	8.45569 हे०	20.321895 हे०	1.92845 हे०	0.174 हे०	---
7	7/08.02.2011	2.4975 हे०	6.949816 हे०	11.16839 हे०	---	---	1.63825
8	8/07.04.2011	13.53472285	5.73714999875	7.0356666656	3.0016333313	---	---
9	9/13.09.2011	---	11.2030999852	12.0226072326	2.50525	0.589	---
10	10/13.09.2011	1.143179761	4.31053326	3.8824166649	---	0.0675878	---
11	11/26.03.2012	1.989666666	2.961	1.296	2.858683333	---	---
12	12/15.05.2012	2.8835	---	---	---	---	---
	योग	108.70450726	53.16064924395	69.4984555631	10.681766664	1.7755878	1.63825

R

प्रश्नगत योजना में अब तक घोषित अभिनिर्णय व अवशेष भूमि के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	ग्राम का नाम	धारा 7/17 का क्षेत्रफल हे० में	मजरूआ / कब्जा का क्षेत्रफल हे० में	अभिनिर्णीत भूमि का क्षेत्रफल हे० में	प्रस्तावित अभिनिर्णय का क्षेत्रफल हे० में	अभिनिर्णय हेतु अवशेष क्षेत्रफल हे० में
1	देवामऊ	28-468	21-981	10-681766664	1-57849537	9-720737966
2	बरीली खलीलाबाद	160-953	123-376	108-70450726	0-58897916323	14-082513577
3	धुसवलकलों	115-992	88-452	53-1606492439	6-517497929	28-7738528271
4	हरिहरपुर	72-756	46-585	1-63825	---	44-94675
5	सेवई	97-148	82-391	69-4984555631	3-5462874986	9-3462569383
6	अहमामऊ	27-064	20-859	1-7755878	---	19-0834124
7	बरीना	39-043	35-507	---	---	35-507
8	सरसवाँ	75-715	75-715	---	---	75-715
		617-139	494-866	245-45921653	12-2312599608	237-17552351

वर्तमान अभिनिर्णय में उपरोक्त जिन ग्रामों की भूमि के प्रस्ताव/समझौते प्राप्त हुए हैं, के अनुबन्ध का खातावार विवरण निम्नवत है :-

ग्राम-सेवई

खाता संख्या 85:-

भूमि खसरा संख्या 269 रकबा 0.131 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परीदीन पुत्र रघुनाथ ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/29.05.09 खाता सं० 85, 87 से मृतक परीदीन के स्थान पर रामेश्वर, दिनेश कुमार पुत्रगण परीदीन व श्रीमती अंगाना पत्नी स्व० परीदीन नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामेश्वर, दिनेश कुमार व अंगाना द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

Ph

खाता संख्या 173:-

भूमि खसरा संख्या 324 रकबा 0.304 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र बल्देव ग्रा०वा० लालू, रामलाल, मंशाराम, चन्द्रशेखर पुत्रगण भगवानदीन रघुवर पुत्र देवी रामशरण पुत्र लक्ष्मीनारायण, शीतल, श्रीपाल पुत्रगण बैजनाथ, विक्रम, पप्पू, सहजराम पुत्रगण बेचालाल, अहिवरन ना०वा० आयु 13 वर्ष तहसीलदार ना०वा० आयु 9 वर्ष पुत्रगण पृथ्वीपाल सं० शान्तीदेवी श्रीमती शान्तीदेवी, पत्नी पृथ्वीपाल, गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण राधेलाल, चन्दन ना०वा० आयु 10 वर्ष प्रीतम सिंह ना०वा० आयु 9 वर्ष पुत्रगण राधेलाल सं० कौशल्या देवी, श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी राधेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश बाहवाला मृतक श्रीपाल व शीतल के सम्बन्ध में खा०सं० 271 पर अंकित है। आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/02.02.06 खा०सं० 172, 173, 174 से मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रंगार सिंह, समर विजय सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई देवी पत्नी स्व० मोल्हे नि० चौधरी खेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/29.06.09 खा०सं० 173, 174 पर मृतक मंशाराम के स्थान पर अमर कुमार, आशीष कुमार ना०वा० आयु क्रमशः 17, 7 वर्ष सं० श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्रगण मंशाराम व श्रीमती सन्तोष कुमारी स्व० पत्नी मंशाराम नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामशरण द्वारा 1/10, गजेन्द्र सिंह द्वारा 1/60, दिनेश सिंह द्वारा 1/60, जितेन्द्र सिंह द्वारा 1/60, कौशल्या (ना०वा० चन्दन व प्रीतम) प्रत्येक द्वारा 1/20, रामचन्द्र द्वारा 1/60, नन्हैलाल द्वारा 1/60, कल्लू द्वारा 1/60, करन द्वारा 1/60, बबलू द्वारा 1/60 व राजेश्वरी द्वारा 1/60 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 174:-

भूमि खसरा संख्या 205 रकबा 0.212 हे०, 283स/0.063हे०, 285स/0.145हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र बल्देव प्रसाद, लालू, रामलाल, मंशाराम, चन्द्रशेखर पुत्रगण भगवानदीन, श्रीपाल, शीतल पुत्रगण बैजनाथ, रामसरन पुत्र लक्ष्मीनारायण, विक्रम, पप्पू, सहजराम पुत्रगण बेचालाल, अहिवरन ना०वा० आयु 13 वर्ष तहसीलदार ना०वा० आयु 9 वर्ष पुत्रगण पृथ्वीपाल सं० श्रीमती शान्तीदेवी, श्रीमती शान्तीदेवी, पत्नी पृथ्वीपाल, गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण राधेलाल, चन्दन सिंह ना०वा० आयु 09 वर्ष प्रीतम सिंह ना०वा० आयु 8 वर्ष पुत्रगण राधेलाल सं० कौशल्या देवी, श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व० राधेलाल रघुवर पुत्र देवी नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश बाहवाला मृतक श्रीपाल व शीतल के सम्बन्ध में खा०सं० 271 पर अंकित है। आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/02.02.06 खा०सं० 172, 173, 174 से मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रंगार सिंह, समर विजय सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई देवी पत्नी स्व० मोल्हे नि० चौधरी

Ph

खेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/29.06.09 खा०स० 173,174 पर मृतक मंशाराम के स्थान पर अमर कुमार, आशीष कुमार ना०बा० आयु क्रमशः 17, 7 वर्ष सं० श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्रगण मंशाराम व श्रीमती सन्तोष कुमारी स्व० पत्नी मंशाराम नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामशरन द्वारा 1/10, गजेन्द्र सिंह द्वारा 1/60, दिनेश सिंह द्वारा 1/60, जितेन्द्र सिंह द्वारा 1/60 व चन्दन, प्रीतम ना०बा० सं० श्रीमती कौशल्या (माता) पुत्रगण राधेलाल व श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व० राधेलाल द्वारा 1/20 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 243:-

भूमि खसरा संख्या 206 रकबा 0.122 हे०, 283स/0.063हे०, 285स/0.145हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामशरन पुत्र लक्ष्मीनारायण ग्रामवासी, गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण राधेलाल, चन्दन सिंह ना०बा० 9 वर्ष प्रीतम सिंह ना०बा० 8 वर्ष पुत्रगण राधेलाल सं० कौशल्या देवी माँ श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी राधेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामशरन द्वारा 1/2, गजेन्द्र सिंह द्वारा 1/12, दिनेश सिंह द्वारा 1/12, जितेन्द्र सिंह द्वारा 1/12 व चन्दन, प्रीतम ना०बा० सं० श्रीमती कौशल्या (माता) पुत्रगण राधेलाल व श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व० राधेलाल द्वारा 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 263:-

भूमि खसरा संख्या 146 रकबा 1.378 हे० व 181/0.333हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामसुन्दर, श्रीकृष्ण पुत्रगण नीलकंठ ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/13.07.07 खाता सं० 30, 263, 264 से मृतक श्यामसुन्दर के स्थान पर बुद्ध पुत्र श्यामसुन्दर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीकृष्ण द्वारा खसरा संख्या-146 में से अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्री राकेश यादव द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। जिसके निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्ति को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 271:-

भूमि खसरा संख्या 214 रकबा 0.084 हे०, 294/0.278हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शीतल, श्रीपाल पुत्रगण वैजनाथ ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली

P

1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार स०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/०5.01.06 खाता सं० 271, 173, 174 से मृतक शीतल व श्रीपाल के स्थान पर रामचन्द्र, नन्हेलाल, कल्लू, करन, बबलू पुत्रगण शीतल व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व० शीतल व सूटू सुशील ना०बा० आयु कमश. 12, 8 वर्ष सं० श्रीमती सरोज पुत्रगण स्व० छेदालाल व श्रीमती सरोज पत्नी स्व० छेदालाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामचन्द्र, नन्हेलाल, कल्लू, करन, बबलू व राजेश्वरी प्रत्येक द्वारा अपने-अपने हिस्से की 1/12 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 114:-

भूमि खसरा संख्या 159 रकबा 0.269 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजमोहन पुत्र तुलसीराम, राजेश कुमार यादव पुत्र विहारी लाल, प्रेमसागर उर्फ नन्कऊ पुत्र धरू प्रसाद यादव निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार विजनौर वाद संख्या-662/06 गाटा संख्या-159/0.269 हे० गा० गु० 60 ख के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसीराम नि० ग्राम धावाहार म० सेवई का नाम निरस्त करके जनार्दन प्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद यादव नि० शारदा नगर निलमथा, लखनऊ का नाम सहखातेदार बतौर स० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार जनार्दन प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 167:-

भूमि खसरा संख्या 273 रकबा 1.357 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम, हीरालाल, भाईलाल पुत्रगण नन्हे मुल्कराज, चन्द्रपाल, गौतम पुत्रगण मोतीलाल, श्रीमती राजकुमारी बेवा मोतीलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भाईलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 168:-

भूमि खसरा संख्या 28 रकबा 0.231 हे०, 29/0.271 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम, हीरालाल, भाईलाल पुत्रगण नन्हे, श्यामलाल, गणेश, श्रीपाल पुत्रगण पितई, मुल्कराज, चन्द्रपाल, गौतम पुत्रगण मोतीलाल, श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व० मोतीलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित

Jm

खातेदार मंशाराम द्वारा 1/8, हीरालाल द्वारा 1/8, चन्द्रपाल द्वारा 1/32, गौतम, राजकुमारी द्वारा 1/32 व मुल्कराज द्वारा 1/32 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्री जावेद इकबाल, अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है, के निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्ति को पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 214:-

भूमि खसरा संख्या 84 रकबा 0.596 हे०, 89/0.375 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन पुत्र श्रीपाल, भगौती प्रसाद, माता प्रसाद पुत्रगण शिव नरायण चन्द्रिका प्रसाद पुत्र हनोमान, रामचन्द्र पुत्र राजाराम, कनेडी, पुत्र ओमप्रकाश ललित कुमार पुत्र ओमप्रकाश, देवीशरन, नन्दकिशोर पुत्रगण जगन्नाथ श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/18.06.09 खाता सं० 139, 214, 215 से मृतक राम खेलावन के स्थान पर राधेश्याम, कमलेश कुमार, गौतम कुमार पुत्रगण स्व० रामखेलावन व श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व० रामखेलावन का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार गौतम कुमार द्वारा 1/48 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 229:-

भूमि खसरा संख्या 191 रकबा 0.119 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामदीन पुत्र मंगल बेचालाल, दर्शन पुत्रगण पितई निवासी ग्राम चमनलाल पुत्र राम प्रसाद नि० धुसवलकलों श्रीमती सताना देवी पत्नी स्व० राम प्रसाद, महावीर, मनोजकुमार, साहबदीन पुत्रगण रामखेलावन श्रीमती विशुनदेई पत्नी रामखेलावन नि० धुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार मृतक बेचालाल के स्थान पर मुकेश, राजू, बाबूलाल, सुनील पुत्रगण बेचालाल व विद्या पत्नी स्व० बेचालाल बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामदीन द्वारा 1/4, दर्शन द्वारा 1/8, चमनलाल द्वारा 1/8, सताना द्वारा 1/8, मुकेश द्वारा 1/40, राजू द्वारा 1/40, सुनील द्वारा 1/40 व विद्या द्वारा 1/40 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 41:-

भूमि खसरा संख्या 321 रकबा 0.276 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गंगा प्रसाद, जगदम्बा प्रसाद पुत्रगण रामबली, दिनेश कुमार, संदीप कुमार, सत्यदीप

Jr

पुत्रगण गया प्रसाद, श्रीमती नेमवती पत्नी स्व० गया प्रसाद नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार जगदम्बा प्रसाद द्वारा 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 145:-

भूमि खसरा संख्या 305 रकबा 0.128 हे० व 312/0.093 हे० कुल 0.221 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुकेश कुमार, रामकुमार ना०बा० आयु 14 वर्ष नितेश कुमार ना०बा० आयु 9 वर्ष पुत्रगण राम सुरेश सं० पिता राम सुरेश, राम सुरेश पुत्र मिठाई लाल, शिवरतन पुत्र मेड़ई नि० नरहराखेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवरतन, मुकेश व राम सुरेश द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 246:-

भूमि खसरा संख्या 37 रकबा 0.203 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसेवक पुत्र गुरु प्रसाद नि० निलमथा इब्राहिमपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1411 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० (आनन्द कुमार) द्वारा प०क० 11क/12.08.10 खाता सं० 246 से मृतक रामसेवक के स्थान पर लक्ष्मीचन्द्र, बाबूलाल व ललितकुमार व सुनील कुमार व पुत्रगण राम सेवक व श्रीमती एमावती पत्नी स्व० रामसेवक नि० निलमथा इब्राहिमपुर का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। अभिलिखित खातेदार लक्ष्मी चन्द्र, बाबूलाल, ललित कुमार, सुनील कुमार व श्रीमती एमावती द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 251:-

भूमि खसरा संख्या 318 रकबा 0.178 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लल्लू सिंह यादव पुत्र रामलाल यादव, शिवरतन पुत्र मेड़ई नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवरतन द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

३५

खाता संख्या 277:-

भूमि खसरा संख्या 302 रकबा 0.350 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवरतन पुत्र मेडई चन्डू बटलू सजलू पुत्रगण रामस्वरूप नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवरतन द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 333 :-

भूमि खसरा संख्या 125 रकबा 0.833 हे० व 126स/0.076हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती विमला कुमारी पत्नी दुर्गाप्रसाद श्रीमती मीना पत्नी सुरेश चन्द्र निवासी निलमथा बाजार लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती मीना द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री जावेद इकबाल अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 312 :-

भूमि खसरा संख्या 107 रकबा 0.038 हे० व 129/0.622हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सेवाराम, राजकुमार व छोटे पुत्रगण भल्तर निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सेवाराम द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम-बरौलीखलीलाबादखाता संख्या 89:-

भूमि खसरा संख्या 1606/1 रकबा 0.262 हे० 1606/2/0.262हे०, 1641/0.569हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती गीतारावत पत्नी रामखेलावन, छेदा पुत्र रामनाथ, विनोद पुत्र रामनाथ, शिवराजा पत्नी रामनाथ, परसादी पुत्र दुर्गा सुदामा पुत्र शीतल, सन्तराम पुत्र पितम्बर, सुखलाल, हनोमान पुत्रगण पितम्बर विजय कुमार, शिव कुमार पुत्रगण इश्वरीदास, सोहनलाल पुत्र शीतल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/27.03.05 खाता सं० 89 से मृतक सुखलाल के स्थान पर श्यामलाल, राम मिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी सुखलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल व राममिलन प्रत्येक द्वारा अपने-अपने हिस्से की 1/96 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास

B

एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 229:-

भूमि खसरा संख्या 1637 रकबा 0.038 हे० 1639/0.013हे०, 1635/0.050हे०, 1636/0.114हे०, 1625/0.161हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बराती पुत्र सतई, कु० संजू ना०बा० 11 वर्ष पुत्री खिलाड़ी सं० कालिका (नाना) छेदा, विनोद पुत्रगण रामनाथ शिवराजा बेवा रामनाथ परसादी पुत्र दुर्गा सुदामा, सोहनलाल पुत्रगण शीतल सन्तराम, सुखलाल, हनोमान पुत्रगण पितम्बर विजय कुमार, शिवकुमार पुत्रगण इश्वरीदास नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/08.09.04 द्वारा खाता सं० 229 व 511 पर मृतक सुखलाल पुत्र पितम्बर के स्थान पर श्यामलाल, राममिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रुधराई पत्नी स्व० सुखलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल द्वारा 1/96, राममिलन द्वारा 1/96, छेदा द्वारा 1/24, विनोद द्वारा 1/24, शिवराजा द्वारा 1/24 व बिलकिसन द्वारा 1/32 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 273:-

भूमि खसरा संख्या 1715 रकबा 0.228 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पुत्र पाँचू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 37 दिनांक 16.07.04 द्वारा खाता सं० 273 से मृतक मथुरा पुत्र पाँचू के स्थान पर राधे पुत्र भोला व भूपकुमार पुत्र पुत्तिलाल, सोहनलाल, मेवा पुत्रगण छोटेलाल व श्रीमती पियारा पत्नी छोटेलाल, घसीटे, रामसुमिरन पुत्रगण बैजू, राम प्रसाद कल्लू लोला पुत्रगण शिवलाल नि० घोघनखेडा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर प०क० 11क दिनांक 01.06.09 खाता सं० 179 से मृतक राधे के स्थान पर रमेश चन्द्र, बृद्धलाल, नन्हकऊ पुत्रगण स्व० राधे व श्रीमती नन्ही देवी पत्नी राधे नि० घोघनखेडा बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर प०का० 11क दिनांक 15.06.09 खाता सं० 128, 129, 179 से मृतक मेवालाल के स्थान पर हरिमजन बा० सुखदेव, विशुनदेव ना०बा० 12, 9 वर्ष स० श्रीमती राधा (भाता) व श्रीमती राधा पत्नी स्व० मेवालाल बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है तथा मृतक रामसुमिरन के स्थान पर घसीटेराम का नाम दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सोहनलाल द्वारा 1/12, भूपकुमार द्वारा 1/12, राम प्रसाद द्वारा 1/12, कल्लू द्वारा 1/12, लाला द्वारा 1/12, बुद्धलाल द्वारा 1/48, नन्ही द्वारा 1/48, पियारा द्वारा 1/6, घसीटे द्वारा 1/4 व नन्हकऊ द्वारा 1/48

Sh

भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 367:-

भूमि खसरा संख्या 1713 रकबा 0.202 हे० 1722/0.417हे०, 1723/0.190हे०, 1724/0.089हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधे पुत्र भोला, भूपकुमार पुत्र पुत्तिलाल, चिन्ना पुत्र नरायन, सोहनलाल पुत्र छोटेलाल नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/01.06.09 खाता सं० 179 से मृतक राधे के स्थान पर रमेशचन्द्र बुद्धलाल, नन्हकऊ पुत्रगण राधे व श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व० राधे बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्हकऊ द्वारा 1/24, भूपकुमार द्वारा 1/6, बुद्ध द्वारा 1/24 व नन्ही द्वारा 1/24 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 370:-

भूमि खसरा संख्या 1805 रकबा 0.152 हे० 1808/0.051हे०, 1809/0.025हे०, 1810/0.016हे०, 1823/0.013हे०, 1824/0.076हे०, 1826/0.063हे०, 1827/0.101हे०, 1828/2/0.013हे०, 1829/2/0.132हे०, 1830/1/0.110हे०, 1833/0.051हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधे पुत्र भोला, भूपकुमार पुत्र पुत्तिलाल, चिन्ना पुत्र नरायन, सोहन लाल, मेवालाल पुत्रगण छोटेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/01.06.09 खाता सं० 179 से मृतक राधे के स्थान पर रमेशचन्द्र बुद्धलाल, नन्हकऊ पुत्रगण राधे व श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व० राधे बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्हकऊ द्वारा 1/24 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम-देवामऊ

खाता संख्या 21:-

भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 0.641 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में धन्नु, जगन्नाथ, बैजनाथ पुत्रगण चिरंजू व चन्द्रिका पुत्र धनी व मुन्नी देवी विधवा श्यामलाल रामू ना० 15 वर्ष सं० मुन्नी देवी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 1007/28.07.08 गाटा सं० 51अ/0.251, 51ब/0.453 हे० के बकदार भाग रकबा 0.2505 हे० से

Ph

धनु जगन्नाथ बैजनाथ पुत्रगण चिरन्जु का नाम निरस्त करके अंसल प्रापटीज एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर लि० रजि० आफिस 115 अंसल भवन 16 कस्तूरबा गौधी मार्ग नई दिल्ली 110001 वर्तमान पता-तृतीय तल-वाई० एम०सी०ए० बिल्डिंग 13 राणाप्रताप मार्ग लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। खातों के अन्य सहखातादारों के नाम यथावत दर्ज रहेंगे। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद सं० 1023/29.09.08 गाटा सं० 153/0.651 हे० में से अपना सम्पूर्ण अंश 0.081हे० से मुन्नी देवी विघवा श्यामलाल व रामू ना०बा० द्वारा सं० माता मुन्नी देवी पुत्र श्यामलाल का नाम निरस्त करके सीताराम पुत्र मैकूलाल नि० महमूदपुर मजरा मुजफ्फरनगर धुसवलकलों का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 969/27.09.08 गाटा सं० 51अ/10.215, 51ब/0.453 का 1/8 भाग 0.0855हे० से मुन्नी देवी विघवा श्यामलाल व रामू ना०बा० द्वारा सं० माता मुन्नी देवी पुत्र श्यामलाल का नाम निरस्त करके क्रेता अन्सल प्रापटीज एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर लि० द्वारा अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी वरिष्ठ प्रबन्धक समन्वय वर्तमान पता तृतीय तल वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद सं० 1318/30.09.09 गाटा सं० 51अ/0.215, 51ब/0.453हे० के बकदर भाग में से रकबा 0.334 हे० मा० गु० 60ख से चन्द्रिका पुत्र धनी का नि०ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता अन्सल प्रापटीज एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर लि० द्वारा धीरेन्द्र प्रताप सिंह गंगापाल सिंह वर्तमान पता तृतीय तल वाई०एम०सी० लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार धनु द्वारा 1/8, जगन्नाथ द्वारा 1/8 व बैजनाथ द्वारा 1/8 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 46:-

भूमि खसरा संख्या 141 रकबा 0.228 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल पुत्र सोहन के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मैकूलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 47:-

भूमि खसरा संख्या 142 रकबा 0.680 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल, नौमीलाल पुत्रगण मोती के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/21.08.07 खाता सं० 47, 48 से मृतक नौमीलाल के स्थान पर राममिलन, रामसमुझ, रामनरेश, सरवन्, विनोद कुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/03.07.08 खाता सं० 47, 48 से मृतक सरवन् के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमीलाल

Dr

नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मैकूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर कु० गीता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, जिसके निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 48-

भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 0.081 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल, नौमीलाल पुत्रगण मोती व तुलाराम पुत्रगण झाऊलाल व व राजकुमार, पप्पू पुत्रगण परशुराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/21.08.07 खाता सं० 47, 48 से मृतक नौमीलाल के स्थान पर राममिलन, रामसमुझ, रामनरेश, सरवन, विनोद कुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/03.07.08 खाता सं० 47, 48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मैकूलाल द्वारा 1/6 व राजकुमार द्वारा 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर कु० गीता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, जिसके निस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 49-

भूमि खसरा संख्या 126 रकबा 0.180 हे०, 159/0.001 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंगल, नन्हा औसान पुत्रगण छेदा व राजेश सुरेश पुत्रगण परभू व रामदास, रामलाल पुत्रगण टीका व सत्य नरायन व रामदास पुत्र टीका व भगवानदीन पुत्र जोधा व बदलू पुत्र हेमराज व रामपाल रामकुमार सम्पत्ति कुमार पुत्रगण परीदीन निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/29.05.07 खाता सं० 49, 93 से मृतक सत्यनरायन के स्थान पर श्रीमती रामादेवी पुत्री सत्यनरायन पत्नी रामकिशुन नि० बरकवा खेडाम मऊ व मोहनलालगंज का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/29.05.07 खाता सं० 49 से मृतक रामलाल के स्थान पर देशराज वयस्क व विक्रम व विककी अययस्क आयु क्रमश 17, 13 वर्ष सं० श्रीमती बदाला माता स्वयं पुत्रगण रामपाल व श्रीमती बदाला पत्नी स्व० रामपाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/28.08.07 खाता सं० 49, 50 से मृतक मंगल के स्थान पर हीरालाल, सूरजबली पुत्रगण मंगल व श्रीमती हसीला पत्नी स्व० मंगल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/13.02.11 खाता सं० 49 से मृतक बदलू के

Pu

स्थान पर प्रेम कुमार व तिलक चन्द्र व राजू व धर्मन्द्र कुमार पुत्रगण बदलू व श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व० बदलू नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/13.02.11 खाता सं० 68 से मृतक रामखेलावन के स्थान पर उमेश व शेष व गनेश व आशीष पुत्रगण राम खेलावन व श्रीमती सुनीता पत्नी राम खेलावन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हीरालाल द्वारा 1/36, सूरजबली द्वारा 1/36, छबीला द्वारा 1/36, आसान द्वारा 1/12, नन्हा द्वारा 1/12, भगवानदीन 1/9, देशराज द्वारा 1/108, बदाला द्वारा 1/108, रामकुमार द्वारा 1/27 व सम्पत्ति कुमार द्वारा 1/27 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 59:-

भूमि खसरा संख्या 139 रकबा 0.460 हे०, 215/0.201हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजकुमार, सन्तोष कुमार पुत्रगण नत्थू व सन्तलाल, बालकिशन पुत्रगण लेखराम व सुखलाल, शिवराज, फूलचन्द्र पुत्रगण चौहान व शिवराज पुत्र लेखराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/12.03.08 खाता सं० 59 से मृतक फूलचन्द्र के स्थान पर सुशील कुमार, शिवकुमार, जय सिंह बा० सत्यनरायन ना०बा० आयु 15 वर्ष पुत्रगण फूलचन्द्र सं० श्रीमती उर्मिला माता स्वयं व श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व० फूलचन्द्र नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार निर्मला द्वारा 1/5, सुखलाल द्वारा 1/5, सुशील कुमार द्वारा 1/25, शिव कुमार द्वारा 1/25, जय सिंह द्वारा 1/25, सत्यनरायन ना०बा० सं० श्रीमती उर्मिला (माता) स्वयं पुत्र स्व० फूलचन्द्र व श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व० फूलचन्द्र द्वारा 2/25, राजकुमार द्वारा 1/10, सन्तोष कुमार द्वारा 1/10, सन्तलाल द्वारा 1/15, बालकिशन द्वारा 1/15 व बबलू द्वारा 1/15 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

धुसवलकलों

खाता संख्या 6:-

भूमि खसरा संख्या 301 रकबा 0.455 हे०, 436स रकबा 0.152हे०, 437 रकबा 0.114हे० कुल 0.721हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, सतेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण रामस्वरूप श्रीमती रामकली विधवा शम्भूदयाल ग्रामवासी राम कुमारी पत्नी शिव ललित, आनन्द कुमार ग्रा०बा० राम कुमार पुत्र कृष्ण कुमार गु० शकुन्तला पत्नी स्व० कृष्ण कुमार नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार

Pu

रामकुमारी द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 40:-

भूमि खसरा संख्या 123 रकबा 0.370 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दयाराम पुत्र मूलचन्द्र ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दयाराम द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 52:-

भूमि खसरा संख्या 248 रकबा 0.603 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बहादुर पुत्र ब्रजलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बहादुर द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 67 :-

भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 0.066 हे०, 4/0.064हे०, 5/0.044हे०, 6/0.057हे०, 7/0.114हे०, 8/0.067हे०, 19/0.240हे०, 84/0.046हे०, 85/0.057हे०, 95/0.025हे०, 96/0.018हे०, 97/0.062हे०, 98/0.082हे०-भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद हिम्मत बहादुर पुत्रगण बिरजा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बहादुर द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 70 :-

भूमि खसरा संख्या 77 रकबा 0.125 हे०, 78/0.056हे०, 79/0.026हे०, 86/0.038हे०, 87/0.029हे०, 135/0.239हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेशचन्द्र, दिनेश चन्द्र, उमेश चन्द्र, अरुण कुमार, अशोक कुमार, किशोर कुमार पुत्रगण रामचन्द्र नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 85 :-

भूमि खसरा संख्या 171 रकबा 0.025 हे०, 219अ/0.161हे०, 219व/0.066हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामआसरे पुत्र मंगल, रामेश्वर, रामसेवक पुत्रगण नन्हा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामेश्वर द्वारा 1/4 व रामआसरे द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 103 :-

भूमि खसरा संख्या 326 रकबा 0.284हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामेश्वर, रामसेवक पुत्रगण हनोमान, ताराचन्द्र यादव पुत्र हरदेव नि० चिरैयाबाग उत्तरटिया के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामेश्वर द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 104 :-

भूमि खसरा संख्या 157 रकबा 0.011 हे०, 317/0.052हे०, 318/0.026हे०, 327/0.175हे०, 328/0.036हे०, 329/0.056हे०, 330/0.071हे०, 493/0.057हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामेश्वर, रामसेवक पुत्रगण हनोमान नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1379 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामेश्वर द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 113 :-

भूमि खसरा संख्या 448 रकबा 0.193 हे०, 449/0.030हे०, 450/0.097हे०, 451/0.104हे०, 479स/0.010हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामलाल, सुन्दरलाल पुत्रगण जगन्नाथ, भोपाल सिंह मेहरा पुत्र हीरा सिंह मेहरा, राम सिंह भन्डारी पुत्र पान सिंह भन्डारी नि० शान्ती नगर, घोघनखेडा म० बरौली खलीलाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



खाता संख्या 116 :-

भूमि खसरा संख्या 423 रकबा 0.368 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रोहन, मिश्रीलाल, शंकरलाल पुत्रगण वृजलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शंकरलाल व शत्रोहन द्वारा अपने-अपने हिस्से की क्रमशः 1/3 व 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 122 :-

भूमि खसरा संख्या 187 रकबा 0.778 हे०, 238/0.297 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हिम्मत बहादुर पुत्रगण विरजा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बहादुर द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 126 :-

भूमि खसरा संख्या 407 रकबा 0.172 हे०, 452/0.089 हे०, 453/0.090 हे०, 454/0.104 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुन्दर लाल, शत्रोहन, श्यामलाल पुत्रगण जगन्नाथ तुलसा सिंह, नेगी पत्नी जोधा सिंह, नेगी नि० शान्तीनगर के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 128 :-

भूमि खसरा संख्या 196 रकबा 0.228 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुभाषचन्द्र, पवन कुमार पुत्रगण रामपाल, श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व० रामपाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 130 :-

भूमि खसरा संख्या 483 रकबा 0.537 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुशील कुमार पुत्र गनेश प्रसाद मु० कमला देवी देवा गनेश प्रसाद, रमेश प्रसाद, नरेश प्रसाद पुत्रगण राम स्वरूप, छोटेला पुत्र गया प्रसाद, अनन्त कुमार पुत्र शीतला प्रसाद, राहुल ना०वा० आयु 16 वर्ष पुत्र शीतला प्रसाद सं० जय देवी श्रीमती जयदेवी पत्नी स्व० शीतला प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार

Ph

नरेश प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 139 :-

भूमि खसरा संख्या 490 रकबा 0.257 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती गौरा पत्नी रामपाल, रामपाल पुत्र बदल नि० फिरंगी खेड़ा म० सालेहनगर के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती गौरा द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 149:-

भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 0.101 हे०, 222/0.065हे०, 303/0.089हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में किशोरी लाल पुत्र रामजियावन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार किशोरी लाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 152 :-

भूमि खसरा संख्या 1/1स रकबा 0.130 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दुलीचन्द्र पुत्र संकटू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दुलीचन्द्र द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 158 :-

भूमि खसरा संख्या 343 रकबा 0.147 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 2 असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामकिशोर द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 160 :-

भूमि खसरा संख्या 91 रकबा 0.201 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लक्ष्मीनारायन पुत्र महावीर प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 2

Handwritten signature

असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/०1.10.07 खाता सं० 106, 160 से मृतक लक्ष्मीनरायन के स्थान पर रामकिशोर पुत्र, लक्ष्मीनरायन व श्रीमती महाराजा पत्नी स्व० लक्ष्मीनरायन नि० ग्राम का नाम बतौर दर्ज करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/13.07.11 खाता संख्या-106, 160 पर मृतक महाराजा के स्थान पर रामकिशोर पुत्र लक्ष्मीनरायन नि० ग्राम का नाम वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामकिशोर द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 163:-

भूमि खसरा संख्या 412 रकबा 0.040 हे०, 413/1/0.209 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुरेन्द्र कुमार पुत्र मैकू, नीरज, धीरज, सूरज ना०वा० आयु 15, 13, 7 वर्ष पुत्रगण वीरेन्द्र कुमार सं० भु० रामावती, रामावती बेवा वीरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, जगेन्द्र कुमार पुत्रगण मैकू के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों सुरेन्द्र, नरेन्द्र, जगेन्द्र रामावती, ना०वा० नीरज, धीरज, सूरज द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 11:-

भूमि खसरा संख्या 127 रकबा 0.095 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अनिल कुमार, विजय कुमार पुत्रगण बिहारी लाल नि० म०न० 56/4041 तिलपुरवा हुसैनगंज आइना वीवी० बाग शहर लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अनिल कुमार व विजय कुमार द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 15:-

भूमि खसरा संख्या 331 रकबा 0.347 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश पुत्र महावीर, राममिलन, राम सुमेर, अर्जुन हरिश्चन्द्र पुत्रगण श्रीराम नि० लछिमन पुरवा म० कबीर पुर त० मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं०-274/16.12.07 गाटा सं० 331/0.347 में से यथोचित भाग से ओम प्रकाश पुत्र महावीर का नाम निरस्त करके श्रीमती कान्ती पत्नी विश्राम कुमार नि० भुइय्यन का पुरवा म० हसनपुर खेवली का नाम बतौर रा०भू० द्वारा वैनामा अंकित किया जाय खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहेंगे। अभिलिखित खातेदार श्रीमती कान्ती द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास

15

एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 27:-

भूमि खसरा संख्या 289 रकबा 0.009 हे०, 319/0.009 हे०, 321/0.095 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में काशी प्रसाद पुत्र सूर्यबली, सुनील कुमार लवकुश अब० आयु 10 वर्ष पुत्रगण नौमीलाल प्रेमा बेवा नौमीलाल नरेन्द्र कुमार अब० आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम सं० मु० प्रेमा माता मु० प्रेमा विधवा राधेश्याम बाबूलाल पुत्र सूर्यबली भागूलाल पुत्र गयादीन छोटेला पुत्र रामदास चिरंजूलाल भाईलाल पुत्रगण बुद्धू रामशंकर पुत्र जंगली मु० सरस्वती बेवा जंगली नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 26 व 27 से मृतक भागूलाल के स्थान पर गोकुल, बबलू, रिकू पुत्रगण भागूलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रिकू द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 47:-

भूमि खसरा संख्या 209 रकबा 0.028 व 240/0.051 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हकऊ अनिलकुमार पुत्रगण चन्द्रिका प्रसाद ग्रा०वा० श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधाकृष्ण नि० घुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/11.06.09 खाता सं० 45, 46, 47 व 100 से मृतक नन्हकऊ के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार अनिल कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 57 :-

भूमि खसरा संख्या 340अ रकबा 0.025 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल पुत्र अहरवा सतनू पुत्र परीदीन मु० रामदेवी विधवा परीदीन लत्ता मुन्ना, सतनू पुत्रगण अहरवा मु० रामकली बेवा अहरवा नान्हु पुत्र महावीर श्रीराम वृजेश राम विलास पुत्रगण सत्तीदीन श्रीमती रामरती पत्नी स्व० सत्तीदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 57.123 से मृतक रामदेवी के स्थान पर सतनू पुत्र परीदीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री वृजेश द्वारा 1/16,

Ph

श्रीराम द्वारा 1/16, श्री राम विलास द्वारा 1/16, श्रीमती रामरती द्वारा 1/16, श्री नान्हू द्वारा 1/4, श्री मुन्ना द्वारा 1/24, श्री मोनू द्वारा 1/24, श्रीमती रामकली द्वारा 1/24 व श्री सतनू द्वारा 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 58-

भूमि खसरा संख्या 314 रकबा 0.046 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, लल्ला, मुन्ना, सोनू, मोनू पुत्रगण अहरवा मु० रामकली बेवा अहरवा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बाबूलाल, मोनू, सोनू, मुन्ना व रामकली प्रत्येक द्वारा अपने-अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 82-

भूमि खसरा संख्या 480 रकबा 0.321 हे०, 481/0.086 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, राजाराम पुत्रगण धन्नु, श्रीमती गौरा पत्नी रामपाल, रामपाल पुत्र बदलू, बाबूलाल, रामसनेही, राम सेवक व राजू पुत्रगण बुद्धा ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती गौरा द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 88-

भूमि खसरा संख्या 292 रकबा 0.018 हे०, 293/0.285 हे०, 345/0.109 हे०, 347/0.118 हे०, 381/0.043 हे०, 382/0.107 हे०, 398/0.180 हे०, 469/0.150 हे०, 478/0.205 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामगुलाम, रामआसरे, राम आधार पुत्रगण सियाराम, दिनेश, सुरेश पुत्रगण बाबूलाल निरंजन प्रसाद पुत्र हुवलाल नि० शेरपुर म० हरिहरपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/०9.०9.11 खाता सं० 88 पर मृतक रामगुलाम के स्थान पर नन्दलाल पुत्र रामगुलाम नि० शेरपुर म० हरिहरपुर का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राम आधार व नन्दलाल प्रत्येक द्वारा अपने-अपने हिस्से की 1/5 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

JK

खाता संख्या 113:-

भूमि खसरा संख्या 448 रकबा 0.193 हे०, 449/0.030हे०, 450/0.097हे०, 451/0.104हे०, 479स/0.010हे० कुल 0.434हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामलाल, सुन्दरलाल पुत्रगण जगन्नाथ भोपाल सिंह मेहरा पुत्र हीरा सिंह मेहरा, राम सिंह भन्डारी पुत्र पान सिंह भन्डारी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुन्दरलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 122 :-

भूमि खसरा संख्या 187 रकबा 0.778 हे० व 238/0.297हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हिम्मत बहादुर पुत्रगण बिरजा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हिम्मत द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 126 :-

भूमि खसरा संख्या 407 रकबा 0.172 हे०, 452/0.089हे०, 453/0.090हे०, 454/0.104हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुन्दरलाल, शत्रोहन, श्यामलाल पुत्रगण जगन्नाथ तुलसा सिंह, नेगी पुत्र जोधा सिंह नेगी नि० शान्ती नगर घोघन खेडा म० बरौली खलीलाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुन्दरलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 138:-

भूमि खसरा संख्या 419 रकबा 0.172 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती गुड्डी पत्नी मेवालाल नि० पिपरौली म० हँवतमऊ भवैया के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती गुड्डी द्वारा सम्पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित पथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर तिकर का भुगतान देय होगा। अर्जित ग्रामों के कतिपय खसरा संख्या-मिजुमला के रूप में अभिलेखों में

जे

दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जॉचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू0अ0अ0 की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

Dr

23-11-12

(बाबूलाल श्रीवास)

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)

लखनऊ।

3/11/12 को
आंगणवाड़ी कार्य दिनांक 23-11-12 को
हस्ताक्षर एवं उद्घोषित किया

mm)

Dr

23-11-12

मी0म0ए0

अभिर्नयन आदेश क्र. 10/2011

1-	आदेश क्र. 10/2011
2-	आदेश का नाम
3-	परगना तहसील व जिला
4-	अभिर्नयनीत क्षेत्रफल
5-	क्या जर्मादारी विनाश अधिनियम लागू है
6-	ग्राम अध्याप्ति का प्रयोजन
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक
9-	ग्राम अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक
10-	अधिकार / कब्जा की तिथि
11-	अभिर्नयन की तिथि
12-	अभिर्नयन की धनराशि
13-	एलाकृत मूल्य
14-	अध्याप्ति व्यय

2011	बरोलीखलीलाबाद लखनऊ ।
2-9235 हे०	बरोलीखलीलाबाद 2-9235 हे० नहीं ।
	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
17/07/2004	
30/9/2006	
05/12/2007	
07.10.2008	
14.01.2010	
1,53,58,097-70	
3994-40	
15,35,809-80	

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयीं। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कसर नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दर निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रु० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया।

अर्जन निकाय उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित खसरा संख्या 1665 व 15368 हेक्टर भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास अधिनियम 1965 के अन्तर्गत अधिसूचना निगंत की गयी जिसका कच्चा अर्जन निकाय को दिनांक 07.10.2008 को हस्तगत किया जा चुका है। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा खसरा संख्या 1665 के 15.4845 हे० भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में समझौता निष्पादित करते हुये अभिनिर्णय की कार्यवाही करायी जा चुकी है। उक्त 15.4845 हे० भूमि में उपलब्ध कराये गये समझौता प्रपत्रों के क्षेत्रफल का योग प्रश्नगत खसरा के अधिसूचना के क्षेत्रफल 18.368 हे० से अधिक हो जाता है। अतः उक्त दोनों समझौता प्रपत्रों में उक्त खसरा संख्या 1665 की अधिसूचना के क्षेत्रफल 18.368 हे० से अधिक भूमि के क्षेत्रफल 0.132 हे० को कम करते हुये मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.04.10 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु अभिनिर्णय प्रस्तावित किया जा रहा है। तहसील की आख्या दिनांक 05.05.2012 से स्पष्ट है कि परिषद अधिसूचित रकम / टिरे गये कच्चे से अधिक रकम पर काब्जे है अवशेष भूमि जिसका अधिसूचना आवास अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निगंत नहीं की गयी है व सम्बन्ध में अर्जन निकाय उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपन स्तर से कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है -

ग्राम-बरीली खलीलाबाद

गाता संख्या 443 :-

भूमि खसरा संख्या 1665/1 में रकबा 1.770 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवप्रसाद व बिन्दाप्रसाद स्कूल पानदरीबा चारबाग लखनऊ के नाम पूर्व सन फसली 1384 से श्रेणी 1 के संग्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में शिवप्रसाद व बिन्दाप्रसाद स्कूल पानदरीबा चारबाग लखनऊ मनेजिंग कमेटी द्वारा प्रबन्धक श्री नंजीव सिन्हा द्वारा अपनी भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में अनुबन्ध किया गया है। उक्त किये गये अनुबन्ध के क्षेत्रफल 1.770 हे० से अधिसूचना के क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल 0.066 हे० को कम करते हुये प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

(11)

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 11/2010

1-	वाद संख्या	:	1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	धुसवलकलों, सेवई, बरीलीखलीलावाद, देवामऊ।
3-	परगना तहसील व जिला	:	लखनऊ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	:	धुसवलकलों : 2.961 हे० सेवई : 1.296 हे० बरीलीखलीलावाद: 1.989666666 हे० देवामऊ : 2.858683333 हे० <u>9.105349999 हे०</u>
5-	ब्या जर्मीदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	नहीं।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	30/9/2005
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	:	07.10.2008
11-	अभिनिर्णय की तिथि	:	
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	:	धुसवलकलों : 15770878.20 सेवई : 6902755.20 बरीलीखलीलावाद : 10597362.60 देवामऊ : 15225919.17 <u>48496915.17</u>
13-	पूजीकृत मूल्य	:	12947.60
14-	अध्याप्ति व्यय	:	4849691.52

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी

तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निगंत की गयी। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रु0 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सांलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व व्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा0 आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितवद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये थे। जिनका अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए पूर्व में अभिनिर्णय घोषित किये जा चुके हैं। अभिनिर्णयवार विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	अभिनिर्णय संख्या	वरीली खलीलावाद	धुसवलकला	संबई	देवामऊ	अहमामऊ	हरिहरपुर
1	1/26.05.2010	8.5625 हे0	10.06236 हे0	3.0494 हे0	---	---	---
2	2/26.05.2010	---	---	2.5357 हे0	0.38775 हे0	0.945 हे0	---
3	3/26.05.2010	28.92579 हे0	0.8215 हे0	0.072 हे0	---	---	---
4	4/26.05.2010	---	---	8.11438 हे0	---	---	---
5	5/09.06.2010	27.383348 हे0	2.6595 हे0	---	---	---	---
6	6/26.08.2010	21.7843 हे0	8.45569 हे0	20.321895 हे0	1.92845 हे0	0.174 हे0	---
7	7/08.02.2011	2.4975 हे0	6.949816 हे0	11.16839 हे0	---	---	1.63825
8	8/07.04.2011	13.53472285	5.73714999875	7.03566666656	3.0016333313	---	---
9	9/13.09.2011	---	11.2857666392	12.4096072326	2.50525	0.589	---
10	10/13.09.2011	1.143179761	4.31053326	3.8824166649	---	0.0675878	---
	योग	103.8313406	50.2823159	68.58945556	7.823083331	1.7755878	1.63825

प्रश्नगत योजना में अब तक घोषित अभिनिर्णय व अवशेष भूमि के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	धारा 7/17 का क्षेत्रफल हे0 में	मजरूआ /कब्जा का क्षेत्रफल हे0 में	अभिनिर्णय भूमि का क्षेत्रफल हे0 में	प्रस्तावित अभिनिर्णय का क्षेत्रफल हे0 में	अभिनिर्णय हेतु अवशेष क्षेत्रफल हे0 में
1	देवामऊ	28-468	21-981	7-823083331	2-858683333	11-299233
2	वरीली खलीलावाद	160-953	123-376	103-8313406	1-989666666	17-554993
3	धुसवलकला	115-992	88-452	50-2823159	2-961	35-208664
4	हरिहरपुर	72-756	46-585	1-63825	---	44-94675

5	सेवई	97-148	82-391	68-58945556	1-296	12-505544
6	अहमामऊ	27-064	20-859	1-7755878	---	19-151
7	वरीना	39-043	35-507	---	---	35-507
8	सरसवौ	75-715	---	---	---	75-71
		617-139	419-151	233-9400332	9-105349999	251-883

वर्तमान अभिनिर्णय मे उपरोक्त जिन ग्रामों की भूमि के प्रस्ताव/समझौते प्राप्त हुए हैं, के अनुबन्ध का खातावार विवरण निम्नवत है :-

ग्राम धुसवलकलौ

खाता संख्या 9 :-

भूमि खसरा संख्या 102 रकबा 0.560 हे०, 122/0.234हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार, देवानन्द, मनोज मुल्कराज पुत्रगण हीरालाल मु० माया देवी विधवा हीरालाल, मोहित अव० आयु 16 वर्ष पुत्र रेवानन्द सं० सर्वेश कु० मु० सर्वेश कु०विधवा रेवानन्द निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अशोक कुमार, देवानन्द, मनोज, मुल्कराज, मायादेवी, सर्वेश कुमारी व मोहित ना०वा० सं० सर्वेश कुमारी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 54 :-

भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 0.747 हे०, 225/1.567हे०, 369/0.022हे०, 370/0.035हे०, 372/0.049हे०, 373/0.025हे०, 375/0.219हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वृजलाल, अयोध्या प्रसाद पुत्रगण घेतई महेंद्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण नेवाजीलाल, श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्यामलाल, चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरी लाल, मायादेवी पत्नी रामस्वरूप नि० जय सिंह खेडा के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मायादेवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 61 :-

भूमि खसरा संख्या 237 रकबा 0.200 हे०, 245/0.745हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगवान पुत्र जमुना प्रसाद नि० छोटा वरहा कन्धई लाल पुत्र पराग नि० धुसवलकलौ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार कन्धई लाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 80 :-

भूमि खसरा संख्या 203 रकबा 1.041 हे०. भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेशचन्द्र पुत्र हरी प्रसाद, रामेश्वर पुत्र गुरदीन, नरेन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रगण राम प्रसाद, सुशीला पत्नी स्व० राम प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार नगर वाद संख्या-469/26.03.08 गाटा सं० 203/1.041हे० में से 0.347हे० से नरेन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रगण स्व० राम प्रसाद व श्रीमती सुशीला पत्नी स्व० राम प्रसाद का नाम निरस्त करके रामरतन सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह नि० हसनपुर पो० बहादुरपुर जिला मऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार सदर, लखनऊ वाद सं० 840/10.06.08 गाटा सं० 203/1.040हे० में से 0.0885हे० से रामेश्वर पुत्र स्व० गुरदीन का नाम निरस्त करके श्रीमती ऊषा पाण्डेय पत्नी चन्द्रभूषण नाथ पाण्डेय निवासी कौंसद जिला देवरिया का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहेंगे। पुनः आदेशानुसार नायब तहसीलदार विजनीर वाद सं० 535/24.08.08 गाटा सं० 203/1.041हे० में से 1/3 भाग 0.347हे० में से 0.253 हे० के बकदर भाग से रामेश्वर पुत्र गुरदीन का नाम निरस्त करके श्रीमती प्रीति शर्मा पत्नी अशोक कुमार शर्मा नि० 23 ताला फतेहगंज, लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार रामेश्वर द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 0.0055हे० भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 101 :-

भूमि खसरा संख्या 233 रकबा 0.126 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसेवक पुत्र नन्दू लाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसेवक द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 150 :-

भूमि खसरा संख्या 358 रकबा 0.208 हे०, 361/0.094हे०, 366/0.051हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गंगा पुत्र बज्जू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार गंगा द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



खाता संख्या 151 :-

भूमि खसरा संख्या 65 रकबा 0.076 हे०, 66/0.048हे०, 67/0.063हे०, 68/0.086हे०, 80/0.023हे०, 94/0.085हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रपाल पुत्र तोताराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रपाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 157 :-

भूमि खसरा संख्या 413/2 रकबा 0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम नारायण पुत्र कामता, मनोज नाबा० आयु 15 वर्ष मन्दू नाबा० आयु 10 वर्ष पुत्रगण दशरथ सं० श्रीमती मीरादेवी, श्रीमती मीरादेवी पत्नी स्व०दशरथ राम लोटन पुत्र कामता नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामनारायण, रामलोटन, मीरादेवी मनोज व मन्दू द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 162 :-

भूमि खसरा संख्या 2 रकबा 0.041 हे०, 211/0.089हे०, 179/0.101हे०, 241नि०/0.047हे०, 259/0.076हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखराना पत्नी राधेलाल नि० मो० मदरसा तह० मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुखराना द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

संवर्द्धखाता संख्या 341 :-

भूमि खसरा संख्या 108 रकबा 0.063 हे०, 282स/0.822हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार पुत्र गुन्नु नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अशोक कुमार द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।



खाता संख्या 321 :-

भूमि खसरा संख्या 275 रकबा 0.531 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री केशन पुत्र दौलत ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री केशन द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

बरौलीखलीलाबाद

खाता संख्या 83 :-

भूमि खसरा संख्या 1652 रकबा 0.152 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गुरुदेव पुत्र इन्द्रपाल, रामकरन पुत्र जगमोहन यदुवेश सिंह पुत्र ओम प्रकाश वीरन्द्र सिंह पुत्र बाबूलाल भोगनाथ पुत्र पितम्बर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1362 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार विजनौर वाद सं० 1078/7.03.11 गाटा सं० 1652 सं० रकबा 0.088 हे० मा० गु० 60 ख से विक्रेता डा० एच० सिद्दीकी पुत्र शाहिद हुसैन सिद्दीकी व खाता सं० 00161 में 1652 सं० रकबा 0.089 हे० मा० गु० 60 ख से विक्रेता मो० नईम पुत्र स्व० पीर बक्श का नाम निरस्त करके क्रंता श्रीमती गायत्री सिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी कनवा माफी पोस्ट पैडी अजब सिंह जनपद गोण्डा का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। अभिलिखित खातेदार गायत्री सिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 160 :-

भूमि खसरा संख्या 1714 रकबा 0.215 हे०, 1718/1/0.139 हे०, 1721/0.164 हे०, 1756/0.304 हे०, 1759/0.215 हे०, 1766/0.177 हे०, 1769/0.126 हे०, 1770/0.114 हे०, 1761/0.063 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती नन्हका बेवा भगवानदीन व श्रीमती कल्लो पुत्री धनी व नन्हकऊ पुत्र नन्हें नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.09 खाता सं० 278 से मृतक श्रीमती कल्लो के स्थान पर हरिश्चन्द्र पुत्र राजाराम नि० धोघन खेड़ा म० ग्राम कल्लो पुत्री का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्हका द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 291 :-

भूमि खसरा संख्या 1599/2 रकबा 0.035 हे०, 1620/0.139 हे०, 1621/0.278 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मो० शाहिद पुत्र अब्दुल रहमान नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनाँर द्वारा प०क० 11क/12.06.07 खाता सं० 291 से मृतक शाहिद के स्थान पर मो० आरिफ, मो० आतिक मो०, कासिफ पुत्रगण मो० शाहिद नि० देवामऊ वर्तमान नि० सिविल लाईन नेहरू नगर बाराबंकी का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मो० कासिफ द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 326 :-

भूमि खसरा संख्या 1775 रकबा 0.177 हे०, 1784/0.266 हे०, 1785/0.278 हे०, 1755/0.215 हे०, 1765/0.278 हे०, 1773/0.158 हे०, 1777/0.266 हे०, 1783/1/0.316 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजाराम व बाबूलाल पुत्रगण धनेवा, श्रीमती गौरा पत्नी रामपाल, रामपाल पुत्र बदलू नि० फिरंगी खेड़ा म० मालेहनगर के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती गौरा द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 526 :-

भूमि खसरा संख्या 1667/4 नि० रकबा 0.314 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशफ़ीलाल पुत्र मोहकम नि० धोधनखेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1401 से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अशफ़ीलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। प्रतिकर की धनराशि का भुगतान स्वत्व सम्बन्धी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दिया जायेगा।

खाता संख्या 533 :-

भूमि खसरा संख्या 1787/3 रकबा 0.126 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवराज पुत्र वैजनाथ नि० धोधनखेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली

1397से श्रेणी 2 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवराज द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। प्रतिकर की धनराशि का भुगतान स्वत्व सम्बन्धी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दिया जायेगा।

देवामऊ

खाता संख्या 3 :-

भूमि खसरा संख्या 175अ रकवा 0.106 हे०, 175ब/0.016हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में आंसान पुत्र छेदा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार आंसान द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 18 :-

भूमि खसरा संख्या 143 रकवा 0.582 हे०, 214/0.160हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में तुलाराम पुत्र झाऊलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार तुलाराम द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 22 :-

भूमि खसरा संख्या 176 रकवा 0.058 हे०, 230अ/0.093हे०, 230ब/0.030हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हा पुत्र छेदा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्हा द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 26 :-

भूमि खसरा संख्या 155 रकवा 0.087 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परसाद पुत्र मैकू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/27.12.08 खाता सं० 26 से मृतक परसाद के स्थान पर नन्हकऊ पुत्र परसाद व श्रीमती छेदाना पत्नी स्व० परसाद व मंगेश न०वा० 16 वर्ष पुत्र रामलखन सं० श्रीमती छेदाना नि० ग्राम का नाम बर्तार वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार छेदाना द्वारा अपने हिस्से

की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 34 :-

भूमि खसरा संख्या 164 रकबा 0.355 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वंशीलाल पुत्र नन्दा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार वंशीलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38 :-

भूमि खसरा संख्या 177 रकबा 0.185 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगवानदीन पुत्र जोधा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 640/16.03.09 गाटा सं० 94/0.228 हे० गा० गु० 60ख से भगवानदीन पुत्र जोधा नि० ग्राम देवामऊ का नाम निरस्त करके महावीर पुत्र रामचरन निवासी-194 थोक चांद ग्राम ज्योति थाना ज्योति जिला हमीरपुर का नाम बतौर सं० भू० द्वारा वैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार भगवानदीन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 47 :-

भूमि खसरा संख्या 142 रकबा 0.680 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल, नौमीलाल पुत्र मोती निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनार द्वारा प०क० 11क/21.08.07 खाता सं० 47.48 से मृतक नौमीलाल के स्थान पर राम मिलन, रामसमुड़ा, रामनरेश, सरवन, विनोद कुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० विजनार द्वारा प०क० 11क/03.07.08 खाता सं० 47, 48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राममिलन व रघुराई द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर कुमारी गीता पुत्री जगदेव पुत्र नौमीलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुये भुगतान रोकने की याचना की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 48 :-

भूमि खसरा संख्या.234 रकबा 0.081 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल, नौमीलाल पुत्रगण मोती व तुलाराम पुत्र झाऊलाल व राजकुमार, पप्पू पुत्रगण परशुराम निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/21.08.07 खाता सं० 47.48 से मृतक नौमीलाल के स्थान पर राम मिलन, रामसमुझ, रामनरेश, सरवन, विनोद कुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/03.07.08 खाता सं० 47.48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार तुलाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 50 :-

भूमि खसरा संख्या 197 रकबा 0.024 हे०, 225/0.023हे०, 226/0.013हे०, 227/0.014हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंगल, नन्हा व औसान पुत्रगण छेदा व राजेश, सुरेश पुत्रगण परभू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/21.08.09 खाता सं० 49.50 से मृतक मंगल के स्थान पर हीरालाल, सूरजबली पुत्रगण मंगल व श्रीमती छवीला पत्नी स्व० मंगल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हीरालाल, सूरजबली, छवीला, नन्हा, व औसान द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 55 :-

भूमि खसरा संख्या 138 रकबा 0.610 हे०, 229/0.058हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रघुवीर, रामखेलावन, राम स्वरूप, रामदुलारे, अशोक कुमार पुत्रगण मोल्हे व शिव शंकर, राम सेवक पुत्रगण नौमीलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रघुवीर, रामखेलावन, रामस्वरूप, रामदुलारे, अशोक व शिवशंकर द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 67 :-

भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 0.442 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन, दुलीचन्द्र, छेदीलाल पुत्रगण शिवनाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० आनन्द त्रिपाठी द्वारा प०क० 11क/22.01.11 खाता सं० 67 पर मृतक रामखेलावन के स्थान पर उमेश व शेष, गनेश व आशीष पुत्रगण राम खेलावन व श्रीमती सुनीता पत्नी स्व० रामखेलावन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार दुलीचन्द्र द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 82 :-

भूमि खसरा संख्या 150 रकबा 0.041 हे०, 151/0.042हे०, 149/0.038हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामलाल पुत्र पियारे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 102 :-

भूमि खसरा संख्या 206 रकबा 0.057हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीराम, सीताराम पुत्रगण राम घरण व वंशीलाल पुत्र नन्दा व बरातीलाल, मातादीन पुत्रगण खेम्मा व मु० जगदेई बेवा सुखलाल व चन्द्रपाल, रामपाल विधासागर पुत्रगण भोगई नि० ग्राम व तिलक चन्द्र प्रमचन्द्र अजय पुत्रगण श्रीपाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/14.02.09 खाता सं० 18 से पर मृतक मातादीन के स्थान पर हेमन्त कुमार, अमित कुमार पुत्रगण कैलाश व श्रीमती मीरादेवी पत्नी स्व० कैलाश व सतीश चन्द्र बसन्त कुमार अविनाश चन्द्र पुत्रगण मातादीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार वंशीलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 105 :-

भूमि खसरा संख्या 168 रकबा 0.678हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सियाराम पुत्र जागेश्वर प्रसाद व कालिका प्रसाद पुत्र परमेश्वर अनिल कुमार पुत्र शत्रोहन व श्रीमती धनेश्वरी पत्नी गंगा प्रसाद शिवपाल, गनेश प्रसाद कुँवर बहादुर मनौहर लाल ताराचन्द्र पुत्रगण किशुन व श्रीमती सुखरानी पत्नी स्व० किशुन के नाम पूर्व सन् फसली 1372से श्रेणी 1

क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार न०त० विजनौर वाद सं० 452/19.06.07 गाटा सं० 77/0208 व खाता सं० 105 की गाटा सं० 3/0.089 व 22/0.399 के बकदर भाग से शिवपाल, गनेश प्रसाद कुँवर बहादुर, मनोहरलाल, तारा चन्द्र पुत्रगण स्व० किशुन का नाम निरस्त करके नरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम किशन वर्मा नि० एल० 1/111 विनय खण्ड गोमती नगर लखनऊ के नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार ना० त० विजनौर वाद सं० 432/19.06.01 गाटा सं० 3/0.089, 22/0.399 के बकदर भाग व खाता सं० 106 की गाटा सं० 16/0.117 के सम्पूर्ण भाग से सियाराम पुत्र जागेश्वर व कालिका प्रसाद पुत्र परमेश्वर व अनिलकुमार पुत्र शत्रोहन का नाम निरस्त करके वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम किशन वर्मा नि० एल० 1/111 विनय खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार धनेश्वरी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। अर्जित ग्रामों के कतिपय खसरा संख्या-मिजुमला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जाँचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितवद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

Ph
26-03-12

(बाबूलाल श्रीवास)
अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
लखनऊ।

आम निर्णय मिला दिनांक 26-03-12 ला
उद्देशिका श्रीमती

Ph
26-03-12

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0310)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 10/2010

1-	वाद संख्या	:	1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	सेवई, धुसवलकलों, बरौली खलीलाबाद, अहमामऊ
3-	परगना तहसील व जिला	:	लखनऊ ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	:	सेवई : 3.8824166649 धुसवलकलों : 4.31053326 बरौली खलीलाबाद: 1.143179761 अहमामऊ : 0.0675878 <u>9.4037174859</u>
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	नहीं ।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	:	07.10.2008
11-	अभिनिर्णय की तिथि	:	13.9.2011
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	:	सेवई : 20678523.64 धुसवलकलों : 22958762.60 बरौली खलीलाबाद: 6088804.04 अहमामऊ : 359986.27 <u>50086076.55</u>
13-	पूँजीकृत मूल्य	:	50992.50
14-	अध्याप्ति व्यय	:	5008607.65

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी,

तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अंतर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रु० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की घनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितवद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये हैं। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम सेवई

खाता संख्या 59 :-

भूमि खसरा संख्या 254 रकबा 0.076 हे०, 255/0.114हे०, 277/0.142हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में देवीशरन, नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ, श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार बिजनौर वाद सं० 522/22.05.06 मू०नं० 773/0.164, 880/0.405 के बकदर भाग से नन्द किशोर पुत्र स्व० जगन्नाथ का नाम निरस्त करके मा० सलीम पुत्र अब्दुल गफ्फार नि० तेलीयाग बाजार, लखनऊ का नाम स०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/07.07.08 खाता सं० 59, 139, 214, 242 से मृतक श्रीमती नन्ही देवी के स्थान पर देवीशरन नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि० ग्राम का नमा बतौर चारिस दर्ज हों। अभिलिखित खातेदार देवीशरन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 61 :-

भूमि खसरा संख्या 111 रकबा 0.311हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्शनलाल पुत्र भरोसे ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर, लखनऊ वाद 763/09.05.08 गाटा सं० 111/0.311हे० में से 0.076हे० से दर्शन लाल पुत्र राम भरोसे का नाम निरस्त करके केदार यादव पुत्र रामजन्म यादव नि० सुदामापुरी कालोनी कोतवाली चिनहट के पीछे लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। अभिलिखित



खातेदार दर्शनलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री केदार यादव एवं श्री जावेद इकबाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति के निरस्तारण के उपरान्त पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 196 :-

भूमि खसरा संख्या 233स रकबा 0.034हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजेश कुमार पुत्र गुरुदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजेश कुमार द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 214 :-

भूमि खसरा संख्या 84 रकबा 0.596हे०, 89/0.375हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन पुत्र श्रीपाल, भगौती प्रसाद, माता प्रसाद पुत्रगण शिव नरायण चन्द्रिका प्रसाद पुत्र हनोमान रामचन्द्र पुत्र राजाराम ग्रामवासी कनेडी पुत्र ओमप्रकाश, ललित कुमार पुत्र ओम प्रकाश, देवीशरण, नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर, लखनऊ वाद 883/178/31.05.08 गाटा सं० 84/0.596हे०, 89/0.379हे० से नन्द किशोर पुत्र जगन्नाथ का नाम निरस्त करके मेर्सस सिकारा रियल स्टेट एण्ड डेवलपर्स प्रा० लि० रजि० आफिस 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा से० 1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम बर्तौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाये। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/07.07.08 खाता सं० 29, 139, 214, 242 से मृतक श्रीमती नन्ही देवी के स्थान पर देवीशरण, नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि० ग्राम का नाम बर्तौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/18.06.09 खाता सं० 139, 215, 214 से मृतक राम खेलावन के स्थान पर राधेश्याम, कमलेश कुमार, गौतम कुमार पुत्रगण स्व० राम खेलावन व श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व० राम खेलावन का नाम बर्तौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री देवीशरण द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 242 :-

भूमि खसरा संख्या 90 रकबा 1.159हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामरतन पुत्र शीतला प्रसाद नि० घिरईबाग मा० उत्तरटिया देवीशरण पुत्र जगन्नाथ,

नन्ही देवी पत्नी जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/०7.०7.०8 खाता सं० 59, 139, 214, 242 से मृतक श्रीमती नन्ही देवी के स्थान पर देवीशरण, नन्दकिशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री देवीशरण द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 296 :-

भूमि खसरा संख्या 71 रकबा 0.025हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरजूदेई विधवा कुशहर, हनोमान, महावीर पुत्रगण कल्लू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/29.०6.०9 खाता सं० 296 पर मृतक हनोमान के स्थान पर बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान, मनोज कुमार, मंजीत कुमार पुत्रगण गोविन्द प्रसाद मृतक महावीर के स्थान पर बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार, मनोज कुमार व मंजीत कुमार द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 325 :-

भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 0.853हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीफल पुत्र बदलू नि० मखदूमपुर, प्यारेलाल पुत्र मैकूलाल नि० मकदूमपुर अर्जन सिंह, सहदेव सिंह, शत्रोहन सिंह पुत्रगण चौहान सिंह नि० जवाहिर खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/24.10.०5 खाता सं० 325 पर मृतक श्रीपाल के स्थान पर श्रीमती सुशीला पत्नी स्व० श्रीपाल व रामकेश बा० सत्य प्रकाश, जुग्गीलाल, कौशल ना०बा० आयु क्रमशः 16, 12, 8 वर्ष स्व० श्रीमती विद्यावती माता स्वयं पुत्रगण राजधरम व श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० राजधरम मकदूमपुर का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामकेश, सत्य प्रकाश, विद्यावती, जुग्गीलाल, श्री अर्जुन, सहदेव व शत्रोहन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुत्तिलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को प्रतिकर भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 19 :-

भूमि खसरा संख्या 276/2 रकबा 0.386हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओरीलाल व विशेष्वर पुत्रगण इब्बा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/21.09.09 खाता सं० 19 पर मृतक विशेष्वर के स्थान पर अरुण कुमार बालिग व विजय कुमार नाबा० 12 वर्ष सरं० श्रीमती कलावती माता व श्रीमती कलावती पत्नी स्व० विशेष्वर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार ओरीलाल, अरुण कुमार, कलावती व विजय कुमार नाबा० द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री कमलेश सिंह व श्री राम नरेश सैनी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को प्रतिकर भुगतान किया जायेगा।

खाता संख्या 22 :-

भूमि खसरा संख्या 19 रकबा 0.266हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओरीलाल व विशेष्वर पुत्र इब्बा श्रीकृष्ण पुत्र दौलत व लक्ष्मण पुत्र राम चरन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/21.09.09 खाता सं० 19 पर मृतक विशेष्वर के स्थान पर अरुण कुमार बालिग व विजय कुमार नाबा० 12 वर्ष सरं० श्रीमती कलावती माता व श्रीमती कलावती पत्नी स्व० विशेष्वर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीकृष्ण द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकवाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 51 :-

भूमि खसरा संख्या 47 रकबा 0.063हे०, 49/0.697हे०, 52/0.114हे०, 53स/0.126हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छबीले पुत्र उमराव, प्रेमचन्द्र पुत्र पियारे, राजकुमार, राजेन्द्र प्रताप पुत्र अर्शाफीलाल, पंकज पुत्र रामनरेश विकास नाबा० 13 वर्ष सं० श्रीमती मीना माता व मीना देवा रामनरेश, रामेश्वरी, जनाका पुत्री मोलहे नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजकुमार, प्रताप, पंकज, विकास ना० बा० सं० मीना व मीना देवा रामनरेश द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त

भूमि के सम्बन्ध में द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल को आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 66 :-

भूमि खसरा संख्या 13 रकबा 0.190हे०, 14/0.266हे०, 148/0.228हे०, 248/0.185हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दिनेश कुमार व कमलेश कुमार यादव, संजय यादव, संदीप यादव, रंजीत यादव पुत्रगण रामपाल यादव, बृजमोहन, रामनरायन, नेपालकुंवर पुत्रगण तुलसीराम श्रीमती शान्ती देवी पत्नी तुलसीराम नि० धावाहार निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार विजनौर वाद सं० 764 23.09.07 गाटा सं० 13/0.190, 14/0.266, 148/0.228, 248/0.185 व खाता सं० 113 गाटा सं० 160/0.252 के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसी राम का नाम निरस्त करके राकेश कुमार पुत्र स्व० शीतला प्रसाद नि० कुल्लीखेड़ा गा० अहमामऊ का नाम बर्तार बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राकेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 113 :-

भूमि खसरा संख्या 160 रकबा 0.252हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजमोहन, रामनरायन, नेपाली कुंवर पुत्र तुलसीराम व श्रीमती शान्ती देवी पत्नी तुलसीराम नि० धावाहार ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार विजनौर वाद सं० 764 23.09.07 गाटा सं० 13/0.190, 14/0.266, 148/0.228, 248/0.185 व खाता सं० 113 गाटा सं० 160/0.252 के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसी राम का नाम निरस्त करके राकेश कुमार पुत्र स्व० शीतला प्रसाद नि० कुल्लीखेड़ा गा० अहमामऊ का नाम बर्तार बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राकेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 174 :-

भूमि खसरा संख्या 205 रकबा 0.212हे०, 283स/0.063हे०, 285स/0.145हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र वल्देव लाल, रामलाल, मंशाराम, चन्द्रशंखर पुत्रगण भगवान दीन श्रीपाल, शीतल पुत्रगण वैजनाथ, रामसरन पुत्र लक्ष्मी नरायन विक्रम, पणू सहजराम पुत्रगण बेचालाल अहिबरन नाबा० 13 वर्ष तहसीलदार नाबा० 9 वर्ष पुत्रगण पृथ्वीपाल सं० शान्ती देवी, शान्ती देवी पत्नी स्व० पृथ्वीपाल व गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण

राधेलाल चन्दन, प्रीतम सिंह नाबा० 10 व 9 वर्ष पुत्रगण राधेलाल सं० कौशल्यादेवी श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व० राधेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/०2.०2.०6 खाता सं० 172, 173, 174 पर मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रगार सिंह, समर विजय सिंह, धरमवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० मोल्हे नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/०5.०1.०6 खाता सं० 272, 173, 174 से मृतक शीतल व श्रीपाल के स्थान पर रामचन्दर, नन्हेलाल, कल्लू, करन, बवलू पुत्रगण शीतल व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व० शीतल व सुटटू नाबा० 12, 8 वर्ष सं० सरोज पत्नी स्व० छेदालाल व श्रीमती सरोज पत्नी स्व० छेदालाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रगार सिंह, समर विजय, धरमवीर, रघुराई, पप्पू, नन्हेलाल, कल्लू, करन, बवलू व राजेश्वरी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 200 :-

भूमि खसरा संख्या 100/1 रकबा 0.452हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन पुत्र ईश्वरदीन, दीपक कुमार नाबा० 15 वर्ष पुत्र ईश्वरदीन सं० जिलाधिकारी लखनऊ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दीपक द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री हनुमान प्रसाद, रामगिलन सिंह यादव, श्रीमती रामलली, कैलाश व श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 210 :-

भूमि खसरा संख्या 54 रकबा 0.127हे०, 72स/०.177हे०, 73/०.006हे०, 74/०.359हे०, 75/०.013हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामकुमारी बेवा मेडीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार बिजनौर याद सं० 761/28.०8.०6 गाटा सं० 73/०.24० व 738/०.25६ से रामकुमारी पत्नी मेडीलाल का नाम निरस्त हो कर श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी चन्द्रिका प्रसाद नि० निलमथा बाजार लखनऊ बतौर बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर प०क० 11क 20.०8.०8 खाता 210 पर मृतक रामकुमारी के स्थान पर प्रेमवती पत्नी भगवानदीन पुत्री मेडीलाल बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रेमवती द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 280 :-

भूमि खसरा संख्या 78 रकबा 0.295हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हेमराज पुत्र वृजलाल, दिलीप कुमार पुत्रगण बराती निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अनिलिखित खातेदार हेमराज, दिलीप व वृजलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम धुसवलकलौखाता संख्या 7 :-

भूमि खसरा संख्या 435 रकबा 0.304 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, सतेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण रामस्वरूप, रामकुमारी पत्नी शिवललित, रामकली वेवा शम्भू दयाल, राकेश कुमार, सुजीत कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण बैजनाथ, जगदम्बा प्रसाद, जगतनरायन पुत्रगण औतार ग्रामवासी आनन्द कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद ग्रामवासी रामकुमार पुत्र कृष्ण कुमार मु० शकुन्तला पत्नी स्व० कृष्ण कुमार सुनील कुमार पुत्र नौमीलाल, लवकुश नाबा० 10 वर्ष पुत्र नौमीलाल सं० मु० प्रेमा माता स्वयं प्रेमा पत्नी स्व० नौमीलाल नरेन्द्र कुमार नाबा० आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम सं० प्रेमा माता व प्रेमा पत्नी स्व० राधेश्याम काशीप्रसाद, बाबूलाल पुत्रगण सूर्यवली नि० ग्राम श्रीमती विलासा देवी पत्नी स्व० सूर्यवली के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अनिलिखित खातेदार रामकुमारी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 14 :-

भूमि खसरा संख्या 431स रकबा 0.006 हे०, 432स/0.153हे०, 433स/0.113हे०, 434स/0.044हे०, 506स/0.003हे०, 391/0.082हे०, 409/0.200हे०, 444/2.187हे०, 446/0.018हे०, 447/1.197हे०, 456/0.202हे०, 457/0.010हे०, 459/0.039हे०, 464/0.104हे०, 465/0.068हे०, 484/0.371हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश, नन्हा, राममिलन, कौशल किशोर, लल्लन पुत्रगण मैकूलाल, राम औतार पुत्र त्रिलोकी नि० ग्राम रामनरेश पुत्र रागचरन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अनिलिखित खातेदार रामनरेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 23 :-

भूमि खसरा संख्या 250 रकबा 0.728 हे०, 394/0.200हे०, 401/0.205हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्धई पुत्र पराग, उमेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण श्रीकृष्ण नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार कन्धई द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38 :-

भूमि खसरा संख्या 421 रकबा 0.350 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दुलारे, श्रीकृष्ण, रज्जन पुत्रगण गुरप्रसाद, दशरथ सिंह अव आयु 16 वर्ष राधे सं० श्रीकृष्ण (चाचा) के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दशरथ व श्रीकृष्ण द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 39 :-

भूमि खसरा संख्या 132 रकबा 0.409 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दुलीचन्द्र, सत्यनरायन पुत्रगण संकटू ग्रा०वा० श्यामलाल पुत्र बेचालाल मैकी पत्नी स्व० बेचालाल नि० ग्राम वारिदहाल इब्राहिमपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक श्रीमती मैका के स्थान पर श्यामलाल पुत्र बेचालाल का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल, दुलीचन्द्र व सत्यनरायन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 53 :-

भूमि खसरा संख्या 249 रकबा 0.387हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बेचालाल, दर्शनलाल पुत्रगण पितई, रामदीन पुत्र मंगला नन्हकऊ, साहबदीन पुत्रगण रामखेलावन, चमनलाल पुत्र रागप्रसाद, श्रीमती सत्तो पत्नी स्व० राम प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 53 से मृतक बेचालाल के स्थान पर मुकेश, राजू, बाबूलाल, सुनील पुत्रगण बेचालाल व श्रीमती विद्या पत्नी स्व० बेचालाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामदीन, दर्शनलाल, श्री मुकेश, राजू, सुनील, श्रीमती विद्या, श्रीमती सत्तो, चमनलाल, नन्हकऊ व साहबदीन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 54 :-

148

भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 0.747 हे०, 225/1.567हे०, 369/0.022हे०, 370/0.035हे०, 372/0.049हे०, 373/0.025हे०, 375/0.219हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजलाल, अयोध्या प्रसाद पुत्रगण चेतई महेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण नेवाजीलाल, श्रीमती चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरी लाल नि० गांधीनगर तेलीबाग श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्यामलाल नि० घुसवलकलों श्रीमती मायादेवी पत्नी रामस्वरूप नि० जय सिंह खेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शान्ती देवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 57 :-

भूमि खसरा संख्या 343अ रकबा 0.025 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल पुत्र अहरवा, सतनू पुत्र परीदीन मु० रामदेवी विधवा परीदीन, लल्ला मुन्ना, सोनू, मोनू पुत्रगण अहरवा मु० रामकली बेवा अहरवा नान्हू पुत्र महावीर श्रीराम बृजेश रामविलास पुत्रगण सत्तीदीन श्रीमती रामरती पत्नी स्व० सत्तीदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बाबूलाल, सोनू व लल्ला द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 94 :-

भूमि खसरा संख्या 273अ रकबा 0.074हे०, 163/0.035हे०, 263/0.114हे०, 264/0.295हे०, 265/0.094हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामशंकर पुत्र जंगली छोटे लाल पुत्र रामदास दिवाकर रावत पुत्र रामकुमार नि० कुण्डराकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटे लाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, वंशीलाल पुत्रगण छोटे लाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रकाश, सुखदेव व वंशीलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 98 :-

भूमि खसरा संख्या 220 रकबा 0.405 हे०, 438/0.354हे०, 439/0.077हे०, 440/0.081हे०, 441/0.069हे०, 442/0.077हे०, 503/0.367हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि

राजस्व अभिलेखों में रामसनेही पुत्र गया प्रसाद, प्रेमचन्द्र, विजय कुमार, सुशीलकुमार, अनिलकुमार, शिवकुमार, सुनीलकुमार पुत्रगण अमरनाथ, सालिकराम पुत्र भुइयादीन, जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलचन्द्र गजोधर पुत्र रघुवर मंशाराम पुत्र जगन्नाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसनेही द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 123 :-

भूमि खसरा संख्या 312 रकबा 0.046हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सतनू पुत्र परीदीन मु० रामदेवी विधवा परीदीन के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 57, 123 से मृतक रामदेवी के स्थान पर सतनू पुत्र परीदीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सतनू द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 131 :-

भूमि खसरा संख्या 395 रकबा 0.062हे०, 396/0.025हे०, 487/0.134हे०, 486/0.124हे०, 101/0.200हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में संदीप कुमार पुत्र शंकर, अरविन्द कुमार पुत्र बाबू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अरविन्द द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 136 :-

भूमि खसरा संख्या 389 रकबा 0.019हे०, 390/0.024हे०, 393/0.111हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती अनीता पत्नी उमेश चन्द्र नि० रामटोला ग० खरिका श्रीमती प्रतिभा देवी पत्नी उमेश कुमार नि० 1273 सं० आई०एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती प्रतिभा देवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम बरीलीखलीलाबाद

खाता संख्या 65 :-

भूमि खसरा संख्या 1922 रकबा 0.159 हे०, 1923/0.182हे०, 1924/0.253हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गौरी शंकर पुत्र कुशहर, नौमीलाल, रामकुमार, सालिगराम, गंगाराम, हरीलाल, रामचन्द्र, रामसनेही पुत्रगण सीताराम श्रीमती रामप्यारी बेवा सीताराम नि० विरुरा के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामकुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 160 :-

भूमि खसरा संख्या 1714 रकबा 0.215हे०, 1718/1/0.139हे०, 1721/0.164हे०, 1756/0.304हे०, 1759/0.215हे०, 1766/0.177हे०, 1769/0.126हे०, 1770/0.114हे०, 1761/0.063हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती नन्हका बेवा भगवानदीन व श्रीमती कल्लो पुत्री धनी व नन्हकऊ पुत्र नन्हे नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.09 खाता सं० 278 से मृतक श्रीमती कल्लो के स्थान पर हरिचन्द्र पुत्र राजाराम नि० धोधनखेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरिचन्द्र व नन्हकऊ द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 250 :-

भूमि खसरा संख्या 1614 रकबा 0.102हे०, 1648/0.266हे०, 1649/0.202हे०, 1650/0.493हे०, 1651/0.139हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भुइयादीन, छंगा, रामस्वरूप रंगआसारे पुत्रगण लालता, लीहर पुत्र झाऊ मथुरा, देवी प्रसाद पुत्रगण सीताराम, कालिका प्रसाद पुत्र जंगबहादुर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार श्रीमान ना०तह० विजनौर दि० 13 वाद सं० 514 कालिका प्रसाद बनाम पच्चो में न्यायहित में आदेश दिनांक 30.09.01 का कियान्वयन भूमि का विक्रय बैनाना मुकदयान न कर दिया जाय रोका जाये। अभिलिखित खातेदार भुइयादीन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 437 :-

भूमि खसरा संख्या 1611 रकबा 0.632हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकू सुन्दारा पत्नी कल्लू जगदीश पुत्र पितई, सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे, रामदास पुत्र घना, शत्रोहन लाल पुत्र घना नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद सं0 379/23.12.08 गाटा सं0 1611/0.632हे0 के बकदर भाग में से 0.0128हे0 से श्रीमती सुन्दारा पत्नी स्व0 कल्लू का नाम निरस्त करके राममिलन पुत्र नौमीलाल नि0 देवामऊ का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुन्दारा द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से विक्रीत भूमि घटाकर अवशेष भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 373 :-

भूमि खसरा संख्या 1841/2 रकबा 0.002 हे0, 1842/0.051हे0, 1843/1/0.123हे0, 1844/2/0.025हे0, 1846/1/0.044हे0, 1847/1/0.044हे0, 1848/0.009हे0, 1849/2/0.050हे0, 1850/1/0.018हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम किशोर पुत्र अयोध्या, रामचन्द्र, रामकुमार, श्याम कुमार पुत्रगण पराग, कुंजन, श्रीपाल साहबदीन पुत्रगण देवी, बजरंग पुत्र पुत्तिलाल, दिनेश पुत्र ओमप्रकाश नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। मृतक साहबदीन के स्थान पर केशवचन्दन पुत्र साहबदीन व श्रीमती रामेश्वरी पत्नी स्व0 साहबदीन का नाम बतौर वारिस दर्ज हुआ है। अभिलिखित खातेदार श्रीपाल, केशवचन्दन व रामेश्वरी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

अहमामऊखाता संख्या 457 :-

भूमि खसरा संख्या 1139 रकबा 0.378 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुरेश पुत्र राम सेवक उर्फ लल्लू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं0 397/18 गाटा सं0 1139/0.379हे0 मा0गु0 60 ख से सुरेश पुत्र राम सेवक उर्फ लल्लू का नाम निरस्त करके रामलोटन पुत्र भुईयादीन नि0 लालपुर निगोहा, तहसील मोहनलालगंज लखनऊ व श्रीमती प्रीति पत्नी सुरेश नि0 अहमामऊ का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। श्री रामलोटन द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 0.1214122हे0 भूमि विक्रय की गयी है। जिसके सम्बन्ध में क्रेता श्री बट्टी प्रसाद, जोखई, लालचन्द्र, विधान चन्द्र, रामधारी व रामानन्द द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। शेष 0.0675878हे0 भूमि श्री रामलोटन के हिस्से की बचती

है, किन्तु श्री रामलोटन द्वारा 0.189हे० मे से 0.12829हे० का समझौता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के समबन्ध मे अनुबन्ध किया गया, जब कि विक्रीत क्षेत्रफल 0.1214122हे० को घटाते हुये 0.0675878हे० का अभिनिर्णय घोषित किया जा रहा है। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रतिकर भुगतान नियमानुसार देय होगा।

प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। अर्जित ग्रामों के कतिपय खसरा संख्या-मिंजुमला के रूप मे अभिलेखों मे दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुगन्ध नहीं होगा।

M
13.09.11

(बाबूलाल श्रीवास)
अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
लखनऊ।

एड एम. वि. मि. मि. मि. 13.09.11 को
उद्घोषित किया गया।

M
13.09.11

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(ग0अ0)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 9/2010

1	वाद संख्या	:	1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	सेवई, अहमामऊ, देवामऊ, धुसवलकलौ
3-	परगना तहसील व जिला	:	लखनऊ ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	:	सेवई : 12.0226072326हे0 अहमामऊ : 0.589हे0 देवामऊ : 2.50525हे0 धुसवलकलौ : 11.2030999852हे0 <u>26.3199572178हे0</u>
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	नहीं ।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	:	07.10.2008
11-	अभिनिर्णय की तिथि	:	13.9.2011
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	:	सेवई : 64034810-64 अहमामऊ: 3137131-80 देवामऊ : 13343462-55 धुसवलकलौ : 59669950-98 <u>140185355-97</u>
13-	पूजीकृत मूल्य	:	40472-80
14-	अध्याप्ति व्यय	:	14018535-60

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा क़रार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करणं हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुनोदन गा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितवद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम सेवई

खाता संख्या 3 :-

भूमि खसरा संख्या 141 रकबा 0.890 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन सिंह सहदेव सिंह, शत्रोहन सिंह पुत्रगण चौहान सिंह व जगराना पत्नी फूलचन्द्र निवासी जवाहिर खंडा म० सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अर्जुन, सहदेव, शत्रोहन व जगराना द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के समन्वय में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 14 :-

भूमि खसरा संख्या 184 रकबा 0.157 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अलीरजा पुत्र लतीफ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अलीरजा द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के समन्वय में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38 :-

भूमि खसरा संख्या 156 रकबा 0.277 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में किशुन, सुखई पुत्रगण ख्याम, रमेश, प्रकाश पुत्रगण पंचम श्रीमती मीनाकुमारी पत्नी स्व० पंचम श्रीमती आशा पत्नी शिवराम वर्मा नि० 100/1 अशोक विहार आलमबाग, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार 110 नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क खाता सं० 36, 37, 38 से मृतक किशुन

के स्थान पर कल्लू सन्तराम पुत्रगण किशुन नि० ग्राम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार कल्लू व सन्तराम द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 42 :-

भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 0.043 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गंगादेई विधवा छोटेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार गंगादेई द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 51 :-

भूमि खसरा संख्या 47 रकबा 0.063 हे०, 49/0.697हे०, 52/0.114हे० व 53स/0.126हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छवीले पुत्र उमराव व प्रेमचन्द्र पुत्र प्यारे व राजकुमार, राजेन्द्र प्रताप पुत्रगण अशर्फीलाल, पंकज पुत्र राम नरेश, विकास ना०वा० 13 वर्ष सं० भीमा पत्नी राम नरेश व मीना देवा राम नरेश व रामेश्वरी जनाका पुत्री मंगलहे नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनाई द्वारा 40क० 11क 29.06.09 खाता सं० 51 पर मृतक रामेश्वरी के स्थान पर रामदयाल, रामरतन पुत्रगण राजाराम नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रेमचन्द्र, रामरतन, रामदयाल, जनाका व छवीले द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकवाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को देय होगा।

खाता संख्या 54 :-

भूमि खसरा संख्या 203 रकबा 0.180 हे०, 262/0.316हे०, 299/0.565हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र सरजू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार छोटेलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

१

खाता संख्या 57 :-

भूमि खसरा संख्या 157 रकबा 0.326 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जनक दुलारी पत्नी गरीबे व राजू पुत्र रामआसरे नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार जनक दुलारी व राजू द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 84 :-

भूमि खसरा संख्या 102 रकबा 0.363 हे०, 152/0.895 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परसाद पुत्र हरी नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 04.04.08 खाता सं० 84 से मृतक प्रसाद के स्थान पर रामस्वरूप, परमेश्वर, नन्हकऊ पुत्रगण परसाद का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार परमेश्वर व नन्हकऊ द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 91 :-

भूमि खसरा संख्या 94 रकबा 0.104 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पुर्नवासी व रोशन लाल पुत्रगण मुन्ना नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार पुर्नवासी व रोशनलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्रीमती रेनु द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत करती हुये भुगतान रोकने की याचना की गयी है, जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पात्र व्यक्ति को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 97 :-

भूमि खसरा संख्या 244 रकबा 0.316 हे०, 245/0.058 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में फूलचन्द्र, रामलखन, नन्हकऊ पुत्रगण मया प्रसाद परशुराम, विन्देश कुमार पुत्रगण राधेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 18.02.10 खाता सं० 97 से मृतक नन्हकऊ के स्थान पर सुरेश वा० व सुजीत कुमार ना०वा० अनिकेत ना०वा० आयु क्रमशः 15, 12 वर्ष सं० श्रीमती देवकी पत्नी स्व० नन्हकऊ व श्रीमती देवकी पत्नी स्व० नन्हकऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुरेश, सुजीत,

8

अनिकेत, श्रीमती देवकी व रामलखन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 99 :-

भूमि खसरा संख्या 60 रकबा 0.392हे०, 44/0.067हे०, 64/0.025हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में फूलन, नन्हकई मुदुरा पुत्री गंगलू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती फूलन, श्रीमती नन्हकई व श्रीमती मुदुरा द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर संतराम सिंह व कमला सिंह एवं अन्य द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की याचना की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 127 :-

भूमि खसरा संख्या 57 रकबा 0.144हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबादीन पुत्र कल्लू, सुखदीन पुत्र पितम्बर, विजय कुमार पुत्र बलई नि० उसरी गंगला बाजार लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुखदीन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकवाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को देय होगा।

खाता संख्या 168 :-

भूमि खसरा संख्या 28 रकबा 0.231हे०, 29/0.271हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम, हीरालाल, भाईलाल पुत्रगण नन्हें, श्यामलाल, गनेश, श्रीपाल पुत्रगण पितई मुल्कराज, चन्द्रपाल गौतम पुत्रगण गोतीलाल श्रीमती राजकुमारी पत्नी गोतीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीपाल, गनेश व श्यामलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकवाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को देय होगा।

2

खाता संख्या 173 :-

भूमि खसरा संख्या 324 रकबा 0.304हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र बलदेव, लालू, रामलाल, मंशाराम, चन्द्रशेखर पुत्रगण भगवानदीन रघुवर पुत्र देवी, रामशरण पुत्र लक्ष्मी नरायन, शीतल, श्रीपाल पुत्रगण वैजनाथ, विक्रम, पप्पू, सहजराम पुत्रगण वेचालाल, अहिवरन, तहसीलदार नावा० 13, 9 वर्ष पुत्रगण पृथ्वीपाल सं० श्रीमती शान्ती देवी श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी स्व० पृथ्वीपाल गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण राधेलाल, चन्दन नावा० प्रीतम नावा० क्रमशः 10, 9 वर्ष पुत्रगण राधेलाल सं० कौशल्या देवी कौशल्या देवी पत्नी राधेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 02.02.06 खाता सं० 172, 173, 174 से मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रंगार सिंह, समर विजय सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई देवी पत्नी स्व० मोल्हे नि० चौधरी खेड़ा का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 02.06.09 खाता सं० 173, 174 से मृतक मंशाराम के स्थान पर अमर कुमार, आशीष कुमार ना०वा० आयु क्रमशः 17, 7 वर्ष सं० श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्रगण मंशाराम व श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व० मंशाराम नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार विक्रम, सहजराम, लालू, चन्द्रशेखर, शान्तीदेवी, सन्तोष कुमारी, रागलाल, श्रंगार सिंह, समर सिंह, धर्मवीर सिंह, रघुराई देवी एवं सरोज द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिपद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 174 :-

भूमि खसरा संख्या 205 रकबा 0.212हे०, 283स/0.063हे०, 285स/0.145हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र बलदेव, लालू, रामलाल मंशाराम, चन्द्रशेखर पुत्रगण भगवानदीन, श्रीपाल, शीतल पुत्रगण वैजनाथ, रामसरन पुत्र लक्ष्मी नरायन, विक्रम, पप्पू, सहजराम पुत्रगण वेचालाल, अहिवरन, तहसीलदार ना०वा० आयु 13, 9 वर्ष पुत्रगण पृथ्वीपाल सं० श्रीमती शान्ती देवी पत्नी पृथ्वीपाल, गजेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण राधेलाल चन्दन ना०वा० व प्रीतम ना०वा० आयु 10, 9 वर्ष पुत्रगण राधेलाल सं० श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी राधेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 05.01.06 खाता सं० 271, 173, 174 से मृतक शीतल व श्रीपाल के स्थान पर रामचन्द्र, नन्देलाल, कल्लू, करन, बबलू पुत्रगण शीतल व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व० शीतल सुटू, सुशील नावा० आयु क्रमशः 12, 8 वर्ष सं० श्रीमती सरोज पुत्रगण स्व० छंदालाल व श्रीमती सरोज पत्नी स्व० छंदालाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 02.02.06 खाता सं० 172, 173, 174 से मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रंगार सिंह, समर सिंह, विजय सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई देवी पत्नी स्व० मोल्हे निवासी चौधरी खेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर

Q

वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 29.06.09 खाता सं० 173, 174 से मृतक मंशाराम के स्थान पर अमर कुमार, आशीष कुमार ना०बा० आयु क्रमशः 17, 7 वर्ष सं० श्रीमती सन्तोष कुमारी पुत्रगण मंशाराम व श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी स्व० मंशाराम नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार विक्रम, सहजराम, रामलाल, सन्तोष कुमारी, श्रीमती शान्तीदेवी, लालू, चन्द्रशेखर व सरोज द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 186 :-

भूमि खसरा संख्या 77 रकबा 0.328हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश, दिनेश, सुरेश पुत्रगण मेवालाल व मेवालाल पुत्र विश्राम नि० ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1390 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश, दिनेश, सुरेश व मेवालाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 195 :-

भूमि खसरा संख्या 226 रकबा 0.025हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजेश कुमार पुत्र गुरदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 207 :-

भूमि खसरा संख्या 15 रकबा 0.120हे०, 16/0.132हे०, 18/0.296हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम उचित पुत्र राम नाथ, रामपाल पुत्र सूरजबली, राकेश कुमार यादव, सर्वेश कुमार यादव, दयानन्द यादव पुत्रगण बहादुर यादव, राजधर्म पुत्र श्रीपाल नि० ग्राम श्रीमती सुशीला पत्नी श्रीपाल प्यारेलाल पुत्र मैकूलाल नि० मकदूमपुर जगराना पत्नी फूलचन्द्र नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 24.10.05 खाता सं० 207, 329 से मृतक राजधरम के स्थान पर राकेश वा० सत्य प्रकाश जुग्गीलाल, कौशल नाबा० आयु क्रमशः 16, 12.8 वर्ष सं० श्रीमती विद्यावती माता स्वयं पुत्रगण राजधरम व श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० राजधरम नि० मकदूमपुर का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०बा० विजनौर द्वारा प०क० 11क/26.03.10 खाता सं० 207 पर रामनाथ पुत्र धनी नि० ग्राम का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज किया जाय। अभिलिखित खातेदार रामउचित, रामनाथ, रामकेश, सत्यप्रकाश,

श्रीमती विद्यावती (जुग्गीलाल, कौशल नावा) सर्वेश व दयानन्द द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को देय होगा।

खाता संख्या 261 :-

भूमि खसरा संख्या 166 रकबा 1.191हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्याम देवी यादव पत्नी सूरज पाल यादव नि० पिपरौली प्रताप पुत्र रामदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार न्यायिक लखनऊ वाद सं० 501/789/28.02.06 गाटा सं० 166/1.201 का बकदर प्रताप पुत्र रामदीन का नाम खारिज करके श्री भगवान पुत्र स्व० जमुना प्रसाद नि० छोटा बरहा आलमबाग शहर लखनऊ का नाम बतौर सहखातेदार सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार न्यायिक दिनांक 17.04.06 द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा एक पक्षीय आदेश दि० 28.02.06 आंशिक संशोधन करते हुए विक्रीत भूमि सं० 166 में विक्रेता के साथ क्रेता श्री भगवान का नाम बतौर सहखातेदार सं० भू० दर्ज हो। पुनः आदेशानुसार ना०त० विजनौर वाद सं० 239/30.01.08 गाटा सं० 166/1.201 में से 0.0953 रो प्रथम विक्रेता प्रताप पुत्र स्व० रामदीन एवं द्वितीय विक्रेता विनोद कुमार यादव पुत्र स्व० बाबूलाल यादव का नाम निरस्त करके श्रीमती राजकुमारी पत्नी रामसनेही यादव नि० 555ज/2 मेंहदीखेडा मानक नगर आलमबाग लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार राजकुमारी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 268 :-

भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 0.051हे०, 279/0.177हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रोहनलाल, शिवराम पुत्रगण बट्टी मनोजकुमार पुत्र मेडीलाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मनोज कुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 275 :-

भूमि खसरा संख्या 246 रकबा 0.202हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवगंगल पुत्र भगौती प्रसाद ग्रा० वा० मदन पुत्र मोहनलाल नि० कैलाशपुरी श्रीमती सुन्दारा पत्नी स्व० मोहनलाल नि० ग्राम लल्लन पुत्र कल्लू नि० कैलाशपुरी आलमबाग लखनऊ विनोद

Q

कुमार पुत्रगुरु नि० कैलाशपुरी आलमबाग लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवमंगल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 284 :-

भूमि खसरा संख्या 229 रकबा 0.093हे०, 230/0.025हे०, 231/0.021हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हनोमान पुत्र कल्लू सरजू देई विधवा कुशहर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनीर द्वारा प०क० 11क 21.09.07 खाता सं० 282, 283, 284 से मृतक हनोमान के स्थान पर बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान व मनोज कुमार मंजीत कुमार पुत्रगण गोविन्द प्रसाद नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सरजूदेई द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 304 :-

भूमि खसरा संख्या 95 रकबा 1.000हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुन्दरलाल, रामकुमार, हजारीलाल, नन्हकऊ पुत्रगण गजोधर नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० विजनीर वाद सं० 224/947/257/23.02.06 गाटा सं० 95/1.000 मा० गु० 68.05 पैसो के बकदर भाग से सुन्दरलाल पुत्र गजोधर का नाम पृथक करके रामरतन पुत्र शीतला प्रसाद नि० चिरैयाबाग म० उत्तरटिया का नाम अन्य सहखातेदारों के नाम के साथ बतौर सहखातेदार सं० भू० द्वारा वैनागा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार रामकुमार व नन्हकऊ द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 308 :-

भूमि खसरा संख्या 61स रकबा 0.151हे०, 62स/0.089हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुशील कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण रामसेवक नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1395 व 1982 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुशील व सुनील द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर श्री जावेद इकवाल एवं श्री रज्जन लाल आदि द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर भुगतान रोकने

१

हेतु याचना की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को देय होगा।

खाता संख्या 310 :-

भूमि खसरा संख्या 105 रकबा 0.076हे०, 106/0.076हे०, 289स/0.038हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सहजराम, रामू, सुभाषचन्द्र, सुमन्त कुमार पुत्रगण पल्दूराम श्रीगती रामप्यारी पत्नी पल्दूराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सहजराम, रामू, सुभाषचन्द्र, सुमन्त कुमार व श्रीमती रामप्यारी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र व्यक्ति को देय होगा।

खाता संख्या 314:-

भूमि खसरा संख्या 83 रकबा 0.844हे०, 251/0.145हे०, 252/0.145हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सावित्री देवी पुत्री मन्ना पत्नी नान्हू नि० हैदरगढ़ बाराबंकी के नाम पूर्व सन् फसली 1374 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सावित्री देवी द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 316 :-

भूमि खसरा संख्या 182 रकबा 0.313हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सालिकराम शंकर, गनेश, नान्हू, नन्हकऊ पुत्रगण धूरू मु० विटाना विधवा ठाकुर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शंकर, गनेश, नान्हू व नन्हकऊ द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्री उमेश द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की याचना की गयी है।

खाता संख्या 324 :-

भूमि खसरा संख्या 24 रकबा 0.089हे०, 25/0.076हे०, 26/0.238हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीकृष्ण पुत्र रघुवीर रूप चन्द्र पुत्र शम्भू ग्रामवासी तुलसीराम पुत्र पॉंचू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 6.10.6 खाता सं० 323, 324 से मृतक श्रीकृष्ण के स्थान पर सन्तराम पुत्र श्रीकृष्ण व श्रीमती प्यारा पत्नी स्व०

श्रीकृष्ण नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनार द्वारा प०क० ११क २१.०९.०७ खाता सं० ३२३, ३२४ से मृतक श्रीप्यारा के स्थान पर सन्तराम पुत्र श्रीकृष्ण नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सन्तराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ५९ :-

भूमि खसरा संख्या २५४ रकबा ०.०७६हे०, २५५/०.११४हे०, २७७/०.१४२हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में देवीसरन, नन्दकिशोर पुत्रगण जगन्नाथ, श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली १३७३ से श्रेणी १क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्द किशोर द्वारा भूमि खसरा संख्या-२५४, २५५ व २७७ की अर्जित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का समझौता श्री नन्द किशोर द्वारा आवास एवं विकास परिषद से कर लिया गया है, जबकि खसरा संख्या-२५४ व २५५ में अपने हिस्से की भूमि वह पूर्व में ही विक्रीत कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में श्री नन्दकिशोर द्वारा भूमि खसरा सं० २७७ रकबा ०.१४२ हे० में से अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ५६ :-

भूमि खसरा संख्या ३८ रकबा ०.६२४हे०, २१७/०.३०४हे०, ३०३/०.१५२हे०, ३०७/०.३७९हे०, ३११/०.१०१हे०, ३१४/०.१३२हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जगन्नाथ व बद्री प्रसाद, मेवालाल पुत्रगण परसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली १३७३ से श्रेणी १क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार जगन्नाथ द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या ६० :-

भूमि खसरा संख्या २८७ रकबा ०.५५६हे०, २९५/०.२६६हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में देवी प्रसाद व बाबूलाल पुत्रगण नन्दा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली १३७३ से श्रेणी १क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० १४/३१/१८४ दिनांक १८.०१.०८ गाटा सं० २८७/०.५५६हे, २९५/०.२६६ व ४३०/०.१०० मा० गु० ४२.३० के यथोचित भाग से चन्नी पत्नी स्व० गंगाराम का नाम निरस्त करके जमुना पुत्र विहारी का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार जमुना द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 147 :-

भूमि खसरा संख्या 32 रकबा 0.638हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेश चन्द्र पुत्र सालेकराम व शिव प्यारी पत्नी शत्रोहन लाल नि0 धोधनखेड़ा म0 बरौलीखलीलाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवप्यारी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 157 :-

भूमि खसरा संख्या 30 रकबा 0.156हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेवालाल पुत्र विश्राम नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेवालाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 176 :-

भूमि खसरा संख्या 282स रकबा 0.506हे0, 284/0.068हे, 286/0.135हे0, 296/0.291हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिटाईलाल व मिश्रीलाल पुत्रगण नगई नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मिश्रीलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 200 :-

भूमि खसरा संख्या 100/1 रकबा 0.452हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन पुत्र ईश्वरदीन व दीपक कुमार नाबा0 15 वर्ष पुत्र ईश्वरीदीन सं0 जिलाधिकारी लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामखेलावन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री हनुमान प्रसाद, राम मिलन सिंह यादव, श्रीमती रामलली, कैलाश व श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर पात्र व्यक्ति को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 258 :-

भूमि खसरा संख्या 187 रकबा 0.514हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वारिस अली पुत्र तई नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री वारिस द्वारा 0.488हे0 में से अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 271 :-

भूमि खसरा संख्या 214 रकबा 0.084हे०, 294/0.278हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शीतल, श्रीपाल पुत्रगण बैजनाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 05.06.06 खाता सं० 271, 173, 174 से मृतक शीतल व श्रीपाल के स्थान पर रामचन्द्र, नन्हेलाल, कल्लू, करन, बबलू पुत्रगण शीतल व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व० शीतल व सुट्टू सुशील ना०वा० आयु 12, 8 वर्ष सं० श्रीमती सरोज पत्नी स्व० छेदालाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती सरोज द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 277 :-

भूमि खसरा संख्या 302 रकबा 0.350हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवरतन पुत्र मेडई व नान्हू, बबलू, सजनू पुत्रगण रामस्वरूप नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बबलू व सजनू द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

अहमामऊ

खाता संख्या 122 :-

भूमि खसरा संख्या 1169 रकबा 0.542 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दुलारे पुत्र डल्लू नि० बरियामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दुलारे द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 372 :-

भूमि खसरा संख्या 1125 रकबा 0.047 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लालाराम पुत्र मकू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण से शहीद पथ योजना में कितनी भूमि अर्जन की गयी है की पुष्टि के उपरान्त प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा। अभिलिखित खातेदार लालाराम

१

द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

देवामऊ

खाता संख्या 4 :-

भूमि खसरा संख्या 158 रकबा 0.117 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कुर्वरलाल व श्याम बिहारी पुत्रगण बदलू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार कुर्वरलाल व श्याम बिहारी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 21 :-

भूमि खसरा संख्या 153 रकबा 0.641 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में धन्नु, जगन्नाथ, बैजनाथ पुत्रगण घिरजू व चन्द्रिका पुत्र धनी व मुन्नी देवी विधवा श्यामलाल रामू नाबा० 15 वर्ष सं० मुन्नी देवी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रिका द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या की भूमि 5 फिट नीचे है (भट्टे से प्रभावित) जिस पर नियमानुसार कटौती किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु अध्यापित निकाय द्वारा लिखा गया है। प्रतिकर वितरण नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 103 :-

भूमि खसरा संख्या 163 रकबा 0.252 हे० व 211/0.152 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीराम, सीताराम पुत्रगण रामचरन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीराम व सीताराम द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 87 :-

भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 0.0130 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवबालक, रघुनन्दन पुत्रगण रोस्तम व गुरु प्रसाद पुत्र रमई नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार



शिवबालक पुत्र रोस्तम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 88 :-

भूमि खसरा संख्या 235 रकबा 0.696 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हरनरायन, शिवदत्त, हरिहर, रवेन्द्र कुमार पुत्रगण मुन्नालाल, विनोद कुमार, आनन्द नरायन, शशी कुमार पुत्रगण उदित नरायन नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री हरिहर, श्री रवीन्द्र पुत्रगण मुन्नालाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर अनीता शुक्ला द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 10 :-

भूमि खसरा संख्या 130 रकबा 0.2020 हे०, 147/1.030हे०, 244/0.0630हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में यार मोहम्मद पुत्र श्री फकीरे व गुलाम वारिस पुत्र फकीरे ग्राम देवामऊ पोस्ट बरौना के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार यार मोहम्मद व गुलाम वारिस पुत्रगण श्री फकीरे द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 86 :-

भूमि खसरा संख्या 156 रकबा 0.035 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवबालक, रघुनन्दन पुत्रगण रोस्तम नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवबालक पुत्र रोस्तम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्री पवन कुमार, रामदेवी के अधिवक्ता द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत कर प्रतिकर रोकने हेतु याचना की गयी है। प्रतिकर का भुगतान पात्र व्यक्ति को पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नियमानुसार देय होगा।

९

धुसवलकलों

खाता संख्या 3 :-

भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 1.292 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन प्रसाद पुत्र नान्हू श्रीमती कुसुम वर्मा पत्नी श्रीराम वर्मा ग्रामवासी नि० छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अर्जुन द्वारा अपने हिस्से की 0.861हे० भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 20 :-

भूमि खसरा संख्या 106 रकबा 0.349 हे० व 352मि०/0.076हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुमार, रामजीत, हरिशचन्द्र पुत्रगण भुइयादीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामजीत द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 21 :-

भूमि खसरा संख्या 71 रकबा 0.114 हे० 130/0.261हे० व 134/0.421हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुमार पुत्र छंगा लाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 व 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार कृष्ण कुमार पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 51 :-

भूमि खसरा संख्या 198अ रकबा 0.210 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बहादुर पुत्र वृजलाल नि० धुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1402 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बहादुर द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 63 :-

भूमि खसरा संख्या 308 रकबा 0.989 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती प्रसाद पुत्र भगवानदीन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भगौती द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र०

l

आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 115 :-

भूमि खसरा संख्या 265 रकबा 0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रोहन, श्यामलाल, सुन्दरलाल, भारत पुत्रगण जगन्नाथ, छोटेलाल पुत्र रामलाल, सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, जगेन्द्र कुमार पुत्रगण मैकू, नीरज नावा० आयु 15 वर्ष, धीरज नावा० आयु 13 वर्ष, सूरज नावा० आयु 7 वर्ष पुत्रगण वीरेन्द्र कुमार सं० मु० रामावती, रामावती बेवा वीरेन्द्र कुमार के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भारत, छोटेलाल, सुरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, जगेन्द्र कुमार पुत्रगण मैकू, नीरज नावा० आयु 15 वर्ष, धीरज नावा० आयु 13 वर्ष, सूरज नावा० आयु 7 वर्ष पुत्रगण वीरेन्द्र कुमार सं० मु० रामावती, रामावती बेवा वीरेन्द्र कुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 117 :-

भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 0.247 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शीतल पुत्र महंगू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शीतल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 131 :-

भूमि खसरा संख्या 3९5 रकबा 0.062 हे०, 396/0.025हे०, 487/0.134हे०, 486/0.124हे०, 101/0.200हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में संदीप कुमार पुत्र शंकर, अरविन्द कुमार पुत्र बाबू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार संदीप द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 16 :-

भूमि खसरा संख्या 253 रकबा 0.556 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में उदयराज, धर्मराज, हंसराज पुत्रगण गणेश प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1400 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार उदयराज, धर्मराज व

१

हंसराज द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 22 :-

भूमि खसरा संख्या 26C रकबा 0.076 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुमार पुत्र छंगालाल, ओग प्रकाश, जय प्रकाश, शिव प्रकाश चन्द्र प्रकाश पुत्रगण सालिकराम ग्रामवासी महेशचन्द्र, दिनेश चन्द्र, उमेश चन्द्र अरुण कुमार, अशोक कुमार, किशोर कुमार पुत्रगण रामचन्द्र नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी न०भू०सी० लखनऊ पत्रांक 13/अमलदरामद/न०भू०सी०/07 दिनांक 07.01.08 के अनुपालन में सं० 1882/21.05.93 वाद सं० 1787 गाटा सं० 260 रकबा 189.70 वर्ग मी० के 1/4 भाग से 34/701, 88, 88/84, 31, 89/126, 46, 92/632, 32 के 1/3 भाग से 131मि०/4239.14 वर्गमीटर कुल रकबा 5974.41 वर्गमी० सालिगराम का नाम निरस्त अतिरिक्त घोषित शहरी सीलिंग के नाम दर्ज होने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार कृष्ण कुमार व किशोर कुमार द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 23 :-

भूमि खसरा संख्या 250 रकबा 0.728 हे०, 394/0.200हे०, 401/0.205हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्धई पुत्र पराग, उमेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण श्रीकृष्ण नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 26 :-

भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 0.126 हे०, 324/0.425हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में काशीप्रसाद पुत्र सूर्यवली ग्रामवासी सुनील कुमार, लवकुश अव० आयु 10 वर्ष पुत्रगण नौमीलाल, प्रेमा देवा नौमीलाल नि० ग्राम नरेन्द्र कुमार अव० आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार अव० आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम सं० मु० प्रेमा माता नि० ग्राम मु० प्रेमा देवा राधेश्याम नि० ग्राम बाबूलाल पुत्र सूर्यवली ग्रामवासी भागूलाल पुत्र गयादीन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 26, 27 से मृतक भागूलाल के स्थान पर गोकुल, बबलू रिकू पुत्रगण भागूलाल व श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व० भागूलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार गोकुल, रामदेवी व रिकू द्वारा अपने-अपने

हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 29 :-

भूमि खसरा संख्या 188 रकबा 0.406 हे०, 254/1.097हे०, 498/0.237हे०, 254/509/0.067हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गनेश प्रसाद पुत्र छोटेला, भुइयादीन, चन्द्र प्रकाश पुत्रगण बट्टी प्रसाद मु० सीता पती वेवा बट्टी प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनर द्वारा प०क० 11क/11.06.04 खाता सं० 29 से मृतक गनेश प्रसाद के स्थान पर उदयराज हंसराज, धर्मराज पुत्रगण गनेश प्रसाद व श्रीमती सावित्री पत्नी स्व० गनेश प्रसाद नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार उदयराज, हंसराज, धर्मराज व सावित्री द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 49 :-

भूमि खसरा संख्या 149अ रकबा 0.067 हे०, 149ब/0.782हे०, 201/0.623हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रेमचन्द्र, विजय कुमार, सुशील कुमार, अनिल कुमार, शिवकुमार, सुनील कुमार पुत्रगण अमरनाथ सालिक राम पुत्र भुइयादीन जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलचन्द्र नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सालिकराम, प्रेमचन्द्र, विजय, सुनील, अनिल, शिवकुमार, जितेन्द्र व सुशील द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 50 :-

भूमि खसरा संख्या 176 रकबा 0.013 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रेमचन्द्र, विजय कुमार, सुशील कुमार, अनिल कुमार, शिवकुमार, सुनीलकुमार पुत्रगण अमरनाथ, सालिकराम पुत्र भुइयादीन जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलचन्द्र मंशाराम पुत्र जगन्नाथ गजोधर पुत्र रघुवर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सालिकराम, प्रेमचन्द्र, विजयकुमार, अनिलकुमार, शिवकुमार, सुनील, जितेन्द्र, मंशाराम व सुशील द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 58 :-

भूमि खसरा संख्या 314 रकबा 0.046 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, लल्ला, मुन्ना, सोनू, मोनू पुत्रगण अहरवा मु० रामकली देवा अहरवा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार लल्ला द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 67 :-

भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 0.066 हे०, 4/0.064हे०, 5/0.044हे०, 6/0.057हे०, 7/0.114हे०, 8/0.067हे०, 19/0.240हे०, 84/0.046हे०, 85/0.057हे०, 95/0.025हे०, 96/0.018हे०, 97/0.062हे०, 98/0.082हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद हिम्मत, बहादुर पुत्रगण बिरजा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हिम्मत द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 72 :-

भूमि खसरा संख्या 191अ रकबा 0.059 हे०, 40/0.021हे०, 191ब/0.646हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम पुत्र जगन्नाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मंशाराम द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 73 :-

भूमि खसरा संख्या 11० रकबा 0.215 हे०, 387/0.418हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम पुत्र जगन्नाथ, गजोधर पुत्र रघुवर, प्रेमचन्द्र, विजय कुमार, सुशील कुमार, अनिल कुमार, शिवकुमार, सुनील कुमार पुत्रगण अमरनाथ, सालिकराम पुत्र भुइयादीन कमलचन्द्र पुत्र भुइयादीन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 73 से मृतक कमलचन्द्र के स्थान पर जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलचन्द्र व श्रीमती चन्द्रावती पत्नी स्व० कमलचन्द्र नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सालिकराम, प्रेमचन्द्र, विजय, सुनील, अनिल, शिवकुमार, मंशाराम, सुशील जितेन्द्र व चन्द्रावती द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 98 :-

भूमि खसरा संख्या 220 रकबा 0.405 हे०, 438/0.354हे०, 439/0.077हे०, 440/0.081हे०, 441/0.069हे०, 442/0.077हे०, 503/0.367हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसनेही पुत्र गया प्रसाद, प्रेमचन्द्र, विजय कुमार, सुशील कुमार, अनिल कुमार, शिव कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण अमरनाथ, सालिक राम पुत्र भुइयादीन, जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलचन्द्र गजोधर पुत्र रघुवर मंशाराम पुत्र जगन्नाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सालिकराम, विजय, प्रेमचन्द्र, अनिल, शिवकुमार, सुनील, जितेन्द्र मंशाराम व सुशील द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 114 :-

भूमि खसरा संख्या 119 रकबा 0.276 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्याम सुन्दर, रामनिवास, राजकुमार पुत्रगण रामशंकर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामसुन्दर, रामनिवास व राजकुमार द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 119 :-

भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 0.042 हे०, 279/0.026हे०, 280/0.045हे०, 281/0.402हे०, 283/0.017हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवबालक, रघुनन्दन पुत्रगण रुस्तम नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवबालक द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 120 :-

भूमि खसरा संख्या 11 रकबा 0.036 हे०, 12/0.057हे०, 13/0.067हे०, 14/0.067हे०, 15/0.053हे०, 16/0.105हे०, 18/0.089हे०, 26/0.048हे०, 27/0.041हे०, 28/0.082हे०, 29/0.052हे०, 30/0.052हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवललित पुत्र काशी प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1393 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० विजनौर वाद सं० 167/873/18.08.07 गाटा सं० 12/0.057, 13/0.067, 14/0.067 से शिव ललित पाण्डेय पुत्र स्व० काशी प्रसाद व द्वितीय



विक्रेता मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र शिवललित पाण्डेय का नाम निरस्त करके श्रीमती विन्देश्वरी यादव पत्नी उमेश चन्द्र यादव नि० ग्राम 13/6 नेहरू रोड सदर कैंपट लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार विन्देश्वरी व शिवललित द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 130 :-

भूमि खसरा संख्या 483 रकबा 0.537 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुशील कुमार पुत्र गणेश प्रसाद मु० कमलादेवी बेवा गणेश प्रसाद रमेश प्रसाद नरेश प्रसाद पुत्रगण रामस्वरूप छोटेलाल पुत्र गया प्रसाद अनन्त कुमार पुत्र शीतला प्रसाद राहुल नाबा० आयु 16 वर्ष पुत्र शीतला प्रसाद सं० जयदेवी श्रीमती जयदेवी पत्नी शीतला प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुशील, कमलादेवी, रमेश, अनन्त, राहुल ना०बा० सं० जयदेवी व श्रीमती जयदेवी पत्नी शीतलाप्रसाद द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 19 :-

भूमि खसरा संख्या 34 रकबा 0.138 हे०, 88/0.017हे०, 89/0.025हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुमार पुत्र छंगालाल, ओमप्रकाश, जय प्रकाश, शिवप्रकाश, चन्द्र प्रकाश पुत्रगण सालिकराम, महेशचन्द्र, दिनेश चन्द्र, उमेशचन्द्र, अरुण कुमार, अशोक कुमार, किशोर कुमार पुत्रगण रामचन्द्र निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी न०भू०सी० लखनऊ पत्रांक 13/अमलदरामद/न०भू०सी०/07 दिनांक 07.01.08 के अनुपालन में सं० 1882/21.05.93 वाद सं० 1787 गाटा सं० 260 रकबा 189.70 वर्ग मी० के 1/4 भाग से 34/701.88, 88/84.31, 89/126.46, 92/632.32 के 1/3 भाग से 131मि०/4239.14 वर्गमीटर कुल रकबा 5974.41 वर्गमी० सालिगराम का नाम निरस्त अतिरिक्त घोषित शहरी सीलिंग के नाम दर्ज होने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार कृष्ण कुमार व किशोर कुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 27 :-

भूमि खसरा संख्या 289 रकबा 0.009 हे०, 319/0.009हे०, 321/0.095हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में काशी प्रसादपुत्र सूर्यवती, सुनील कुमार, लक्ष्मण अव० आयु 10 वर्ष पुत्रगण नौमीलाल प्रेमा बेवा नौमीलाल नरेन्द्र कुमार अव० आयु 13 वर्ष

वीरेन्द्र कुमार अव० आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम सं० मु० प्रेमा माता व मु० प्रेमा विधवा राधेश्याम बाबूलाल पुत्र सूर्यबली भागूलाल पुत्र गयादीन छोटेलाल पुत्र रामदास चिरंजूलाल, भाईलाल पुत्रगण बुद्ध रामशंकर पुत्र जंगली मु० सरस्वती बेवा जंगली नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेलाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, बंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 26, 27 से मृतक भागूलाल के स्थान पर गोकुल, बबलू रिकू पुत्रगण भागूलाल व श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व० भागूलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार गोकुल, रामदेवी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 64 :-

भूमि खसरा संख्या 261 रकबा 0.253हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भुइयादीन पुत्र बद्रोप्रसाद, चन्द्र प्रकाश पुत्र बद्रोप्रकाश के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भुइयादीन व चन्द्रप्रकाश द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 75 :-

भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 0.049 हे०, 62/0.075हे०, 63/0.051हे०, 64/0.059हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिटाईलाल पुत्र रामप्रसाद, रामचन्द्र पुत्र रामनारायण नि० धुसवलकलों के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी न०भू०सी० लखनऊ पत्रांक 13/अमलदरामद/न०भू०सी०/07 दिनांक 07.01.08 के अनुपालन में सं० 1698/27.03.88 वाद सं० 1752 गाटा सं० 63 रकबा 255.36 वर्ग गी० राग प्रसाद का नाम निरस्त करके अतिरिक्त घोषित शहर सीलिंग के नाम दर्ज होने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामचन्द्र द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 87 :-

भूमि खसरा संख्या 501 रकबा 0.011 हे०, 502/0.013हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामकुमारी पत्नी शिव ललित, शीतला प्रसाद, रमेश प्रसाद,

नरेश प्रसाद, सुरेश प्रसाद पुत्रगण रामस्वरूप, सुशील कुमार पुत्र गनेश प्रसाद मु० कमला देवी बेवा गनेश प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/02.07.08 खाता 87 से मृतक शीतला प्रसाद के स्थान पर अनन्त कुमार, राहुल पुत्रगण शीतला प्रसाद व श्रीमती जयदेवी पत्नी स्व० शीतला प्रसाद नि० ग्राम का नाम वतार वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश प्रसाद, सुरेश कुमार, सुशील कुमार, मु० कमला देवी, अनन्त कुमार, राहुल ना०वा० सं० जयदेवी व श्रीमती जयदेवी पत्नी शीतलाप्रसाद व राम कुमारी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 91 :-

भूमि खसरा संख्या 69 रकबा 0.077 हे०, 70/0.052हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राननरायन, रामलोटन पुत्रगण कामता, मनोज नावा० आयु 15 वर्ष मन्दू नावा० आयु 10 वर्ष पुत्रगण दशरथ सं० श्रीमती मीरा देवी श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व० दशरथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामलोटन व मनोज नावा० व मन्दू नावा० सं० मीरादेवी व मीरादेवी स्वयं द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 121 ✓

भूमि खसरा संख्या 155 रकबा 0.089 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हरिश्चन्द्र, ईश्वरदीन पुत्रगण रामसहाय भगौती पुत्र भगवानदीन, जीतबहादुर पुत्र सत्यनारायन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/21.09.07 खाता 121 से मृतक ईश्वरदीन के स्थान पर राम सजीवन, पवनकुमार पुत्रगण ईश्वदीन व श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व० ईश्वरदीन नि० ग्राम का नाम वतार वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार भगौती द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 129 :-

भूमि खसरा संख्या 60 रकबा 0.097 हे०, 429/0.120हे०, 430/0.021हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुरेन्द्र कुमार पुत्र मैकू नीरज नावा० आयु 15 वर्ष वीरज नावा० आयु 13 वर्ष सूरज नावा० आयु 7 वर्ष पुत्रगण वीरन्द्र कुमार सं० मु० रामावती रामावती बेवा वीरन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, जयेन्द्र कुमार पुत्रगण मैकू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से

श्रेणी 1 के संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। अभिलिखित खातेदार सुरेन्द्र, नरेन्द्र, जयेन्द्र व रामावती नावा 0 नीरज, सूरज, धीरज नावालिकगण सं 0 रामावती व रागावती स्वयं द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वाभित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। ग्राम सैवई व देवामऊ के कतिपय खसरा संख्या-मिंजुमला के रूप में अभिलेखों में दर्ज हैं। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जाँचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितवद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ०आ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

Pu

13-09-11

(बाबूलाल श्रीवास)
अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
लखनऊ।

उद्द. आ. ति. सं. मा. सं. दि. सं. 13-09-11 dt

उद्द. को. वि. सं. मा. सं. ति. सं. 13-09-11 dt

Pu

13-09-11

ADM L A L

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0310)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अग्निनिर्णय आदेश संख्या :- 8/2010

1-	वाद संख्या	:	1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	बरौलीखलीलाबाद, धुसवलकॅला
3-	परगना तहसील व जिला	:	लखनऊ ।
4-	अग्निनिर्णय क्षेत्रफल	:	रोवई : 7-0356666656 देवामऊ : 3-0016333313 बरौलीखलीलाबाद : 13-53472285 धुसवलकॅला : 5-73714999875 योग : 29.3091728456
5-	क्या जर्मंदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	नहीं ।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	:	07.10.2008
11-	अग्निनिर्णय की तिथि	:	07.04.2011
12-	अग्निनिर्णय की धनराशि	:	रोवई - 37473367.79 देवामऊ - 15987299.45 बरौलीखलीलाबाद- 72088640.83 धुसवलकॅला - 30557208.32 योग - 156106516.39
13-	पूँजीकृत मूल्य	:	156069.00
14-	अध्याप्ति व्यय	:	15610651.64

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसों निर्गत की गयी। उ0प्र0 आवास

एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रु० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9 (2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित रागझौते हितवद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये हैं। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम सेवई

खाता संख्या 47 :-

भूमि खसरा संख्या 97 रकबा 0.534 हे०, 113/0.043 हे० कुल 0.577हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रिका प्रसाद पुत्र हनोमान ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रिका द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 52 :-

भूमि खसरा संख्या 216 रकबा 0.474 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र सियाराम, जगदेव, वासदेव, रूपदेव पुत्रगण पूर्वीदीन व श्रीमती कैलाशा पत्नी स्व० पूर्वीदीन नि० ग्राम व श्रीमती कलावती पत्नी छत्रपाल नि० नवाब पुरवा गोमती नगर लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार छोटेलाल, वारुदेव, रूपदेव द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 56 :-

भूमि खसरा संख्या 38 रकबा 0.624 हे०, 217/0.304हे०, 303/0.152हे०, 307/0.379हे०, 311/0.101हे०, 314/0.132हे० कुल 1-692हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जगन्नाथ बदी प्रसाद, मेवालाल पुत्रगण परसाद ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेवालाल व बदीप्रसाद द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

145

खाता संख्या 67 :-

भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 1.135 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दिनेश यादव, कमलेश यादव, संजय यादव, संदीप यादव, रंजीत यादव पुत्रगण रामपाल यादव नि० धावाहार म० सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार दिनेश, कमलेश, संजय, सन्दीप व रंजीत द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 114 :-

भूमि खसरा संख्या 159 रकबा 0.269 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजमोहन पुत्र तुलसीराम नि० धावाहार सेवई व राजेश कुमार यादव पुत्र बिहारी लाल नि० मेन्हुसा सराय बेलदार लालबाग, लखनऊ व प्रेमसागर उर्फ नन्हकऊ पुत्र धूरू प्रसाद यादव नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० विजनौर वाद संख्या-662/06 गाटा सं० 159/0.269 हे० मा० गु० 60 ख के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसीराम नि० ग्राम धावाहार म० सेवई का नाम निरस्त करके जनार्दन प्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद यादव नि० शारदा नगर निलमथा लखनऊ का नाम सहखातेदार बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रेमसागर द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 138 :-

भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 0.215 हे०, 27/0.114 हे० कुल 0.329 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती प्रसाद पुत्र बिरजू रामा देवतादीन पुत्रगण कुन्ने नि० देवामऊ, भगवान बख्श बिल्लू पुत्रगण अंगनू ग्रा० वा० राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवदयाल नि० धावाहार राम कुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल नि० धावाहार के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद सं० 929/894/26.06.08 गाटा सं० 17/0.215, 27/0.114 हे० के बकदर भाग से राजेन्द्र कुमार, राम कुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिव दयाल का नाम निरस्त करके एनसिएट टाऊन प्लानर प्रा० लि० 33 कम्प्यूनिटी सेन्टर न्यू फ्रेण्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/13.05.09 खाता सं० 138 से मृतक रामा के स्थान पर गुट्टा कल्लू नन्हकऊ पुत्रगण रामा व श्रीमती सरस्वती पत्नी रव० रामा नि० देवामऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है।

अभिलिखित खातेदार गगौती द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 164 :-

भूमि खसरा संख्या 207 रकबा 0.381 हे०, 290/0.019हे०, 292/0.238हे०, 298/0.253हे० कुल 0.891हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में माता प्रसाद पुत्र नरायण, अमर नाथ पुत्र दयाराम ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/18.11.06 खाता सं० 7, 164 से मृतक अमरनाथ के स्थान पर वासुदेव पुत्र अमरनाथ व श्रीमती रामकली पत्नी स्व० अमरनाथ नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार वासुदेव व रामकली द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 197 :-

भूमि खसरा संख्या 189 रकबा 0.853 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधेलाल पुत्र मंगल नि० शाहखेड़ा म० सरसवा श्री केशन पुत्र नीलकंठ नि० धावाहार सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री केशन व राधेलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 256 :-

भूमि खसरा संख्या 264 रकबा 0.431 हे० व 265/0.028हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लालता प्रसाद, जयहिन्द, जागर पुत्रगण लीला ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार लालता, जयहिन्द व जागर द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 318 :-

भूमि खसरा संख्या 112 रकबा 0.152 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सालिकराम, शंकर, गणेश, नान्हू, नन्हकऊ पुत्रगण धूरू, बिटाना विधवा ठाकुर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/24.01.09 खाता सं० 315, 316, 317 व 318 से मृतक सालिकराम के स्थान पर रागकिशन, सुशील कुमार, दिलीप कुमार पुत्रगण

F

सालिकराम व श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व० सालिक राम नि०गण धावाहार म० सेवई का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार शंकर, गनेश, नान्हु व नन्हकऊ द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खाते पर श्री उमेश पुत्र गनेशी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर प्रतिकर भुगतान रोकने की याचना की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 13:-

भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 0.443 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अलीरजा पुत्र लतीफ, पुत्तन, रहमत अली पुत्रगण फज्जू, वशीर पुत्र शमशेर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अलीरजा द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 31:-

भूमि खसरा संख्या 155 रकबा 0.521 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कल्लू बेचा, राजकुमार पुत्रगण गुरुदीन श्रीमती कौशलया पत्नी गुरुदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बेचा, राजकुमार व कौशलया द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38:-

भूमि खसरा संख्या 156 रकबा 0.277 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में किशुन व सुखई पुत्रगण ख्याम रमेश, प्रकाश पुत्रगण पंचम श्रीमती मीना कुमारी पत्नी पंचम श्रीमती आशा पत्नी शिवराग नि० 100/1 अशोक विहार, आलमबाग, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुखई, रमेश, प्रकाश, मीन व आशा द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 49:-

भूमि खसरा संख्या 101 रकबा 0.228 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रिका प्रसाद, शिवलाल पुत्रगण शिव दयाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवलाल द्वारा अपने हिस्से की

भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 69:-

भूमि खसरा संख्या 9 रकबा 0.291 हे०, 11/0.266हे०, 12/0.354हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में धर्मराज, रामरूप, रामदास पुत्रगण लालता, महादेव, रामसागर पुत्रगण रामऔतार, राम सतीश पुत्र लालता नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसागर द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 190:-

भूमि खसरा संख्या 224 रकबा 0.051 हे०, 225/0.049हे०, 232/0.051हे०, 237/0.059हे०, 239/0.081हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश, राकेश पुत्रगण चतुरी दुर्गेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश, नीनाकुमारीबेवा ओम प्रकाश, राजेश कुमार पुत्र गुरुदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 216:-

भूमि खसरा संख्या 266 रकबा 0.383 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामगुलाम, रामपाल, रामसागर पुत्रगण बैजनाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामगुलाम, रामपाल व रामसागर द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 239:-

भूमि खसरा संख्या 39 रकबा 0.162 हे०, 41/0.228हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामपाल पुत्र बैजनाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामपाल द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

१

141

खाता संख्या 339:-

भूमि खसरा संख्या 31 रकबा 0.152 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीराम पुत्र मेडीलाल, धनवती पुत्री शीतला पत्नी मेडीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीराम व धनवती द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खाते पर श्री जावेद इकबाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

देवागऊ

खाता संख्या 2:-

भूमि खसरा संख्या 133 रकबा 0.274 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अविनाश चन्द्र पुत्र मातादीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अविनाश चन्द्र द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 13:-

भूमि खसरा संख्या 125 रकबा 0.556 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रपाल पुत्र भोगनाथ व हनोगान प्रसाद पुत्र मेडीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1390 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हनोगान द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 23:-

भूमि खसरा संख्या 129 रकबा 0.230 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हा पुत्र गेजू नि० ग्राम यासीन पुत्र रमजान व सब्बीर अली मुजीम अली वा० मो० पतेल अली पुत्रगण अशरफ अली नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सब्बीर, मुजीम अली, पतेल अली व यासीन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या/रकबा पर अपने हिस्से के सम्बन्ध में शायराबानों पुत्री वशीर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति के निस्तारण के उपरान्त प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

१

खाता संख्या 24:-

भूमि खसरा संख्या 238स रकबा 0.063 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नौमीलाल पुत्र जोधा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार उपजिलाधिकारी, सदर, लखनऊ वाद सं० 188/06-0 02.08.07 धारा 166/167 गाटा सं० 12/2/0-131 भूमि पर से विक्रेता खातेदार नौमीलाल पुत्र जोधा का नाम निरस्त करके भूमि सभी भार बन्धन से मुक्त होकर विक्रय के दिनांक से राज्य सरकार में निहित की जाती है। अभिलिखित खातेदार नौमीलाल द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 32:-

भूमि खसरा संख्या 165 रकबा 0.278 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बसन्त कुमार पुत्र मातादीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बसन्त कुमार द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 47:-

भूमि खसरा संख्या 142 रकबा 0.680 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकूलाल, नौमीलाल पुत्रगण मोती नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/21.08.07 खाता सं० 47, 48 से मृतक नौमीलाल के स्थान पर रामगिलन, रामसमुझ, रामनरेश, सरवन, विनोद कुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क०/03.07.08 खाता सं० 47 व 48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार विनोद कुमार व रामनरेश द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 51:-

भूमि खसरा संख्या 131 रकबा 0.291 हे० व 162/0.360 हे० कुल 0.651 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मातादीन पुत्र खेमन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1382 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/02.07.08 खाता सं० 51 से मृतक मातादीन के स्थान

पर हेमन्त कुमार, अमित कुमार पुत्रगण कैलाश व श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व० कैलाश व सतीश चन्द्र बसन्त कुमार अविनाश चन्द्र पुत्रगण मातादीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हेमन्त कुमार, अमित कुमार, गीरादेवी, सतीश चन्द्र, बसन्त कुमार व अविनाश द्वारा अपने-अपने हिस्सों की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 55:-

भूमि खसरा संख्या 138 रकबा 0.610 हे० व 229/0.058 हे० कुल 0.668 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रघुवीर, रामखेलावन, रामस्वरूप, रामदुलारे, अशोक कुमार पुत्रगण मोल्हे व शिवशंकर रामसेवक पुत्रगण नौगीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसेवक द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 60:-

भूमि खसरा संख्या 173 रकबा 0.413 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजकुमार, पप्पू पुत्रगण परशुराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजकुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 73:-

भूमि खसरा संख्या 170 रकबा 0.225 हे० व 203/0.187 हे० कुल 0.412 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामस्वरूप, रामेश्वर पुत्रगण सकदू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1377 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामस्वरूप द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 78:-

भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 0.038 हे०, 209/0.025 हे० व 242/0.114 हे० कुल 0.177 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वारिस पुत्र जुम्नन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार वारिस द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 84:-

भूमि खसरा संख्या 146 रकबा 0.039 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शम्भू पुत्र मैकू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/16.11.07 खाता सं० 84 से मृतक शम्भू के स्थान पर सुशील कुमार पुत्र शम्भू नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुशील कुमार द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 101:-

भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 0.250 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सोनापती पत्नी भाईलाल, चन्द्रिका पुत्र धनी नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रिका द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 102:-

भूमि खसरा संख्या 206 रकबा 0.057 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीराम, सीताराम पुत्रगण रामचरन व वंशीलाल पुत्र नन्दा व बराती लाल, मातादीन पुत्रगण खेमन व मु० जगदेई बेवा सुखलाल व चन्द्रपाल, रामपाल, विद्यासागर पुत्रगण भोगई नि० ग्राम व तिलक चन्द्र, प्रेमचन्द्र अजय पुत्रगण श्रीपाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1314 व 1418 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/14.02.09 खाता सं० 102 से मृतक मातादीन के स्थान पर हेमन्त कुमार, अमित कुमार पुत्रगण कैलाश व श्रीमती मीरादेवी पत्नी स्व० कैलाश व सतीश चन्द्र, बसन्त कुमार, अविनाश चन्द्र पुत्रगण मातादीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार जगदेई, हेमन्तकुमार, अमित कुमार, गीरादेवी, सतीश चन्द्र, बसन्त कुमार, अविनाश, चन्द्रपाल, श्रीराम व सीताराम द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 105:-

भूमि खसरा संख्या 168 रकबा 0.678 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सियाराम पुत्र जागेश्वर प्रसाद व कालिका प्रसाद पुत्र परमेश्वर व अनिल कुमार पुत्र



शत्रोहन व श्रीमती परमेश्वरी पत्नी गंगाप्रसाद शिवपाल, गनेश प्रसाद, कुंवर बहादुर, मनोहर लाल पुत्रगण किशुन व ताराचन्द्र पुत्र किशुन सुखरानी पत्नी रथो किशुन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार ना०त० विजनौर वाद सं० 432/19.06.07 गाटा सं० 3/0.089, 22/0.399 के बकदर भाग व खाता सं० 106 की गाटा सं० 16/0.117 के सम्पूर्ण भाग से शियाराम पुत्र जागेश्वर व कालिका प्रसाद पुत्र परमेश्वर व अनिलकुमार पुत्र शत्रोहन का नाम निरस्त करके वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र रामकिशन वर्मा नि० एल० 1/111 विनय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा नगर लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/29.03.10 खाता सं० 105, 107 पर मृतक सुखरानी के स्थान पर शिवपाल, गनेश प्रसाद, कुंवर बहादुर, मनोहरलाल, ताराचन्द्र पुत्रगण किशुन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवपाल, गनेशप्रसाद, कुंवर बहादुर, मनोहरलाल, कालिका व अनिल कुमार द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

बरोली खलीलाबाद

खाता संख्या 13 :-

भूमि खसरा संख्या 1613 रकबा 0.316 हे० व 1617अ/0.006 कुल 0.322हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार, प्रमोद कुमार पुत्रगण शीतला प्रसाद श्रीमती उर्मिला देवी बेवा शीतला प्रसाद ज्वाला प्रसाद, केशव प्रसाद पुत्रगण गुरु प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार ज्वाला प्रसाद, केशव प्रसाद व प्रमोद कुमार द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 44 :-

भूमि खसरा संख्या 1890/0.783हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केसराम पुत्र डल्ला राम नरेश पुत्र जगदेव रामदास पुत्र धना सत्रोहनलाल पुत्र धना श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकू पुत्र डोरी श्रीमती सुन्दारा बेवा कल्लू पुत्री डोरी जगदीश पुत्र पितई सुरेन्द्र कुमार पुत्र धसीटे नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार जगदीश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

8

खाता संख्या 46 :-

भूमि खसरा संख्या 1768 रकबा 0.278 हे० 1778/0.063हे०, 1781/0.051हे०, 1774/0.056हे०, 1776/0.051हे०, 1782/2/0.266हे०, 1779/0.101हे० कुल 0.866हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कंदार, जगन्नाथ, बैजनाथ, रांतराम पुत्रगण जग्गू सरजू देई भगवान देई रूपरानी पुत्रीगण लालादास शिव देवी पत्नी सत्य नारायण नि० घोघन खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना० त० विजनौर द्वारा प० क० 11 क 23/03.06.09 खा० सं० 25 पर दर्ज भगवानदीन पुत्र चेताराम के स्थान पर शुद्ध नाम श्रीमती भगवानदेई पत्नी चेताराम दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/24.07.09 खाता सं० 25, 26 पर मृतक भगवान देई के स्थान पर श्रीमती उषा पत्नी नन्हे पुत्री चेताराम नि० यदरूथ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 5.10.09 खाता सं० 25, 26 पर मृतक कंदार के स्थान पर फूलचन्द्र, उदल, विशुनदयाल, पुत्रगण कंदार व श्रीमती रामप्यारी पत्नी कंदार नि० घोघनखेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार फूलचन्द्र, उदल, विशुनदयाल, रामप्यारी, सन्तराम, सरजूदेई, उषादेई, रूपरानी व शिवदेवी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 89 :-

भूमि खसरा संख्या 1606/1 रकबा 0.262 हे०, 1606/2/0.262हे०, 1641/0.569हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती गीता रावत पत्नी रामखेलावन छेदा पुत्र रामनाथ नि० ग्राम विनोद पुत्र रामनाथ नि० ग्राम श्रीमती शिवराजा पत्नी रामनाथ परसादी पुत्र दुर्गा सुदामा पुत्र शीतल सन्तराम, सुखलाल व हनोमान पुत्रगण पितम्बर विजय कुमार, शिव कुमार पुत्रगण ईश्वरीदास, सोहनलाल पुत्र शीतल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार गीता रावत, सुदामा, हनोमान, शिवकुमार, सोहनलाल व परसादी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 194 :-

भूमि खसरा संख्या 1921रा रकबा 0.759 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रघुवर पुत्र तुला ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1370 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/05.04.10 खाता सं० 166 से मृतक रामप्रसाद के स्थान पर जयकरन पुत्र राम प्रसाद व कु० रानी ना०बा० 16 वर्ष रा० गाई जयकरन पुत्री रामप्रसाद दर्ज हों। मृतक लल्लू के स्थान पर गोपी पुत्र लल्लू व गोविन्द रामू श्यामू पंकज आयु क्रमशः 17, 11, 11, 6 वर्ष व मोनी, सरोजनी ना०बा० 13, 8

वर्ष सं० रामजानकी पुत्री लल्लू व श्रीमती रामजानकी पत्नी लल्लू बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार गोपी, रामजानकी व जयकरन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 292 :-

भूमि खसरा संख्या 1914/4 रकबा 1.265 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेधाती पुत्र रामाजीत नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेधाती द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 179 :-

भूमि खसरा संख्या 1718/2 रकबा 0.039 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पंचम पुत्र गंगादीन औसान पुत्र मोहन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार पंचम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 229 :-

भूमि खसरा संख्या 1637 रकबा 0.038 हे०, 1639/0.013 हे०, 1635/0.050 हे०, 1636/0.114 हे०, 1625/0.161 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बराती पुत्र सातई कु० संजू ना० आ० 11 वर्ष पुत्र खिलाडी सं० कालिका (नाना) स्वयं छेदा, विनोद पुत्रगण रामनाथ, शिवराजा बेवा रामनाथ, परसादी पुत्र दुर्गा सुदामा, सोहनलाल पुत्रगण शीतल, सन्तराम, सुखलाल, हनोमान पुत्रगण पितम्बर, विजय कुमार, शिव कुमार पुत्रगण ईश्वरीदारा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 31/08.09.04 द्वारा खाता सं० 229 व 511 पर मृतक सुखलाल पुत्र पितम्बर के स्थान पर श्यामलाल, रामगिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० सुखलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामगिलन, सोहनलाल, संजू, सुदामा, हनोमान, शिवकुमार, परसादी व संतराम द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 241 :-

भूमि खसरा संख्या 1646 रकबा 0.063 हे०, 1647/0.189 हे० कुल 0.252 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गुड़गांदीन, रागनिरंजन, भगौती प्रसाद पुत्रगण किशुन शम्भू बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर बाबू मतऊ बुद्ध पुत्रगण छबीले नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० महोदय जरिए प०क० 11क क्रमांक 25/17.06.04 द्वारा खाता सं० 241 से मृतक बुद्ध पुत्र छबीले के स्थान पर तुलसी पुत्र बुद्ध व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० बुद्ध नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० महोदय जरिए प०क० 11क क्रमांक 29/24.08.04 द्वारा खाता सं० 241 से मृतक बाबू पुत्र छबीले के स्थान पर मतऊ पुत्र छबीले व शम्भू व बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर व तुलसी पुत्र बुद्ध व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० बुद्ध का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मतऊ व शम्भू द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 308 :-

भूमि खसरा संख्या 1664 रकबा 0.076 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुकेश कुमार पुत्र गंगल नि० मुराईन खेड़ा म० मदरूख के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मुकेश कुमार द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 313 :-

भूमि खसरा संख्या 1836/4 रकबा 0.267 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेवालाल व राजू पुत्रगण परीदीन के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेवालाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 315:-

भूमि खसरा संख्या 1914/1 रकबा 0.253 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में योगेन्द्र नाथ पुत्र समाजीत नि० पिपरी खेड़ा मजरा ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1403 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार योगेन्द्र नाथ द्वारा

अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 341 :-

भूमि खसरा संख्या 1622 रकबा 0.013 हे०, 1623/0.417 हे० कुल 0.430 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश चन्द्र पुत्र बुद्ध नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1363 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश चन्द्र द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 343 :-

भूमि खसरा संख्या 1788/1 रकबा 1.005 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलखन, रामकुमार, जंगबहादुर, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बाबूलाल जगन्नाथ, बैजनाथ पुत्रगण जग्गू नि० घोघन खेड़ा म०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामलखन व जंगबहादुर द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 372 :-

भूमि खसरा संख्या 1612 रकबा 0.203 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजनरायन, जगत नरायन पुत्रगण जगदीश, श्रीमती सुमन देवी पत्नी तेज नरायन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजौर द्वारा प०क० 11क 19.08.06 खाता सं० 324, 372 से मृतक राज नरायन के स्थान पर आशीष कुमार, आनन्द कुमार, सतीश कुमार पुत्रगण राजनरायन व श्रीमती नीलम देवी पत्नी रव० राजनरायन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार जगत नरायन, आशीष कुमार, आनन्द कुमार, सतीश कुमार व नीलम देवी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 451:-

भूमि खसरा संख्या 1580/1 नि० रकबा 0.008 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शीतल पुत्र नत्था नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शीतल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में

१

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 488:-

भूमि खसरा संख्या 1914/2मि० रकबा 1.265 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सभाजीत तिवारी पुत्र ठाकुर प्रसाद तिवारी नि० पिपरी खेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1374 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सभाजीत द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 513:-

भूमि खसरा संख्या 1915 रकबा 0.152 हे०, 1916/0.430हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हीरालाल पुत्र ओरीलाल नि० विरूरा के नाम पूर्व सन् फसली 1399 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हीरालाल द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 522:-

भूमि खसरा संख्या 1799/4मि० रकबा 0.253 हे०, 1854/1मि०/0.500हे०, 1886/4मि०/0.512हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हरीशंकर, योगेन्द्र नारायण व भूपेन्द्र नारायण पुत्रगण सभाजीत तिवारी नि० पिपरी खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1393 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरीशंकर, योगेन्द्र नाथ व भूपेन्द्र नारायण द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 27 :-

भूमि खसरा संख्या 1601/1 रकबा 0.190 हे० व 1662/1मि०/0.126हे० कुल 0.316हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में औसान पुत्र शीतल, रामलोटन, रामू पुत्रगण लछिमन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामू व औसान द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

९

खाता संख्या 40 :-

भूमि खसरा संख्या 1914/2 रकबा 0.379 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्धई व बसंत पुत्रगण जैराम, नन्द किशोर पुत्र टन्नू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1367 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों कन्धई, बरान्तलाल व नन्दकिशोर द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 65 :-

भूमि खसरा संख्या 1922 रकबा 0.159 हे०, 1923/0.182हे०, 1924/0.253हे० कुल 0.594हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गौरी शंकर पुत्र कुशहर, नौगीलाल, रामकुमार, रालिकराम, गंगाराम, हरीलाल, रामचन्द्र, रामसनेही पुत्रगण सीताराम, श्रीमती रामपियारी बेवा सीताराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरीलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 83 :-

भूमि खसरा संख्या 1654 रकबा 0.149 हे०, 1655/0.253हे० कुल 0.402हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गुरुदेव पुत्र इन्द्रपाल, रामकरन पुत्र जगमोहन शुरुदेश पुत्र ओम प्रकाश, वीरेन्द्र सिंह पुत्र बाबूलाल भोगनाथ पुत्र पितम्बर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1362 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार इन्द्रपाल, बाबूलाल, जगमोहन व ओमप्रकाश द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 89-

भूमि खसरा संख्या 1606/1 रकबा 0.262 हे०, 1606/2 रकबा 0.262 हे०, 1641/0.569हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती गीता रावत पत्नी राम खेलावन, छेदा पुत्र राम नाथ नि० ग्राम, विनोद पुत्र राम नाथ, श्रीमती शिवराजा पत्नी रामनाथ, परसादी पुत्र दुर्गा, सुदामा पुत्र शीतल, सन्तराम पुत्र पितम्बर, सुखलाल पुत्र पितम्बर, हनोमान पुत्र पितम्बर विजय कुमार, शिव कुमार पुत्रगण ईश्वरदीन, सोहनलाल पुत्र शीतल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार 810 नि० बिजनौर द्वारा 40क० 11क/27.03.0 खाता सं० 89 से मृतक सुखलाल के स्थान पर श्यामलाल, राम मिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी सुखलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्यामलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र०

आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 142

भूमि खसरा संख्या 1656 रकबा 0.948 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दिलीप सिंह, गंगा सिंह पुत्रगण कुंवर सिंह नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1386 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद सं० 40/85/1/91/08/18.03.10 खाता सं० 84, 91, 94 व 115 से मृतक खातेदार दिलीप सिंह पुत्र कुंवर सिंह नि० तेलीबाग का नाम निरस्त करके श्रीमती राधा पुत्री स्व० दिलीप सिंह पत्नी भगवान सिंह व श्रीमती कान्ता पुत्री स्व० दिलीप सिंह पत्नी नैना सिंह नि० खतीगाँव जनपद पितौरागढ़ उत्तरांचल का नाम जरिये उत्तराधिकार अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती कान्ता व श्रीमती राधा द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 227-

भूमि खसरा संख्या 1605 रकबा 0.069 हे०, 1610/0.096 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बलराम, रामफेर पुत्र धनीराम नि० मठनखेड़ा म० गौरा तह० मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में 1410 फ० आदेशानुसार श्रीमान तह० (न्यायिक) लखनऊ वाद सं० 402/07, 04.03 द्वारा गाटा सं० 1653/0.322 लगान 60 ख से बलराम व रामफेर पुत्रगण स्व० धनीराम का नाम निरस्त करके नरेन्द्र कुमार रावत व राजन कुमार रावत पुत्रगण गुरुचरन लाल रावत नि०ग्राम का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नरेन्द्र व राजन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 229-

भूमि खसरा संख्या 1637 रकबा 0.038 हे०, 1639/0.013 हे०, 1635/0.050 हे०, 1636/0.114 हे०, 1625/0.161 हे० कुल 0.376 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बराती पुत्र सतई कु० संजू ना० आ० 11 वर्ष पुत्री खिलाड़ी सं० कालिका (नाना) स्वयं छेदा, विनोद पुत्रगण रामनाथ शिवराजा बेवा रामनाथ परसादी पुत्र दुर्गा सुदामा, सोहनलाल पुत्रगण शीतल

सन्तराम सुखलाल हनोमान पुत्रगण पितम्बर विजय कुमार शिव कुमार पुत्रगण ईश्वरीदास नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/०८.०९.०४ खाता सं० 229 व 511 पर मृतक सुखलाल के स्थान पर श्यामलाल, राम मिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० सुखलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्यामलाल व बराती द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 249 :-

भूमि खरारा संख्या 1913/2 रकबा 0.759 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भरोसे, राजेश पुत्रगण छेदा के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अगिलिखित खातेदार भरोसे व राजेश द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 241-

भूमि खरारा संख्या 1646 रकबा 0.063 हे०, 1647/0.189 हे० कुल 0.252 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भुइयाँदीन, राम निरंजन, भगौती प्रसाद पुत्रगण किशुन, शम्भू, बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर बाबू मतऊ बुद्ध पुत्रगण छबीले नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क कमांक 25/17.06.04 खाता सं० 241 से मृतक बुद्ध पुत्र छबीले के स्थान पर तुलसी पुत्र बुद्ध व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० बुद्ध नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क कमांक 29/24.08.04 द्वारा खाता सं० 241 से मृतक बाबू पुत्र छबीले के स्थान पर मतऊ पुत्र छबीले व शम्भू व बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर व तुलसी पुत्र बुद्ध व श्रीमती कुमारी पत्नी स्व० बुद्ध व श्रीमती कुमारी पत्नी स्व० बुद्ध का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार मृतक भुइयाँदीन के स्थान पर हरिवंश लाल व लक्ष्मीकान्त व धर्मेन्द्र कुमार पुत्रगण स्व० भुइयाँदीन व श्रीमती रामरानी पत्नी स्व० भुइयाँदीन का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अगिलिखित खातेदार हरिवंश, लक्ष्मीकान्त, धर्मेन्द्र व रामरानी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 440:-

भूमि खरारा संख्या 1750 रकबा 0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवशंकर पुत्र गुलजारी नि० धौरहा कोठी, उरमानपुर जिला बाराबंकी, विजयपुर पुत्र

पन्ना लाल नि० उक्त, लालता प्रसाद, राजू, गुड्डू पुत्रगण गुरु प्रसाद नि० ग्राम श्रीमती कान्ती देवी बेवा मैयालाल नि० ग्राम मुनेश्वर पुत्र गुलजारी लाल श्रीमती यशोदा देवी पत्नी फूलचन्द्र कुलदीप ना०वा० आयु 14 वर्ष सं० फूलमती पुत्र रामकुमार संजय ना०वा० आयु 12 वर्ष सं० फूलमती पुत्र रामकुमार शिवशंकर पुत्र गुलजारी लाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1412 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार श्रीमान ना०त० बिजनौर वाद सं० 5/2/734, 23.04.04 द्वारा गाटा सं० 585/0.063, 600/0.025, 602/0.190, 1012/0.051, 1750/0.253, 744/2/0.233, 911/0.068 हे० लगान 36-50 बकदर भाग मृत्यु वसीयत कर्ता फूलचन्द्र पुत्र बचनू व उनकी विधवा अंकित खाते दा०ल श्रीमती यशोदा देवी विधवा फूलचन्द्र का नाम निरस्त करके वसीयत प्राप्तकर्ता श्रीमती सूरजरानी पत्नी अयोध्या प्रसाद व श्रीमती विजय पत्नी राकेश कुमार नि० ग्राम नं० 50/220 नौहण्डा कानपुर का नाम सहखातेदार सं० भू० द्वारा वसीयत दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० नगर वाद सं० 18/22.11.06 गाटा सं० 1750/0.253 के बकदर शिवशंकर पुत्र गुलजारी लाल व मुनेश्वर पुत्र गुलजारी व बलदियत मुख्तार आम श्रीमती कान्ती देवी बेवा मैयालाल व कुलदीप व संजय ना०वा० पुत्र रामकुमार द्वारा सं० माता स्वयं श्रीमती फूलमती पत्नी रामकुमार व शिवशंकर पुत्र गुलजारी लाल का नाम निरस्त करके श्रीमती अनीता गुप्ता पत्नी रामायण प्रसाद नि० बरौली खलीलाबाद का नाम सहखातेदार द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार अनीता द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 454 :-

भूमि खसरा संख्या 1920/2 रकबा 0.202 हे०, 1925/0.152 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीपाल पुत्र टेढ़े नि० विरुरा के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीपाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 463 :-

भूमि खसरा संख्या 1616 रकबा 0.045 हे०, 1642/0.163 हे०, 1709/0.291 हे०, 1726/0.051 हे०, 1743/0.430 हे० कुल 0.980 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सुनीता पत्नी राम चन्द्र, श्रीमती नन्हकई पत्नी फूलचन्द्र नि० नबाब पुरवा, लखनऊ राजकुमारी अवं 12 वर्ष सं० पिता स्वयं पुत्री रामनरेश नि० सेंवई सतनाम अवं 10 वर्ष सं० पिता स्वयं पुत्र मतऊ नि० मझगवॉ मातादीन पुत्र शिवरतन नि० सरसवॉ छंगालाल पुत्र, राम भरोसे, भगौती गरीबे पुत्रगण जियालाल लंकेश्वर, रामऔतार पुत्रगण मैकू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क /21.06.05 खाता सं० 463 व 465 से मृतक श्रीमती नन्हकई के स्थान पर मोनु

ना०बा० आयु 10 वर्ष पुत्र फूलचन्द्र सं० पिता स्वयं नि० नबाब पूर्वा लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क /26.12.08 खाता सं० 46, 301, 302 से मृतक लंकेश्वर के स्थान पर छंगा व गुड्डू व महेश बा० व कमलेश व ना०बा० आयु वर्ष सं० श्रीमती परवाता माता स्वयं पुत्रगण लंकेश्वर व श्रीमती परवाता पत्नी स्व० लंकेश्वर नि० ग्राम व मृतक भगौती के स्थान पर संजय कुमार व हरिओम व कल्लू पुत्रगण भगौती नि० हुसैनगंज लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार परवाता, गुड्डू, महेश व रातानाम द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 467:-

भूमि खरारा संख्या 1893 रकबा 0.144 हे०, 1896/0.040हे०, 1902/0.213हे०, 1851/0.040हे०, 1852/0.167हे०, 1874/0.063हे०, 1875/0.063हे०, 1876/0.313हे०, 1877/0.051हे०, 1878/0.126, 1879/0.038हे०, 1880/0.013हे०, 1881/0.025हे०, 1882/0.013हे०, 1883/0.025हे०, 1884/0.038हे०, 1885/0.038हे०, 1918मि०/0.038हे०, 1919/0.215हे० कुल 1.663हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सूबेदार व श्रीकेशन, शंकरलाल, राघेलाल, सत्यनरायन पुत्रगण राम प्रसाद व जमुना प्रसाद पुत्र रामजिथावन नि० सरथुवा प० त० मोहनलालगंज, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फराली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क /29.01.10 खाता सं० 259 व 260 से मृतक शंकरलाल के स्थान पर आशीष कुमार, अजीत कुमार अ० आयु कमशः 10, 5 वर्ष सं० श्रीमती कमला देवी माता स्वयं पुत्रगण कु० ज्योति आयु 8 वर्ष सं० श्रीमती कमलादेवी माता स्वयं पुत्री शंकर लाल व श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व० शंकरलाल नि० सरथुवा का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार मृतक श्री केशन के स्थान पर चन्द्रशेखर, मनोज बृजमोहन (ना०बा०) सं० कमला (माँ) पुत्र केशन व श्रीमती कमला पत्नी स्व० केशन का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार मृतक जमुना प्रसाद के स्थान पर अनिल कुमार पुत्र जमुना प्रसाद, दुर्गेश कुमार, मनीष कुमार, संजीव कुमार (ना०बा०) आयु कमशः 12, 10, 5 सं० सुबैदा (माँ) पुत्रगण जमुना प्रसाद व श्रीमती सुबैदा पत्नी स्व० जमुना प्रसाद का नाम बतौर वारिस दर्ज होने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राघेलाल, कमलादेवी, सूबेदार, सत्यनरायन, चन्द्रशेखर, बृजमोहन(ना०बा०) व कमलादेवी, अनिल व दुर्गेशकुमार, मनीष कुमार, संजीव कुमार सं० सुबैदा (माता) व श्रीमती सुबैदा द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 468 :-

भूमि खरारा संख्या 1840/4 रकबा 0.013हे०, 1845/0.009हे०, 1885/4/0.050हे०, 1892/4/0.076हे० कुल 0.148हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में

सूबेदार, श्रीकेसन, शंकरलाल, राधेलाल, सत्यनरायन पुत्रगण राम प्रसाद नि० सरथुवा प० व त० मोहनलालगंज, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1367 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार मृतक श्रीकेसन के स्थान पर चन्द्रशेखर, मनोज, बृजमोहन (ना०बा०) सं० कमला(मां) पुत्र केसन व श्रीमती कमला पत्नी स्व० केशन का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार मृतक शंकरलाल के स्थान पर आशीष कुमार, अजीत कुमार, ज्योति ना०बा० आयु क्रमशः 10, 5, 8 वर्ष सं० कमलादेवी व श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व० शंकर लाल का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सूबेदार, चन्द्रशेखर, सत्यनरायन, बृजमोहन ना०बा० सं० कमला (माता) व कमला तथा आशीष कुमार, अजीत कुमार, कु० ज्योति ना०बा० सं० कमला (माता) व कमला तथा राधेलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 506 :-

भूमि खसरा संख्या 1836/2 गि० रकबा 0.044 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राकड़ पुत्र गुरु बख्श, भरोसे पुत्र डोरी, रागस्वरूप पुत्र खेगई बेचालाल व ओमप्रकाश पुत्रगण सन्तू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भरोसे पुत्र डोरी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 515 :-

भूमि खसरा संख्या 1607 रकबा 0.787 हे०, 1608/0.116 हे० कुल 0.903 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हरीशंकर, कृष्णशंकर पुत्रगण रामलाल, कृपाशंकर पुत्र बाबूराम, ज्वाला प्रसाद, केशव प्रसाद पुत्रगण गुरु प्रसाद नि० ग्राम लाल सिंह नेगी पुत्र दूला सिंह नेगी श्रीमती भवानी नेगी पुत्री लाल सिंह नेगी, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार पुत्रगण शीतला प्रसाद श्रीमती उर्मिला देवी बेवा शीतला प्रसाद नि० शान्ती नगर म० बरौली खलीलाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क / 11.08.05 खाता सं० 516 व 515 से मृतक कृपाशंकर के स्थान पर अशोक कुमार, कृष्ण कुमार पुत्रगण, रामशंकर व श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व० रामशंकर व राजेन्द्र कुमार पुत्र गोविन्द शंकर व श्रीमती रामलली पत्नी स्व० गोविन्द शंकर व सन्तोष कुमार, देवेन्द्र कुमार प्रमोद कुमार पुत्रगण उमाशंकर व श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व० उमाशंकर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरीशंकर, कृष्णशंकर, ज्वाला प्रसाद, केशव प्रसाद, प्रमोद कुमार, उर्मिला व अशोक कुमार द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम धुसवलकलों

125

खाता संख्या 14 :-

भूमि खसरा संख्या 506 रकबा 0.003 हे०, 391/0.082 हे०, 409/0.200 हे०, 444/2.187 हे०, 446/0.018 हे०, 447/1.197 हे०, 456/0.202 हे०, 457/0.010 हे०, 459/0.039 हे०, 464/0.104 हे०, 465/0.068 हे०, 484/0.371 हे० कुल 4.481 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश, नन्दा, राममिलन, कौशल केशोर, लक्ष्मण पुत्रगण गैकूलाल, रामजीतार पुत्र त्रिलोकी रामनरेश पुत्र रामचरन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राममिलन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 15:-

भूमि खसरा संख्या 331 रकबा 0.347 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश पुत्र महावीर नि० भददीखेडा तह० मोहनलालगंज, राममिलन, रामसुमेर, अर्जुन, हरिश्चन्द्र पुत्रगण श्रीराम नि० लछिमन पुरवा म० कबीरपुर तह० मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 274/16.12.07 गाटा सं० 331/0.347 में से यथोचित भाग से ओम प्रकाश पुत्र महावीर का नाम निरस्त करके श्रीमती कान्ती पत्नी विश्राम कुमार नि० भुईयन कापुरवा म० हसनपुर खेवली का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाये खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राममिलन, रामसुमेर व अर्जुन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 20-

भूमि खसरा संख्या 106 रकबा 0.349 हे०, 352 गि०/0.076 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुमार, रामजीत, हरिश्चन्द्र पुत्रगण भुइय्यादीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हरिश्चन्द्र द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 27-

भूमि खसरा संख्या 289 रकबा 0.009 हे०, 319/0.009 हे०, 321/0.095 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में काशी प्रसाद पुत्र सूर्यबली, सुनील कुमार,

लवकुश अव० आयु 10 वर्ष पुत्रगण नौमीलाल प्रेमा बेवा, नौमीलाल नरेन्द्र कुमार अव० आयु 13 वर्ष, वीरेन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम सं० मु० प्रेमा माता मु० प्रेमा विधवा रंघेश्याम बाबूलाल पुत्र सूर्यबली भागूलाल पुत्र गयादीन छोटेलाल पुत्र रामदास चिरंजूलाल भाईलाल पुत्रगण बुद्ध रामशंकर पुत्र जंगली मु० सरस्वती बेवा जंगली नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प० क 11क/15.06.07 खाता सं० 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेलाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, वंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 26, 27 से मृतक भागूलाल के स्थान पर गोकुल बबलू रिकू पुत्रगण भागूलाल व श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व० भागूलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रकाश, सुखदेव, वंशीलाल, मुरारी, सुनील, व लवकुश ना०वा० सं० प्रेमा व प्रेमा, रामशंकर, सरस्वती, बबलू, काशीप्रसाद, बाबूलाल, चिरंजू व भाईलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 33-

भूमि खसरा संख्या 228 रकबा 0.076 हे०, 229/0.076हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र रामदास नि० ग्रा० वा० रामशंकर पुत्र जंगली मु० सरस्वती बेवा जंगली नि० ग्राम चिरंजूलाल, भाईलाल पुत्रगण बुद्ध अनुरुद्ध पुत्र रामऔतार बाबादीन पुत्र कालिका नि० ग्रामवासी रामआसरे पुत्र पल्टू रामजानकी बेवा पल्टू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा प० क 11क/15.06.07 खाता सं० 27, 33, 60 से मृतक बाबादीन के स्थान पर कृपाशंकर, पुरुषोत्तमलाल पुत्रगण बाबादीन नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेलाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, वंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/02.07.08 खाता सं० 33 से मृतक रामजानकी के स्थान पर रामआसरे पुत्र पल्टू नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार भाईलाल, चिरंजू, पुरुषोत्तम, रामशंकर, सरस्वती, कृपाशंकर, मुरारी, प्रकाश, सुखदेव व वंशीलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 34-

भूमि खसरा संख्या 286 रकबा 0.044 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र रामदास, रामशंकर पुत्र जंगली मु० सरस्वती बेवा जंगली चिरंजू लाल

भाईलाल पुत्रगण बुद्ध अनुरुद्ध पुत्र रामऔतार नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प० क 11क/15.06.07 खाता सं० 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटे लाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, वंशीलाल पुत्रगण छोटे लाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार चिंरजू, भाईलाल, रामशंकर, सरस्वती, गुरारी, सुखदेव, प्रकाश व वंशीलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 36-

भूमि खसरा संख्या 325 रकबा 0.274 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जंगबहादुर पुत्र लछिमन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1377 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार जंगबहादुर द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 76-

भूमि खसरा संख्या 72 रकबा 0.052 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिठाईलाल पुत्र रामप्रसाद, रामसागर, गंगासागर पुत्रगण श्रीराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प० क 11क/02.07.08 खाता सं० 76 से मृतक रामसागर के स्थान पर विनोद कुमार नाबा० आयु 13 वर्ष सं० श्रीमती सरिता मों पुत्र रामसागर व श्रीमती सरिता पत्नी स्व० रामसागर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार गंगासागर व विनोद कुमार ना०बा० सं० श्रीमती सरिता व श्रीमती सरिता द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 91-

भूमि खसरा संख्या 69 रकबा 0.077 हे०, 70/0.052 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामनारायण, रामलोटन पुत्रगण कामता, मनोज नाबा० 15 वर्ष, मन्दू नाबा० आयु 10 वर्ष पुत्रगण दशरथ सं० श्रीमती मीरादेवी नि० ग्राम श्रीमती मीरा देवी पत्नी दशरथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामनारायण द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 112-

भूमि खसरा संख्या 244 रकबा 0.572 हे०, 333/0.772 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामलाल, भगवादीन पुत्रगण मैकू नि० ग्रा० के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प० क 11क/21.09.07 खाता सं० 112 से मृतक श्यामलाल के स्थान पर अयोध्या प्रसाद माता प्रसाद पुत्रगण श्यामलाल व श्रीमती ब्रह्मा देवी पत्नी स्व० श्यामलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प० क 11क/24.12.08 खाता सं० 112 से मृतक भगवानदीन के स्थान पर राममनोहर यादव पुत्र भगवानदीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राममनोहर व अयोध्या द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 118-

भूमि खसरा संख्या 315 रकबा 0.330 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शीतल पुत्र मंहगू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शीतल द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 121-

भूमि खसरा संख्या 155 रकबा 0.089 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हरिश्चन्द्र, ईश्वरदीन पुत्रगण रामसाहाय, भगौती पुत्र भगवानदीन, जीतबहादुर पुत्र सत्य नारायण नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प० क 11क/16.10.08 खाता सं० 121 से मृतक रामसजीवन के स्थान पर नितिन अभिषेक नाबा० आयु कमशः 6 व 5 वर्ष सं० रामकुमारी माँ पुत्रगण राम सजीवन व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० रामसजीवन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नितिन, अभिषेक नाबा० सं० रामकुमारी व रामकुमारी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38-

भूमि खसरा संख्या 421 रकबा 0.350 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दुलारे, श्रीकृष्ण, रज्जन पुत्रगण गुरप्रसाद, दशरथ सिंह अबा० आयु 16 वर्ष पुत्र राधे सं० श्री कृष्ण (चाचा) नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित

है। अभिलिखित खातेदार श्री दुलारे द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 54-

भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 0.747 हे०, 225/1.567 हे०, 369/0.022हे०, 370/0.035हे०, 372/0.049हे०, 373/0.025हे०, 375/0.219हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजलाल, अयोध्याप्रसाद पुत्रगण चेतई, महेन्द्र कुमार, देवेन्द्रकुमार पुत्रगण नेवाजीलाल, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी श्यामलाल, चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरीलाल, मायादेवी पत्नी रामस्वरूप नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री महेन्द्र कुमार, देवेन्द्रकुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 75-

भूमि खसरा संख्या 61 रकबा 0.049 हे०, 62/0.075 हे०, 63/0.076हे०, 64/0.059हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिठाईलाल पुत्र रामप्रसाद, रामचन्द्र पुत्र रामनरायन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी न०भू०सी० लखनऊ गाटा संख्या 63नि० रकबा 255.36वर्गमी० रामप्रसाद का नाम निरस्त करके अतिरिक्त घोषित शहरी सीलिंग नाम दर्ज हों, के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मिठाईलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 76-

भूमि खसरा संख्या 72 रकबा 0.052 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिठाईलाल पुत्र रामप्रसाद, रामसागर, गंगासागर पुत्रगण श्रीराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प० क 11क/02.07.08 खाता सं० 76 से मृतक रामसागर के स्थान पर विनोद कुमार नाबा० आयु 13 वर्ष सं० श्रीमती सरिता माँ पुत्र रामसागर व श्रीमती सरिता पत्नी स्व० रामसागर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मिठाईलाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

१

1020

खाता संख्या 77-

भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 0.512 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गिठाईलाल, गोहनलाल पुत्रगण सूरजबली, नौमीलाल पुत्र कुंवर लाल, श्रीमती बसन्ती जोशी पत्नी हीरा बल्लभ जोशी निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार गिठाईलाल, गोहनलाल, नौमीलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 78-

भूमि खसरा संख्या 9 रकबा 0.655, 192 रकबा 0.724 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गिठाईलाल, गोहनलाल पुत्रगण सूरजबली, नौमीलाल, रागसागर, देशराज पुत्रगण कुंवरलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार गोहनलाल, नौमीलाल, देशराज, रागसागर व गिठाईलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 106-

भूमि खसरा संख्या 108 रकबा 0.056 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लक्ष्मीनारायण पुत्र महावीर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा मृतक लक्ष्मीनारायण के स्थान पर रामकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण व श्रीमती महाराजा पत्नी स्व० लक्ष्मीनारायण का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामकिशोर व श्रीमती महाराजा द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 107-

भूमि खसरा संख्या 287 रकबा 0.452 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में विद्यासागर पुत्र भोगनाथ, उमाकान्त पुत्र श्रीराम नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1400 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री विद्यासागर व उमाकान्त द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

119

खाता संख्या 161-

भूमि खसरा संख्या 374 रकबा 0.093 हे०, 376/0.038हे०, 377/0.106हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हुबलाल पुत्र गैकू ग्रामवासी के नाम पूर्व रजि फराली 1383 से श्रेणी 2 असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार हुबलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में ज०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुमत्य के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम बरौलीखलीलाबाद व धुसवल कलों के प्राप्ति हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वागित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। ग्राम बरौली खलीलाबाद के कतिपय खसरा संख्या-मिजुमला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जॉर्चोंपरान्त सही पाये जान पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को गू०ज०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लागू अनुमत्य नहीं होगा।

Pr
07-06-11

(बाबूलाल श्रीवास)
अपर जिलाधिकारी (गू०अ०)
लखनऊ।

उक्त अभिलेखों में जिलाधिकारी 07-06-11 के
अनुमति के साथ ही
Pr
07-06-11

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 7/2010

1-	वाद संख्या	:	1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	हरिहरपुर, धुसवलकॅला, सेंवई, बरौलीखलीलाबाद
3-	परगना तहसील व जिला	:	लखनऊ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	:	हरिहरपुर- 1-63825 हे0 धुसवलकॅला- 6-949816 हे0 सेंवई- 11-16839 हे0 बरौलीखलीलाबाद- 2-4975 हे0 22-253956 हे0
5	यथा जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	नहीं।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	:	07.10.2008
11-	अभिनिर्णय की तिथि	:	08.02.2011
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	:	हरिहरपुर- 87,25,647-15 धुसवलकॅला- 3,70,16,110-00 सेंवई- 5,94,85,078-81 बरौलीखलीलाबाद-1,33,02,184-50 योग - 11,85,29,020 46
13-	पूँजीकृत मूल्य	:	1,43,722-50
14	अध्याप्ति व्यय	:	1,18,52,902-00

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

8

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रु० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9(2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा अभिलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित करे उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम हरिहरपुर

खाता संख्या 13 :-

भूमि खसरा संख्या 675 रकबा 0.076 हे०, 689/0.095हे०, 736/0.038हे०, 763/0.143हे० कुल 0.352हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश, जगदीश प्रसाद पुत्रगण महावीर श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी महावीर निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/20.06.09 खा०स० 13 से मृतक श्रीमती संतोष कुमारी के स्थान पर ओम प्रकाश व जगदीश पुत्रगण महावीर निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार ओम प्रकाश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 62 :-

भूमि खसरा संख्या 250 रकबा 0.541हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छेदा लाल पुत्र ईश्वरी निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 89 :-

भूमि खसरा संख्या 872 रकबा 0.440हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दि कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० लखनऊ द्वारा सचिव विजय कुमार सिंह

निवासी 1308/56 दीनदयाल नगर, खदरा चूंगी, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना0त0 नगर वाद संख्या 608/98 दि0 11.02.10 गाटा सं0 872स/0.440हे0 में से 0.3635हे0 मा0 गु0 60 ख से विक्रेता दि कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि0 लखनऊ स्थित दीनदयाल नगर खदरा लखनऊ निवासी 1308/56 द्वारा सचिव विजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 वंशी नि0 इन्दरगंज मोहिबुल्लापुर जिला लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता जावेद इकबाल पुत्र मोइनुद्दीन निवासी म0 न0 156 सेनानी बिहार, तेलीबाग लखनऊ का नाम बतौर सं0 भू0 द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री जावेद इकबाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 93 :-

भूमि खसरा संख्या 269 रकबा 0.140हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्दलाल पुत्र सखी राम नि0 559ख/411 हरिनगर, आलमबाग, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 115 :-

भूमि खसरा संख्या 348 रकबा 0.051हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परीदीनी, रामलखन पुत्रगण महावीर, कुज बिहारी पुत्र मेडीलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार परीदीन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 233 :-

भूमि खसरा संख्या 340रकबा 0.076हे0, 344/0.085हे0, 642/0.095हे0 कुल 0.256हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम कुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि0 मलाक सुरेन्द्र कुमार, सुधीर कुमार बा0 आशीष कुमार ना0 बा0 आयु 16 वर्ष मनीष कुमार ना0 बा0 आयु 14 वर्ष पुत्रगण श्रवण कुमार सं0 मीरा देवी (माता) श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्रवण कुमार नि0 मलाक के नाम पूर्व सन् फसली 1386 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामकुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

115

खाता संख्या 339 :-

भूमि खसरा संख्या 305 रकबा 0.012हे०, 332/0.025हे०, 333/0.025हे०, 334/0.025हे०, 343/0.063हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती कृष्ण कुमारी पत्नी शिव प्रसाद नि० निलमथा श्याम मनोहर, महादेव पुत्रगण राम दयाल नि० हरिहरपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती कृष्ण कुमारी द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 432 :-

भूमि खसरा संख्या 750 रकबा 0.227 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती उमा रावत पत्नी शिवमंगल रावत निवासी निलमथा बाजार, इब्राहिमपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम घुसवलकैला

खाता संख्या 10 :-

भूमि खसरा संख्या 75 रकबा 0.183 हे०, 76/0.187हे०, 90/0.274हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार वर्मा पुत्र राम प्रसाद वर्मा निवासी ददुरी जमालपुर पो० करोरा लखनऊ, सुरेश चन्द्र वर्मा पुत्र अशफ़ी लाल वर्मा नि० कासिमपुर, लखनऊ श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सतगुरु प्रसाद नि० रहीम नगर, महानगर, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1402 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुरेश चन्द्र वर्मा द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 13 :-

भूमि खसरा संख्या 140 रकबा 1.138हे०, 143/0.069हे०, 338/0.661हे० कुल 1.868हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में आशाराम, राजेश कुमार पुत्रगण श्याम लाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार आशा राम व राजेश कुमार द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

Q

खाता संख्या 26 :-

भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 0.126 हे०, 324/0.425 हे० कुल 0.551 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में काशी प्रसाद पुत्र सूर्यवली ग्रामवासी, सुनील कुमार, नवकुश अंक 10 आयु 10 वर्ष पुत्रगण नौमीलाल सं० मु० प्रेमा माता व श्रीमती प्रेमा विधवा नौमीलाल नि० ग्राम नरेंद्र कु० अंक 13 आयु 13 वर्ष, वीरेन्द्र कुमार अंक 11 आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम सं० मु० प्रेमा माता प्रेमा विधवा राधेश्याम नि० ग्राम बाबूलाल पुत्र सूर्यवली नि० ग्राम भागू लाल पुत्र गयादीन नि० ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खा०स० 26, 27 से मृतक भागूलाल के स्थान पर गोकुल, बबलू, रिकू पुत्रगण भागूलाल व श्रीमती रामदेवी पत्नी स्व० भागूलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुनील कुमार, नवकुश नाबा० सं० माता प्रेमा, काशी प्रसाद, बाबूलाल व बबलू द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 32 :-

भूमि खसरा संख्या 288अ रकबा 0.042 हे०, 231/0.288 हे०, 288ब/0.212 हे० कुल 0.542 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र रामदास ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खा०स० 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेलाल के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी, वंशीलाल पुत्रगण छोटेलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रकाश, सुखदेव एवं वंशीलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 46 :-

भूमि खसरा संख्या 137 रकबा 0.705 हे०, 133, 0.319 हे० कुल 1.024 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्हकऊ, अनिलकुमार पुत्रगण चन्द्रिका प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/11.06.09 खा०स० 45, 46, 47, 100 से मृतक नन्हकऊ के स्थान पर अनिलकुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार प्रकाश, सुखदेव एवं वंशीलाल द्वारा अपने हिस्से की 0.989 हे० भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 60 :-

भूमि खसरा संख्या 150 रकबा 0.739 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबादीन पुत्र कालिका निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खा०स० 33, 60 से मृतक बाबादीन के स्थान पर कृपाशंकर, पुरुषोत्तम लाल पुत्रगण बाबादीन निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार न्यायालय अपर उपजिलाधिकारी, सदर, लखनऊ के वाद सं० 115/07-08 धारा 166/167 उ०प्र०ज०वि०अधि० सरकार बनाम अंजनी कुमार तिवारी ता०फै० 26.08.09 ग्राम घुसवलकैला की गाटा सं० 150/0.759हे० के बकदर भाग से रकबा 0.0696हे० से कृपाशंकर पुत्र बाबादीन नि० ग्राम नाम निरस्त होकर समस्त भार बन्धन से मुक्त होकर राज्य सरकार के पक्ष में निहित की जाय। पुनः आदेशानुसार ना०तह० बिजनौर वाद सं० 301/26.09.09 गाटा सं० 150/0.739हे० में से रकबा 0.012 हे० मा०गु० 60ख से पुरुषोत्तम पुत्र स्व० बाबादीन नि० ग्राम का नाम निरस्त करके श्रीमती पिकी पत्नी चन्द्रिका प्रसाद नि० म० नं० 285/32क करेहटा ऐशबाग, लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार पुरुषोत्तम लाल द्वारा अपने हिस्से 0.3575हे० भाग एवं कृपाशंकर द्वारा अपने हिस्से 0.2999हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 79 :-

भूमि खसरा संख्या 272 रकबा 0.291 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रघुनन्दन पुत्र रूस्तम नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1394 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद सं० 341/1223/22.12.07 गाटा सं० 272/0.291 से रघुनन्दन पुत्र स्व० रूस्तम का नाम निरस्त करके अरुण कुमार लाल पुत्र स्व० कन्हाई लाल नि० युसूफ नगर बगियामऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार अरुण कुमार लाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 88 :-

भूमि खसरा संख्या 292 रकबा 0.018 हे०, 293/0.285हे०, 345/0.109हे०, 347/0.118हे०, 381/0.043हे०, 382/0.107हे०, 398/0.180हे०, 469/0.150हे०, 478/0.205हे० कुल 1.215हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामगुलाम, रामआसरे, रामअधार पुत्रगण सियाराम नि० ग्राम दिनेश सुरेश पुत्रगण बाबू लाल नि० ग्राम निरंजन प्रसाद पुत्र हुबलाल नि० शेरपुर म० हरिहरपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर, लखनऊ वाद सं०

909/257/10.06.08 गाटा सं० 292/0.018, 293/0.285, 345/0.109, 347/0.118, 381/0.043, 392/0.122, 398/0.180, 469/0.150, 478/0.205 हे० से सुरेश कुमार पुत्र स्व० बाबूलाल का नाम निरस्त करके गोपीकृष्ण पुत्र स्व० रामनाथ नि० रहमतनगर अमेठी जिला लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 2.12.09 खाता सं० 88 से मृतक रामआसरे के स्थान पर श्रीमती रामकली पत्नी स्व० रामआसरे नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर, लखनऊ वाद सं० 579/11.01.10 गाटा सं० 292/0.018, 293/0.285, 345/0.109, 347/0.118, 398/0.180, 469/0.150, 478/0.205 हे० के बकदर भाग से श्रीमती रामकली पत्नी स्व० राम आसरे नि० ग्राम का नाम निरस्त करके मोनू कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद नि० निलमथा कैंण्ट, लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दिनांक 03.12.09 अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार दिनेश, निरंजन व मोनू कुमार द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 112 :-

भूमि खसरा संख्या 244 रकबा 0.572 हे०, 333/0.772 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामलाल, भगवानदीन पुत्रगण मैकू नि० ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/21.09.07 खा०स० 112 से मृतक श्यामलाल के स्थान पर अयोध्या प्रसाद माता प्रसाद पुत्रगण श्यामलाल व श्रीमती ब्रह्मा देवी पत्नी स्व० श्यामलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/24.12.09 खा०स० 112 से मृतक भगवानदीन के स्थान पर राम मनोहर यादव पुत्र भगवानदीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार माता प्रसाद व ब्रह्मा देवी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 119 :-

भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 0.042 हे०, 279/0.026 हे०, 280/0.045 हे०, 281/0.402 हे०, 283/0.017 हे० कुल 0.532 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवबालक, रघुनन्दन पुत्रगण रूस्तम नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रघुनन्दन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

8

खाता संख्या 124 :-

111

भूमि खसरा संख्या 276 रकबा 0.702 हे०, 277/0.010 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरवन कुमार, अवध कुमार, मनोज कुमार पुत्रगण गुरु प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अवध कुमार व मनोज कुमार द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 125 :-

भूमि खसरा संख्या 105 रकबा 0.142 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुन्दरलाल, रामकुमार, हजारी लाल, नन्हकऊ पुत्रगण गजोधर नि० सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/23.06.09 खा०स० 125 से मृतक सुन्दरलाल के स्थान पर राम कुमार, हजारीलाल, नन्हकऊ पुत्रगण गजोधर नि० सेवई का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राम कुमार व नन्हकऊ द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 141 :-

भूमि खसरा संख्या 54 रकबा 0.3230 हे०, 198ब/0.483 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधाकृष्ण अवरथी नि० घुसवलकॅला के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० नगर वाद सं० 452/03.08.07 गाटा सं० 54/0.323 में से 0.253 से श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधा कृष्ण अवरथी का नाम निरस्त करके श्याम किशोर पुत्र राम सिंह नि० दरियाई पुरवा म० हसनपुर जिला बाराबकी का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय शेष रकबे पर विक्रेता का नाम यथावत दर्ज रहने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 480/18.02.08 गाटा सं० 198ब/0.483हे० से श्रीमती विद्यावती पत्नी हीरालाल के स्थान पर ना०त० बिजनौर के आदेश दिनांक 24.04.03के द्वारा वसीयत प्राप्त कर्ता श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी राधा कृष्ण अवरथी का नाम निरस्त करके श्रीमती कुसुम वर्मा पत्नी श्री राम वर्मा नि० छोटा बरहा आलमबाग, लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्याम किशोर द्वारा अपने हिस्से 0.253 हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 144 :-

भूमि खसरा संख्या 298 रकबा 0.058 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती रामकली बेवा शम्भूदयाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1

क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० ११क/१२.१०.०९ खा०रा० १४४ से मृतक श्रीमती रामकली के स्थान पर निर्मला पत्नी शीतला प्रसाद व उर्मिला पत्नी चिन्तमान पुत्रीगण स्व० शम्भूदयाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार निर्मला व उर्मिला द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम सेवई

खाता संख्या २१ :-

भूमि खसरा संख्या ६६ रकबा ०.०१६ हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओरीलाल, विशेश्वर पुत्रगण झब्बा नि० सरथुवा त० मोहनलालगंज श्रीकृष्ण पुत्र दौलत नि० सरथुवा लच्छिमन, किशुन पुत्रगण रामचरन नि० सरथुवा त० मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली १३७३ से श्रेणी १ क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० ११क/१३.०७.०७ खा०स० २०, २१-२२ से मृतक विशेश्वर के स्थान पर अरुण कुमार बा० व विजय कुमार ना०बा० आयु १२ वर्ष सं० कलावती माता पुत्रगण विशेश्वर व श्रीमती कलावती पत्नी स्व० विशेश्वर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार ओरी लाल, अरुण कुमार, श्रीमती कलावती व श्री कृष्ण द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या २२ :-

भूमि खसरा संख्या १९ रकबा ०.२६६ हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओरीलाल विशेश्वर पुत्रगण झब्बा ग्रामवासी श्रीकृष्ण पुत्र दौलत ग्रामवासी लच्छिमन पुत्र रामचरन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली १३७३ से श्रेणी १ क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० ११क/१३.०७.०७ खा०स० २०, २१-२२ से मृतक विशेश्वर के स्थान पर अरुण कुमार बा० व विजय कुमार ना०बा० आयु १२ वर्ष सं० कलावती माता पुत्रगण विशेश्वर व श्रीमती कलावती पत्नी स्व० विशेश्वर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार ओरीलाल, अरुण कुमार व श्रीमती कलावती द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

(109)

खाता संख्या 44 :-

भूमि खसरा संख्या 272 रकबा 0.304 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रपाल पुत्र स्व० भोगनाथ नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रपाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री सुन्दर व राजू द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत कर भुगतान न किये जाने की याचना की गयी है। स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाणित साक्ष्य देने पर प्रतिकर नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 49 :-

भूमि खसरा संख्या 101 रकबा 0.228 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रिका प्रसाद, शिवलाल पुत्रगण शिवदयाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्रिका प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या 136 :-

भूमि खसरा संख्या 190 रकबा 0.558 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगवान बख्श बिल्लू पुत्रगण अंगनू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार भगवान बख्श व बिल्लू द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 138 :-

भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 0.215 हे०, 27/0.114 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती प्रसाद पुत्र बिरजू नि० देवामऊ रामा, देवतादीन पुत्रगण कुन्ने नि० देवामऊ भगवान बख्श बिल्लू पुत्रगण अंगनू नि० ग्रामवासी राजेन्द्र कुमार, रामकुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल नि० घावाहार के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या-929/894/26.06.08 गाटा रा० 17/0.215, 27/0.114 हे० के बकदर भाग से राजेन्द्र कुमार, रामकुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल का नाम निरस्त करके एनासिएन्ट टाऊन प्लानर प्रा० लि० 33 कम्युनिटी सेन्टर न्यू फेण्डस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा नि० 1/76 विपुलखण्ड गोमतीनगर लखनऊ का नाम बतौर

राजमू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/13.05.09 खाता संख्या-138 से मृतक रामा के स्थान पर गुट्टा, कल्लू नन्हकऊ पुत्रगण रामा व श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व० रामा नि० देवागऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार भगवान बख्श व बिल्लू द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीयता को मुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या 176 :-

भूमि खसरा संख्या 282रा रकबा 0.506 हे०, 284/0.068हे०, 286/0.135हे०, 296/0.291हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिठाई लाल, मिश्रीलाल पुत्रगण नगई नि० ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मिठाई लाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 214 :-

भूमि खसरा संख्या 84 रकबा 0.596 हे०, 89/0.375हे० कुल 0.971हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन पुत्र श्रीपाल, भगौती प्रसाद, माता प्रसाद पुत्रगण शिव नरायन ग्रामवासी, चन्द्रिका प्रसाद पुत्र हनोमान, रामचन्द्र पुत्र राजाराम ग्रा० वा० कनेडी पुत्र ओम प्रकाश, ललित कुमार पुत्र ओमप्रकाश, देवीशरन, नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ, श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 883/178/31.05.08 गाटा सं० 84/0.596, 89/0.379हे० से नन्द किशोर पुत्र जगन्नाथ का नाम निरस्त करके मेसर्स सिकरा रियल स्टेट एण्ड डेवलपर्स प्रा० लि० रजि० आफिस, 33 कम्प्यूनिटी सेन्टर न्यू फ्रेड्स कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76 विपुलखण्ड, गोमती नगर लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/7.07.08 खा०सं० 59, 139, 214, 242 से मृतक श्रीमती नन्ही देवी के स्थान पर देवीशरन, नन्दकिशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/18.06.09 खा०सं० 139, 215, 214 से मृतक रामखेलावन के स्थान पर राधेश्याम कमलेश कुमार गौतम कुमार पुत्रगण स्व० रामखेलावन व श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व० राम खेलावन का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार भगौती प्रसाद, रामचन्द्र, नन्दकिशोर, चन्द्रिका प्रसाद व कनेडी, ललित, राधेश्याम, कमलेश व मालती देवी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

8

खाता संख्या 304 :-

भूमि खसरा संख्या 95 रकबा 1.000 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुन्दरलाल, रामकुमार, हजारीलाल, नन्हकऊ पुत्रगण गजोधर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद सं० 224 947/257/23.02.06 गाटा सं० 95/1.000 मा० गु० 68.05 पैसे के बकदर भाग से सुन्दरलाल पुत्र गजोधर का नाम पृथक करके रामरतन पुत्र शीतला प्रसाद निवासी विरैयाबाग म० उत्तरठिया का नाम अन्य सहखातेदारों के साथ बतौर सहखातेदार सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार हजारीलाल व रामरतन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 342 :-

भूमि खसरा संख्या 271 मि० रकबा 0.089 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पुत्तिलाल पुत्र मूलचन्द्र नि० कारेबरन खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 342 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/24.10.05 खा०स० 89.90.342 से मृतक पुत्तिलाल के स्थान पर राजाराम, सन्तोष, लल्लू पुत्रगण स्व० पुत्तिलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 9 :-

भूमि खसरा संख्या 195 रकबा 0.019 हे०, 196/0.051 हे०, 197/0.063 हे० कुल 0.133 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अयोध्या प्रसाद, गंगाराम पुत्रगण रामकिशुन ग्रामवासी रामचरन पुत्र परागी ग्रा०वा० रामगुलाम व रामपाल, रामसागर पुत्रगण बैजनाथ ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अयोध्या प्रसाद, गंगा राम, राम चरन, राम गुलाम, राम पाल व राम सागर द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 10 :-

भूमि खसरा संख्या 263 रकबा 0.551 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अयोध्या प्रसाद गंगाराम पुत्रगण रामकिशुन व रामचरन पुत्र परागी ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार अयोध्या प्रसाद,

8

(106)

गंगाराम व राम चरन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 12 :-

भूमि खसरा संख्या 109 रकबा 0.206 हे०, 110/0.202 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अयोध्या प्रसाद गंगाराम पुत्रगण रामकिशुन, ग्रामवासी श्रीमती निधि गोयल पत्नी अमय कृष्ण नि० 2 पार्कलेन हजरगंज लखनऊ रामचरन पुत्र परागी नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामचरन, अयोध्या प्रसाद व गंगाराम द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या 31 :-

भूमि खसरा संख्या 155 रकबा 0.521 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कल्लू बेचा, राजकुमार पुत्रगण गुरदीन श्रीमती कौशल्या पत्नी गुरदीन नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार कल्लू द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 66 :-

भूमि खसरा संख्या 13 रकबा 0.190 हे०, 14/0.266 हे०, 148/0.228 हे०, 248/0.185 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दिनेश कुमार, कमलेश यादव, संजय यादव, संदीप यादव, रंजीत यादव पुत्रगण राम पाल यादव नि० धावाहार म० सेवई बृजमोहन, राम नारायण, नेपाल कुंवर पुत्रगण तुलसीराम श्रीमती शान्ती देवी पत्नी तुलसीराम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद सं० 764/23.09.07 गाटा सं० 13/0.190, 14/0.266, 148/0.228, 248/0.185 व खात सं० 113 की गाटा सं० 160/0.252 के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसी राम का नाम निरस्त करके राकेश कुमार पुत्र स्व० शीतला प्रसाद नि० कुल्ली खेड़ा म० अहमामऊ का ना सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार नेपाल कुंवर, राम नारायण व श्रीमती शान्ती द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

8

105

खाता संख्या 113 :-

भूमि खसरा संख्या 160 रकबा 0.252 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजमोहन, रामनारायण, नेपाल कुंवर पुत्रगण तुलसीराम श्रीमती शान्ती देवी पत्नी तुलसीराम नि० धावाहार म० सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद सं० 764/23.09.07 गाटा सं० 13/0.190, 14/0.266, 148/0.228, 248/0.185 व खाता सं० 113 की गाटा सं० 160/0.252 के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसीराम का नाम निरस्त करके राकेश कुमार पुत्र स्व० शीतला प्रसाद नि० कुल्ली खेड़ा म० अहमामऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार नेपाल कुंवर द्वारा, राम नारायण व श्रीमती शान्ती द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 167 :-

भूमि खसरा संख्या 273 रकबा 1.357 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंशाराम, हीरालाल, भाईलाल पुत्रगण नन्हें ग्रा० वा० मुल्कराज, चन्द्रपाल, गौतम पुत्र मोतीलाल, श्रीमती राजकुमारी बेवा मोतीलाल नि० ग्रा० के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार गौतम द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 172 :-

भूमि खसरा संख्या 315 रकबा 0.291 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोल्हे पुत्र बल्देव ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/02.02.06 खा०स० 172, 173, 174 से मृतक मोल्हे के स्थान पर श्रंगार सिंह, समर विजय सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रगण मोल्हे व श्रीमती रघुराई देवी पत्नी स्व० मोल्हे नि० चौधरी खेड़ा म०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रंगार सिंह, समर विजय सिंह, धर्मवीर सिंह व श्रीमती रघुराई देवी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 204 :-

भूमि खसरा संख्या 316 रकबा 0.084 हे०, 317/0.084 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम सुमिरन, सुभासू पुत्रगण शत्रोहन, राजू अव० आयु 15 वर्ष, राजेश

ना०बा०, आयु 11 वर्ष राकेश कुमार नाबा० आयु 10 वर्ष पुत्रगण शत्रोहन सं० सावित्री देवी नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०बा० बिजनौर वाद सं० 1054/1143 21-2-10 गाटा सं० 382/0.2890 हे० 317/0.0840 हे० के बकदर भाग से रकबा 0.0736 हे० मा० गु० ख से विक्रेता सुभासु पुत्र शत्रोहन का नाम निरस्त करके क्रेता गणेश शंकर तिवारी पुत्र एस०पी० तिवारी नि० ग्राम व पोस्ट भदरुख तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार राम सुगिरन, श्रीमती सावित्री देवी (राजू, राजेश, राकेश ना०बा०) द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 205 :-

भूमि खसरा संख्या 301 रकबा 0.068 हे०, 306/0.151हे०, 308/0.178हे०, 310/0.085हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम सुगिरन, सुभासु पुत्रगण शत्रोहन नि० ग्राम राजू नाबा० आयु 15 वर्ष, राजेश ना०बा० आयु 11 वर्ष राकेश कुमार ना०बा० आयु 10 वर्ष पुत्रगण शत्रोहन सं० सावित्री देवी नि० ग्राम राममिलन यादव पुत्र मैकूलाल नि० त्रिलोक नगर म० घुसवलकला राम मिलन यादव पुत्र बाबूलाल यादव नि० नया पुरवा म० निजामपुर मड़िगवाँ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार राम मिलन यादव पुत्र मैकू, राममिलन यादव पुत्र बाबूलाल, राम सुगिरन व श्रीमती सावित्री देवी (नाबा० राजू, राजेश व राकेश) द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 220 :-

भूमि खसरा संख्या 114 रकबा 0.042 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामचन्द्र पुत्र राजाराम ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामचन्द्र द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 270 :-

भूमि खसरा संख्या 40 रकबा 0.454हे०, 126स/0.051हे० कुल 0.505हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शान्ती बेवा शिवचरन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती शान्ती द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 272 :-

भूमि खसरा संख्या 240 रकबा 0.018हे०, 243/0.042हे० कुल 0.060हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवमंगल रावत पुत्र कालिका प्रसाद नि० इब्राहिमपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिव मंगल रावत द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 13 :-

भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 0.443 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अलीरजा पुत्र लतीफ पुत्तन रहमत अली पुत्रगण फज्जू व बशीर पुत्र शमशेर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/03.07.07 खा०स० 13 से मृतक बशीर के स्थान पर पीर गुलाम, शाकिर अली पुत्रगण वशीर व वाजिद अली, शाहिद अली, जाहिद अली नाब० आयुष क्रमशः 15, 12, 8 वर्ष सं० अनवरी माँ पुत्रगण शराफत अली व नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना० तह० बिजनौर वाद सं० 871/06.07.09 गाटा सं० 476/0.275हे० में से० 0.013हे० मा०गु० 60 ख से श्रीमती अनवरी पत्नी स्व० शराफत अली व वाजिद अली व शाहिद अली, जाविद अली नाब० पुत्रगण स्व० शराफत अली एवं सं० श्रीमती अनवरी पत्नी शराफत अली नि० सेवई का नाम निरस्त करके अजयविशेन पुत्र आर०पी०एन० मल्ल नि०डी००८/2 पेपर मिल कॉलोनी निशातगंज, लखनऊ व विनय कुमार मिश्रा पुत्र इन्द्रजीत मिश्रा नि० 1342 से आई०एल०डी०ए० कॉलोनी, कानपुर रोड लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार रहमत अली, पीर गुलाम, शाकिर अली, अनवरी व पुत्तन द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 46 :-

भूमि खसरा संख्या 6 रकबा 0.101 हे०, 42/0.147हे० कुल 0.248हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चौहान पुत्र नान्हू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार चौहान द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्रीमती विगला सिंह व अन्य द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर भुगतान रोकने के सम्बन्ध में याचना की गयी है। प्रतिकर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 78 :-

भूमि खसरा संख्या 249 रकबा 0.157 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नानमून पत्नी इलाही बख्श पुत्र पुत्तू ग्रा० वा० अल्ली जिलाई पत्नी शुभान अली पु० पुत्तू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना० तह० बिजनौर वाद सं० 382/03.12.09 गाटा सं० 350/0.202, 368/0.314 हे० के बकदर भाग में से रकबा 0.258 हे० मा० गु० 60 ख से अल्ला जिलाई पुत्र शुभान अली नि० ग्राम का नाम निरस्त करके जय प्रकाश यादव पुत्र दुर्गा प्रसाद यादव नि० शारदा नगर निलमथा लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार नानमून व अल्लाजिलाई द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि पर श्री शेर अली पुत्र ईलाही द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, के निस्तारण के उपरान्त हितबद्ध व्यक्तियों को भुगतान नियमानुसार देय होगा।

खाता संख्या 96 :-

भूमि खसरा संख्या 183 रकबा 0.166 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पीर गुलाम, शाकिर अली पुत्रगण बशीर वाजिद अली नाबा० आयु 11 वर्ष बशीर सं० श्रीमती अनवरी साहिद अली नाबा० आयु 8 वर्ष पुत्र शराफत अली सं० अनवरी पत्नी स्व० शराफत अली, जाहिद नाबा० 6 वर्ष शराफत अली सं० अनवरी माता नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शाकिर अली, अनवीर व पीरगुलाम द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 104 :-

भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 0.101 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बल्देव यादव उर्फ रघुवरजी पुत्र स्व० सिंहासन यादव नि० देवरिया पोस्ट हसुलाही देवरिया तह० व जिला छपरा बिहार व इस्माइल पुत्र साहबदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार इरगाईल द्वारा अपने हिररो की भूमि के सम्बन्ध में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 110 :-

भूमि खसरा संख्या 130/1 रकबा 0.200 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बेचालाल पुत्र हुब्बा ग्रा० वा० के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प० क० 11क/20.08.08 खा० सं० 110, 112, 209 से मृतक बेचालाल के स्थान पर शत्रोहनलाल,

(101)

सालिकराम, प्रेमकुमार उर्फ बजरंग पुत्रगण धनी नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार शत्रोहन, सालिकराम व प्रेमकुमार उर्फ बजरंग द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या 147 :-

भूमि खसरा संख्या 32 रकबा 0.638 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेश चन्द्र पुत्र सालिकराम, शिवप्यारी, पत्नी शत्रोहन लाल नि० घोघनखेड़ा म० बरौली के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार महेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या 150 :-

भूमि खसरा संख्या 120 रकबा 0.208 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महादेव, राम सागर पुत्रगण राम औतार ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/31.07.06 खा०स० 69, 150 से मृतक महादेव के स्थान पर श्रीमती सरोज पत्नी स्व० महादेव नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० आनन्द कुमार द्वारा प०क० 11क/12.08.10 खाता सं० 69, 150 से मृतक श्रीमती सरोज के स्थान पर राम सागर पुत्र राम औतार नि० छठी गली निशातगंज लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामसागर द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या 169 :-

भूमि खसरा संख्या 250 रकबा 0.167 हे०, 259/0.021हे० कुल 0.188हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गो० साईद गो० सलीम, गो० शकील पुत्रगण इमामअली नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार साईद, सलीम व शकील द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 177 :-

भूमि खसरा संख्या 10 रकबा 0.164 हे०, 211/0.365हे० कुल 0.529हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मिहीलाल, अमृतलाल, नन्द किशोर पुत्रगण सरजू ग्रा० वा० के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/27.12.05 खा०स० 177 से मृतक मिहीलाल के स्थान पर अमृतलाल व नन्दकिशोर पुत्रगण स्व० सरजू नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार अमृतलाल व नन्दकिशोर द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 178 :-

भूमि खसरा संख्या 61स रकबा 0.151 हे०, 62स/0.089हे० कुल 0.240हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रज्जनलाल, कुन्दन लाल, मिटाई लाल पुत्रगण हुबलाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रज्जन, कुन्दनलाल, मिटाईलाल व बच्चूलाल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल व रज्जन लाल आदि की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है।

खाता संख्या 189 :-

भूमि खसरा संख्या 201 रकबा 0.202 हे०, 223/0.031हे० व 291/0.253हे० कुल 0.486हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश, हरिश्चन्द्र पुत्रगण चतुरी ग्रा०वा० दुर्गेश प्रसाद पुत्र ओम प्रकाश व श्रीमती मीना कुमारी बेवा ओम प्रकाश नि० सुन्दरखेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश, हरीश चन्द्र व दुर्गेश प्रसाद व मीना कुमारी द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 190 :-

भूमि खसरा संख्या 224 रकबा 0.051 हे०, 225/0.049हे०, 232/0.051हे०, 237/0.059हे०, 239/0.081हे० कुल 0.291हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश, राकेश पुत्रगण चतुरी नि० ग्राम व दुर्गेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश, श्रीमती मीना कुमारी बेवा ओम

प्रकाश नि० सुन्दर खेड़ा म० ग्राम व राजेश कुमार पुत्र गुरदीन नि० सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश, दुर्गेश व मीनाकुमारी व राकेश द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 209 :-

भूमि खसरा संख्या 227 रकबा 0.031 हे०, 228/0.096हे०, 233स/0.017हे० व 238/0.130हे० कुल 0.274हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम कुमार, राम किशोर पुत्रगण शंकर, शत्रोहन सालिकराम पुत्रगण धनीबेचा लाल पुत्र हुब्बा ग्रा० वा० के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद सं० 138/833/06/30.08.07 ग्राम सेवई पर बिजनौर त० व जि० लखनऊ की खतौनी 1395 से 1400फ० के खा० सं० 62 पर अंकित पक० 11क आदेश दिनांक 30.08.91 निरस्त किया जाता है। एवं खतौनी वर्ष 1413-18 फ० के खा०सं० 209, 265, 267 पर अंकित शत्रोहन सालिकराम पुत्रगण स्व० धनी का नाम निरस्त कर शत्रोहन सालिकराम, प्रेमकुमार कुरील उर्फ बजरंग पुत्रगण स्व० धनी नि० ग्राम का नाम जरिये वरासतन अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/20.08.08 ख०सं० 110, 112, 209 से मृतक बेचालाल के स्थान पर शत्रोहन लाल, सालिकराम प्रेमकुमार उर्फ बजरंग पुत्रगण धनी नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार शत्रोहन, सालिकग्राम व प्रेम कुमार द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 242 :-

भूमि खसरा संख्या 90 रकबा 1.159हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामरतन पुत्र शीतला प्रसाद नि० चिरईयाबाग म० उत्तरठिया देवीशरन पुत्र जगन्नाथ नन्ही, देवी पत्नी जगन्नाथ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/07.07.08 खाता संख्या 59, 139, 214, 242 से मृतक श्रीमती नन्ही देवी के स्थान पर देवीशरन, नन्दकिशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामरतन द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 265 :-

भूमि खसरा संख्या 320 रकबा 0.371हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रोहन, सालिकराम पुत्रगण धनी ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी

98

1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद सं० 138/833/06/30.08.07 ग्राम सेवई पर० बिजनौर त० व जिला लखनऊ की खतौनी 1395 से 1400 फ० के खा० सं० 62 पर अंकित प०क० 11क आदेश दिनांक 30.08.91 निरस्त किया जाता है। एवं खतौनी वर्ष 1413-18 फ० के खा० सं० 209, 265, 267 पर अंकित शत्रोहन, सालिकराम पुत्रगण स्व० धनी का नाम निरस्त कर शत्रोहन सालिकराम प्रेम कुमार कुरील उर्फ बंजरग पुत्रगण स्व० धनी नि० ग्राम का नाम जरिये वरासतन अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार शत्रोहन, सालिकराम, प्रेम कुमार द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 268 :-

भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 0.051हे०, 279/0.177हे० कुल 0.228हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रोहन लाल, शिवराम पुत्रगण बट्टी, मनोज कुमार पुत्र गेडीलाल ग्रामवासी के नाम पूर्व रान् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार शिवराम, भूमि खसरा संख्या-279 द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 296 :-

भूमि खसरा संख्या 71 रकबा 0.025हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरजूदेई विघवा कुशहर हनोमान महावीर पुत्रगण कल्लू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/29.06.09 खाता संख्या 296 पर मृतक हनोमान के स्थान पर बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान, मनोज कुमार, मंजीत कुमार पुत्रगण गोविन्द प्रसाद व मृतक महावीर के स्थान पर बाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सरजूदेई द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 234 :-

भूमि खसरा संख्या 165 रकबा 1.239हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामनाथ पुत्र धनी नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामनाथ द्वारा अर्जित भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

बरौली खलीलाबाद

97

खाता संख्या 176 :-

भूमि खसरा संख्या 1917 मि० रकबा 0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परशुराम व शीतल पुत्रगण खुशीराम नि० पिपरी खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार परशुराम व शीतल द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 275 :-

भूमि खसरा संख्या 1580/3 रकबा 0.190 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकू, रामचरन, देवी दयाल पुत्रगण टीका, मेवालाल, राजू पुत्रगण परीदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/27.03.05 खा०स० 275 से मृतक देवी दयाल के स्थान पर मैकू, राम चरन पुत्रगण टीका, मेवालाल, राजू पुत्रगण परीदीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेवालाल व मैकू द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 312 :-

भूमि खसरा संख्या 1831 रकबा 0.088 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेवालाल पुत्र परीदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेवालाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 333 :-

भूमि खसरा संख्या 1596 रकबा 0.266 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश चन्द्र पुत्र बाबू लाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रमेश चन्द्र द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

8

खाता संख्या 404 :-

भूमि खसरा संख्या 1836/4 नि० रकबा 0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामचरन पुत्र टीका नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामचरन द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 413 :-

भूमि खसरा संख्या 1662नि० रकबा 0.443 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलोटन, रामू पुत्र लछिमन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामू द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 430 :-

भूमि खसरा संख्या 1857 रकबा 0.051 हे०, 1859/1/0.007हे०, 1860/0.038हे०, 1862/0.126हे०, 1863/0.063हे०, 1864/0.076हे०, 1865/0.228हे०, 1867/0.025हे०, 1868/0.076हे०, 1869/0.051हे०, 1870/0.063हे०, 1871/0.076हे०, 1872/0.152हे०, 1873/0.063हे०, 1894/0.076हे०, 1895/0.056हे०, 1897/0.101हे०, 1898/0.177हे०, 1899/0.088हे०, 1900/0.101हे०, 1901/0.177हे०, 1903/0.088हे०, 1904/0.354हे०, 1905/0.038हे०, 1906/0.038हे०, 1907/0.013हे०, 1908/0.114हे०, 1909/0.013हे०, 1910/0.139हे०, 1911/0.063हे०, 1866/0.101हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में विशुनदेई पत्नी नान्हू, छंगा पुत्र धरू लालचन्द्र पुत्र नरायन नि० सरथुवा के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार छंगा पुत्र धरू द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 457 :-

भूमि खसरा संख्या 1800 रकबा 0.013 हे०, 1801/0.012हे०, 1802/0.329हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री केशन, राम खिलावन, नन्हकऊ पुत्रगण रुराम नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री कृष्ण, रामखिलावन व नन्हकऊ द्वारा अपने-अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

95

खता संख्या 486 :-

भूमि खसरा संख्या 1629 रकबा 0.341 हे०, 1630/0.063हे०, 1631/0.051हे०, 1634/0.038हे०, 1640/0.025हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती साधना किशवा मोहन व हुब्बा पुत्र हेमराज नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/27.03.05 खा०स० 486 से मृतक हुब्बा के स्थान पर जानकी पत्नी स्व० हुब्बा नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/14.11.05 खा०स० 486, 508, 508, 521 से मृतक श्रीमती जानकी के स्थान पर कल्लू पुत्र हुब्बा नि० ग्राम हाल नि० गाँधीनगर तेलीबाग लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/19.01.09 खाता सं० 304 से मृतक श्रीमती साधना के स्थान पर श्रीमती कलावती पत्नी स्व० परमेश्वर पुत्री मोहन नि० नया पुरवा म० निजामपुर गाड़ोगाव का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार कल्लू द्वारा अपने हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम हरिहरपुर, घुसवलकलॉ, सेवई व बरौलीखलीलाबाद के प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। ग्राम बरौली खलीलाबाद के कतिपय खसरा संख्या-मिंजुमला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को मू०अ०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

Pr 08.02.11

(बाबूलाल श्रीवास)
अण्डर जिलाधिकारी (मू०अ०)
लखनऊ।

मि. प्रिंस म. प्रिंस 08.02.11

उ. शक्ति

Pr
08.02.11

94

Annex 6

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0310)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अग्निनिर्णय आदेश संख्या :-6/2010

1-	वाद संख्या	:	1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	बरौली खलीलाबाद, घुसवलकला, सैंवई, देवामऊ अहमामऊ.
3-	परगना तहसील व जिला	:	लखनऊ ।
4-	अग्निनिर्णय क्षेत्रफल	:	बरौली खलीलाबाद- 21.7843 हे0 ✓ घुसवलकला - 8.45569 हे0 ✓ सैंवई - 20.321895 हे0 ✓ देवामऊ - 1.92845 हे0 ✓ अहमामऊ - 0.174 हे0 ✓ कुल योग - 52.664335 हे0
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	नहीं ।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	:	07.10.2008
11-	अग्निनिर्णय की तिथि	:	26.08.2010 ✓
12-	अग्निनिर्णय की धनराशि	:	280500781-06
13-	पूँजीकृत मूल्य	:	नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14-	अध्याप्ति व्यय	:	नियमानुसार जमा किया जायेगा।

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसों निर्गत की गयी। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित

प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 4950 प्रतिवर्गफुट जिरामें भूमि के प्रातकर के साथ हा साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम राहगति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9(2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये हैं। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबन्ध का विवरण निम्नवत् है :-

(93)

ग्राम बरौली खलीलाबाद

खाता संख्या 56 :-

भूमि खसरा संख्या 1572मि० रकबा 0.468 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कल्लू पुत्र नरायन निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० निजदार द्वारा प०क० 11क/12.03.08 खा०स० 56 से मृतक कल्लू के स्थान पर देवी व बल्देव पुत्रगण कल्लू व श्रीमती छेदाना पत्नी स्व० कल्लू नि०ग्रा० का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 68 :-

भूमि खसरा संख्या 1575/4 रकबा 1.896 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गोपाल कौर पुत्र सरदार लछिमन सिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तह० (न्यायिक) लखनऊ, मु०न० 208/1083/01 भूमि न० 1575/4/1.896 मा०गु० 35-55 से हीरा सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह बहैसियत मुख्तार आम गिनजानिब गोपाल कौर पुत्री लछिमन सिंह का नाम खारिज करके महेन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह व सुखदेव कौर पत्नी हीरा सिंह व जसवीर कौर पत्नी चनन सिंह व बलविन्दर कौर पत्नी मुख्तार सिंह नि० घोघन खेडा मजरा बरौली खलीलाबाद का नाम स०भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

8

भूमि खसरा संख्या 1604/2 रकबा 0.325 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेला ल पुत्र चेताराम नि० हीरा सिंह फार्म बरौली खलीलाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री छोटेला ल द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 212 :-

भूमि खसरा संख्या 1658/1 नि० रकबा 0.038 हे०, 1667/3 रकबा 0.251 हे०, 1667 रकबा 0.076 हे०, 1658/1 रकबा 0.101 हे० कुल 0.466 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बराती व श्रीराम पुत्र गण गुरुदीन नि० घोघन खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 220 :-

भूमि खसरा संख्या 1806 रकबा 0.025 हे०, 1834 रकबा 0.013 हे०, 1835 रकबा 0.012 हे० कुल 0.050 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बदलू पुत्र डोरी निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बदलू द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 222 :-

भूमि खसरा संख्या 1914/7 रकबा 0.379 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में विशेश्वर पुत्र मटरू नि० सरथुवा के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री विशेश्वर द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 233 :-

भूमि खसरा संख्या 1572 नि० रकबा 0.445 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ब्रह्मा पुत्र भोगई नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार सन् 1410 फसली श्रीमान त० मु० न० 234/10-2 भूमि नं० 1572 नि० 1572 नि० 1/5-12 मा० गु० 60 ख से ब्रह्मा पुत्र



निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ का नाम स०भू० दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०तह० दिजनौर द्वारा प०क० 23/5.10.09 खा०सं० पर दर्ज गाटा सं० 1572 मि०/0.445 हे० के स्थान पर शुद्ध 1572 मि०/0.023 तथा खाता संख्या 118 पर दर्ज खा०सं० 1572 मि० 0.023 के स्थान पर 1572 मि० 0.445 दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री ब्रह्मा द्वारा पूर्ण भाग 0.445 हे० भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 246 :-

भूमि खसरा संख्या 1738 मि० रकबा 0.063 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती पुत्र शीतल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री भगौती द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 264 :-

भूमि खसरा संख्या 1581अ रकबा 0.051 हे०, 1581व रकबा 0.228 हे० कुल 0.277 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1400 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री महेन्द्र सिंह द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 285 :-

भूमि खसरा संख्या 1668/1 रकबा 0.379 हे०, 1683/2/0.013, 1689/0.100, 1690/0.177, 1691/0.076, 1692/0.139, 1694/0.076, 1695/0.354, 1696/0.430, 1699/0.139, 1702/0.076, 1703/0.164, 1704/0.076, 1705/0.228, 1707/0.152, 1706/0.139, 1710/1/0.159, 1729/0.253, 1741/0.354, 1763/0.316, 1764/0.291, 1767 मि०/0.215 कुल 4.306 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मातादीन व रागासरे महावीर, खुशीराम पुत्र गण भगवान दीन शंकर व प्यारे, सूरजबली पुत्र गण भवानीदीन, परीदीन पुत्र बेदी मुन्नीलाल, बट्टी पुत्र गण शीतल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार 1411 फ० श्रीमान रा० नि० महोदय जरिए प०क० 11क क्रमांक 4/7.05.03 द्वारा खाता सं० 285 से मृतक शंकर पुत्र भवानी के स्थान पर भारत, हरिश्चन्द्र, दर्शन, प्रेम कुमार पुत्र गण शंकर व श्रीमती भगवानदेई पत्नी स्व० शंकर नि० घोघन खेडा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार 1412

बन्दी पुत्र शीतल के स्थान पर मातादीन, रामासरे, महावीर, खुशीराम पुत्रगण भगवानदान व भारत, हरिश्चन्द्र, दर्शन, प्रेम कुमार पुत्रगण शंकर व श्रीमती भगवान देई पत्नी स्व० शंकर व प्यारे सूरज बन्दी पुत्रगण भवानीदीन व परीदीन पुत्र बेदी मुन्नीलाल पुत्र शीतल नि० द्योछन खेड़ा ग० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री परीदीन द्वारा 1/4 भाग अर्थात् 10765 हे० भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

90

खाता संख्या 318 -

भूमि खसरा संख्या 1921 मि० रकबा 0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजाराम व परीदीन पुत्रगण कुँवर श्रीमती दुर्गादेई बेवा कुँवर नि० अरथुवा के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री राजाराम द्वारा 1/2 भाग एवं श्री परीदीन द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 343 :-

भूमि खसरा संख्या 1788/1 रकबा 1.005 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलखन, रामकुमार, जंगबहादुर, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बाबू लाल, जगन्नाथ, बैजनाथ पुत्रगण जग्गू नि० द्योछन खेड़ा ग० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार २१० नि० विजनौर द्वारा ५०क० ११क/२४.०६.०६ बा०स० ३४३ से मृतक बैजनाथ के स्थान पर धर्मराज व अक्धराम व रामजीत ना०बा० १० वर्ष पुत्रगण बैजनाथ सं० श्रीमती कलावती माता स्वयं व श्रीमती कलावती पत्नी स्व० बैजनाथ नि० द्योछन खेड़ा ग० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुन आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ बाद सं० ११६६/१५२-१८.०६.०८ गाटा सं० १७८८/१ रकबा १-००५ हे० के बकदर भाग से जगन्नाथ पुत्र जग्गू धर्मराज, अक्धराम पुत्रगण स्व० बैजनाथ व श्रीमती कलावती पत्नी स्व० बैजनाथ व रामजीत पुत्र स्व० बैजनाथ ना०बा० द्वारा सं० माता श्रीमती कलावती पत्नी बैजनाथ का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि० बरौली खलीलाबाद का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री रामकुमार द्वारा १/८ भाग एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा १/८ भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1750 रकबा 0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवशंकर पुत्र गुलजारी नि० घौरहा कोठी उस्मानपुर जिला बारांबकी, विजय कुमार पुत्र पन्नालाल नि० उक्त लालता प्रसाद, राजू, गुड्डू पुत्रगण गुरु प्रसाद नि० ग्राम, श्रीमती कान्ती देवी पत्नी मैय्यालाल नि० ग्रा० मुनेश्वर पुत्र गुलजारीलाल, श्रीमती यशोदा देवी वि० फूलचन्द्र कुलदीप ना०बा० आयु 14 वर्ष सं० फूलमती पुत्र रामकुमार, संजय ना०बा० आयु 12 वर्ष सं० फूलमती पुत्र राम कुमार शिवशंकर पुत्र गुलजारीलाल नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1412 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना० तह० बिजनौर वाद सं० 5/2/734/23.08.04 द्वारा गाटा सं० 585/0.063, 600/0.025, 602/0.190, 1012/0.051, 1750/0.253, 744/2/0.253, 911/0.068 लगान 36-50 बकदर भाग से मृतक वसीयत कर्ता फूलचन्द्र पुत्र बचनू व उनकी विधवा अंकित खाते दाखिल श्रीमती यशोदा देवी विधवा फूलचन्द्र का नाम निरस्त करके वसीयत प्राप्तकर्ता श्रीमती सूरजरानी पत्नी अयोध्या प्रसाद व श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी राकेश कुमार नि० गा० ना० 50/220 नौघड़ा कानपुर का नाम सहखातेदार सं० भू० द्वारा वसीयत दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश ना० तह० नगरवाद सं० 18/22.11.06 गाटा सं० 1750/0.253 के बकदर शिवशंकर पुत्र गुलजारीलाल व मुनेश्वर पुत्र गुलजारी व बहैसियत मुख्तारनामाजाग श्रीमती कान्ती देवी बेवा मैयालाल व कुलदीप व संजय ना० बा० पुत्र फूलमती पत्नी रामकुमार व शिवशंकर पुत्र गुलजारीलाल का नाम निरस्त करके श्रीमती अनीता, गुप्ता पत्नी रामायण नि० बरौली खलीलाबाद का नाम सहखातेदार द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अनिलिखित खातेदार सूरजरानी द्वारा 1/12 भाग, विजय लक्ष्मी द्वारा 1/12 भाग व विजय कुमार द्वारा 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 462

भूमि खसरा संख्या 1627मि० रकबा 4.805 हे०, 1661मि०/5.615हे०, 1665/मि०1/4.704हे०, 1836/1मि०/1.265हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखदेव सिंह पुत्र बग्गा सिंह, सुखजीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह व प्रीतम सिंह पुत्र केशर सिंह, हरजीत सिंह कुलदीप सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह, शमशेर सिंह ना०बा० आयु 11 वर्ष, अंगरेज सिंह, गुरु साहब सिंह पुत्रगण जागीर सिंह नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1385 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०तह० बिजनौर वाद सं० 943/820/5.06.09 गाटा सं० 1627मि०/4.805 व खाता सं०253 की गाटा सं० 1661मि०/5.615, 1665/1मि०/4.704, 1836/1मि०/1.265हे० के बकदर भाग से सुखदेव सिंह पुत्र बग्गा सिंह का नाम निरस्त करके सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना० तह० बिजनौर दिनांक 02.07.79 द्वारा आदेश दि० 05.06.09 में आशिक संशोधन करते हुए क्रेता फायर टाउन प्लानर्स

बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा नि० 1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाम रा० भू० द्वारा (88) वैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार द्वारा क्रय की गयी भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 463 -

भूमि खसरा संख्या 1616 रकबा 0.046 हे०, 1642/0.163, 1709/0.291, 1726/0.051, 1743/0.430 हे० कुल 0.980 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सुनीता पत्नी रामचन्द्र, श्रीमती नन्हकई पत्नी फूलचन्द्र नि० नवाबपुरवा, लखनऊ राजकुमारी आयु 12 वर्ष स० पिता स्वयं पुत्री रामनरेश नि० सेवई सतनाम आयु 10 वर्ष स० पिता स्वयं पुत्र मलऊ नि० मझगवाँ मातादीन पुत्र शिवरतन नि० सरसवाँ छंगा लाल पुत्र राम भरोसे, भगौती गरीबे पुत्रगण जियालाल, लंकेश्वर, रामऔतार पुत्रगण मैकू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर प०क० 11क/21.06.05 खाता सं० 463 व 465 से मृतक श्रीमती नन्हकई के स्थान पर गो० ना०भा० आयु 10 वर्ष पुत्र फूलचन्द्र सं० पिता स्वयं नि० नवाबपुरवा लखनऊ का नाम बतौर वारिस अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/26.12.08 खाता सं० 46, 301, 302 से मृतक लंकेश्वर के स्थान पर छंगा व गुड्डू व महेश वा० व कमलेश व ना०भा० आयु से श्रीमती परवाता माता स्वयं पुत्रगण लंकेश्वर व श्रीमती परवाता पत्नी स्व० लंकेश्वर नि० ग्राम व मृतक भगौती के स्थान पर संजय कुमार व हरि ओम व कल्लू पुत्रगण भगौती नि० हुसैनगंज लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामऔतार द्वारा 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 486 -

भूमि खसरा संख्या 1629 रकबा 0.341 हे०, 1630/0.063 हे०, 1631/0.051 हे०, 1634/0.038 हे०, 1640/0.025 हे० कुल 0.518 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती साधना विधवा मोहन व हुब्बा पुत्र हेमराज नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11 का दिनांक 27.03.05 खाता सं० 486 से मृतक हुब्बा के स्थान पर कल्लू पुत्र हुब्बा व श्रीमती जानकी पत्नी स्व० हुब्बा नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/1411-05 खाता सं० 486, 308, 521 से मृतक श्रीमती जानकी के स्थान पर कल्लू पुत्र हुब्बा नि० ग्राम हाल नि० गाँधी नगर तेलीबाग लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर

करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार कलावती द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

87

खाता संख्या 525 :-

भूमि खसरा संख्या 1698 रकबा 0.101 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती ज्ञानवती पत्नी वेद प्रकाश नि० चोद्यन खेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 11 :-

भूमि खसरा संख्या 1582 रकबा 0.341 हे०, 1583/0.215 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार पुत्रगण बाबूलाल, महेंद्र सिंह पुत्र सोहन सिंह नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्री अवधेश द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री रमेश द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग व श्री सुरेश द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 21 :-

भूमि खसरा संख्या 1787/1 रकबा 0.164 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओरीलाल पुत्र झब्बा, अरुण कुमार पुत्र विशेश्वर, विजय कुमार ना०बा० 14 वर्ष स० कलावती (मौ) श्रीमती कलावती पत्नी विशेश्वर नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा अपने हिस्से की पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 30 :-

भूमि खसरा संख्या 1665/3 रकबा 0.759 हे०, 1665/4/0.190 हे०, 1744/0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केदार, जगन्नाथ, बैजनाथ, संतराम पुत्रगण जग्गू सरजूदेइ पत्नी राम नारायन व भगवानदीन पुत्र चेताराम, रूपरानी पत्नी श्रीराम

शिवदेवी पत्नी सत्यनारायन 1 नं० ग्राम का नाम भूमि संख्या 1619/0.253 है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर प०क० 11क 9.12.04 खाता सं० 30, 40, 122 से मृतक बैजनाथ के स्थान पर धर्मराज, अतधराम पुत्र बैजनाथ, रामजीत ना०बा० 10 वर्ष सं० श्रीमती कलावती (मौं) श्रीमती कलावती पत्नी स्व० बैजनाथ नि० घोघनखेड़ा म० ग्राम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० विजनौर द्वारा प०क० 11क/23/23.06.09 खाता 25 पर दर्ज भगवानदीन पुत्र चेताराम के स्थान पर श्रीमती भगवानदेई पत्नी चेताराम दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 24.07.09 खाता सं० 25, 26, 122 पर मृतक भगवानदेई के स्थान पर उषा पत्नी नन्हें पुत्री चेताराम नि० भदरुख का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्री सन्तराम द्वारा अपने हिस्से की 1/9 भाग, श्रीमती सरजूदेई, ऊषा, रूपरानी व शिवदेवी द्वारा अपने हिस्से प्रत्येक 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 44 :-

भूमि खसरा संख्या 1619 रकबा 0.253 हे०, 1624/1/0.025 हे०, 1659/0.189 हे०, 1670/0.278 हे०, 1671/0.139 हे०, 1672/0.126 हे०, 1673/0.291 हे०, 1716/0.152 हे०, 1717/0.089 हे०, 1751/0.190 हे०, 1752/0.240 हे०, 1753/0.215 हे०, 1754/0.430 हे०, 1890/0.783 हे० कुल 3.400 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केसराम पुत्र उल्ल, रामनरेश पुत्र जगदेव, रामदास पुत्र घना, सत्रोहन लाल पुत्र घना श्रीमती शिताला पत्नी नन्हकू पुत्री डोरी श्रीमती सुन्दारा बेवा कल्लू पुत्री डोरी जगदीश पुत्र पितई सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार श्रीमान रा० नि० महोदय जरिए प०क० 11क कर्मांक 33/8.09.04 द्वारा खाता सं० 44 से मृतक रामदास पुत्र घना के स्थान पर राम सिंह पुत्र रामदास व श्रीमती शान्ती पत्नी स्व० रामदास नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/24.06.06 खा०स० 42, 44 से मृतक राम नरेश के स्थान पर श्रीमती विशुनदेई पत्नी स्व० राम नरेश नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ बा० सं० 1163/23.09.08 गाटा सं० 1619/0.253, 1624/1/0.025 हे०, 1659/0.256 हे०, 1670/0.278 हे०, 1671/0.139 हे०, 1672/0.126 हे०, 1673/0.291 हे०, 1716/0.152 हे०, 1717/0.089 हे०, 1751/0.190 हे०, 1752/0.240 हे०, 1753/0.215 हे०, 1754/0.430 हे० कुल 2.694 हे० का 1/6 भाग 0.455 व खाता सं० 298 के गाटा सं० 1611/0.632 का 1/4 भाग 0.152 हे० से सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे का नाम निरस्त करके हुकुमचन्द्र पुत्र होशियार सिंह नि० जतौली हेली मण्डी जिला मुडगाँव का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय। खाते को अन्य सहखोतदारों के नाम यथावत दर्ज रहने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ बा० सं० 1164/23.09.08 गाटा सं०

1/6 भाग व श्रीमती रामावती द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

24

खाता संख्या 157 :-

भूमि खसरा संख्या 1796/1 रकबा 0.228 हे०, 1796/2/0.508 हे०, 1856/0.013 हे०, 1858/0.125 हे०, 1861/0.038 हे०, 1891/0.316 हे०, 1855/2/0.071 हे० कुल 1.299 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नोखे पुत्र मतऊ नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार 110 नि० बिजनौर प०क० 11क दिनांक 20.01.06 खाता सं० 157 पर मृतक नोखे के स्थान पर गोकर्न, लालबहादुर पुत्रगण नोखे व सररेस व मंगलू ना० बा० कमशः 13, 9 वर्ष पुत्रगण अशोक सं० श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी अशोक नि० सरथुआ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्री लालबहादुर द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग, श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग व भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 185 :-

भूमि खसरा संख्या 1758 रकबा 0.202 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती प्यारो पत्नी राम औतार, श्रीमती जशोदा पत्नी सुखई, श्रीमती पारवती पत्नी सोहन लाल, श्रीमती कलावती पत्नी राजाराम नि० बरौना के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है; अभिलिखित खातेदारों में श्रीमती प्यारो ने अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात् 0.0505 हे० व कलावती, जशोदा व पारवती ने 0.1515 हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 206 :-

भूमि खसरा संख्या 1593 रकबा 0.050 हे०, 1626/1/0.468 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती प्यारो पत्नी राम औतार, श्रीमती जशोदा पत्नी सुखई, श्रीमती पारवती पत्नी सोहनलाल, श्रीमती कलावती पत्नी राजाराम नि० बरौना के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्रीमती प्यारो द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्रीमती जशोदा द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्रीमती पारवती द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग व श्रीमती कलावती द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध

में उ०प्र० आवास एवं विकास पारिषद से दर के सम्बन्ध में 14/11/71 गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिफल अभिनिर्णीत किया जाता है।

83

खाता संख्या 218 :-

भूमि खसरा संख्या 1732 रकबा 0.253 हे०, 1733/0.139हे०, 1762/0.316हे०, 1800/1/0.063हे०, 1803/0.076हे० 1804/0.076हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, गंगा प्रसाद, श्यामलाल, पुत्रगण दुर्जन, गरीबे पुत्र परमेश्वर सुरेश ना० बा० आयु 15 वर्ष पुत्र छंगा लाल सं० श्रीमती चन्द्रावती (माँ) रामखिलावन पुत्र कल्लू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद सं० 178/1288/31.10.08 गाटा सं० 1665, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1762, 1800, 1803, 1804 कुल 1.417 हे० बकदर भाग से राम खिलावन पुत्र कल्लू का नाम निरस्त करके शिवप्रसाद पुत्र लाल बहादुर अस्थायी स्थायी पता चिरैयाबाग उत्तरटिया का नाम बतौर सं० भू० बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदारों में श्री बाबूलाल, गंगा प्रसाद, श्यामलाल व सुरेश ना०बा० द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग, श्री गरीबे द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग व श्री शिव प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 223 :-

भूमि खसरा संख्या 1667/2 रकबा 0.126 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बनवारी लाल, बहादुर पुत्रगण मैकू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्री बहादुर द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 261 :-

भूमि खसरा संख्या 1914/5 रकबा 0.379 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुनेश्वर पुत्र पुत्तीलाल नि० सरथुवा, शिशुपाल पुत्र लेखराज नि० राम नगर, आलमबाग लखनऊ राकेश, संजय, कमल पुत्र लेखराज नि० सरथुवा के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना० त० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 23/03.06.09 खाता सं० 140 पर शिशुपाल राकेश संजय के पिता का नाम लेखराज के बजाय पुत्तीलाल पता रामनगर आलमबाग लखनऊ के बजाय सरथुवा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्री मुनेश्वर द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भाग, श्री संजय द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भाग, श्री शिशुपाल द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भाग



व श्री राकेश द्वारा अपना हिस्सा 1/4 भाग हिस्से के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

(82)

खाता संख्या 285 :-

भूमि खसरा संख्या 1668/1 रकबा 0.379 हे०, 1683/2/0.013हे०, 1689/0.100हे०, 1690/0.177हे०, 1691/0.076हे०, 1692/0.139हे०, 1694/0.076हे०, 1695/0.354हे०, 1696/0.430हे०, 1699/0.139हे०, 1702/0.076हे०, 1703/0.164हे०, 1704/0.076हे०, 1705/0.228हे०, 1707/0.152हे०, 1706/0.139हे०, 1710/1/0.159हे०, 1729/0.253हे०, 1741/0.354हे०, 1763/0.316हे०, 1764/0.291हे०, 1767मि०/0.215हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मातादीन व रामआसरे, महावीर, खुशीराम पुत्रगण भगवानदीन शंकर व प्यारे सूरजबली पुत्रगण भवानीदीन, परीदीन पुत्र देवी मुन्नीलाल बट्टी पुत्रगण शीतल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार 1411 फ० श्रीमान रा० नि० महोदय जरिए प०क० 11क क्रमांक 4/07.05.03 द्वारा खाता सं० 285 से मृतक शंकर पुत्र भवानी के स्थान पर भारत, हरिश्चन्द्र दर्शन प्रेमकुमार पुत्रगण शंकर व श्रीमती भगवानदेई पत्नी स्व० शंकर नि० घोघनखेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार 1412 फ० आदेशानुसार श्रीमान रा० नि० महोदय जरिए प०क० 11क क्रमांक 36/16.09.04 द्वारा खाता सं० 285 से मृतक बट्टी पुत्र शीतल के स्थान पर मातादीन, रामआसरे महावीर, खुशीराम पुत्रगण भगवानदीन व भारत, हरिश्चन्द्र दर्शन, प्रेम कुमार पुत्रगण शंकर व श्रीमती भगवानदेई पत्नी स्व० शंकर व प्यारे सूरजबली पुत्रगण भवानीदीन व परीदीन पुत्र बेदी मुन्नीलाल पुत्र शीतल नि० घोघनखेड़ा म० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में प्यारे, सूरजबली, भारत, हरिश्चन्द्र, दर्शन, प्रेमकुमार, भगवानदेई द्वारा 1.0765 हे० भाग व मातादीन, रामआसरे, महावीर व खुशीराम द्वारा 1.0765 हे० भाग एवं मुन्नी लाल द्वारा 1.0765 हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 275 :-

भूमि खसरा संख्या 1580/3 रकबा 0.190 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकू, रामचरन, देवीदयाल पुत्रगण टीकाराम व मेवालाल, राजू पुत्रगण परीदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर प०क० 11क दिनांक 27.03.05 खाता सं० 275 से मृतक देवीदयाल के स्थान पर मैकू, रामचरन पुत्रगण टीकाराम, मेवालाल, राजू पुत्रगण परीदीन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्री रामचरन द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री राजू द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध

में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

(81)

खाता संख्या 313 :-

भूमि खसरा संख्या 1836/4 रकबा 0.267 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेवालाल, राजू पुत्रगण परीदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 के संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार ने श्री राजू द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 332 :-

भूमि खसरा संख्या 1708 रकबा 0.379 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलाल व बृहमा, राजाराम पुत्रगण भोगई नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 के संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 370 :-

भूमि खसरा संख्या 1805 रकबा 0.152 हे०, 1808/0.051हे०, 1809/0.025हे०, 1810/2/0.016हे०, 1823/0.013हे०, 1824/0.076हे०, 1826/0.063हे०, 1827/0.101हे०, 1828/2/0.013हे०, 1829/2/0.132हे०, 1830/1/0.110हे०, 1833/0.051हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधे पुत्र भोला, भूपकुमार पुत्र पुत्तीलाल, दिन्ना पुत्र नारायण, सोहनलाल, मेवालाल पुत्रगण छोटे लाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 के संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर प०क० 11क दिनांक 15.06.09 खाता सं० 123, 129, 179 से मृतक मेवालाल के स्थान पर हरिमजन बालिग, सुखदेव, विशुनदेव ना०बा० आयु क्रमशः 12, 9 वर्ष सं० श्रीमती राघार पत्नी स्व० मेवालाल नि० छोद्यनखेडा म० ग्राम का नाम बतौर धारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। आदेश बहाला खाता सं० 128 पर दर्ज है। अभिलिखित खातेदारों में से भूप कुमार द्वारा 1/6, बुदू द्वारा 1/24 व श्रीमती नन्ही द्वारा 1/24 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 374 :-

भूमि खसरा संख्या 1760 रकबा 0.215 हे०, 1771/0.056हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामदुलारी पत्नी किशन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली

भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में 1944-45 का उ० प्र० आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

80

खाता संख्या 437 :-

भूमि खसरा संख्या 1511 रकबा 0.622 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकऊ, सुन्दारा पत्नी कल्लू, जगदीश पुत्र पितई, सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे, रामदास पुत्र घना, सत्रोहन लाल पुत्र घना नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक रामदास के स्थान पर रामसिंह पुत्र रामदास व श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी स्व० रामदास का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं० 379/23.12.08 गाटा सं० 1611/632 हे० के बकदर भाग में से 0.0126 हे० से श्रीमती सुन्दारा पत्नी स्व० कल्लू का नाम निरस्त करके राममिलन पुत्र नौमीलाल नि० देवामऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री शत्रोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री राम सिंह द्वारा अपने हिस्से की 1/12 भाग, श्रीमती शान्ती द्वारा अपने हिस्से की 1/12 अर्थात् 0.20733 हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 481 :-

भूमि खसरा संख्या 1580/4 रकबा 0.190 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सरजू देई पत्नी रामदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती सरजूदेई द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 484 :-

भूमि खसरा संख्या 1580/2 रकबा 0.746 हे०, 1926/1580/0.181 हे०, 1595/1/0.190 हे० 1598/2/0.755 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखराज व रामनारायण पुत्रगण मोहनलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

भूमि खसरा संख्या 1619 रकबा 0.253 हे०, 1624/1/0.025हे०, 1659/0.189हे०, 1670/0.278हे०, 1671/0.139हे०, 1672/0.126हे०, 1673/0.291हे०, 1716/0.152हे०, 1717/0.089हे०, 1751/0.190हे०, 1752/0.240हे०, 1753/0.215हे०, 1754/0.430हे०, 1890/0.783हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केसराम पुत्र डल्ला, रामनरेश पुत्र जगदेव, रामदास पुत्र घना, शत्रोहनलाल पुत्र घना, श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकू पुत्री डोरी, श्रीमती सुन्दरा बेवा कल्लू पुत्री डोरी जगदीश पुत्र पितई, सुरेन्द्र कुमार पुत्र घशीटे नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नाथब तहसीलदार नगर वाद संख्या 977/90/16.06.10 गाटा संख्या 1619/0.253, 1624/1/0.025, 1659/0.266, 1670/0.278हे०, 1671/0.139हे०, 1672/0.126हे०, 1673/0.291हे०, 1716/0.152हे०, 1717/0.089हे०, 1751/0.190हे०, 1752/0.240हे०, 1753/0.215हे०, 1754/0.430हे० के बकदर भाग से केसराम पुत्र डल्ला का नाम निरस्त करके चन्द्रसेन पुत्र ननकू का नाम दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री चन्द्रसेन द्वारा क्रय की गयी भूमि 0.449हे० के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

✓ खाता संख्या-280

भूमि खसरा संख्या 1656/5 मि० रकबा 1.557 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती मोहनी देवी पत्नी गिरधर सिंह दिलीप सिंह, गंगा सिंह पुत्र कुंवर सिंह, नरायन सिंह पुत्र उदय सिंह निवासी तेलीबाग, श्रीमती आनन्दी देवी पत्नी भूपाल सिंह नेगी नि० 557/2711/75 ओग नगर, आलमबाग, श्रीमती पारवती देवी पत्नी नन्दा वल्लभकाण्ड नि० सम्माड़ी खेत जिला वागेश्वर, उत्तरांचल श्रीमती आशा देवी पुत्री गिरधर सिंह नि० तेलीबाग के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद संख्या 830/5.06.09 गाटा सं० 1656/1.557हे० के बकदर भाग से जीवन सिंह, चरन सिंह पुत्रगण गंगा सिंह व श्रीमती हीरा देवी पत्नी स्व० गंगा सिंह द्वारा मुख्ताराम पुष्पा उपराणी पत्नी चरन सिंह व राजेश यादव पुत्र किशोरी लाल का नाम निरस्त करके गोल्डन आई टाउन प्लानर्स प्रा० लि०, 33 कम्यूनिटी सेन्टर, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा नि० 1/76 विपुल खण्ड गोगती नगर, लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० बिजनौर दिनांक 02.07.09 द्वारा आदेश दिनांक 05.06.09 आंशिक संशोधन करते हुये केता ऐसिएन्ट टाउन प्लानर्स प्रा० लि०, 33 कम्यूनिटी सेन्टर, न्यू फ्रेन्ड कॉलोनी, न्यू दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा नि० 1/76 विपुल खण्ड गोगती नगर, लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा पढा जाय के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार बिन्दा द्वारा 0.474 हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 1 :-

भूमि खसरा संख्या 25 रकबा 0.148 हे०, 31/0.241हे०, 32/0.019हे०, 33/0.093हे०, 36/0.030हे०, 37/0.089हे०, 38/0.356हे०, 43/0.063हे०, 44/0.048हे०, 45/0.134हे०, 35/0.061हे०, 39/0.010हे० कुल 1.342हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन, सहदेव, शत्रोहन पुत्रगण चौहान नि० सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1403 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री अर्जुन द्वारा 1/3 भाग, श्री सहदेव द्वारा 1/3 भाग व श्री शत्रोहन द्वारा 1/3 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

78

खाता संख्या 23 :-

भूमि खसरा संख्या 250 रकबा 0.728 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्धई पुत्र पराग उमेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण श्रीकृष्ण नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री उमेश कुमार द्वारा 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 38 :-

भूमि खसरा संख्या 421 रकबा 0.350 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दुलारे, श्रीकृष्ण, रज्जन पुत्रगण गुरु प्रसाद, दशरथ सिंह अव०आयु 16 वर्ष पुत्र राधे सं० श्रीकृष्ण (चाचा) के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रज्जन द्वारा 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 54 :-

भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 0.747 हे०, 225/1.567हे०, 369/0.022हे०, 370/0.035हे०, 372/0.049हे०, 373/0.025हे०, 375/0.219हे० कुल 2.664 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजलाल, अयोध्या प्रसाद पुत्रगण चेतई, महेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण नेवाजीलाल श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्यामलाल चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरी लाल, मायादेवी पत्नी रामवरूप नि० जयसिंह खेडा के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री अयोध्या प्रसाद द्वारा 1/4 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 69 :-

भूमि खसरा संख्या 403 रकबा 0.031 हे०, 404/0.551हे०, 405/0.272 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेश पुत्र भगवानदीन नि० डिप्टीगंज हस्तिहरपुर के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री महेश द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

77

खाता संख्या 81 :-

भूमि खसरा संख्या 212 रकबा 0.018 हे०, 290/0.114हे०, 291/0.063हे०, 322/0.013हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राकेश कुमार, सुजीत कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण बैजनाथ, जगदम्बा प्रसाद जगतनारायण पुत्रगण राम औतार नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री राकेश कुमार द्वारा 1/6 भाग, श्री सुनील कुमार द्वारा 1/6 भाग व श्री सुजीत कुमार द्वारा 1/6 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 104 -

भूमि खसरा संख्या 157 रकबा 0.011 हे०, 317/0.052हे०, 318/0.026हे०, 327/0.175हे०, 328/0.036हे०, 329/0.056, 330/0.071हे०, 493/0.057हे० कुल 0.484हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामेश्वर, रामसेवक पुत्रगण हनोमान नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1379 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामसेवक द्वारा 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 154 :-

भूमि खसरा संख्या 367 रकबा 0.115 हे०, 368/0.197हे०, 371/0.025हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भुइयादीन पुत्र तेजा नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री भुइयादीन द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 6 :-

भूमि खसरा संख्या 239 रकबा 0.126 हे०, 301/0.455हे०, 436स/0.152हे०, 437/0.114हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, सतेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण राम स्वरूप श्रीमती रामकली विधवा शम्भूदयाल ग्रामवासी रामकुमारी पत्नी शिव ललित, आनन्द कुमार नि० ग्रामवासी राम कुमार पुत्र कृष्ण कुमार मु० शकुन्तला पत्नी स्व० कृष्ण कुमार नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 16.02.07 खाता सं० 5.6.7 से मृतक रामकली के स्थान पर निर्मला पत्नी शीतला प्रसाद व उर्मिला पत्नी चित्रमान पुत्री शम्भू दयाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश ना०त० बिजनौर के आदेश दिनांक 06.02.07 वाद के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। पुनः आदेश तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या 56/97/1149/30.01.10 गाटा सं० 301/0.455 हे० के बकदर आं रकबा 0.152 हे० से विकेता आनन्द कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद का नाम निरस्त करके केता अंजनी कुमार तिवारी पुत्र हरि नारायण तिवारी नि० ग्राम व पोस्ट करोरा तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/6.02.07 खाता सं० 5.6.7 से मृतक रामकली के स्थान पर निर्मला पत्नी शीतला प्रसाद व उर्मिला पत्नी चित्रमान, शम्भूदयाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० बिजनौर दिनांक 30.05.07 द्वारा रा० नि० बिजनौर के आदेश दिनांक 06.02.07 वाद के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। अभिलिखित खातेदार श्री अवधेश द्वारा 0.05294हे०, श्रीमती उर्मिला व श्रीमती निर्मला द्वारा 0.21175हे० भाग, श्री आनन्द कुमार द्वारा 0.05975हे० भाग, श्री अंजनी कुमार तिवारी द्वारा 0.152हे० भाग, श्री सतेन्द्र, श्री देवेन्द्र, श्री रामकुमार व शकुन्तला द्वारा 0.15881 हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 7 :-

भूमि खसरा संख्या 435 रकबा 0.304 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, सतेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण रामस्वरूप राम कुमारी पत्नी शिव ललित, रामकली विधवा शम्भू दयाल राकेश कुमार, सुजीत कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण वैजनाथ, जगदम्बा प्रसाद, जगतनारायण, पुत्रगण औतार नि० ग्रा० वा० आनन्द कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद ग्रामवासी रामकुमार पुत्र कृष्ण कुमार मु० शकुन्तला पत्नी स्व० कृष्ण कुमार, सुनील कुमार पुत्र नौमीलाल, लवकुश ना० बा० 10 वर्ष पुत्र पुत्र नौमीलाल सं० मु० प्रेमा माता स्वयं प्रेमा पत्नी स्व० नौमीलाल नरेन्द्र कुमार ना०बा० आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम संरक्षक प्रेमा

पत्नी स्व० राधेश्याम व प्रेमा पत्नी स्व० राधेश्याम, काशी प्रसाद बाबूलाल पुत्रगण सूचना 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 16.02.07 खा० सं० 5,6,7 से मृतक रामकली के स्थान पर निर्मला पत्नी शीतला प्रसाद व उर्मिला पत्नी चित्रमान पु० शम्भूदयाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ता० त० बिजनौर दिनांक 30.05.07 द्वारा रा० नि० बिजनौर के आदेश दिनांक 06.02.07 बाद के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है। अभिलिखित खातेदार श्री अवधेश कुमार द्वारा 1/32 भाग, निर्मला द्वारा 1/16 भाग, उर्मिला द्वारा 1/16 भाग, सुनील कुमार द्वारा 1/48 भाग श्रीमती प्रेमा द्वारा 1/48, लवकुश ना०बा० द्वारा सं० माता श्रीमती प्रेमा द्वारा 1/48 भाग, काशी द्वारा 1/24 भाग, बाबूलाल द्वारा 1/24 भाग, विलासा द्वारा 1/24 भाग, राकेश द्वारा 1/24 भाग, सुजीत द्वारा 1/24 भाग, सुनील द्वारा 1/24 जगदम्बा द्वारा 1/16 भाग, जगत नरायन द्वारा 1/16 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 8 :-

भूमि खसरा संख्या 182 रकबा 0.423 हे०, 299/0.326 हे०, 305/0.025 हे० कुल 0.774 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार पुत्र राम स्वरूप, राम कुमार पुत्र कृष्ण कुमार मु० शकुन्तला पत्नी स्व० कृष्ण कुमार सतेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण राम स्वरूप नि० ग्रा० के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार डिप्टी कलेक्टर (राजस्व) लखनऊ वाद सं० 14/21/08-09/15.10.08/18.02.09 धारा 176 गाटा सं० 256/2 10-0174 गा० गु० 0.43 व 435/1/0.0095 गा० गु० 0.24, 299/0.326, 182/2/0.423, 305/0.025 हे० कुल 0.774 हे० गा० गु० 33-42 लाल रंग पर अवधेश कुमार पुत्र रामस्वरूप नि० ग्राम का नाम दर्ज हो तथा गाटा सं० 256/1/0.1216 गा० गु० 3-02 व 435/2 10-2945 गा० गु० 7-26 से व गाटा सं० 17/0.050, 20/0.030, 21/0.048, 22/0.025, 23/0.052, 24/0.202, 42/0.046, 182/1/0.701, 184/1.093 अभिलिखित खातेदार श्री अवधेश द्वारा 0.774 हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 14 :-

भूमि खसरा संख्या 431स रकबा 0.006 हे०, 432स/0.153 हे०, 433स/0.113 हे०, 434स/0.044 हे०, 506स/0.003 हे०, 391/0.082 हे०, 409/0.200 हे०, 444/2.187 हे०, 446/0.018 हे०, 447/1.197 हे०, 456/0.202 हे०, 457/0.010 हे०, 459/0.039 हे०, 464/0.104 हे०, 465/0.068 हे०, 484/0.371 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम प्रकाश, नन्हा, राम

श्री तल्लन द्वारा अपने हिस्से की 1/15 अर्थात 0.3198 हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

73

खाता संख्या 20 :-

भूमि खसरा संख्या 108 रकबा 0.349 हे०, 352मि०/0.076हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुमार, रामजीत, हरिश्चन्द्र पुत्रगण मुइयादीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री कृष्ण कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग अर्थात 0.14167हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 25 :-

भूमि खसरा संख्या 2083 रकबा 0.026 हे०, 208व/0.147हे०, 362/0.112हे०, 364/0.102हे०, 365/0.135हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में काशी प्रसाद, बाबूलाल पुत्रगण सूर्यबली नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री काशी प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग व श्री बाबू लाल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 60 :-

भूमि खसरा संख्या 150 रकबा 0.739 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबादीन पुत्र कालिका ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 33.60 से मृतक बाबादीन के स्थान पर कृपाशंकर पुरुषोत्तमलाल पुत्रगण बाबादीन नि० ग्राम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार न्यायालय अपर उपजिलाधिकारी सदर लखनऊ वाद सं० 115/07-08 धारा 166/167 उ०प्र० ज०वि०अधि० सरकार बनाम अंजनी कुमार तिवारी ता० फँ० 26.08.09 ग्राम धुसवलकलों की गाटा सं० 150/0.759 हे० के बकदर भाग से रकबा 0.0696हे० से कृपा शंकर पुत्र बाबादीन नि० ग्राम नाम निरस्त होकर समस्त भार बन्धन से मुक्त होकर राज्य सरकार के पक्ष में निहित की जाय। (द्वारा आदेश प्रति) पुनः आदेशानुसार ना० तह० बिजनौर वाद सं० 301/26.09.09 गाटा सं० 150/0.739 हे० में से रकबा 0.012हे० मा० गु० 60 ख से पुरुषोत्तम पुत्र स्व० बाबादीन नि० ग्राम का नाम निरस्त करके

खाता संख्या 92 :-

भूमि खसरा संख्या 307 रकबा 0.831 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामरतन पुत्र भगवानदीन नि० ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/07.02.08 खाता सं० 92 से मृतक रामरतन के स्थान पर उमेशचन्द्र, मुकेश चन्द्र, अजय कुमार, प्रदीप कुमार, चन्द्रहास पुत्रगण स्व० रामरतन व श्रीमती मैका देवी पत्नी स्व० रामरतन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री अजय कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग अर्थात् 0.1385 हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 94 :-

भूमि खसरा संख्या 273अ रकबा 0.074 हे०, 163/0.035हे०, 263/0.114हे०, 264/0.298हे०, 265/0.094हे० कुल 0.615हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामशंकर पुत्र जंगली नि० ग्राम छोटेला पुत्र रामदास नि० ग्राम दिवाकर रावत पुत्र राम कुमार नि० कुण्डराकला के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश बहवाला खाता संख्या-93 पर दर्ज है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क/15.06.07 खाता सं० 27, 32, 33, 34, 94, 133 से मृतक छोटेला के स्थान पर प्रकाश, सुखदेव, मुरारी वंशीलाल पुत्रगण छोटेला नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री मुरारी द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग अर्थात् 0.05125हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 96 :-

भूमि खसरा संख्या 411 रकबा 0.116 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामशंकर, अशोक पुत्रगण गजोधर, राजीव कुमार, राममिलन, पवन कुमार पुत्रगण कल्हू प्रसाद मु० सुखराना देवा कल्हू प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री अशोक द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री राजीव कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री पवन कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री राम मिलन द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, सुखराना द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, व श्री राम शंकर द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात् 0.029हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं

खाता संख्या 97 :-

भूमि खसरा संख्या 121 रकबा 0.417 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसजीवन, पवन कुमार पुत्रगण ईश्वरदीन, श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्व० ईश्वदीन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क/10.03.08 खाता सं० 97 से गृहक रामराजीवन के स्थान पर नितिग, अभिषेक ना०बा० आयु कमशः 6 व 5 वर्ष रा० रामकुमारी माँ पुत्रगण रामसजीवन व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० रामसजीवन नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 124 :-

भूमि खसरा संख्या 276 रकबा 0.702 हे०, 277/0.010 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरवन कुमार अवध कुमार मनोज कुमार पुत्रगण गुरु प्रसाद नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री श्रवण (सरवन) द्वारा अपने हिस्से की 1/3 अर्थात् 0.23734 हे० भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 146 :-

भूमि खसरा संख्या 359 मि० रकबा 0.247 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती विशुन देवी पत्नी सुन्दर सिंह कमल सिंह भण्डारी नि० एल०-9ए जेल रोड चारबाग लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1411 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती विशुन देवी द्वारा अपने हिस्से की 1/2 व श्री कमल सिंह द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 153 :-

भूमि खसरा संख्या 357 मि० रकबा 0.063 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दिनेश पुत्र लक्ष्मी नारायन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1410 से श्रेणी 2 क असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री दिनेश द्वारा पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में

ग्राम रोड

69

खाता संख्या 12 :-

भूमि खसरा संख्या 109 रकबा 0.206 हे०, 110/0.202 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अयोध्या प्रसाद गंगाराम पुत्रगण राम किशुन ग्रा०वा० श्रीमती निधी गोयल पत्नी अभय कृष्ण नि०-2 पार्क लैन हजरतगंज, लखनऊ रामचरन पुत्र परागी नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री निधी गोयल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि अर्थात् 0.204 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 43 :-

भूमि खसरा संख्या 48 रकबा 0.253 हे०, 80/0.516 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गंगाराम पुत्र लाला ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री गंगाराम द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 53 :-

भूमि खसरा संख्या 198 रकबा 0.332 हे० कुल 0.332 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र औसान ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री छोटेलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 62 :-

भूमि खसरा संख्या 21 रकबा 0.366 हे०, कुल 0.366 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दोस्त अली, लियाकत अली, अब्बास अली व हजरत अली पुत्रगण

मोहम्मद का नाम निरस्त करके गाँव अबरार पुत्र अब्दुल गफ्फार नि:0 तलाबाग बाजार खारका लखनऊ का नाम बतौर सं:0 भू:0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री मो:0 अबरार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ:0प्र:0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा। (68)

खाता संख्या 72 :-

भूमि खसरा संख्या 202 रकबा 0.346 हे:0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्द किशोर पुत्र पंचम नि:0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री नन्द किशोर द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ:0प्र:0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 86 :-

भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 0.249 हे:0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परीदीन पुत्र खुशाल ग्रामवारी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री परीदीन द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ:0प्र:0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 114 :-

भूमि खसरा संख्या 159 रकबा 0.269 हे:0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजमोहन पुत्र तुलसी राम नि:0 घावाहार सेवई व राजेश कुमार यादव पुत्र विहारी लाल नि:0 मेन्डुशारासाय बेलदार लालबाग लखनऊ व प्रेमसागर उर्फ नन्हकऊ पुत्र धूरु प्रसाद यादव नि:0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना:0त:0 विजयनगर ना:0 सं:0 662/06 माटा सं:0 159/0.269 हे:0 मा:0 गु:0 60 स्व के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसीराम नि:0 ग्राम घावाहार सेवई का नाम निरस्त करके जनार्दन प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद यादव नि:0 शारदा नगर निलगथा लखनऊ का नाम सहखातेदार बतौर सं:0 भू:0 द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री

व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

67

खाता संख्या 121 :-

भूमि खसरा संख्या 82 रकबा 0.263 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूराम, राम कुमार पुत्रगण केदार व गोमती पुत्र ब्रह्मा व श्रीमती राजरानी पत्नी स्व० ब्रह्मा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बाबूराम, श्री राम कुमार, श्री गोमती, श्रीमती राजरानी द्वारा अपने हिस्से की भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकवाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीयण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वाभित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 122 :-

भूमि खसरा संख्या 65 रकबा 0.164 हे०, 67/0.008हे०, 68/0.025हे०, 81/0.046हे०, 85/0.220हे० कुल 0.463हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूराम व राम कुमार पुत्रगण केदार व गोमती पुत्र ब्रह्मा व श्रीमती राजरानी पत्नी स्व० ब्रह्मा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बाबूराम, श्री राम कुमार, श्री गोमती, श्रीमती राजरानी द्वारा अपने हिस्से की भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकवाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीयण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वाभित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 123 :-

भूमि खसरा संख्या 158 रकबा 1.026 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, ओम प्रकाश पुत्रगण भोगनाथ व गुरुदेव पुत्र इन्द्रपाल नि० घावाहार मजरा सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1395 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बाबूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग, श्री ओम प्रकाश द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग, श्री गुरुदेव द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर

खाता संख्या 133 :-

भूमि खसरा संख्या 200 रकबा 0.209 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगवानदीन पुत्र जियालाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री भगवानदीन द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु 3090 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 142 :-

भूमि खसरा संख्या 138 रकबा 0.347 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भोगनाथ पुत्र पितम्बर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार 210 नि० बिजनौर द्वारा 4090 11क/18.06.09 खाता संख्या 142 से मृतक भोगनाथ के स्थान पर इन्द्रपाल यादव व बाबूलाल यादव व जगमोहन यादव व ओम प्रकाश यादव पुत्रगण स्व० भोगनाथ का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री बाबूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री जगमोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री ओमप्रकाश द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग व श्री इन्द्रपाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात् कुल 0.334 हे० भाग भूमि हेतु 3090 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 144 :-

भूमि खसरा संख्या 209 रकबा 0.254 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनीराम, मलखान पुत्रगण मथुरा नि० घावाहार म० सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क सक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री मनीराम द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग, श्री मलखान द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेतु 3090 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

भूमि राजस्व अभिलेखों में महावीर पुत्र जियालाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री महावीर द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा। (65)

खाता संख्या 179 :-

भूमि खसरा संख्या 53 रकबा 0.405 हे०, 96/0.759हे० कुल 1.164 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रज्जोदेई पुत्र सोहन ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रज्जोदेई द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 193 :

भूमि खसरा संख्या 136 रकबा 0.437 हे०, 267/0.457हे०, 5/0.618हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजेन्द्र कुमार, राम कुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री राम कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री सुरेश कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री राम प्रताप द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात् कुल 1.512हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामकुमार द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग व श्री राम किशोर द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 231 :-

भूमि खसरा संख्या 210 रकबा 0.236 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम नरेश, राम मिलन पुत्रगण दुलारे ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री राममिलन द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग अर्थात् 0.118हे० भाग भूमि हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 240 :-

भूमि खसरा संख्या 79 रकबा 0.534 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामपाल, शिवरतन पुत्रगण छेदा ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद सं० 401/162/13.11.09 गाटा सं० 79 रकबा 0.534 हे० के बकदर भाग रकबा 0.267 हे० गा० गु० 60 ख से विक्रेता रामपाल पुत्र छेदा का नाम निरस्त करके क्रेता वानू पुत्र टीकाराम नि० ग्राम बरौली खलीलाबाद परगना विजनाौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बीतार सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री शिवरतन द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग अर्थात् 0.267हे० भाग भूमि हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलेखित खातेदार श्री तुलसीराम द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग अर्थात् 0.552 हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 261 :-

भूमि खसरा संख्या 166 रकबा 1.191 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्यामादेवी यादव पत्नी सूरजपाल यादव नि० पिपसौली प्रताप पुत्र रामदीन नि० ग्रामके नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) लखनऊ वाद सं० 501/789/28.02.06 गाटा सं० 166/1.201 का बकदर प्रताप पुत्र रामदीन का नाम खारिज करके श्री भगवान पुत्र स्व० जमुना प्रसाद नि० छोटा बरहा आलमबाग शहर लखनऊ का नाम बतौर सहखातेदार सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) दि० 17.04.06 द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा एक पक्षीय आदेश दि० 28.02.06 आंशिक संशोधन करते हुए विक्रीत भूमि सं० 166 में विक्रेता के साथ क्रेता श्री भगवान का नाम बतौर सहखातेदार सं० भू० दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० विजनौर वाद सं० 239/30.01.08 गाटा सं० 166/1.201 में से 0.0953 से प्रथम विक्रेता प्रताप पुत्र स्व० रामदीन एवं द्वितीय विक्रेता विनोद कुमार यादव पुत्र स्व० बाबूलाल यादव का नाम निरस्त करके श्रीमती राजकुमारी पत्नी रामसनेही यादव नि० 555ज/2 गेहदी खेड़ा गानकनगर, आलमबाग लखनऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री भगवान द्वारा अपने हिस्से की 0.506 हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 251 :-

भूमि खसरा संख्या 318 रकबा 0.178 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में लल्लू सिंह यादव पुत्र रामलाल यादव नि० चिरईबाग शिवरतन पुत्र मेडई नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री लल्लू सिंह द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग अर्थात् 0.089 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 263 :-

भूमि खसरा संख्या 145 रकबा 1.378हे०, 181/0.333हे० कुल 1.711हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्याम सुन्दर श्री कृष्ण पुत्रगण नीलकण्ठ ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा फ० क० 11क/13.07.07 खाता रा० 30, 263, 264 से मृतक श्यामसुन्दर के स्थान पर बुद्धू पुत्र श्यामसुन्दर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बुद्धू द्वारा अपने हिस्से की 1/2 अर्थात् 0.8175हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

(62)

खाता संख्या 269 :-

भूमि खसरा संख्या 235 रकबा 0.264 हे०, 236/0.051हे० कुल 0.315हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शंकर, गनेशी, नान्हू, नन्हकऊ पुत्रगण घूरू नि० जवाहिर खेड़ा ग० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1386 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री शंकर, श्री गनेशी, श्री नान्हू व नन्हकऊ प्रत्येक द्वारा अपने हिस्से के 1/4 भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 288 :-

भूमि खसरा संख्या 194 रकबा 0.196 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सन्तू पुत्र जियालाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री सन्तू द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 299 :-

भूमि खसरा संख्या 33 रकबा 0.202 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखदीन पुत्र पितम्बर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1385 से श्रेणी 1 क

कुमार, दिलीप कुमार पुत्रगण सालिकराम व श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व० सालिकराम नि०गण धावाहार म० सेवई का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री रामकिशन द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग, सुशील कुमार द्वारा 1/24, दिलीप कुमार द्वारा 1/24, सुमित्रा द्वारा 1/24 अर्थात् 0.1257हे० व बिटाना द्वारा पूर्ण भाग का 1/6 भाग अर्थात् 0.1257हे० भाग कुल 0.2514हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अग्निनिर्णीत किया जाता है। अग्निनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 318 :

भूमि खसरा संख्या 112 रकबा 0.152 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में सालिकराम, शंकर, गनेश, नान्हू, नन्हकऊ पुत्रगण धूरू, बिटाना विधवा ठाकुर ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आइओ में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा ५०क० 11क/24.01.09 खाता सं० 315, 316, 317, 318 से मृतक सालिकराम के स्थान पर रामकिशन, सुशील कुमार, दिलीप कुमार पुत्रगण सालिकराम व श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व० सालिकराम नि०गण धावाहार म० सेवई का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री रामकिशन द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग, सुशील कुमार द्वारा 1/24, दिलीप कुमार द्वारा 1/24, सुमित्रा द्वारा 1/24, व बिटाना द्वारा अपने हिस्से का अर्थात् कुल रकबा 0.05066हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अग्निनिर्णीत किया जाता है। अग्निनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 324 :

भूमि खसरा संख्या 24 रकबा 0.089 हे०, 25/0.076हे०, 26/0.239हे० कुल 0.403हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में श्री कृष्ण पुत्र रघुबीर रूपचन्द्र पुत्र शम्भू ग्रा० वा० तुलसीराम पुत्र पॉचू नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आइओ में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा ५०क० 11क/06.10.06 खाता सं० 323, 324 पर मृतक श्रीकृष्ण के स्थान पर सन्तराम पुत्र श्रीकृष्ण व श्रीमती प्यारा पत्नी स्व० श्रीकृष्ण नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा ५०क० 11क/21.09.07 खाता सं० 323, 324 से मृतक श्रीमती प्यारा के स्थान पर सन्तराम पुत्र श्री कृष्ण नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित

है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें (59) विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 338 :-

भूमि खसरा संख्या 276/3 रकबा 0.126 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीराम पुत्र मेडी लाल ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1389 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री राम द्वारा 0.126हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 1 :-

भूमि खसरा संख्या 212 रकबा 0.874 हे०, 137अ/0.410हे०, 137ब/0.084हे०, 188/1.681हे०, 145/0.112हे० कुल 3.161हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन, सहदेव, शत्रोहन पुत्रगण चौहान ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1374, 1373, 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री अर्जुन द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग, श्री सहदेव द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग व श्री शत्रोहन द्वारा 1/3 भाग अर्थात् 3.049हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 2 :-

भूमि खसरा संख्या 132/1 रकबा 0.253 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अर्जुन सिंह, सहदेव सिंह, शत्रोहन सिंह पुत्रगण चौहान नि० घावाहार अशोक कुमार, राजकरन, दिनेश कुमार, जगदीश पुत्रगण नत्था सिंह नि० जियामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री अर्जुन द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री सहदेव द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री शत्रोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग अर्थात् 0.1265हे० व राजकरन द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री दिनेश द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री जगदीश द्वारा अपने हिस्से की 1/8 का 3/8 भाग अर्थात् 0.094875हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर

खाता संख्या 29 :-

58

भूमि खसरा संख्या 164 रकबा 0.785 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कल्लू पुत्र गैकू ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री कल्लू द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 30 :-

भूमि खसरा संख्या 179 रकबा 0.092 हे०, 186/0.089हे०, 218/0.354हे०, 219/0.253हे०, 220/0.298हे०, 222/0.190हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कल्लू पुत्र गैकू व श्याम सुन्दर व श्रीकृष्ण पुत्रगण नीलकंठ व अर्जुन सहदेव, शत्रोहन पुत्रगण चौहान धूरू पुत्र सालिक राम ग्रामवासी के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० विजनौर द्वारा 40क० 11क /13.07.07 खाता सं० 30, 263, 264 से मृतक श्याम सुन्दर के स्थान पर बुद्धू पुत्र श्याम सुन्दर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा 40क० 11क/29.06.09 खाता सं० 130 पर मृतक धूरू के स्थान पर रामकिशन, सुशील कुमार, दिलीप कुमार पुत्रगण सालिकराम व श्रीमती सुमित्रा पत्नी सालिकराम, शंकर, मनेश, नान्हु, नन्हकऊ पुत्रगण धूरू व श्रीमती बिटाना पत्नी स्व० ठाकुर नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश-अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री कल्लू द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री बुद्धू द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, श्री अर्जुन द्वारा अपने हिस्से की 1/9 भाग, श्री सहदेव द्वारा अपने हिस्से की 1/9 भाग, श्री शत्रोहन द्वारा अपने हिस्से की 1/9 भाग, श्री शंकर द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, श्री मनेश द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, श्री नान्हु द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, श्री नन्हकऊ द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, आर्थत 0.87705हे० व बिटाना द्वारा अपने हिस्से की 1/54 अर्थात् 0.02192हे० श्री राम किशन द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, श्री सुशील द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, श्री दिलीप द्वारा अपने हिस्से की 1/54 भाग, श्री सुमित्रा द्वारा अपने हिस्से की 1/54 का 1/13 भाग अर्थात् 0.0877हे०, श्री कृष्ण द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग अर्थात् 0.19733हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

भूमि खसरा संख्या 27b रकबा 0.0474 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल पुत्र सियाराम, जगदेव, वासदेव, रूपदेव पुत्रगण पूर्वोदीन व श्रीमती कलाशा पत्नी स्व० पूर्वोदीन नि० ग्राम व श्रीमती कलावती पत्नी छत्रपाल नि० नवाब पुरवा गोमती नगर लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती कलावती द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग अर्थात् 0.158हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 66 :-

भूमि खसरा संख्या 13 रकबा 0.190 हे०, 14/0.266हे०, 148/0.228हे०, 248/0.185हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री दिनेश कुमार, कमलेश कुमार यादव, संजय यादव, संदीप यादव, रंजीत यादव, पुत्रगण रामपाल यादव बृजमोहन, रामनरायन, नेपाल कुँवर पुत्रगण तुलसीराम श्रीमती शान्ती देवी पत्नी तुलसीराम नि० धावाहार म० सेवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० विजयनौर वाद सं० 764/23.09.07 गाटा सं० 13/0.190, 14/0.266, 148/0.228, 248/0.185 व खाता सं० 113की गाटा सं० 160/0.252 के बकदर भाग से बृजमोहन पुत्र तुलसीराम का नाम निरस्त करके राकेश कुमार पुत्र स्व० शीतला प्रसाद नि० कुल्ली खेड़ा म० अहमगऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित करने के आदेश दर्ज है। अभिलिखित खातेदार श्री दिनेश द्वारा अपने हिस्से की 1/10भाग, श्री कमलेश द्वारा अपने हिस्से की 1/10 भाग, श्री संजय यादव द्वारा अपने हिस्से की 1/10 भाग, श्री संदीप द्वारा अपने हिस्से की 1/10 भाग, श्री रंजीत यादव द्वारा अपने हिस्से की 1/10 भाग अर्थात् 0.4345 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 68 :-

भूमि खसरा संख्या 123 रकबा 0.222 हे०, 121/0.284हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में धर्मराज, रामरूप, रामजस पुत्रगण लालता ग्रामवासी रामसतीश पुत्र लालता नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 रो श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामरूप द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग, श्री रामजस द्वारा अपने हिस्से की

खुशीराम द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की याचना की गयी है। खुशीराम द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर भुगतान रोकने की याचना की गयी है। अग्निनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा। (56)

खाता संख्या 69 :-

भूमि खसरा संख्या 9 रकबा 0.291 हे०, 11/0.266 हे०, 12/0.354 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में धर्मराज, रामरूप, रामजस, पुत्रगण लालता, महादेव रामसागर, पुत्रगण रामऔतार ग्रामवासी रामसतीश पुत्र लालता नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क /31.07.06 खाता सं० 69, 150 रो गृतक महादेव के स्थान पर श्रीमती सरोज पत्नी स्व० महादेव नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामरूप द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री रामजस द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग, श्री रामसतीश द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग अर्थात् 0.34163 हे० श्री धर्मराज द्वारा अपने हिस्से की 1/8 अर्थात् 0.11388 हे० भाग, श्री रामसागर द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात् 0.22775 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अग्निनिर्णीत किया जाता है। अग्निनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 70 :-

भूमि खसरा संख्या 161 रकबा 0.164 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में धर्मराज, रामरूप, रामजस, रामसतीश पुत्रगण लालता ग्रामवासी नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार, श्री रामरूप, श्री रामजस, श्री रामसतीश व श्री धर्मराज द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अग्निनिर्णीत किया जाता है। अग्निनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 71 :-

भूमि खसरा संख्या 122 रकबा 0.223 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अगिलेखों में धर्मराज, रामरूप, रामजस, रामसतीश पुत्रगण स्व० लालता प्रसाद नि० धावाहार नि० रोवई के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है।

आधार पर प्रतिकर अग्निनिर्णीत किया जाता है। अग्निनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

(55)

खाता संख्या-97 :

(55)

भूमि खसरा संख्या 244/0.316हे०, 245/0.058हे० कुल 0.467हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में फूलचन्द्र, रामलखन, नन्हकऊ पुत्रगण गयाप्रसाद, परशुराम, विन्देश कुमार पुत्रगण राधेलाल नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क /20.11.07 खाता सं० 97 से मृतक परशुराम के स्थान पर गंजीत संदीप ना० वा० कमरा 13, 7 वर्ष सं० श्रीमती रूपरानी माँ पुत्रगण परशुराम श्रीमती रूपरानी पत्नी स्व० परशुराम नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 20.08.08 खाता सं० 97 से मृतक फूलचन्द्र के स्थान पर सन्तोष कुमार लालजी दिनेश कुमार धर्मेन्द्र कुमार पुत्रगण स्व० फूलचन्द्र व श्रीमती शान्ती देवी पत्नी फूलचन्द्र नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री सन्तोष, लालजी, दिनेश कुमार, धर्मेन्द्र कुमार व शान्ति देवी द्वारा प्रत्येक ने अपने हिस्से की 1/4 भाग, अर्थात् 0.0935हे० व विन्देश कुमार व रूपरानी द्वारा प्रत्येक ने अपने हिस्से की 1/4 भाग अर्थात् 0.0935हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अग्निनिर्णीत किया जाता है। अग्निनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम देवागऊ

खाता संख्या 9 :-

भूमि खसरा संख्या 189 रकबा 0.102 हे०, 152/0.386हे०, 189व/0.169हे०, 190/0.073हे० कुल 0.730हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गुरुप्रसाद पुत्र रमई नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री गुरुप्रसाद द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में

खाता संख्या 13 :-

(54)

भूमि खसरा संख्या 125 रकबा 0.556 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चन्द्रपाल पुत्र भोगनाथ व हनोगान प्रसाद पुत्र मेढीलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1390 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री चन्द्रपाल द्वारा अपने हिस्से की 2/3 भाग अर्थात् 0.3707 हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 26 :-

भूमि खसरा संख्या 155 रकबा 0.087 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परसाद पुत्र गैकू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 27.12.08 खाता सं० 26 से मृतक परसाद के स्थान पर नन्हकऊ पुत्र परसाद व श्रीमान छेदाना पत्नी परसाद व मंगेश ना० बा० 16 वर्ष पुत्र रामलखन सं० श्रीमती छेदाना नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री नन्हकऊ द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग व श्री मंगेश द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 47 :

भूमि खसरा संख्या 142 रकबा 0.680 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गैकूलाल व नौमी लाल पुत्रगण मोती नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 21.08.07 खाता सं० 47, 48 से मृतक नौमीलाल के स्थान पर राममिलन, रामसमुझ, रामनरेश, सरवन, विनोदकुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 3.07.08 खाता सं० 47, 48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी रव० नौमीलाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामसमुझ द्वारा अपने हिस्से की भूमि 0.5667 हे० हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के

भूमि खसरा संख्या 126 रकबा 0.180 हे०, 159/0.001 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंगल, नन्द, औरान पुत्रगण छदा व राजेश सुरेश पुत्रगण परभू व रामदास, रामलाल पुत्रगण टीका व सत्य नरायन पुत्र हीरालाल व रामलाल, रामदास पुत्र टीका व भगवानदीन पुत्र जोधा व बदलू पुत्र हेमराज व रामपाल, राजकुमार, सम्पति कुमार पुत्रगण परीदीन नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 29.05.07 खाता सं० 49, 93 पर मृतक सत्य नरायन के स्थान पर श्रीमती रामादेवी पुत्री सत्यनरायन पत्नी राम किशुन नि० पकरवा खेडा ग० गऊ तह० मोहनलालगंज का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 29.05.07 खाता सं० 49 पर मृतक रामपाल के स्थान पर देशराज वयरक, विक्रम, विककी, अवयरक आयु कमश 17 व 13 वर्ष रा० बदाला (माता) पुत्रगण रामपाल व श्रीमती बदाला पत्नी रामपाल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार रा० नि० विजनौर द्वारा प०क० 11क 21.08.07 खाता सं० 49, 50 पर मृतक मंगल के स्थान पर हीरालाल, सूरजबली पुत्रगण मंगल व श्रीमती छवीला पत्नी मंगल नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री राजेश व श्री सुरेश द्वारा अपने हिस्से की भूमि 0.00905हे० हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। श्री अरुण कुमार पाल द्वारा भुगतान रोकने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 64 :-

भूमि खसरा संख्या 219 रकबा 0.037 हे०, 239/0.164 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामआधार पुत्र बली नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामअधार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 73 :-

भूमि खसरा संख्या 170 रकबा 0.225 हे०, 203/0.187 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामस्वरूप व रामेश्वर पुत्रगण संकटू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामेश्वर द्वारा अपने

का मुग्तान स्वागित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 87 :-

52

भूमि खसरा संख्या 128 रकबा 0.013 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवबालक, रघुनन्दन पुत्रगण रोस्तम गुरुप्रसाद पुत्र रमई नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री गुरुप्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग अर्थात् 0.0065 हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 95 :-

भूमि खसरा संख्या 160/248 रकबा 0.058 हे०, 178/0.016 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखमीलाल पुत्र जोधा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क० 11क 29.05.07 खाता सं० 95, 97 पर मृतक सुखमीलाल के स्थान पर रामलाल, शिवलाल, शेषलाल पुत्रगण सुखमीलाल व रमदेई पत्नी सुखमीलाल का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामलाल, शिवलाल, शेषलाल व श्रीमती रमदेई द्वारा अपने हिस्से की भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 97

भूमि खसरा संख्या 200 रकबा 0.020 हे०, 204/0.038 हे०, 221/0.051 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीकृष्ण पुत्र सरजू नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीकृष्ण द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 105

भूमि खसरा संख्या 168 रकबा 0.678 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवाराम पुत्र जगेश्वर प्रसाद, कालिका प्रसाद पुत्र परमेश्वर अनिल कुमार पुत्र शत्रोहन श्रीमती परमेश्वरी पत्नी गंगाप्रसाद नि० ग्राम शिवममल, मनेश कुंवर बहादुर, मनोहरलाल

किशुन व श्रीमती सुखरानी पत्नी किशुन का नाम निरस्त करके वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र राम किशन वर्मा
 गि० एल० 1/111 विनय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नमा बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित (51)
 किये जाने के आदेश दर्ज है। अगिलिखित खातेदार श्री सियाराम द्वारा अपने हिस्से की 1/9 भाग व
 श्री ताराचन्द्र द्वारा अपने हिस्से की 1/15 भाग अर्थात् 0.12053 हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं
 विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता
 है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अगिलिखित
 व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम अहगागऊ

खाता संख्या 552

भूमि खसरा संख्या 1145 रकबा 0.097 हे०, 1156/0.025हे०, 1157/0.052हे० भूमि
 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री चन्द्र पुत्र दुलारे गि० ग्राम के नाम पूर्व
 सन् फसली 1384 से श्रेणी 2 क असांक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अगिलिखित खातेदार श्री चन्द्र द्वारा
 पूर्ण भाग भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध
 के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रतिकर देय होगा।

ग्राम बरौलीखलीलाबाद व धुरावल कलौ व रौवई, देवागऊ व अहगागऊ के प्राप्त हुये
 समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वागित्त्व की
 पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय
 होगा। ग्राम बरौली खलीलाबाद के कतिपय खसरा संख्या-मिजुगला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है।
 अतः पर्याप्त साक्ष्य व जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी
 प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित
 कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ०३१० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ
 अनुमन्य नहीं होगा।

[Signature]
26-00-10

(बाबूलाल श्रीवास)
 अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
 लखनऊ।

24 अगस्त 2010 26-00-10

को 35 अगस्त 2010 26-00-10

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

		अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 5/2010	(5)
1-	वाद संख्या	: 1/2010	
2-	ग्राम का नाम	: बरौली खलीलाबाद, घुसवलकलां	
3-	परगना तहसील व जिला	: लखनऊ ।	
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	: बरौली खलीलाबाद- 27.383348 हेक्टेयर । घुसवल कलां - 2.6595 हेक्टेयर । योग - 30.042848 हेक्टेयर।	
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	: नहीं ।	
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	: सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना	
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	: 17/07/2004	
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	: 30/9/2006	
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	: 05/12/2007	
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	: 07.10.2008	
11-	अभिनिर्णय की तिथि	: 09.06.2010	
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	: बरौली खलीलाबाद- 14,58,49,188-27 घुसवल कलां - 1,41,65,028-80 योग - 16,00,14,217-07	
13-	पूँजीकृत मूल्य	: नियमानुसार जमा किया जायेगा।	
14-	अध्याप्ति व्यय	: नियमानुसार जमा किया जायेगा।	

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रु0 49.50 प्रतिवर्गफुट

जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9(2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये हैं। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम बरौली खलीलाबाद

खाता संख्या 13 :-

भूमि खसरा संख्या 1613 रकबा 0.316 हे०, 1617 रकबा 0.006 हे० कुल रकबा 0.322 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार व प्रमोद कुमार पुत्रगण शीतला प्रसाद व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी शीतला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद व केशव प्रसाद पुत्रगण गुरुप्रसाद निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री अशोक कुमार द्वारा 1/9 व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी शीतला प्रसाद द्वारा 1/9 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 46 :-

भूमि खसरा संख्या 1768 रकबा 0.278 हे०, 1778 रकबा 0.063 हे०, 1781 रकबा 0.051 हे०, 1774 रकबा 0.056 हे०, 1776 रकबा 0.051 हे०, 1782/2 रकबा 0.266 हे०, 1779 रकबा 0.101 हे० कुल 0.866 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केदार, जगन्नाथ, बैजनाथ, संतराम पुत्रगण जग्गू व सरजूदेई, भगवानदेई, रूपरानी पुत्रीगण लालादास, शिवदेवी पत्नी सत्यनारायण निवासी धोधनखेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक बैजनाथ के स्थान पर धर्मराज, अक्धराम बा०, रामजीत ना० बा० 10 वर्ष पुत्रगण बैजनाथ सं० श्रीमती कलावती पत्नी स्व० बैजनाथ निवासी धोधनखेड़ा का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक भगवानदेई के स्थान पर श्रीमती ऊषा पत्नी नन्हें पुत्री चैतराम निवासी भदरूख का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री धर्मराज द्वारा 1/36, श्री अक्धराम द्वारा 1/36, श्री रामजीत द्वारा 1/36, श्रीमती कलावती द्वारा 1/36 व श्री जगन्नाथ द्वारा 1/9 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 89 :-

भूमि खसरा संख्या 1606/1 रकबा 0.262 हे०, 1606/2 रकबा 0.262 हे०, 1641 रकबा 0.569 हे० कुल 1.093 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती गीतारावत पत्नी



रामखेलावन, छेदा पुत्र रामनाथ, विनोद पुत्र रामनाथ, श्रीमती शिवराजा पत्नी रामनाथ, परसादी पुत्र दुर्गा, सुदामा पुत्र शीतल, सन्तराम पुत्र पितम्बर, सुखलाल पुत्र पितम्बर, हनोमान पुत्र पितम्बर, विजय कुमार व शिवकुमार पुत्रगण ईश्वरीदास, सोहनलाल पुत्र शीतल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक सुखलाल के स्थान पर श्यामलाल, राममिलन पुत्रगण सुखलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी सुखलाल नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री छेदा द्वारा 1/24, श्री विनोद द्वारा 1/24, श्रीमती शिवराजा द्वारा 1/24, श्री विजय द्वारा 1/32, श्री राममिलन द्वारा 1/48 व श्री सन्तराम द्वारा 1/16 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 131 :-

भूमि खसरा संख्या 1667/4 रकबा 0.114 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जियालाल व कन्घई पुत्रगण दुलारे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री कन्घई पुत्र दुलारे द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 137 :-

भूमि खसरा संख्या 1604/1 रकबा 0.250 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्शन सिंह, हीरा सिंह, चन्नन सिंह, मुख्तार सिंह पुत्रगण महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 161 :-

भूमि खसरा संख्या 1913/1 रकबा 0.632 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नन्द किशोर पुत्र शिव नारायण व राम किशोर, जय सिंह पुत्रगण हीरा लाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1402 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 183 :-

भूमि खसरा संख्या 1574 रकबा 0.329 हे०, 1644/रकबा 0.481 हे०, 1645/रकबा 0.114 हे०, 1588/रकबा 0.354 हे०, 1589/रकबा 0.038 हे०, 1643/रकबा 0.316 हे०, 1663/रकबा 0.065 हे० कुल 1.697 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पूरनदास, मुनेश्वर पुत्रगण साहेबदीन, श्रीमती मायादेवी पत्नी नन्दकिशोर, श्रीमती आशादेवी पत्नी मेवालाल निवासी छोटी जुगौली सैदापुर मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में

आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 1086/343/दिनांक 19.05.07 गाटा संख्या 1644/0.481 व 1645/0.114, 1643/0.316, 1663/0.065 के बकदर भाग से पूरनदास, मुनेश्वर पुत्रगण साहेब दीन का नाम निरस्त करके भिखू पुत्र रूस्तमलाल वर्तमान नि० 254 चन्द्र लोक अलीगंज, लखनऊ एवं स्थाई निवासी शिवगढ़ जिला-फतेहपुर के नाम सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश तहसील सदर लखनऊ वाद संख्या-1162/दि० 23.09.08 गाटा संख्या-1574/0.329, 1588/0.354, 1589/0.038 हे० से पूरनदास व मुनेश्वर पुत्रगण साहेबदीन व श्रीमती मायादेवी पत्नी नन्द किशोर व श्रीमती आशादेवी पत्नी मेवालाल का नाम निरस्त होकर किशोर पुत्र लक्ष्मण नि० पवाता तहसील राजगढ़ जिला-अलवर, राजस्थान का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री किशोर द्वारा कय किये गये खसरा संख्या-1574/0.329, 1588/0.354, 1589/0.038 हे० कुल 0.721 हे० भूमि तथा अवशेष खसरा संख्या 1644/0.481, 1645/0.114, 1643/0.316 व 1663/0.065 हे० के अभिलिखित खातेदारों में श्रीमती मायादेवी द्वारा 1/3 व श्रीमती आशा देवी द्वारा 1/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 194 :-

भूमि खसरा संख्या 1921 स रकबा 0.759 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रसाद पुत्र लाला, राम विलास, सूरज बली पुत्रगण सोहन निवासी सरथुआ के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार नगर वाद संख्या 182/864/दि० 21.10.08 गाटा संख्या 1921/0.759 हे० के बकदर भाग से राम विलास पुत्र सोहन का नाम निरस्त करके श्यामलाल पुत्र मिश्रीलाल नि० विरूरा का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश न० 10/10 नगर मु० नं० 1/83/2/78-31.01.05 गा० नं० 1921 सं० /0.759 के बकदर भाग से गिफेता सूरजबली पुत्र सोहन का नाम गारिज करके केता पूर्णमासी पुत्र स्व० गुरु प्रसाद नि० विरूरा का नाम सं० भू० सहखातेदार द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश न० 10 बिजनौर वाद संख्या-640/688/12.04.07 ग० सं० 1921स /0.759 के बकदर भाग से प्रसाद पुत्र लल्लू द्वारा मुख्तारे आम राजेश कुमार मिश्र पुत्र जगजीवन मिश्र का नाम निरस्त करके श्रीमती उमा अग्रवाल पत्नी विनोद कुमार अग्रवाल नि० रथीन्द्र नगर, तेलीबाग, लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्रीमती उमा अग्रवाल 1/2 भाग श्री श्यामलाल 1/4 भाग व श्री पूर्णमासी द्वारा 1/4 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 227 :-

भूमि खसरा संख्या 1653 रकबा 0.322 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बलराम, रामफेर पुत्रगण धनीराम नि० भठन खेड़ा मजरा गौरा तहसील मोहनलालगंज के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक लखनऊ वाद संख्या 402/07.04.03 द्वारा गाटा संख्या 1653 रकबा 0.322 हे० से

बलराम, रामफेर पुत्रगण स्व० धनीराम का नाम निरस्त करके अरुण कुमार पुत्र गदनगोहन का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 1161/दि० 23.09.08 गाटा संख्या 1653/0.322 हे० से अरुण कुमार पुत्र गदन गोहन का नाम निरस्त करके हुकुम चन्द्र पुत्र होशियार सिंह का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री हुकुम चन्द्र द्वारा क्रय की गयी सम्पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 247 :-

भूमि खसरा संख्या 1921 मि रकबा 0.126 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भीखा पुत्र छेदा नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा सम्पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 257 :-

भूमि खसरा संख्या 1799/1 रकबा 4.077 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनप्रीत सिंह ना०वा० आगु 3 वर्ष पुत्र इन्द्रजीत सिंह संरक्षक स्वयं व जगजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह सं० सरदार हजारा सिंह परवावा नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1397 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 978/18.07.08 गाटा संख्या 1799/1 हे० 4.077 हे० के बकदर भाग 0.7725 हे० से जगजीत सिंह पुत्र स्व० कुलदीप सिंह का नाम निरस्त करके सौरभ त्रिपाठी पुत्र जे०के० त्रिपाठी नि० ए 25 शाहीपुर कालोनी, आर०के० पुरी, ग्वालियर नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 979/18.07.08 गाटा संख्या 1799/1 हे० 4.077 हे० के बकदर भाग 0.759 हे० से जगजीत सिंह पुत्र स्व० कुलदीप सिंह का नाम निरस्त करके रिषभ पाण्डे पुत्र आर०पी० पाण्डे नि० के० 814, आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 980/18.07.08 गाटा संख्या 1799/1 हे० 4.077 हे० के बकदर भाग में से 0.507 हे० व गाटा संख्या 1665/9 मि०/2.023 हे० से जगजीत सिंह पुत्र स्व० कुलदीप सिंह का नाम निरस्त करके सन्तोष त्रिपाठी पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी नि० बी-58 से० जे० रेलनगर, आशियाना, लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार न्यायालय जनपद न्यायाधीश लोक अदालत वाद संख्या 95/2009 मनप्रीत सिंह द्वारा बहन कु० किरनदीप कौर बनाम सरदार हजारा सिंह ता०फै० 13.09.09 कु० किरनदीप कौर को अव्यस्क मनप्रीत सिंह के शरीर व सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। अभिलिखित खातेदार सौरभ त्रिपाठी, रिषभ पाण्डे व कु० किरनदीप अपने अंश भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 260 :-

भूमि खसरा संख्या 1892/2 रकबा 0.126 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकू पुत्र घसीटे नि०ग्राम बिरुरा के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 267 :-

भूमि खसरा संख्या 1618/1 रकबा 0.144हे०, 1618/2 रकबा 0.145हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोतीलाल पुत्र गनेसी कैलाश पुत्र रामआसरे नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एव परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक मोतीलाल के स्थान पर सियाराम पुत्र मोतीलाल व श्रीमती रुन्दारा पत्नी स्व० गोतीलाल का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा अपने अपने पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 272 :-

भूमि खसरा संख्या 1575/3 रकबा 1.896 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती मन्जीत कौर पत्नी महेन्द्र सिंह नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1388 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 274 :-

भूमि खसरा संख्या 1575/2 रकबा 1.896 हे० में से 1.456हे०, 1587/2 रकबा 0.367हे०, 1584 रकबा 0.266हे०, 1585 रकबा 0.038हे० कुल 2.127हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेन्द्र सिंह पुत्र सोहनसिंह के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० विजनौर मु०सं० 368/28.01.03 भूमि नं० 1575/2 हे० 0.440हे० से महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह का नाम प्रथक करके भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री आशुतोष माथुर महाप्रबन्धक एवं परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ का नाम दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री महेन्द्र सिंह द्वारा खसरा संख्या 1575/2 रकबा 0.728हे०, 1587/2 रकबा 0.367हे०, 1584 रकबा 0.266हे० व 1585 रकबा 0.038हे० कुल 1.399हे० भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त भूमि के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में श्री विवेक कुमार पुत्र श्री आर०पी०पी० गुप्ता निवासी 1/86 सेक्टर एल, कानपुर रोड, लखनऊ द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुये किसी अन्य पक्ष को भुगतान न किये जाने का अनुरोध किया गया है। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त प्रतिकर देयता का निर्धारण किया जायेगा।



खाता संख्या 326 :- ✓

44

भूमि खसरा संख्या 1775 रकबा 0.177 हे०, 1784 रकबा 0.266हे०, 1785 रकबा 0.278हे०, 1755 रकबा 0.215हे०, 1765 रकबा 0.278हे०, 1773 रकबा 0.158हे०, 1777 रकबा 0.266हे० व 1783/1 रकबा 0.316हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजाराम व बाबूलाल पुत्रगण घनेवा, श्रीमती गौरा पत्नी रामपाल, रामपाल पुत्र बदलू निवासी फिरंगीखेड़ा मजरा सालेह नगर के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 1165/222/18.08.08 गाटा संख्या 1775/0.177हे०, 1784/0.266हे०, 1785/0.278, 1755/0.215, 1765/0.278, 1773/0.158, 1777/0.266, 1783/1/0.316, के बकदर भाग से राजाराम, बाबूलाल पुत्रगण घुनू का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि० बरौली खलीलाबाद का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 367 :- ✓

भूमि खसरा संख्या 1713 रकबा 0.202 हे०, 1722 रकबा 0.417हे०, 1723 रकबा 0.190हे०, 1724 रकबा 0.089हे० कुल 0.898हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधे पुत्र भोला, भूप कुमार पुत्र पुत्तिलाल, चिन्ना पुत्र नरायन व सोहनलाल पुत्र छोटेलाल व मेवालाल पुत्र छोटेलाल नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर मु० नं० 343/20.01.03 खतौनी 1404 से 1409 के खाता संख्या 313 रकबा 0.898 मा०गु० 41-45 व खाता संख्या-315 रकबा 0.803 मा०गु० 023-75 बकदर भाग से वसीयत कर्ता चिन्म पुत्र नरायन का नाम प्रथक करके वसीयत प्राप्त कर्ता चन्द्रिका पुत्र हरिशचन्द्र नि० निलगथा व सोहन लाल पुत्र छोटे लाल नि० बरौली खलीलाबाद का नाम सं० भू० दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश रा० नि० बिजनौर प०क०-11क 15.06.09 खाता संख्या-128, 129, 179 से मृतक मेवालाल के स्थान पर हरिमजन बालिग सुखदेव, विशुनदेव ना०बा० आयु कमशः 12, 9 वर्ष सं० श्रीमती राधा माता स्वयं पुत्रगण मेवालाल व श्रीमती राधा पत्नी स्व० मेवालाल नि० घोघन खेड़ा म० ग्राम का नाम वारिस दर्ज होने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश ना० त० बिजनौर वाद संख्या-1282/200/09.09.09 खाता संख्या-128 गाटा संख्या-1713-0.202 हे० व 1722-0.417 हे० व 1723-0.190, 1724-0.089 कुल 4 किता रकबा 0.898 के बकदर भाग व खाता 129 गाटा संख्या-1805/0.152, 1808/0.051, 1809/0.025, 1810/2/0.016, 1823/0.013, 1824/0.076, 1826/0.063, 1827/0.101, 1828/2/0.013, 1829/2/0.132, 1830/1/0.110, 1833/0.051 कुल 12 किता रकबा 0.803 हे० का बकदर भाग से सोहनलाल व मेवालाल पुत्रगण छोटेलाल नि०ग्रा० व मृतक मेवालाल के स्थान पर रा० नि० द्वारा बिजनौर प०क०-11/दि० 15.06.09 के तहत दर्ज वारिस हरिमजन बालिग व सुखदेव विशुनदेव ना०बा० कमशः 12, 9 वर्ष सं० माता स्वयं राधा पुत्रगण मेवालाल व राधा पत्नी मेवालाल व चन्द्रिका पुत्र हरिशचन्द्र नि० ग्राम का नाम निरस्त करके चन्द्रसेन पुत्र नन्हकूलाल नि० ग्राम का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा तथा खाते के अन्य सहखातेदार यथावत दर्ज रहेंगे के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्र सेन पुत्र नन्हकूलाल द्वारा अपने हिस्से की 2/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 370 :- ✓

भूमि खसरा संख्या 1805 रकबा 0.152 हे०, 1808 रकबा 0.051 हे०, 1809 रकबा 0.025 हे०, 1810/2 रकबा 0.016 हे०, 1823 रकबा 0.013, 1824 रकबा 0.076, 1826 रकबा 0.063 हे०, 1827 रकबा 0.101 हे०, 1828/2 रकबा 0.013, 1829/2 रकबा 0.132 हे०, 1830/1 रकबा 0.110 हे०, 1833 रकबा 0.051 हे० कुल 0.803 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राधे पुत्र भोला भूप कुमार पुत्र पुत्तीलाल चिन्ना पुत्र नरायन पुत्र नरायन, सोहन लाल, मेवालाल पुत्रगण छोटे लाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर द्वारा प०क०-11 क/15.06.09 खाता संख्या-128, 129, 179 से मृतक मेवालाल के स्थान पर हरिभजन बालिग, सुखदेव, विशुनदेव ना०बा० आयु कमशः 12, 9 वर्ष सं० श्रीमती राधा पत्नी स्व० मेवालाल नि० घोघन खेड़ा म०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश ना० त० बिजनौर वाद संख्या-1282/200/09.09.09 खाता संख्या-128 गाटा संख्या-1713-0.202 हे० व 1722-0.417 हे० व 1723-0.190, 1724-0.089 कुल 4 किता रकबा 0.898 के बकदर भाग व खाता 129 गाटा संख्या-1805/0.152, 1808/0.051, 1809/0.025, 1810/2/0.016, 1823/0.013, 1824/0.076, 1826/0.063, 1827/0.101, 1828/2/0.013, 1829/2/0.132, 1830/1/0.110, 1833/0.051 कुल 12 किता रकबा 0.803 हे० का बकदर भाग से सोहनलाल व मेवालाल पुत्रगण छोटे लाल नि०ग्राम व मृतक मेवालाल के स्थान पर रा० नि० द्वारा बिजनौर प०क०-11/दि० 15.06.09 के तहत दर्ज वारिस हरिभजन बालिग व सुखदेव विशुनदेव ना०बा० कमशः 12, 9 वर्ष सं० माता स्वयं राधा पुत्रगण मेवालाल व राधे पत्नी मेवालाल व चन्द्रिका पुत्र हरिशचन्द्र नि० ग्राम का नाम गिरस्त करके चन्द्रसेन पुत्र नन्हकूलाल नि० ग्राम का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा तथा खाते के अन्य राहखातेदार यथावत दर्ज रहेगें के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार चन्द्र सेन पुत्र नन्हकूलाल द्वारा अपने हिस्से की 2/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 373 :-

भूमि खसरा संख्या 1841/2 रकबा 0.002 हे०, 1842 रकबा 0.051 हे०, 1843/1 रकबा 0.123 हे०, 1844/2 रकबा 0.025 हे०, 1846/1 रकबा 0.044, 1847/1 रकबा 0.044, 1848 रकबा 0.009 हे०, 1849/2 रकबा 0.050 हे०, 1850/1 रकबा 0.018 कुल 0.366 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामकिशोर पुत्र अयोध्या, रामचन्द्र, रामकुमार, श्यामकुमार पुत्रगण पराग, कुंजन, श्रीपाल, साहेबदीन पुत्रगण देवी, बजरंग पुत्र पुत्तीलाल, दिनेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री रामचन्द्र द्वारा 1/21, श्री रामकुमार द्वारा 1/21, श्री श्यामकुमार द्वारा 1/21, श्री बजरंग द्वारा 1/7, श्री दिनेश द्वारा 1/7, श्री रामकिशोर द्वारा 1/7 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

१

खाता संख्या 405 :-

भूमि खसरा संख्या 1628 रकबा 0.304 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामदीन पुत्र भरोसे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 409 :-

भूमि खसरा संख्या 1797/5 गि० रकबा 0.427 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती रमदेई पत्नी रामेश्वर दयाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 430 :-

भूमि खसरा संख्या 1887 रकबा 0.051 हे०, 1859/1 रकबा 0.007 हे०, 1860 रकबा 0.038 हे०, 1862 रकबा 0.126 हे०, 1863 रकबा 0.063, 1864 रकबा 0.076, 1865 रकबा 0.228 हे०, 1867 रकबा 0.025 हे०, 1868 रकबा 0.076, 1869 रकबा 0.051 हे०, 1870 रकबा 0.063 हे०, 1871 रकबा 0.076 हे०, 1872 रकबा 0.152, 1873 रकबा 0.063, 1894 रकबा 0.076 हे०, 1895 रकबा 0.056 हे०, 1897 रकबा 0.101, 1898 रकबा 0.177 हे०, 1899 रकबा 0.088 हे०, 1900 रकबा 0.101 हे०, 1901 रकबा 0.177, 1903 रकबा 0.088, 1904 रकबा 0.354 हे०, 1905 रकबा 0.038 हे०, 1906 रकबा 0.038, 1907 रकबा 0.013 हे०, 1908 रकबा 0.114 हे०, 1909 रकबा 0.013 हे०, 1910 रकबा 0.139, 1911 रकबा 0.063, 1866 रकबा 0.101 हे० कुल 2.832 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में विशुनदेई पत्नी नान्हू, छंगा पुत्र घुरू, लाल चन्द्र पुत्र नरायन निवासी सरथुआ के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्रीमती विशुनदेई द्वारा 1/4 तथा लालचन्द्र द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 437 :-

भूमि खसरा संख्या 1611 रकबा 0.632 हे० में से 0.622 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकऊ, सुन्दारा पत्नी कल्लू जगदीश पुत्र पितई, सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे, रामदास पुत्र घना, शत्रोहनलाल पुत्र घना निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या 379/23.12.08 गाटा संख्या 1611/0.632 हे० के बकदर भाग में 0.126 हे० भूमि में से श्रीमती सुन्दारा पत्नी स्व० कल्लू का नाम निरस्त करके राममिलन पुत्र नौमीलाल नि० देवामऊ का बतौर संभू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकऊ द्वारा 1/6 भाग भूमि हेतु

आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 463 :-

भूमि खसरा संख्या 1616 रकबा 0.045हे०, 1642 रकबा 0.163हे०, 1709 रकबा 0.291हे०, 1726 रकबा 0.051हे०, 1743 रकबा 0.430हे० कुल 0.980हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती सुनीता पत्नी रामचन्द्र, श्रीमती नन्दकई पत्नी फूलचन्द्र नि० नवान पुरवा, लखनऊ, राजकुमारी अव्यस्क 12 वर्ष सं० पिता स्वयं पुत्री रामनरेश नि० सेवई, सतनाम अव्यस्क 10 वर्ष सं० पिता स्वयं पुत्र मलऊ नि० मझिगवां मातादीन पुत्र शिवरतन नि० सरसवां, छंगालाल पुत्र राममरोसे, भगौती, गरीबे पुत्रगण जियालाल, लंकेश्वर, रामऔतार पुत्रगण मैकू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा०नि० बिजनौर पक 11 क/21.06.05 खाता संख्या 463 व 465 से मृतक श्रीमती नन्दकई के स्थान पर मीनू ना०वा० आयु 10 वर्ष पुत्र फूल चन्द्र सं० पिता स्वयं नि० नवाबपुरवा लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः रा०नि० बिजनौर पक 11 क/26.12.08 खाता संख्या 46, 301, 302 से मृतक लंकेश्वर के स्थान पर छंगा, गुडडू व महेश बा० व कमलेश ना०वा० सं० श्रीमती परवाता पत्नी स्व० लंकेश्वर नि०ग्राम व मृतक भगौती के स्थान पर संजय कुमार व हरिओम व कल्लू पुत्रगण भगौती निवासी हुसैनगंज, लखनऊ का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्रीमती सुनीता द्वारा 1/32, श्रीमती राजकुमारी द्वारा 1/32, श्री मातादीन द्वारा 1/8, श्री छंगालाल द्वारा 1/8, श्री संजय कुमार द्वारा 1/48, श्री हरिओम द्वारा 1/48, श्री कल्लू द्वारा 1/48, श्री गरीबे द्वारा 1/16, श्री छंगा द्वारा 1/20 व श्री मीनू द्वारा 1/32 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 520 :-

भूमि खसरा संख्या 1887 रकबा 0.581हे०, 1888 रकबा 0.443हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री हरिप्रसाद व लल्लू सिंह व अनार सिंह पुत्रगण रामलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 10 :-

भूमि खसरा संख्या 1597 रकबा 0.344हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अब्दुल गफफार पुत्र हाजी हसन व मु० महरूल निशां पत्नी अब्दुल गफफार, मो० सलीम पुत्र अब्दुल गफफार निवासी ग्राम खरिका के नाम पूर्व सन् फसली 1401 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 11 :-

भूमि खसरा संख्या 1582 रकबा 0.341हे०, 1583 रकबा 0.215हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार पुत्रगण बाबूलाल व महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी ग्राम खरिका के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री महेन्द्र सिंह द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 44 :-

भूमि खसरा संख्या 1619 रकबा 0.253हे०, 11624/1 रकबा 0.025हे०, 1669 रकबा 0.256हे०, 1670 रकबा 0.278 हे०, 1671 रकबा 0.139हे०, 1672 रकबा 0.126हे०, 1673 रकबा 0.291हे०, 1716 रकबा 0.152हे०, 1717 रकबा 0.089हे०, 1751 रकबा 0.190हे०, 1752 रकबा 0.240हे०, 1753 रकबा 0.215हे०, 1754 रकबा 0.430हे०, 1890 रकबा 0.783हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केसराम पुत्र डल्ला रामनरेश पुत्र जगदेव रामदास पुत्र घना शत्रोहन लाल पुत्र घना श्रीमती सिताला पत्नी नन्हकऊ पत्नी डोरी श्रीमती सुन्दारा बेवा कल्लू पुत्री डोरी जगदीश पुत्र पितई सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में 1412 फसली आदेशानुसार श्रीमान रा० नि० महोदय जरिए प०क०-11 क क्रमांक 33/8-9-04 द्वारा खाता संख्या-44 से मृतक रामदास पुत्र घना के स्थान पर राम सिंह पुत्र रामदास व श्रीमती शान्ती पत्नी स्व० रामदास नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज होने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश रा० नि० बिजनौर द्वारा प०क०-11क/24.06.06 खाता सं०-42, 44 से मृतक रामनरेश के स्थान पर श्रीमती विशुनदेई पत्नी स्व० रामनरेश नि० ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज होने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद सं० 1163/23.09.08 गाटा संख्या 1619/0.253, 1624/1/0.0025, 1659/0.266, 1670/0.278, 1671/0.139, 1672/0.126, 1673/0.291, 1716/0.152, 1717/0.089, 1751/0.190, 1752/0.240, 1753/0.215, 1754/0.430 हे० कुल 2.694 हे० का 1/6 भाग 0.455 व खाता सं० 298 की गाटा सं० 1611/0.632 का 1/4 भाग 0.152 हे० से सुरेन्द्र कुमार पुत्र घसीटे का नमा निरस्त करके हुकुमचन्द्र पुत्र होशियार सिंह नि० जतौली हेली मण्डी जिला गुडगाँव का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जायें एवं खाते के अन्य सहखातेदार के नाम यथावत दर्ज रहने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद सं० 1164/23.09.08 गाटा सं० 1619/0.253, 1624/1/0.025, 1659/0.266, 1670/0.278, 1671/0.139, 1672/0.126, 1673/0.291, 1716/0.152, 1717/0.089, 1751/0.190, 1752/0.240, 1753/0.215, 1754/0.430 हे० कुल 2.694 हे० का 1/6 भाग रकबा 0.455 हे० व खाता सं० 298 की गाटा सं० 1611/0.632 हे० का 1/4 भाग 0.152 हे० से जगदीश पुत्र पितई का नाम निरस्त करके हुकुमचन्द्र पुत्र होशियार सिंह नि० जतौली हेली मण्डी जिला गुडगाँव हरियाणा का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाये एवं खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्रीमती सिताला द्वारा सम्पूर्ण अर्जित खसरा नम्बरों क्षेत्रफल 3.477हे० के 1/12 भाग भूमि अर्थात् 0.28333 हे० तथा श्री केशराम द्वारा खसरा संख्या 1890 रकबा 0.783हे० के 1/4 भाग भूमि अर्थात् 0.19575 हे० व विशुनदेई द्वारा 1/4 भाग भूमि अर्थात् 0.19575 हे० हेतु

आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 59 :-

भूमि खसरा संख्या 1797 रकबा 0.306हे०, 1815 रकबा 0.114हे०, 1817/1 रकबा 0.098हे० कुल 0.518हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कालिका पुत्र जंगबहादुर निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फराली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में 1410 फ आदेशानुसार श्रीमान ना०त० बिजनौर दिनांक 13.03.03 बाद सं० 5/4 कालिका प्रसाद बनाम पच्चे मे न्यायहित मे आदेश हुआ कि दिनांक 30.09.01 का कियान्वयन भू०अ० विक्रय बैनामा मुकदमान न कर दिया जाये रोका जाता है के आदेश अंकित है। पुनः आदेश ना० त० बिजनौर वाद सं० 80/298 दि० 26.10.06 खतौनी 1410 से 1415 खाता सं० पर अंकित मृतक कालिका प्रसाद पुत्र जंगबहादुर का नाम निरस्त कर मनोज कुमार, सुजीत कुमार न०बा० 12 वर्ष, 8 वर्ष पुत्रगण कालिका सं० श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी कालिका नि० ग्राम वरीसान स०भू० बतौर सहखातेदार अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 219 :-

भूमि खसरा संख्या 1921मि० रकबा 0.253हे० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बेचालाल, परीदीन व श्री शिवचरन पुत्रगण अंगनू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 221 :-

भूमि खसरा संख्या 1715 रकबा 0.531हे०, 1739 रकबा 0.231हे०, 1719 रकबा 0.304हे०, 1720 रकबा 0.303हे०, 1819/1 रकबा 0.208हे०, 1820/2 रकबा 0.012हे०, 1822 रकबा 0.101हे०, 1821 रकबा 0.152हे० कुल रकबा 1.842हे० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बजरंग, गुडडू पुत्रगण रामअधार, धनीराम ना०बा० 12 वर्ष सं० मां प्रेमावती पत्नी रामअधार नि० धोधनखेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 349 :-

भूमि खसरा संख्या 1746 रकबा 0.329हे०, 1748 रकबा 0.582हे०, 1747 रकबा 0.607हे०, कुल रकबा 1.518 हे० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामशंकर व रामकिशोर पुत्रगण द्वारिका के नाम पूर्व सन् फसली 1388 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि

हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 447 :-

भूमि खसरा संख्या 1790/1 रकबा 0.122हे0, 1792/2 रकबा 0.103हे0, 1793 रकबा 0.314हे0, 1794/4 रकबा 0.417 कुल रकबा 0.956 हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवनरायन सिंह पुत्र स्व0 सुखदीन नि0 चिरैयावाग के नाम पूर्व सन् फसली 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 295 :-

भूमि खसरा संख्या 1575/1 रकबा 1.896हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंजीत कौर पुत्री मखन सिंह नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 261 :-

भूमि खसरा संख्या 1914/5 रकबा 0.379हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुनेश्वर प्रसाद पुत्र पुत्तीलाल, शिशुपाल, राकेश, संजय, कमल पुत्रगण लेखराज नि0 सरथुवा, रामनगर, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एव परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में शिशुपाल, राकेश, संजय के पिता का नाम पुत्तीलाल तथा पता सरथुआ (पिता का नाम) लेखराज के बजाय पुत्तीलाल व पता रामनगर, आलमबाग, लखनऊ के बजाय सरथुवा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में श्री कमल द्वारा 1/5 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 301 :-

भूमि खसरा संख्या 1578 रकबा 0.253हे0, 1579 रकबा 0.126हे0, 1586 रकबा 0.430हे0 कुल 0.809हे0 का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महेन्द्र सिंह व सत्तीदीन, बाबूलाल पुत्रगण भगवानदीन, रामअधार व रामसुमिरन पुत्रगण साहबदीन नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1402 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 241 :-

भूमि खसरा संख्या 1646 रकबा 0.063हे०, 1647 रकबा 0.189हे० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भइयादीन, रामनिरंजन, भगौती प्रसाद पुत्रगण किशुन, शम्भू बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर, बाबू मतऊ, बुद्ध पुत्रगण छबीले नि०ग्राम नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक बुद्ध पुत्र छबीले के स्थान पर तुलसी पुत्र बुद्ध व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० बुद्ध नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः मृतक बाबू पुत्र छबीले के स्थान पर मतऊ पुत्र छबीले व शम्भू व बाबूलाल पुत्रगण जवाहिर व तुलसी पुत्र बुद्ध व श्रीमती रामकुमारी पत्नी स्व० बुद्ध का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से रामनिरंजन द्वारा 1/6 व भगौती प्रसाद द्वारा 1/6 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम घुसवलकलोंखाता संख्या 12 :-

भूमि खसरा संख्या 243 रकबा 0.341हे०, 254 रकबा 0.341हे०, 296 रकबा 0.504हे० कुल 1.159हे० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में आनन्द कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 61 :-

भूमि खसरा संख्या 237 रकबा 0.200हे०, 245 रकबा 0.745हे० कुल 0.945हे० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगवान पुत्र जमुना प्रसाद नि० छोटा बरहा, कन्धईलाल पुत्र पराग नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री भगवान द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 80 :-

भूमि खसरा संख्या 203 रकबा 1.041हे० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश चन्द्र पुत्र हरिप्रसाद, रामेश्वर पुत्र गुरदीन, नरेन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रगण राम प्रसाद, सुशीला पत्नी स्व० रामप्रसाद नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना० त० नगर वाद सं० 469/26.03.08 गाटा सं० 203/1.041 हे० में से 0.347 हे० से नरेन्द्र कुमार प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रगण स्व० राम प्रसाद व श्रीमती सुशीला पत्नी स्व० रामप्रसाद का नाम निरस्त करके रामरतन सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह नि० हसनपुर पोस्ट बहादुरपुर जिला मऊ का नाम सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं०

36

840/10.06.08 गाटा संख्या-203/1.040 हे० मे से 0.0885 हे० से रामेश्वर पुत्र स्व० गुरदीन का नाम निरस्त करके श्रीमती उषा पाण्डेय पत्नी चन्द्रभूषण नाथ पाण्डेय नि० कौंसड जिला देवरिया का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा अंकित किया जाय एवं खाते के अन्य सहखातेदारों के नाम यथावत दर्ज रहेंगे के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त०वि० वाद सं० 535/24.08.08 गाटा सं० 203/1.041हे० मे से 1/3 भाग 0.347 हे० मे से 0.253 हे० के बकदर भाग से रामेश्वर पुत्र गुरुदीन का नाम निरस्त करके श्रीमती प्रीती शर्मा पत्नी अशोक कुमार शर्मा नि० 23 ताला फतेहगंज लखनऊ का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री रमेशचन्द्र द्वारा 1/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 56 :-

भूमि खसरा संख्या 194 रकबा 0.602हे० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बंगाली प्रसाद श्री भगवान पुत्रगण जमुना प्रसाद नि० छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री भगवान द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 156 :-

भूमि खसरा संख्या 73/1 रकबा 0.240हे०, 59 रकबा 0.140हे० कुल 0.380हे० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुन्नालाल, हरिश्चन्द्र पुत्रगण बुद्धा के नाम पूर्व सन् फसली 1383 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

मा०आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक 721/08-09(2008-2009) दिनांक 09.05.2010 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा दिये गये निर्देशों के क्रम में खाता संख्या 194 व 44 में पाई गयी त्रुटियों को शुद्ध कर दिया गया है। ग्राम बरौलीखलीलाबाद व धुसवल कलों के प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। ग्राम बरौली खलीलाबाद के कतिपय खसरा संख्या-मिंजुमला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जॉचोंपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

Pr 09.06.10
(बाबूलाल श्रीवास)

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)

लखनऊ।

Pr 09.06.10
अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)

Pr

Pr
09.06.10

1-	वाद संख्या	:	1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	सेवई,
3-	परगना तहसील व जिला	:	लखनऊ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	:	सेवई 8-11438हे0,
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	नहीं।
6-	भूमि अध्यापि का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	:	07.10.2008
11-	अभिनिर्णय की तिथि	:	
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	:	4,32,18,810-36 पैसा
13-	पूँजीकृत मूल्य	:	नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14-	अध्यापि व्यय	:	नियमानुसार जमा किया जायेगा।

4

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खारा नोटिसें निर्गत की गयी। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू0 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा10 आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9(2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्क्रम में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये हैं। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके समुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :-

खाता संख्या 52 :-

भूमि खसरा संख्या 216 रकबा 0.474 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटे लाल पुत्र सियाराम, जगदेव, वासदेव, रूपदेव पुत्रगण पूर्वीदीन श्रीमती कलाशा पत्नी पूर्वीदीन, श्रीमती कलावती पत्नी छत्रपाल नि० नवाबपुरवा, गोमती नगर, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री जगदेव द्वारा अपने हिसरे की 1/12 भाग भूमि अर्थात् 0.0395 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त राशय प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 55 :-

भूमि खसरा संख्या 253 रकबा 0.423 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जगन्नाथ पुत्र तोता निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश रा०नि० विजनौर द्वारा प.क. 11 क/०4.०4.०8 खाता संख्या-55, 131 से मृतक जगन्नाथ के स्थान पर राजकुमार पुत्र स्व० जगन्नाथ निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार राजकुमार पुत्र स्व० जगन्नाथ द्वारा पूर्ण भाग हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 84 :-

भूमि खसरा संख्या 102 रकबा 0.363 हे०, 152 रकबा 0.895 हे० कुल 1.258 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परसाद पुत्र हरी नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश रा०नि० विजनौर द्वारा प.क. 11 क/०4.०4.०8 खाता संख्या-84 से मृतक परसाद के स्थान पर रामवररूप, परमेश्वरदीन, ननकऊ पुत्रगण परसाद निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री रामवररूप पुत्र स्व० परसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूमि अर्थात् 0.41933 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्त्व/पर्याप्त राशय प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 138 :-

भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 0.215 हे०, खसरा संख्या-27 रकबा 0.114 हे०, कुल रकबा 0.329 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती प्रसाद पुत्र बिरजू, रामा, देवता दीन पुत्रगण कुन्ने निवासी देवामऊ भगवान बक्श व बिल्लू पुत्रगण अंगनू नि० ग्राम राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवदयाल निवासी धावाहार रामकुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल

निवासी घावाहार का नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश तहसीदार न्यायिक सदर, लखनऊ वाद संख्या-929/894/26.06.08 गाटा संख्या-17/0.215 हे० व 27/0.114 हे० के बन्दर भाग से राजेन्द्र कुमार रामकुमार, सुरेश कुमार, रामप्रताप, पुत्रगण शिवदयाल का नाम निरस्त करके एनसिएन्ट टाउन प्लानर प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेंडस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हरताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निवासी-1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर बैनामा दर्ज करने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश रा०नि० विजनौर द्वारा प०क०-11 क दि० 13.05.09 खाता संख्या-138 से मृतक रामा के स्थान पर गुट्टा, कल्लू, नन्हकऊ पुत्रगण रामा व श्रीमती सरस्वती पत्नी रा० रागा नि० देवागऊ का नाम बतौर वारिसा दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार देवतादीन द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग भूमि, श्री गुट्टा द्वारा अपने हिस्से की 1/32 भाग भूमि, श्री कल्लू द्वारा अपने हिस्से की 1/32 भाग भूमि, श्री नन्हकऊ द्वारा अपने हिस्से की 1/32 भाग भूमि तथा श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व० श्री रामा द्वारा अपने हिस्से की 1/32 भाग भूमि अर्थात् कुल 0.08225 हे० भूमि हेतु उ० प्र० आवासा एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 154 :-

भूमि खसरा संख्या 88 रकबा 0.247 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेडीलाल पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम का नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश व परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश ना०त० नगर वाद संख्या-484/दिनांक 06.07.07 गाटा संख्या 506/0.0221 हे० से मेडीलाल पुत्र स्व० जगन्नाथ का नाम निरस्त करके चन्द्रिका पुत्र हरिचन्द्र नि० इब्राहिमपुर निलमथा बाजार, लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेडीलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 164 :-

भूमि खसरा संख्या 207 रकबा 0.381, हे० 290 रकबा 0.019 हे०, 292 रकबा 0.238 हे०, 298 रकबा 0.253 हे० कुल रकबा 0.891 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में माता प्रसाद पुत्र नरायण, अमरनाथ पुत्र दयाराम निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश व परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश रा०नि० विजनौर द्वारा प०क० 11 दि० 18.11.06 खाता संख्या-164 से मृतक अमरनाथ के स्थान पर श्रीमती रामकली पत्नी स्व० अमरनाथ नि०ग्राम का नाम बतौर वारिसा दर्ज करने के आदेश अंकित है।

(32)

अभिलिखित खातेदार माता प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग अर्थात् 0.4455 हे० भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 181 :-

भूमि खसरा संख्या 270 रकबा 0.691 हे० मे से 0.681 हे० का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रतन कुमार व सुमन कुमार पुत्रगण बुद्ध उर्फ बाबूलाल श्रीमती रागयाशी पत्नी स्व० बुद्ध उर्फ बाबूलाल के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रतन कुमार पुत्र स्व० बुद्ध उर्फ बाबूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि व सुमन कुमार पुत्र स्व० बुद्ध उर्फ बाबूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग कुल भूमि 0-506 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 204 :-

भूमि खसरा संख्या 316 रकबा 0.084 हे०, 317 रकबा 0.084 हे०, कुल 0.168 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसुमिरन व सुभासु पुत्रगण शत्रोहन, राजू ना०बा० 15 वर्ष व राजेश ना०बा० 11 वर्ष व राकेश कुमार ना०बा० 10 वर्ष सं० सवित्री देवी पुत्र शत्रोहन निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुभासु द्वारा अपने हिस्से की 1/5 भाग भूमि अर्थात् 0.0336 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 205 :-

भूमि खसरा संख्या 301 रकबा 0.068 हे०, 306 रकबा 0.151 हे०, 308 रकबा 0.178 हे०, 310 रकबा 0.085 हे० कुल 0.482 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामसुमिरन व सुभासु पुत्रगण शत्रोहन, राजू ना०बा० 15 वर्ष व राजेश ना०बा० 11 वर्ष व राकेश कुमार ना०बा० 10 वर्ष सं० सवित्री देवी माता पुत्रगण शत्रोहन, राममिलन यादव पुत्र मैकू लाल, राममिलन यादव पुत्र बाबूलाल नि० त्रिलोकपुर नयापुरवा के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुभासु द्वारा अपने हिस्से की 1/10 भाग भूमि अर्थात् 0.0482 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 206 :-

(31)

भूमि खसरा संख्या 300 रकबा 0.389 हे०, 304 रकबा 0.126 हे०, 309 रकबा 0.120 हे०, 313 रकबा 0.153 हे० कुल 0.788 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम औतार पुत्र दुलारे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश ना०त० विजनौर वाद संख्या-32/62/157/870/05/16.04.08 खाता संख्या-206 पर अंकित राम औतार पुत्र दुलारे मृतक के स्थान पर सुनील कुमार यादव व अनिल कुमार यादव पुत्रगण रामकुमार यादव नि० उदवत खेड़ा म० भरवारा त० मोहनलालगंज जिला लखनऊ का नाम बतौर सह खातेदार जरिए पंजीकृत दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुनील द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि व अनिल द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि अर्थात् कुल 0.788 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 231 :-

भूमि खसरा संख्या 210 रकबा 0.236 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामनरेश व राम गिलन पुत्रगण दुलारे निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रामनरेश द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि अर्थात् 0.118 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 242 :-

भूमि खसरा संख्या 90 रकबा 1.159 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामरतन पुत्र शीतला प्रसाद नि० चिरयाबाग म० उत्तरटिया, देवीसरन पुत्र जगन्नाथ, नन्ही देवी पत्नी जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा० नि० बि० द्वारा प०क० 11 क दिनाक 07.07.08 खाता संख्या-59, 139, 214, 242 से मृतक नन्ही देवी के स्थान पर देवीशरन, नन्दकिशोर पुत्रगण जगन्नाथ नि०ग्र० का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्दकिशोर द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि अर्थात् 0.193167 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 245 :-

भूमि खसरा संख्या 213 रकबा 0.653 हे० में से 0.644 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राम सोपक, बनवारी पुत्रगण वट्टी निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार बनवारी द्वारा अपने

l

हिस्से की 3/4 भाग भूमि अर्थात् 0.483 हे० व राम सेवक द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि अर्थात् 0.161 हे० भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 266:-

भूमि खसरा संख्या 7 रकबा 0.551 हे०, 20 रकबा 1.163 हे०, 34 रकबा 0.436 हे०, 127 रकबा 0.190 हे० कुल 2.340 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शत्रोहन पुत्र गणवान दीन निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा अपने पूर्ण भाग भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 277:-

भूमि खसरा संख्या 307 रकबा 0.350 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शिवरतन पुत्र मेडई निवासी ग्राम नान्हू बबलू सजगू पुत्रगण रामस्वरूप के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार नान्हू द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि अर्थात् 0.05833 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 284 :-

भूमि खसरा संख्या 229 रकबा 0.093 हे०, 230 रकबा 0.025 हे०, 231 रकबा 0.021 हे० कुल 0.139 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हनोमान पुत्र कल्लू सरजू देई विधवा कुशहर निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश रा० नि० विजनौर द्वारा प०क०-11 क दि० 21.09.07 खाता संख्या-282, 283, 284 से मृतक हनोमान के स्थान पर दाबूलाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश कुमार पुत्रगण हनोमान व मनोज कुमार, मंजीत कुमार पुत्रगण गोविन्द प्रसाद निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार दाबूलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग भूमि, राजेन्द्र द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग भूमि, सुरेश द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग भूमि, मनोज द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग भूमि तथा मंजीत द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग भूमि अर्थात् कुल 0.0695 हे० भूमि हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

(2)

खाता संख्या 300 :-

भूमि खसरा संख्या 58 रकबा 0.295 हे०, 103 रकबा 0.076 हे०, 104 रकबा 0.291 हे०, 258 रकबा 0.681 हे०, 282 गि० रकबा 0.316 हे० कुल 1.659 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखमीलाल पुत्र नन्हें, दर्शनलाल पुत्र राम भरोसे, रमेश, महेश पुत्रगण गुरु प्रसाद, नन्दलाल, तेजबहादुर, जीतबहादुर पुत्रगण बाबादीन गि० ग्राम नरसिंह पुत्र उदल पुत्र सोनेलाल, विद्यावती पत्नी सोनेलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश ना०त० काकोरी वाद सं० 375 दि० 30.04.07 खतौनी 1413/1418 फ के खाता सं० 302 के पूर्ण भाग से समस्त अंकित मृतक खातेदार सुखमीलाल व खाता संख्या 300 तककर भाग के समस्त अंकित मृतक खातेदार सुखमीलाल पुत्र नन्हें का नाम निरस्त करके रामशंकर, ओमप्रकाश पुत्रगण सुखमीलाल व श्रीमती रामरती पत्नी स्व० सुखमीलाल गि० सेवई का नाम उत्तराधिकार दर्ज करने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार नन्दलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग भूमि, दर्शनलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/8 भाग भूमि, नरसिंह द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग भूमि, उदल द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग भूमि, विद्यावती द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग, तेज बहादुर द्वारा अपने हिस्से का 1/24 भाग, जीत बहादुर द्वारा अपने हिस्से की 1/24 भाग, रमेश द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग, महेश द्वारा अपने हिस्से की 1/16 भाग, रामशंकर द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग, ओमप्रकाश द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग तथा रामरती द्वारा अपने हिस्से की 1/6 भाग भूमि ज०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरा संख्या-258 व 282 स पर श्रीमती शिवदेवी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर भुगतान किसी अन्य सहखातेदारों को न करने की याचना की गयी है एवं उक्त खाते पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमें विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। इस तरह प्रतिकर विवादित हो जाता है। अतः अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम सेवई के प्राप्त हुये समझौते से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध आपत्तियों का उल्लेख सम्बन्धित खाता/खसरा संख्याओं में कर दिया गया है जिनके निस्तारण के उपरान्त संबंधित भूस्वामियों से शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साध्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों नियमानुसार किया जायेगा। साथ ही यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू०अ०आ० की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमत्त नहीं होगा।

[Signature]
26-05-10

(बाबूलाल श्रीवास)
अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)
लखनऊ।

उक्त भूमि निरस्त भूमि भूनि० 26-05-10 दि
अधिकारी भूमि
[Signature]
26-5-10

Noted
A. Singh
Adv
26/5/10

26-5-2010
[Signature]

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 3/2010

3

1-	वाद संख्या	:	1/2010
2-	ग्राम का नाम	:	बरौली खलीलाबाद, घुसवलकलां, सेवई
3-	परगना तहसील व जिला	:	लखनऊ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	:	बरौली खलीलाबाद- 28.92579 हेक्टेयर। घुसवलकलां - 0.8215 हेक्टेयर। सेवई - 0.072 हेक्टेयर। योग - 29.81929 हेक्टेयर
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	:	नहीं।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	:	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	:	30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	:	05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	:	07.10.2008
11-	अभिनिर्णय की तिथि	:	
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	:	ग्राम-बरौलीखलीलाबाद- 15,40,64,542-70 ग्राम-घुसवलकलां - 43,75,473-30 ग्राम-सेवई - 3,83,486-40 योग - 15,88,23,502-40
13-	पूँजीकृत मूल्य	:	नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14-	अध्याप्ति व्यय	:	नियमानुसार जमा किया जायेगा।

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसों निर्गत की गयी। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार

नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रु० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9(2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये हैं। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम बरौली खलीलाबाद

खाता संख्या 30 :-

भूमि खसरा संख्या 1665/3 रकबा 0.759 हे०, 1665/4 रकबा 0.190 हे०, 1744 रकबा 0.253 हे०, कुल रकबा 1.202 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केदार, जगन्नाथ, बैजनाथ, संतराम पुत्रगण जग्गू, सरजूदेई पत्नी रामनारायन व भगवानदीन पुत्र चेताराम, रूपरानी पत्नी श्रीराम व शिवदेवी पत्नी सत्यनारायन निवासी ग्राम के नाम पू० सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक बैजनाथ के स्थान पर धर्मराज, अवधराम, रामजीत ना०बा० 10 वर्ष पुत्रगण बैजनाथ सं० श्रीमती कलावती माता स्वयं व श्रीमती कलावती पत्नी स्व० बैजनाथ नि० घोघनखेड़ा का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः भगवानदीन पुत्र चेताराम के स्थान पर शुद्ध नाम श्रीमती भगवानदेई पत्नी चेताराम के आदेश अंकित है। पुनः मृतक भगवानदेई के स्थान पर श्रीमती ऊषा पत्नी नन्हें पुत्री चेताराम तथा मृतक केदार के स्थान पर फूलचन्द्र, उदल, विशुनदयाल पुत्रगण स्व० केदार व श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व० केदार का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री जगन्नाथ द्वारा 1/9 व श्री फूलचन्द्र, उदल, विशुनदयाल व रामप्यारी प्रत्येक द्वारा 1/12 भाग तथा श्री धर्मराज, अवधराम, रामजीत व श्रीमती कलावती प्रत्येक द्वारा 1/36 भाग भूमि के सम्बन्ध में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 117 :-

भूमि खसरा संख्या 1665/9 रकबा 2.023 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जगजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1396 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या 980/18.07.08 गाटा संख्या 1799/1 रकबा 4.077 हे० के बकदर भाग से 0.507 हे० व गाटा सं० 1665/9 रकबा 2.023 हे० में से जगजीत सिंह पुत्र स्व० कुलदीप सिंह का नाम निरस्त करके सन्तोष त्रिपाठी पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी नि० रेल नगर का नाम बतौर सं० भू० द्वारा बैनामा तथा विक्रीत भूमि के वाद शेष रकबे पर विक्रेता का नाम यथावत रहेगा, के आदेश अंकित है। श्री सन्तोष त्रिपाठी द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 142 :-

भूमि खसरा संख्या 1656/6 रकबा 0.948 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में दिलीप सिंह व गंगासिंह पुत्रगण कुंवर सिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1386 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० विजनौर वाद संख्या 829 दिनांक 05.06.09 गाटा संख्या 1656/6 रकबा 0.948 हे० के बकदर भाग से जीवनसिंह, चरन सिंह पुत्रगण गंगासिंह व श्रीमती हीरादेवी पत्नी स्व० गंगासिंह द्वारा मुख्तारआम पुष्पा उपराणी पत्नी चरनसिंह पत्नी चरनसिंह व राजेश यादव पुत्र किशोरीलाल का नाम निरस्त करके मेसर्स गोल्डन आई टाउन प्लेयर्स प्रा०लि०, कम्यूनिटी सेन्टर, न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76, विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ का नाम द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 166 :-

भूमि खसरा संख्या 1665/1मि० रकबा 0.759 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नवनीत सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) गाटा संख्या 1665मि०/1/0.759हे० में नवनीत सिंह का नाम निरस्त करके जयकेश त्रिपाठी पुत्र रामऔतार त्रिपाठी का नाम द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री जयकेश त्रिपाठी द्वारा पूर्ण भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 152 :-

भूमि खसरा संख्या 1665/2 रकबा 2.782 हे०, 1799/1 रकबा 1.012हे० कुल 3.794हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरदार धर्म सिंह, सरदार सरनजीत सिंह, सरदार बलजीत सिंह पुत्रगण सरदार पाल सिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1393 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में खसरा संख्या 1665/2 रकबा 2.782 हे०, 1799/1 रकबा 1.012हे० के बकदर भाग से तरसेम सिंह पुत्र स्व० धर्मसिंह का निरस्त करके सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेरसिंह बिन्द्रा का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः खसरा संख्या 1665/2 रकबा 2.782 हे०, 1799/1 रकबा 1.012हे० के बकदर भाग से सरदार सरनजीत सिंह व सरदार बलजीत सिंह का निरस्त करके एसिएन्ट टाउन प्लानर्स प्रा०लि० द्वारा डाइरेक्टर सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। आदेशानुसार ना०त० विजनौर 02.07.09 द्वारा आदेश दिनांक 05.06.09 में आंशिक संशोधन करते हुये क्रेता एसिएन्ट टाउन प्लानर्स प्रा०लि० द्वारा डाइरेक्टर सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा पढा जाये, के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० विजनौर 02.07.09 द्वारा आदेश दिनांक 05.06.09 में आंशिक संशोधन करते हुये गेलिकन हाउसिंग एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा डाइरेक्टर सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा पढा जाये,

के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 256 :-

भूमि खसरा संख्या 1665/9 रकबा 2.529 हे०, 1665/7 रकबा 0.759 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनप्रीत सिंह ना०वा० 3 वर्ष पुत्र इन्द्रजीत सिंह सं० सरदार हजारा सिंह परवावा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1393 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार न्यायालय जमानत न्यायाधीश लोक अदालत वाद संख्या 95 वर्ष 2009 मनप्रीत सिंह द्वारा बहन कु० किरनदीप कौर बनाम सरदार हजारा सिंह ता०फं० 13.09.09 कु० किरनदीप कौर को अव्यस्क मनप्रीत सिंह के सरीर व सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त किये जाने के आदेश अंकित है। कु० किरनदीप कौर द्वारा 3.288 हे० भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 389 :-

भूमि खसरा संख्या 1665/7 रकबा 0.759 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलखन व रामकुमार व राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बाबूलाल नि० धौघनखेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 1142/156/दिनांक 25.02.10 गाटा संख्या 1665/7 मि/0.759 से रामलखन व रामकुमार व राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बाबूलाल नि० धौघनखेड़ा का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बाबू पुत्र टीका द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के सम्बन्ध में श्री गुरुदत्त पुत्र श्री एच० के० बहादुर निवासी विजयनगर, इन्दौर मध्य प्रदेश द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुये प्रतिकर भुगतान रोकने का अनुरोध किया गया है, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान देय होगा।

खाता संख्या 508 :-

भूमि खसरा संख्या 1656/3 रकबा 0.126 हे०, 1656/4 रकबा 0.253 हे०, 1572 मि० रकबा 0.367 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हुब्बा पुत्र हेमराज के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक हुब्बा के स्थान पर कल्लू पुत्र हुब्बा का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री कल्लू द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 518 :-

भूमि खसरा संख्या 1627/1 रकबा 0.079 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सरदार हरजीत सिंह व सरदार कुलदीप सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह के नाम पूर्व सन् फसली 1393 से

श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या 1632/509/29.09.09 द्वारा गाटा संख्या 1627मि० रकबा 0.079हे० से हरजीत सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र सरदार प्रीतम सिंह के स्थान पर मेसर्स गोल्डन आई टाउन प्लानर्स प्रा०लि०, द्वारा हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बिन्द्रा द्वारा क्रय की गयी सम्पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के सम्बन्ध में सरदार हरजीत सिंह व सरदार कुलदीप सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह द्वारा अपनी जायति प्रस्तुत करते हुये प्रतिकर भुगतान सेकने का अनुशेष किया गया है, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान देय होगा।

खाता संख्या 27 :-

भूमि खसरा संख्या 1601/1 रकबा 0.190हे०, 1662/1मि० रकबा 0.126हे०, 1665/8 मि० रकबा 0.126हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में औसान पुत्र शीतल, रामलोटन, रामू पुत्रगण लछिमन नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री रामलोटन द्वारा 1/4 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 29 :-

भूमि खसरा संख्या 1836/1 रकबा 1.303 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कुलवन्त सिंह पुत्र राम सिंह, सर्वजीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1396 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर , लखनऊ वाद संख्या 1630/551/29.09.09 गाटा संख्या 1836/1 क्षे० 1.303हे० का 1/2 भाग 0.6515हे० से कुलवन्त सिंह पुत्र रामसिंह का नाम निरस्त करके क्रेता मेसर्स एसिएन्ट टाउन प्लानर्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बिन्द्रा द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 55 :-

भूमि खसरा संख्या 1836/3 रकबा 1.012 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कुलवन्त सिंह पुत्र रामसिंह नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर , लखनऊ वाद संख्या 1631/553/29.09.09 गाटा संख्या 1836/3 क्षे० 1.012हे० से कुलवन्त सिंह पुत्र रामसिंह का नाम निरस्त करके क्रेता मेसर्स सिनामन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के सम्बन्ध में कुंवर रणवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह, राजकिशोर सिंह पुत्रगण जगतपाल सिंह द्वारा अपनी

आपत्ति प्रस्तुत करते हुये प्रतिकर भुगतान रोकने का अनुरोध किया है। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान देय होगा।

खाता संख्या 452 :-

भूमि खसरा संख्या 1665/8मि० रकबा 0.189हे०, 1667/4 रकबा 0.051हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शंकरलाल पुत्र हुबलाल नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 470 :-

भूमि खसरा संख्या 1836/1मि० रकबा 2.530 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में साविन्दर सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण कुलवन्त सिंह नि० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 1638/552/08.09/29.09.09 गाटा संख्या 1836/1 क्षे० 2.530हे० से विक्रेता साविन्दर सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्रगण कुलवन्त सिंह का नाम निरस्त करके क्रेता मेसर्स सिनामन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम रा०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 462 :-

भूमि खसरा संख्या 1627मि० रकबा 4.805हे०, 1661मि० रकबा 5.615हे०, 1665 रकबा 4.704हे० तथा 1836/1मि० रकबा 1.265हे० कुल 11.389हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुखदेव सिंह पुत्र बग्गा सिंह, सर्वजीत सिंह पुत्र हरदेव सिंह व प्रीतम सिंह पुत्र केसर सिंह, हरजीत सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह, शमशेर सिंह ना०वा० आयु 11 वर्ष, अंगरेज सिंह, गुरुसाहब सिंह पुत्रगण जागीर सिंह नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1385 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार ना०त० बिजनौर वाद संख्या 943/820/5.06.09 खसरा संख्या-1627/4.805 व खसरा संख्या-1661मि०/5.165, 1665 मि०/4.704 व 1836/1मि०/1.265 के बकदर भाग से सुखदेव सिंह पुत्र बग्गा सिंह का नाम निरस्त कर के सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० बिजनौर गाटा संख्या-1627/4.805, 1661मि०/5.615, 1665 मि०/4.704 व 1836/1मि०/1.265 के बकदर भाग से प्रीतम सिंह पुत्र केसर सिंह व शमशेर सिंह पुत्र जागीर सिंह का नाम निरस्त करके सनवे प्रमोटर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर स० भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना० त० बिजनौर दिनांक 02.07.09 द्वारा आदेश दिनांक 05.06.09 में क्रेता सनवे प्रमोटर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम पढ़ा जाये के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना० त० बि० दि० 02.07.09 द्वारा आदेश दि० 05.06.09 में आशिक संशोधन करते हुये क्रेता फायर टाऊन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर स० भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ विक्रेता सरदार हरजीत सिंह पुत्र

सरदार प्रीतम सिंह व गुरु साहब सिंह पुत्र जागीर सिंह का नाम निरस्त कर के मेसर्स मिस्ट प्रमोटर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं० भू० दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः विकेता सरदार हरजीत सिंह पुत्र सरदार प्रीतम सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र प्रीतम सिंह का नाम निरस्त कर के मेसर्स मिस्ट प्रमोटर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं० भू० दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः विकेता अग्नेज सिंह पुत्र सरदार जागीर सिंह का नाम निरस्त करके मेसर्स गोल्डेन आई टाउन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं० भू० दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः विकेता गुरु साहब सिंह पुत्र सरदार जागीर सिंह का नाम निरस्त करके मेसर्स गोल्डेन आई टाउन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं० भू० दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः विकेता सरदार हरजीत सिंह पुत्र सरदार प्रीतम सिंह व सरदार गुरु साहब सिंह पुत्र जागीर सिंह का नाम निरस्त करके मेसर्स गोल्डेन आई टाउन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम बतौर सं० भू० दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। मेसर्स गोल्डेन आई टाउन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा द्वारा 3.631 हे०, मेसर्स मिस्ट प्रमोटर्स एण्ड डेवलेपर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा द्वारा 5.008 हे०, मेसर्स सनवे प्रमोटर्स प्रावेट लिमिटेड द्वारा सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा द्वारा 3.153 हे० कुल 11.792 हे० भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के संबंध में पूर्व के खातेदार श्री हरजीत सिंह आदि द्वारा प्रतिकर भुगतान के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति के निराकरण के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।

ग्राम घुसवल कलां

खाता संख्या 23 :-

भूमि खसरा संख्या 394 रकबा 0.200हे०, 401 रकबा 0.205 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में कन्धई पुत्र पराग, उमेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रगण श्री कृष्ण नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ गाटा संख्या 394 रकबा 0.200हे०, 401 रकबा 0.205 हे० के बकदर भाग से राजेश कुमार व उमेश कुमार पुत्रगण श्री कृष्ण का नाम निरस्त करके एनसिण्ट टाउन प्लानर्स प्रा०लि० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के सम्बन्ध में श्री जावेद इकबाल द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुये प्रतिकर भुगतान रोकने का अनुरोध किया गया है, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान देय होगा।

खाता संख्या 68 :-

भूमि खसरा संख्या 397 रकबा 0.289हे०, 402 रकबा 0.132 हे० व 410 रकबा 0.198हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद नि० छोटा बरहा के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में

(2)

आदेशानुसार तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ गाटा संख्या 397 रकबा 0.289हे0, 402 रकबा 0.132 हे0 व 410 रकबा 0.198हे0 से मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद का नाम निरस्त करके मेसर्स फायर टाउन प्लानर्स प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा का नाम सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम सेंवई

खाता संख्या: 127 :-

भूमि खसरा संख्या 57 रकबा 0.144हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबादीन पुत्र कल्लू, सुखदीन पुत्र पिताम्बर नि0 ग्राम विजय कुमार पुत्र बलई नि0 बंगला बाजार लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार नायब तहसीलदार विजनौर याद संख्या 1281/212 दिनांक 09.09.09 खाता संख्या 125 गाटा संख्या 45/0.165का पूर्ण भाग व खाता संख्या 127 गाटा संख्या 57 का 0.144हे0 का बकदर भाग से विक्रेता बाबादीन पुत्र कल्लू व विजय कुमार पुत्र बलई का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा तथा शेष रकबे पर अन्य खातेदार का नाम यथावत दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बाबू पुत्र टीका द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त अर्जित भूमि के सम्बन्ध में श्री जावेद इकबाल द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुये प्रतिकर भुगतान रोकने का अनुरोध किया गया है, पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सुनवाई के उपरान्त पात्र व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान देय होगा।

ग्राम बरौलीखलीलाबाद व घुसवल कलों व रोवई के प्राप्त हुये रागझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। ग्राम बरौली खलीलाबाद के कतिपय खसरा संख्या-मिंजुमला के रूप में अभिलेखों में दर्ज हैं। अतः पर्याप्त साक्ष्य व जांचोपरान्त सही पाये जाने पर भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं रागझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को गू0अ0अ0 की धारा 18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

Pa

26.05.10

(बाबूलाल श्रीवास)
अपर जिलाधिकारी (गू0अ0)
लखनऊ।

उपरोक्त मामिले में 26-5-10 को 35/4/10

Dr. Singh

Pa

26.05.10

11.11.10

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(गृह/आ)उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

		अभिनिर्णय आदेश संख्या : 2/2010	2
1-	वाद संख्या	1/2010	
2-	ग्राम का नाम	सेवेई, देवामऊ, अहमामऊ।	
3-	परगना तहसील व जिला	लखनऊ।	
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	सेवेई - 2-5357 हे०, देवामऊ - 0-38775 हे०, अहमामऊ 0 945 हे० योग : 3-86845 हे०	
5-	क्या जर्मीदारी विनाश अधिनियम लागू है	नहीं।	
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना	
7-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	17/07/2004	
8-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	30/9/2006	
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	05/12/2007	
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	07.10.2008	
11-	अभिनिर्णय की तिथि	—	
12-	अभिनिर्णय की घनराशि	20604138 39 पैसा	
13-	पूजोकृत मूल्य	नियमानुसार जमा किया जायेगा।	
14-	अध्याप्ति व्यय	नियमानुसार जमा किया जायेगा।	

यह प्रस्ताव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की घनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रु० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिरागें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की घनराशि भी सम्मिलित है, पर आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आगत, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या

१

6810/08-9(2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितबद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये है। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम सेवई

खाता संख्या 88 :-

भूमि खसरा संख्या 23 रकबा 0.547 हे0, खसरा संख्या-128 रकबा 0.419 हे0, कुल रकबा 0.966 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पुत्तन, रहमत अली पुत्रगण फज्जू, गामवारी के नाम पूर्व सन् फरसानी 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिगत अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश तहसीलदार (न्यायिक) रादर लखनऊ वाद संख्या-1105 256/28.09.08 गाटा संख्या 23/0.547, 128/0.419 हे0 से पुत्तन व रहमत अली पुत्रगण फज्जू का नाम निरस्त करके क्रेता मेसर्स सितारा रियल स्टेट एण्ड डेवलपर्स प्र0लि0 रजि0 आफिस-33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा निवासी 1/76 विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनाम अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 97 :-

भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 0.093 हे0, खसरा संख्या-244 रकबा 0.316 हे0, खसरा संख्या-245 रकबा 0.058 हे0 कुल रकबा 0.467 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री फूल चन्द्र, राम लखन व नन्हकऊ पुत्रगण गया प्रसाद, परशुराम व बिन्देश कुमार पुत्रगण राधेलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फरसानी 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिगत अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेश रा0नि0 विजयौर द्वारा पक: 11 का/20.11.07 खाता संख्या-97 से मृतक परशुराम के स्थान पर मंजीत मंदीप ना0वा0 आयु कमश: 13, 7 वर्ष व सं0 श्रीमती रूपरानी माता स्वयं पुत्रगण परशुराम व श्रीमती रूपरानी पत्नी स्व0 परशुराम निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। आदेश तहसीलदार (न्यायिक) रादर लखनऊ वाद संख्या-978/256/27.06.08 गाटा संख्या 4/0.093 हे0 से फूल चन्द्र, रामलखन, नन्हकऊ पुत्रगण गया प्रसाद व मंजीत व मंदीप ना0वा0 सं0 श्रीमती रूपरानी माता स्वयं पुत्रगण परशुराम व श्रीमती रूपरानी पत्नी स्व0 परशुराम व बिन्देश कुमार पुत्रगण राधेलाल का नाम निरस्त करके मेसर्स सिकरा रियल स्टेट एण्ड डेवलपर्स प्र0लि0 रजि0 आफिस-33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा निवासी 1/76 विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनाम अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। उक्त भूमि खसरा संख्या-4 रकबा 0.093 हे0 हेतु अभिलिखित खातेदारों द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबंध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 125 :-

भूमि खसरा संख्या 45 रकबा 0.165 हे०, 241/0.016 हे०, 242/0.039 हे० कुल रकबा 0.220 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबदीन पुत्र कल्लू ग्रामवासी व विजय कुमार पुत्र बलई निवासी उसरी बंगला बाजार, लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश नायब तहसीलदार बिजनौर वाद संख्या 1281/212/09.09.09 खाता संख्या-125 गाटा संख्या-45/0.165 हे० का पूर्ण भाग व खाता संख्या-127 गाटा संख्या-57/0.144 हे० का बक्दर भाग मा० गू० 60 ख से विक्रेता बाबादीन पुत्र कल्लू निवासी ग्राम विजय कुमार पुत्र बलई निवासी उसरी बंगला बाजार का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीका राम निवासी बरौलीखलीलावाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर संभू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। गाटा संख्या 57 के शेष रकबे पर अन्य राहखातेदार यथावत दर्ज रहेंगे। उक्त भूमि खसरा संख्या-45 रकबा 0.165 हे० हेतु अभिलिखित खातेदार द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 138 :-

भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 0.215 हे०, खसरा संख्या-27 रकबा 0.114 हे०, कुल रकबा 0.329 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भगौती प्रसाद पुत्र बिरजू रामा, देवता दीन पुत्रगण कुन्ने निवासी देवामऊ भगवान बक्श बिल्लू पुत्रगण अंगनू ग्रामवासी राजेन्द्र कुमार पुत्र शिवदयाल निवासी धावाहार रामकुमार, सुरेश कुमार, राम प्रताप पुत्रगण शिवदयाल निवासी धावाहार का नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश तहसीलदार न्यायिक सदर, लखनऊ वाद संख्या-929/894/26.06.08 गाटा संख्या-17/0.215 हे० व 27/0.114 हे० के बक्दर भाग से राजेन्द्र कुमार रामकुमार, सुरेश कुमार, रामप्रताप, पुत्रगण शिवदयाल का नाम निरस्त करके एनसिएन्ट टाउन प्लानर प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेंडस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिभूत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा निवासी-1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम द्वारा बैनामा संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा निवासी 1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ द्वारा राजेन्द्र कुमार आदि के कुल भूमि 0.329 हे० में से 1/4 भाग का अनुबन्ध किया गया है। उक्त खसरा संख्याओं पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल की आपत्ति प्राप्त हुई है। जिसमें विपक्षीयों को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिलिखित खातेदार द्वारा आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 326 :-

भूमि खसरा संख्या 115 रकबा 0.588 हे०, खसरा संख्या 36 रकबा 0.187 हे० खसरा संख्या-131 रकबा 0.782 हे० कुल रकबा 1.557 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री भगवान पुत्र जगुना प्रसाद निवासी छोटा बरह आलमवाग लखनऊ के नाम पूर्व

(17)

सन् फसली 1404 व 1406 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश व परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेश तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या-1170/50/29.09.08 गाटा संख्या 115/0.588 हे0 गाटा संख्या-36/0.187 हे0 से श्री भगवान पुत्र जमुना प्रसाद का नाम निरस्त करके केता मेसर्स फार टाऊन प्लानर्न प्रा0 लि0 रजि0 आफिस 33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निवासी 1/76 विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनाम अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। उक्त भूमि खसरा संख्या-115 रकबा 0.588 हे0 36/0.187 हे0 कुल रकबा 0.775 हे0 हेतु अभिलिखित खातेदारों द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 333 :-

भूमि खसरा संख्या 125 रकबा 0.833, हे0, खसरा संख्या 126 रकबा 0.076, हे0, कुल रकबा 0.909 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती विमला कुमारी पत्नी दुर्गा प्रसाद, श्रीमती मीना पत्नी सुरेश चन्द्र निवासी निलमथा बाजार लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1408 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश व परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं मे आदेश तहसीलदार न्यायिक सदर, लखनऊ वाद संख्या-882/151/31.05.08 गाटा संख्या-125/0.833 हे0 व गाटा संख्या-126 स 0.076 हे0 से श्रीमती विमला कुमार पत्नी दुर्गा प्रसाद का नाम निरस्त करके मेसर्स हिमगिरी हाऊसिंग एण्ड लैंड डेवलपर्स प्रा0 लि0 रजि0 आफिस 33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फ्रेडस कॉलोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निवासी 1/76 विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनाम अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। उक्त खसरे पर द्वारा अधिवक्ता जावेद इकवाल की आपत्ति प्राप्त हुयी है जिसमे विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिलिखित खातेदार द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग 0.4545 हे0 भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

देवामऊ

खाता संख्या 20:-

भूमि खसरा संख्या 218 रकबा 0.147 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में देवी दीन पुत्र कुन्ने व गुड्डा, कल्लू, नन्डकऊ पुत्रगण रामा व श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व0 रामा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा अपने हिस्से की भूमि के पूर्ण भाग हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

L

खाता संख्या 48 :-

भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 0.081 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मैकू लाल नौमीलाल पुत्रगण गोती व तुलाराम पुत्र झाऊ लाल व राजकुमार, पप्पू पुत्रगण परशुराम निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश रा०नि० विजनौर द्वारा प०क०-11 क 21.08.07 खाता संख्या-47, 48 से मृतक नौमी लाल के स्थान पर राम मिलन, राम समुज, राम नरेश सरवन विनोद कुमार पुत्रगण नौमीलाल व श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमी लाल निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस अंकित है। आदेश रा०नि० विजनौर द्वारा प०क०-11 क 13.07.08 खाता संख्या-47, 48 से मृतक सरवन के स्थान पर श्रीमती रघुराई पत्नी स्व० नौमी लाल निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस अंकित है। अनुबन्ध के आधार पर रामसमुड़ा 1/36 भाग व श्री पप्पू का 1/6 भाग कुल रकबा 0.1575 हे० भूमि का आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 50 :-

भूमि खसरा संख्या 197 रकबा 0.024 हे०, खसरा संख्या 225 रकबा 0.023 हे०, खसरा संख्या 226 रकबा 0.013 हे०, खसरा संख्या 227 रकबा 0.014 हे०, कुल रकबा 0.074 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मंगल, नन्हा पुत्रगण छेदा व औसान, राजेश, सुरेश पुत्रगण प्रभु निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश रा०नि० विजनौर द्वारा प०क०-11 क 21.08.07 खाता संख्या-49, 50 से मृतक मंगल के स्थान पर हीरालाल, सूरज बली पुत्रगण मंगल व श्रीमती छबीला पत्नी स्व० मंगल निवासी ग्राम का नाम बतौर वारिस अंकित है। अनुबन्ध के आधार पर श्री राजेश, सुरेश पुत्रगण प्रभु ने कुल भूमि से 1/4 भाग 0.0185 हे० भूमि का आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 60 :-

भूमि खसरा संख्या 173 रकबा 0.413 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजकुमार, पप्पू पुत्रगण परशुराम निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में पप्पू पुत्र परशुराम ने 1/2 अंश 0.2065 हे० का आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम अहमामऊ

खाता संख्या 4 :-भूमि खसरा संख्या 1173 क रकबा 0 101 हे०, 1213क/0 069 हे०, 1214/0 044 हे०, 1215/0-360 हे०, 1216 क/0-009 हे० कुल 0-583 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अमृत लाल पुत्र राम भरोसे निवासी ग्राम अजय कुमार वर्मा पुत्र काशी

राम व बीना रानी पत्नी अनिल कुमार वर्मा निवासी-एस10बी0-6 शास्त्री नगर, गाजियाबाद के नाम पूर्व सन् फसली 1412 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। खतौनी सन फसली 1415 से 1420 मे दर्ज आदेश नायब तहसीलदार बिजनौर द्वारा पक:-23/9.03.10 वर्तमान खतौनी के खाता संख्या-4 पर त्रुटिवश अंकित अमृत लाल पुत्र राम भरोरो निवासी ग्राम का नाग निररत हों के आदेश किये गये है। श्री अजय कुमार पुत्र काशी राम व बीना रानी पत्नी अनिल कुमार वर्मा निवासी-एस10बी0-6 शास्त्री नगर, गाजियाबाद द्वारा अपने अंश खतौनी के अनुसार 1/2 भाग का आपसी समझौता किया जाना था। परन्तु त्रुटिवश उ0प्र0 आवासा एवं विकास परिषद से 2/3 का किया गया है। इस प्रकार संशोधित खतौनी के अनुसार 1/2 प्रत्येक का अभिनिर्णीत प्रतिकर तैयार किया गया है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 388 :-

भूमि खसरा संख्या 1208 रकबा 0-174 हे0, 1210/0-082 हे0, 1211/0-106 हे0 कुल 0-362 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजरव अगिलेखों में विशाल द्विवेदी पुत्र कृपा शंकर द्विवेदी निवासी टिकरिया बक्कास, लखनऊ व राम विलास सिंह पुत्र शमशेर सिंह निवासी सरसवाँ के नाम पूर्व सन् फसली 1412 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। श्री विशाल द्विवेदी व राम विलास सिंह द्वारा अपने अंश का आपसी समझौता आवास एवं विकास परिषद द्वारा किया गया है। जिसके अनुसार अभिनिर्णय तैयार किया गया है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम सेवई व देवामऊ, अहमामऊ के प्राप्त हुये समझौते से सम्बन्धित पत्रावली मे उपलब्ध आपत्तियों का उल्लेख सम्बन्धित खाता/खसरा संख्याओं मे कर दिया गया है जिनके निस्तारण के उपरान्त संबंधित भूस्वामियों से शपथपत्र व स्वामित्व की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों नियमानुसार किया जायेगा। साथ ही यह प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवासा एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू0अ0अ0 की धारा-18 एवं 28 (ए) का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

[Signature]
26-05-10
(बाबूलाल श्रीवास)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
लखनऊ।

उपरोक्त प्रतिकर का भुगतान 26-5-10 को 35 घंटे

[Signature]

[Signature]
26-05-10

Noted
ASingle
Date
26/5/10

[Signature]
26-5-2010

[Signature]
S. P. M. (A. & S.)
11/03/10

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

		अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 1/2010
1-	वाद संख्या	: 1/2010.
2-	ग्राम का नाम	: बरौली खलीलाबाद, घुसवलकला, सेंवई।
3-	परगना तहसील व जिला	: लखनऊ ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	: बरौली खलीलाबाद- 8.5625 हेक्टेयर । घुसवल कला- 10.06238हेक्टेयर । सेंवई - 3.0494 हेक्टेयर। योग- 21.67426 हेक्टेयर ।
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	: नहीं ।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	: सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	: 17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	: 30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन : की दिनांक	: 05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	: 07.10.2008
11-	अभिनिर्णय की तिथि	:
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	: 115441443.61
13-	पूँजीकृत मूल्य	: नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14-	अध्याप्ति व्यय	: नियमानुसार जमा किया जायेगा।

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर

कार्यालय अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

		अभिनिर्णय आदेश संख्या :- 1/2010
1-	वाद संख्या	: 1/2010.
2-	ग्राम का नाम	: बरौली खलीलाबाद, घुसवलकलां, सेंवई।
3-	परगना तहसील व जिला	: लखनऊ।
4-	अभिनिर्णीत क्षेत्रफल	: बरौली खलीलाबाद- 8.5625 हेक्टेयर। घुसवल कलां- 10.06236 हेक्टेयर। सेंवई - 3.0494 हेक्टेयर। योग- 21.67426 हेक्टेयर।
5-	क्या जमींदारी विनाश अधिनियम लागू है	: नहीं।
6-	भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन	: सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना
7-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 28 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	: 17/07/2004
8-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 32 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	: 30/9/2006
9-	भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 7/17 के प्रकाशन की दिनांक	: 05/12/2007
10-	अधिकार/कब्जा की तिथि	: 07.10.2008
11-	अभिनिर्णय की तिथि	:
12-	अभिनिर्णय की धनराशि	: 115441443.61
13-	पूँजीकृत मूल्य	: नियमानुसार जमा किया जायेगा।
14-	अध्याप्ति व्यय	: नियमानुसार जमा किया जायेगा।

यह प्रस्ताव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सुल्तानपुर रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है, उक्त से संबंधित निर्गत अधिसूचनाओं के प्रकाशन की दिनांक का विवरण उपरोक्त अंकित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के निर्गत होने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तथा अनुमानित प्रतिकर की धनराशि उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 9/17 के अन्तर्गत आम व खास नोटिसें निर्गत की गयी। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा करार नियमावली 1997 के आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित करने हेतु जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। गठित समिति की बैठक में प्रश्नगत योजना में अर्जनाधीन भूमि की दर रू० 49.50 प्रतिवर्गफुट जिसमें भूमि के प्रतिकर के साथ ही साथ सोलेशियम अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, पर

आम सहमति बनी थी। उक्त दर का अनुमोदन मा० आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के आदेश संख्या 6810/08-9(2009-10) दिनांक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रदान किया गया। तत्कम में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निम्नलिखित खातों की भूमि से संबंधित समझौते हितवद्ध व्यक्तियों के साथ निष्पादित कर उपलब्ध कराये गये हैं। योजना में उपर्युक्त ग्राम की उनके सम्मुख अंकित भूमि का क्षेत्रफल अभिनिर्णय में सम्मिलित किया जा रहा है। प्राप्त अनुबंध का विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम बरीली खलीलाबाद

खाता संख्या 22 :-

भूमि खसरा संख्या 1795 रकबा 0.216 हे०, 1807 रकबा 0.013हे०, 1811 रकबा 0.012हे०, 1814 रकबा 0.013हे०, 1818 रकबा 0.012हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओमप्रकाश, जयप्रकाश पुत्रगण रामचरन, रामलखन व रामसागर पुत्रगण छंगा, श्रीमती महदेई बेवा छंगा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक महदेई के स्थान पर रामलखन, रामसागर पुत्रगण छंगा नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। उक्त भूमि हेतु अभिलिखित खातेदारों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 42 :-

भूमि खसरा संख्या 1740 रकबा 0.354 हे०, 1742 रकबा 0.291हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में केसराम पुत्र डल्ला व राम नरेश पुत्र जगदेव निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक रामनरेश के स्थान पर श्रीमती विशुनदेई पत्नी स्व० रामनरेश नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेशानुसार ना०त० बिजनौर द्वारा वाद सं० 948/292/5.6.09 गाटा संख्या 1740 क्षेत्र 0.354हे० व 1742 क्षेत्र 0.291हे० के बकदर भाग से विशुनदेई पत्नी रामनरेश का नाम निरस्त करके बाबू पुत्र टीकाराम नि० बरीली खलीलाबाद का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री बाबू पुत्र टीका द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 83 :-

भूमि खसरा संख्या 1674 रकबा 0.139 हे०, 1675 रकबा 0.076हे०, 1676 रकबा 0.126 हे०, 1677 रकबा 0.215 हे०, 1679 रकबा 0.051 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गुरुदेव पुत्र इन्द्रपाल, रामचरन पुत्र जगमोहन, यदुवेश सिंह पुत्र ओमप्रकाश व वीरेन्द्र सिंह पुत्र बाबूलाल, भोगनाथ पुत्र पितम्बर निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1362 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में तहसीलदार, न्यायिक, सदर, लखनऊ वाद संख्या 744 दिनांक 31.07.08 गाटा संख्या

1674/0.148हे0, 1675/0.076हे0, 1676/ 0.139हे0, 1677/0.215, 1679/0.051हे0 में से गुरु पुत्र इन्द्रपाल व रामकरन पुत्र जगमोहन व यदुवंश सिंह पुत्र ओमप्रकाश व वीरेन्द्र सिंह पुत्र बाबूलाल व भोगनाथ पुत्र पितम्बर का नमा निरस्त करके श्रीमती प्रेमा त्रिपाठी पत्नी जयकेश त्रिपाठी नि0 ए-29 से0 जे0, रेलनगर, आशियाना, लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती प्रेमा त्रिपाठी पत्नी जयकेश त्रिपाठी द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 93 :-

भूमि खसरा संख्या 1633 रकबा 0.291 हे0, 1660 रकबा 0.050हे0, 1659 रकबा 0.189 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में घुरु पुत्र छेदी निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। अभिलिखित खातेदार घुरु पुत्र छेदी द्वारा पूर्ण भाग हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 157 :-

भूमि खसरा संख्या 1796/1 रकबा 0.228 हे0, 1796/2 रकबा 0.508हे0, 1856 रकबा 0.013 हे0, 1858 रकबा 0.125 हे0, 1861 रकबा 0.038हे0, 1891 रकबा 0.316 हे0, 1855/2 रकबा 0.071हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नोखे पुत्र मतऊ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0, बिजनौर पक-11क 20.01.06 खाता संख्या 157 से मृतक नोखे के स्थान पर गोकर्न, लालबहादुर पुत्रगण नोखे व सररेश व मंगल ना0बा0 क्रमशः 12, 9 वर्ष पुत्रगण अशोक सं0 श्रीमती लक्ष्मी देवी माता स्वयं व श्रीमती लक्ष्मी पत्नी अशोक नि0 सरथुआ का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री गोकर्न द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 192 :-

भूमि खसरा संख्या 1914/3 रकबा 0.253 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में परभू पुत्र अंगनू निवासी सरथुआ के नाम पूर्व सन् फसली 1371 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिघर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार रा0नि0 बिजनौर पक-11क 16.01.08 खाता संख्या 192 से मृतक परभू के स्थान पर कुन्दनलाल पुत्र परभू निवासी सरथुआ का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के



आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्री कुन्दनलाल द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 197 :-

भूमि खसरा संख्या 1626/2 रकबा 1.151 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीमती प्यारो पुत्री देवासिंह निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1396 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर लखनऊ वाद संख्या 1629/550/29.09.09 गाटा संख्या 1626/2/1.151 हे० मा०गु० 60ख से श्रीमती प्यारो पुत्री देवा सिंह निवासी वरीली खलीलाबाद, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मेसर्स सिनामन विल्डर्स एवं डेवलपर्स प्रा०लि० रजि० आफिस 33 कम्युनिटी सेन्टर न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76, विपुल खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार मेसर्स सिनामन विल्डर्स एवं डेवलपर्स प्रा०लि० रजि० आफिस 33 कम्युनिटी सेन्टर न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76, विपुल खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 245 :-

भूमि खसरा संख्या 1678 रकबा 0.278 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में भोगनाथ पुत्र स्व० पितम्बर निवासी जवाहर खेड़ा रोवई के नाम पूर्व सन् फसली 1384 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर न्यायिक, लखनऊ वाद संख्या 697/31.07.08 गाटा संख्या 1678/ 0.278 हे० से भोगनाथ पुत्र स्व० पितम्बर का नाम निरस्त करके श्रीमती प्रेमा त्रिपाठी पत्नी जयकेश त्रिपाठी नि० ए-29 से० जे०, रेलनगर, आशियाना, लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। अभिलिखित खातेदार श्रीमती प्रेमा त्रिपाठी पत्नी जयकेश त्रिपाठी द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 257 :-

भूमि खसरा संख्या 1799/1 रकबा 4.077 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनप्रीत सिंह ना०बा० आयु 3 वर्ष पुत्र इन्द्रजीत सिंह संरक्षक स्वयं व जगजीत सिंह पुत्र कुलदीप सिंह सं० सरदार हजारा सिंह परबाबा नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1397 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 980/18.07.08 गाटा संख्या 1799/1 क्षे० 4.077 हे० के बकदर भाग में से 0.507 हे० व गाटा संख्या 1665/9 मि०/2.023 हे० से जगजीत सिंह पुत्र स्व० कुलदीप सिंह का नाम निरस्त करके सन्तोष त्रिपाठी पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी नि० बी-58 से० जे०, रेलनगर, आशियाना, लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है।

अभिलिखित खातेदार सन्तोष त्रिपाठी पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 284 :-

भूमि खसरा संख्या 1700 रकबा 0.152 हे०, 1710/2 रकबा 0.155हे०, 1749 रकबा 0.266हे०, 1757 रकबा 0.341हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मातादीन, रामआसरे, महावीर, खुशीराम पुत्रगण भगवानदीन नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 298 :-

भूमि खसरा संख्या 1701 रकबा 0.253 हे०, 1712 रकबा 0.708हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मोहकम पुत्र सीताराम नि० धौघनखेड़ा म० ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 305 :-

भूमि खसरा संख्या 1797/1 रकबा 0.770 हे०, 1798/1 रकबा 0.089हे० व 1799/3 रकबा 0.406हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मन्जीत सिंह पुत्र सरदार हजारा सिंह नि० पिपरीखेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1395 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 343 :-

भूमि खसरा संख्या 1788/1 रकबा 1.005 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलखन, रामकुमार, जंगबहादुर, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण बाबूलाल व जगन्नाथवबैजनाथ पुत्र जग्गू नि० धौघन खेड़ा मजरा ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1387 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक बैजनाथ के स्थान पर धर्मराज व अबधराम बालिग, रामजीत ना०बा० 10 वर्ष पुत्रगण बैजनाथ संरक्षिका श्रीमती कलावती माता स्वयं व श्रीमती कलावती पत्नी स्व० बैजनाथ निवासी धौघन खेड़ा मजरा ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। पुनः आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार सदर, लखनऊ वाद संख्या 1166/152/18.08.08 गाटा संख्या 1788/1 रकबा 1.005हे० के बकदर भाग से जगन्नाथ पुत्र जग्गू धर्मराज व अबधराम पुत्रगण स्व० बैजनाथ व श्रीमती कलावती पत्नी स्व० बैजनाथ व रामजीत पुत्र स्व० जगन्नाथ ना०बा० द्वारा संरक्षिका माता श्रीमती कलावती पत्नी स्व० बैजनाथ का नाम निरस्तकरके बाबू पुत्र टीकारामनिवासी ग्राम बरौली खलीलाबाद कानाम बतौरसंक्रमणीय भूमिधर द्वारा बैनामा दर्ज

(9)

किये जाने के आदेश अंकित है। श्री बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 413 :-

भूमि खसरा संख्या 1662मि0 रकबा 0.443 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामलोटन, रामू पुत्रगण लछिमन नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। श्री रामलोटन द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 523 :-

भूमि खसरा संख्या 1615 रकबा 0.329 हे0, 1617 रकबा 0.022हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में हरीशंकर व कृष्णशंकर पुत्रगण रामलाल नि0 ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1360 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम घुसवलकलां

खाता संख्या 8 :-

भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 0.050 हे0, 20 रकबा 0.030हे0, 21 रकबा 0.048हे0, 22 रकबा 0.025हे0, 23 रकबा 0.052 हे0, 24 रकबा 0.202हे0, 42 रकबा 0.046हे0, 182 रकबा 1.124हे0, 184 रकबा 1.093हे0, 185 रकबा 0.025हे0, 299 रकबा 0.326हे0, 304 रकबा 0.038हे0, 305 रकबा 0.025हे0, 316 रकबा 0.013हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अवधेश कुमार पुत्र रामस्वरूप, रामकुमार पुत्र कृष्ण कुमार, गु0 शकुन्तला पत्नी स्व0 कृष्ण कुमार, रातेन्द्र कुमार व देवेन्द्र कुमार पुत्रगण रामस्वरूप नि0ग्रा0 के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार डिप्टी कलेक्टर (राजस्व) लखनऊ बाद संख्या 14/21/08-09/15.10.08/18.2.09 धारा 176 गाटा संख्या 256/2/0.0171 गा0गु0 0.43 व 435/1/0.0095 गा0गु0 0.24, 299/0.326हे0, 182/2/0.423हे0, 305/0.025हे0 कुल 0.774हे0 गा0गु0 33.42 लाल रंग पर अजोश कुमार पुत्र रामस्वरूप नि0ग्रा0 का नाम दर्ज हो तथा गाटा संख्या 256/1/0.1216 गा0गु0 3.02 व 435/2/0.2945हे0 गा0गु0 7.26 से व गाटा संख्या 17/0.050, 20/0.030, 21/0.048, 22/0.025, 23/0.052, 24/0.202, 42/0.046, 182/1/0.701, 184/1.093, 185/0.025, 304/0.038, 316/0.013 हे0 कुल 2.323हे0 गा0गु0 99.94 हरा रंग व खातेदार अवधेश कुमार का नाम निरस्त करके शेष पूर्ववत अंकित खातेदार यथावत दर्ज रहेगे, के आदेश अंकित है। की गयी भूमि क्षे0 0.2988हे0 हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 10 :-

(8)

भूमि खसरा संख्या 75 रकबा 0.183 हे०, 76 रकबा 0.187हे०, 90 रकबा 0.274हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अशोक कुमार वर्मा पुत्र रामप्रसाद वर्मा नि० ददुरी जमालपुर पो० करोरा लखनऊ, सुरेश चन्द्र वर्मा पुत्र अशर्फी लाल वर्मा नि० कासिमपुर लखनऊ श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सतगुरु प्रसाद नि० रहीमनगर महानगर लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1402 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से श्री अशोक कुमार वर्मा व श्रीमती सुशीला देवी द्वारा अपने हिस्से के 1/3 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 14 :-

भूमि खसरा संख्या 431रा रकबा 0.006 हे०, 432रा रकबा 0.153हे०, 433स रकबा 0.113हे०, 434स रकबा 0.044हे०, 506स रकबा 0.003हे०, 391 रकबा 0.082हे०, 409 रकबा 0.200हे०, 444 रकबा 2.187हे०, 446 रकबा 0.018हे०, 447 रकबा 1.197हे०, 456 रकबा 0.202हे०, 457 रकबा 0.010हे०, 459 रकबा 0.039हे०, 464 रकबा 0.104हे०, 465 रकबा 0.068हे० तथा 484 रकबा 0.371हे० कुल 4.797हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओमप्रकाश, नन्हा, राममिलन, कौशल किशोर, लल्लन पुत्रगण मैकू लालराम, औतार पुत्रगण त्रिलोकी, राम नरेश पुत्र रामचरन नि०ग्रा० के नाम पूर्व सन् फराली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 403/296/13.11.09 गाटा संख्या 506स रकबा 0.003हे०, 391 रकबा 0.082हे०, 409 रकबा 0.200हे०, 444 रकबा 2.187हे०, 446 रकबा 0.018हे०, 447 रकबा 1.197हे०, 456 रकबा 0.202हे०, 457 रकबा 0.010हे०, 459 रकबा 0.039हे०, 464 रकबा 0.104हे०, 465 रकबा 0.068हे० तथा 484 रकबा 0.371हे० गा०गु० 60ख के बकदर भाग से विक्रेता नन्हा पुत्र मैकूलाल नि०ग्रा० घुसवलकलां परगना विजनीर तहसील व जिला लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मे० शिकारा रियल स्टेट एण्ड लैण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० रजिस्टर्ड आफिस 33, कम्प्यूनिटि सेन्टर, न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। मे० शिकारा रियल स्टेट एण्ड लैण्ड डेवलपर्स प्रा०लि० रजिस्टर्ड आफिस 33, कम्प्यूनिटि सेन्टर, न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा नि० 1/76, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा क्रय की गयी भूमि क्षे० 0.2988हे० हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 30 :-

भूमि खसरा संख्या 270 रकबा 0.405हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गयाप्रसाद, जगदम्बा प्रसाद पुत्रगण रामबली, दिनेश कुमार बालिग, संदीप कुमार, सत्यदीप कुमार पुत्रगण गेंदा प्रसाद उर्फ गया प्रसाद नि० देवामऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर

1

अंकित है। जगदम्बा प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भाग 0.135हे0 भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 31 :-

भूमि खसरा संख्या 284अ रकबा 0.050हे0 व 284ब रकबा 0.755हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में चिरंजूलाल, भाईलाल पुत्रगण बुद्ध नि0ग्रा0 के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों द्वारा सम्पूर्ण भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 35 :-

भूमि खसरा संख्या 427 रकबा 0.385हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जयमंगल पुत्र भृगुनाथ नि0 घरवारकली गाजीपुर हाल मुजफ्फरनगर घुसवलकला के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 402/212/13.11.09 गाटा संख्या 427 रकबा 0.385हे0 मा0गु0 60ख से विक्रेता जयमंगल पुत्र भृगुनाथ का नाम निरस्त करके क्रेता बाबू पुत्र टीकाराम नि0ग्रा0 बरौलीखलीलाबाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा क्रय की गयी भूमि के पूर्ण भाग हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 37 :-

भूमि खसरा संख्या 139 रकबा 0.111हे0, 114 रकबा 0.317हे0 व 138 रकबा 0.193हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जीतबहादुर पुत्र सत्यनरायन नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के पूर्ण भाग हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 54 :-

भूमि खसरा संख्या 148 रकबा 0.747हे0, 225 रकबा 1.567हे0, 369 रकबा 0.022हे0, 370 रकबा 0.035हे0, 372 रकबा 0.049हे0, 373 रकबा 0.025हे0 व 375 रकबा 0.219हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बृजलाल, अयोध्याप्रसाद पुत्रगण चेतई, महेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण नेवाजीलाल, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी श्यामलाल, चन्द्रकान्ती पत्नी किशोरी लाल, मायादेवी पत्नी रामस्वरूप नि0 जयसिंह खेड़ा के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से बृजलाल द्वारा अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 56 :-

(6)

भूमि खसरा संख्या 194 रकबा 0.602हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बंगाली प्रसाद, श्री भगवान पुत्रगण जगुना प्रसाद नि0 छोटा बरहा आलमबाग लखनऊ के नाम पूर्व सन् फसली 1407 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदारों में से बंगाली प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 65 :-

भूमि खसरा संख्या 468 रकबा 0.063हे0, 470 रकबा 0.042हे0, 471 रकबा 0.068हे0, 472 रकबा 0.026हे0, 473 रकबा 0.029हे0, 474 रकबा 0.033हे0, 475 रकबा 0.026हे0, 476 रकबा 0.026हे0, 477 रकबा 0.031हे0, 492 रकबा 0.141हे0, 494 रकबा 0.148हे0 व 495 रकबा 0.151हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मुनई प्रसाद पुत्र अनन्त प्रसाद नि0 लोहरामऊ उन्नाव के नाम पूर्व सन् फसली 1405 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिगर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 985/157/01.07.08 गाटा संख्या 468 रकबा 0.063हे0, 470 रकबा 0.042हे0, 471 रकबा 0.068हे0, 472 रकबा 0.026हे0, 473 रकबा 0.029हे0, 474 रकबा 0.033हे0, 475 रकबा 0.026हे0, 476 रकबा 0.026हे0, 477 रकबा 0.031हे0, 492 रकबा 0.141हे0, 494 रकबा 0.148हे0 व 495 रकबा 0.151हे0 के बकदर भाग से मुनई प्रसाद पुत्र अनन्त प्रसाद का नाम निरस्त करके क्रेता बाबू पुत्र टीकाराम नि0ग्राम बरौलीखलीलाबाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर संभू0 द्वारा बेनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा क्रय की गयी भूमि के पूर्ण भाग हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 67 :-

भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 0.066हे0, 4 रकबा 0.064हे0, 5 रकबा 0.044हे0, 6 रकबा 0.057हे0, 7 रकबा 0.114हे0, 8 रकबा 0.067हे0, 19 रकबा 0.240हे0, 84 रकबा 0.046हे0, 85 रकबा 0.057हे0, 95 रकबा 0.025हे0, 96 रकबा 0.018हे0, 97 रकबा 0.062हे0, 98 रकबा 0.082हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद, हिम्मत, बहादुर पुत्रगण बिरजा नि0ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। मनोज कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 82 :-

भूमि खसरा संख्या 480 रकबा 0.321 हे0, 481 रकबा 0.086 हे0, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबूलाल, राजाराम पुत्रगण धन्नू, श्रीमती गौरा पत्नी रामपाल पुत्र बदलू बाबूलाल, रामसनेही, रामसेवक ब0, राजू पुत्रगण बुद्धा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय

l

5

भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 963/221/01.07.08 गाटा संख्या 480 रकबा 0.321 हे०, 481 रकबा 0.086 हे०, के बकदर भाग से राजाराम, बाबूलाल पुत्रगण धन्नु का नाम निरस्त करके क्रेता बाबू पुत्र टीकाराम नि०ग्रा० बरौलीखलीलाबाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा क्रय की गयी भूमि 1/3 भाग 0.1356 हे० हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 83 :-

भूमि खसरा संख्या 417 रकबा 0.194 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजाराम, बाबूलाल पुत्रगण धन्नु निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 986/01.07.08 गाटा संख्या 417 रकबा 0.194 हे० के बकदर भाग से बाबूलाल पुत्र धन्नु का नाम निरस्त करके क्रेता बाबू पुत्र टीकाराम नि०ग्रा० बरौलीखलीलाबाद परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा क्रय की गयी भूमि 1/2 भाग 0.097 हे० हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 92 :-

भूमि खसरा संख्या 307 रकबा 0.831 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामरतन पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक बिजनौर द्वारा पक 11 11.02.08 खाता संख्या 92 से मृतक रामरतन के स्थान पर उगेशचन्द्र, मुकेशचन्द्र, अजय कुमार, प्रदीपकुमार, चन्द्रहास पुत्रगण स्व० रामरतन व श्रीमती मैकादेवी पत्नी स्व० रामरतन का नाम बतौर वारिस अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। श्री उगेशचन्द्र द्वारा 1/6, श्री मुकेशचन्द्र द्वारा 1/6, श्री प्रदीपकुमार द्वारा 1/6, श्री चन्द्रहास द्वारा 1/6 तथा श्रीमती मैका द्वारा 1/6 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 103 :-

भूमि खसरा संख्या 326 रकबा 0.784 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामशेखर, रामसेवक पुत्रगण हनुमान, ताराचन्द्र यादव पुत्र हरदेव निवासी ग्राम चिरैयाबाग के नाम पूर्व सन् फसली 1409 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। श्री ताराचन्द्र यादव द्वारा 2/3, श्री रामसेवक द्वारा 1/6 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 127 :-

4

भूमि खसरा संख्या 334अ रकबा 0.057 हे०, 334ब रकबा 0.737हे० व 363 रकबा 0.205हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सुनीलकुमार पुत्र नौमीलाल, लवकुश अवं आयु 10वर्ष पुत्र नौमीलाल सं० मु० प्रेमा माता, प्रेमा पत्नी नौमीलाल, नरेन्द्रकुमार अवं आयु 13 वर्ष वीरेन्द्र कुमार आयु 11 वर्ष पुत्रगण राधेश्याम संरक्षिका मु० प्रेमा माता व मु० प्रेमा विधवा राधेश्याम नि०ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1372 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। श्री सुनीलकुमार पुत्र नौमीलाल, लवकुश अवं आयु 10वर्ष पुत्र नौमीलाल सं० मु० प्रेमा माता, प्रेमा पत्नी नौमीलाल द्वारा 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

खाता संख्या 135 :-

भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 1.182 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री भगवान पुत्र जमुना प्रसाद नि० छोटा बरहा के नाम पूर्व सन् फसली 1404 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में आदेशानुसार तहसीलदार(न्यायिक) सदर लखनऊ वाद संख्या 926/161/26.06.08 गाटा संख्या 488 रकबा 1.182 हे० से भगवान पुत्र जमुना प्रसाद का नाम निरस्त करके मेसर्स फायर टाऊन प्लानर्स प्रा० लि० रजि० आफिस-33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फेण्डस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्दा पुत्र शेर सिंह बिन्दा निवासी-1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ का नाग स०मू० द्वारा बैनामा अंकित किये जाने के आदेश अंकित है। मेसर्स फायर टाऊन प्लानर्स प्रा० लि० रजि० आफिस-33 कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फेण्डस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा पूर्ण भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है।

ग्राम सेवई

खाता संख्या 150 :-

भूमि खसरा संख्या 120 रकबा 0.208 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में महादेव, रामसागर पुत्रगण रामऔतार निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश एवं परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं में मृतक महादेव के स्थान पर श्रीमती सरोज पत्नी स्व० महादेव नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश अंकित है। उक्त खसरे पर द्वारा अधिवक्ता श्री प्रगोद कुमार सिंह ने आपत्ति प्रस्तुत कर विपक्षीगण को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिलिखित खातेदार रामसागर द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

l

(3)

खाता संख्या 159 :-

भूमि खसरा संख्या 46 रकबा 0.420 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में मेहदी हसन व राजू पुत्रगण दीना व मोहम्मद अजीज, मो० आजाद पुत्रगण रसीद व श्रीमती हफीजा बेवा रसीद निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि हेतु अभिलिखित खातेदारों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर मात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 193 :-

भूमि खसरा संख्या 56 रकबा 0.278 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजेन्द्र कुमार व रामकुमार, सुरेश कुमार, रामप्रताप पुत्रगण शिवदयाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश तहसीलदार न्यायिक सदर लखनऊ वाद संख्या-928/880/26.06.08 गाटा संख्या-56 रकबा-0.278 हे० से राजेन्द्र कुमार व रामकुमार, सुरेश कुमार, रामप्रताप पुत्रगण शिवदयाल का नाम निरस्त होकर एशियन्ट टाऊन प्लानर्स प्रावेट लिमिटेड-33 कम्प्यूनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा डाइरेक्टर सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निवासी-1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम द्वारा बैनामा संक्रमणीय भूमि अंकित है। उक्त भूमि हेतु अभिलिखित खातेदारों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर मात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 214 :-

भूमि खसरा संख्या 84 रकबा 0.596 हे०, खसरा संख्या-89 रकबा 0.379 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामखेलावन पुत्र श्री राम, भगौती प्रसाद, माता प्रसाद पुत्र शिवनरायन, चन्द्रिका प्रसाद पुत्र हनुमान, रामचन्द्र पुत्र राजाराम, कनेडी, ललित कुमार पुत्र ओम प्रकाश, देवी शरण, नन्द किशोर पुत्रगण जगन्नाथ श्रीमती नन्ही देवी पत्नी स्व० जगन्नाथ निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश तहसीलदार न्यायिक सदर, लखनऊ वाद संख्या-883/878/31.05.08 गाटा संख्या-84/0.596 हे० व 89/0.379 हे० से नन्द किशोर पुत्र जगन्नाथ का नाम निरस्त करके मैमर्स सिंकारा रियल स्टेट एण्ड डवलपर्स प्राइवेट लि० रजि० ऑफिस-33 कम्प्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निवासी-1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ का नाम द्वारा बैनामा संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार सुरेन्द्र सिंह बिन्द्रा पुत्र शेर सिंह बिन्द्रा निवासी-1/76 विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ द्वारा नन्द किशोर पुत्र जगन्नाथ के हिस्से का बैनामा द्वारा 0.1084 हे० का अनुबन्ध किया गया है। आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर मात्र/अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

(2)

खाता संख्या 221 :-

भूमि खसरा संख्या 2 रकबा 0.589 हे०, 280/0.046 हे०, 281/0.061 हे० कुल 0.696 हे० भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामचन्द्र पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि हेतु अभिलिखित खातेदारों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। उक्त खसरे पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल ने आपत्ति प्रस्तुत कर विपक्षीयता को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 240 :-

भूमि खसरा संख्या 79 रकबा 0.534 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रामपाल, शिवस्तन पुत्रगण छेदा निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 13/3 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश तहसीदार न्यायिक सार, लखनऊ वाद संख्या-401/162/13.11.09 गाटा संख्या-79/0.534 हे० के बक्दर भाग रकबा 0.267 हे० माल गुजारी 60ख से विक्रेता रामपाल पुत्र छेदा का नाम निरस्त करके केता बाबू पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम वरौली खलीलाबाद परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा वैनामा अंकित है। उक्त खसरे पर द्वारा अधिवक्ता श्री जावेद इकबाल ने आपत्ति प्रस्तुत कर विपक्षीयता को भुगतान न करने हेतु याचना की गयी है। अभिलिखित खातेदार बाबू पुत्र टीकाराम द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 249:-

भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 1.104 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में रूपचन्द्र पुत्र शम्भू तुलसी राम पुत्र पाँचू निवासी ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1373 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलिखित खातेदार रूपचन्द्र द्वारा अपने हिस्से की 1/2 भाग 0.552 हे० भूमि हेतु आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वामित्व/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

खाता संख्या 317:-

भूमि खसरा संख्या 221 रकबा 0.308 हे०, 282स/0.316 हे०, भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में सालिकराम पुत्र धूरू निवासी धावाहर मजरा ग्राम के नाम पूर्व सन् फसली 1404 व 1382 से श्रेणी 1 क संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। आदेश रानी बिजनौर द्वारा पाका-11 का 24.01.09 खाता संख्या-315, 316, 317, 318 से मृतक सालिकराम के स्थान पर रामकिशन सुशील कुमार, दिलीप कुमार पुत्रगण

1

सालिकराम व श्रीमती सुमित्रा पत्नी सालिकराम निवारी घावाहर मजरा सेवई का नाम वतौर वारिस अंकित है।
आवास एवं विकास परिषद से दर के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्ध के आधार पर प्रतिकर अभिनिर्णीत किया जाता है। अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान स्वागित्/पहोपत साक्ष्य प्रस्तुत करने पर पात्र/ अभिलिखित व्यक्तियों को नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम सेवई के प्राप्त हुये समझौते से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध आपत्तियों का उल्लेख सम्बन्धित खाता/खसरा संख्याओं में कर दिया गया है जिनके निस्तारण के उपरान्त संबंधित भूस्वामियों से शपथपत्र व स्वागित् की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अभिनिर्णीत प्रतिकर का भुगतान पात्र/अभिलिखित व्यक्तियों नियमानुसार किया जायेगा।

ग्राम बरौलीखलीलाबाद व घुसवल कलों के प्राप्त हुये समझौते के साथ भूमि में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, से संबंधित शपथपत्र व स्वागित् की पुष्टि से संबंधी साक्ष्य तथा यथेष्ट पहचान संबंधी पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिकर का भुगतान देय होगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिबन्ध होगा कि हितबद्ध व्यक्ति अपनी भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को हस्तान्तरित कर देंगे एवं समझौता प्रस्तुत करने वाले लोगों को भू0अ0अ0 की धारा 18 एवं 28 (ए) का लागू अनुमन्य नहीं होगा।

De
26-05-10

(बाबूलाल श्रीवास)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
लखनऊ।

- 25 मई 2010 को प्राप्त हुआ 26-05-10 AT
उपरोक्त समान

De
26-05-10

(L.S.)
2010

संकेत AV →

ग्राम - बरोली खलीलाबाद

खतबंदी NO	पेज -	तक	
(1)	14 14	9 तक	5
(3)	28	22 तक	6
(5)	49	37 तक	13
(6)	94 94	79 तक	16
(7)	97	95	4
8	137	126	12
			<u>57</u>